खण्ड-521, अंक-03
बुधवार, 03 फाल्गुन, शक संवत् 1944
(दिनांक 22 फरवरी, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2023)

(खण्ड 521 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1-8
नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की माँग	...	9
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक का प्रस्तुतीकरण ई-विधान द्वारा	...	9-51
माननीय सदस्यों के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से भोज की सूचना	...	51-52
प्रश्नोत्तर	...	52-213
सदन में माननीय सदस्यों को उनके जन्म दिवस पर बधाई सन्देश	...	213-214
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	...	214
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियमों तथा विधान सभा की परम्पराओं के उलंघन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	214-217
विधान सभा के रेलवे आरक्षण केन्द्र के कार्मिकों द्वारा मा0 सदस्यों को गुमराह करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	...	217-218
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	218-219
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आर0 टी0 आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	219-220
जनपद बहराइच के 286 विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत पक्के तालाब का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण तथा गन्दगी से बचाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	220
जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2021 से निर्मित पानी के टंकियों के निर्माण की अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	221
जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत बिलसंडा, बरखेड़ा कला तथा बीसलपुर में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	221-222
जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोछावा में संडीला-बेनीगंज मुख्य मार्ग पर बहादुरपुर तिराहा से हत्याहरण सड़क के शेष निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	222

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत बलदेव ब्लाक, राया ब्लाक, फराह ब्लाक एवं मथुरा ब्लॉक में मनरेगा/नरेगा योजना के कार्य में हुई अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	222-223
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ककोड के ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	223
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत बछुआर में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल दूध का प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	223
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम शेरपुर सदर, विकास खण्ड सदर में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	223-224
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के तहसील के अन्तर्गत सिसोटार में चकबन्दी प्रक्रिया की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	224
जनपद अम्बेडकरनगर के कमनापुर से फत्तेपुर (टीकमपारा) अशरफपुर बरुवा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	225
जनपद वाराणसी मण्डल के सभी जनपदों में निःशुल्क एम0आर0आई0 जाँच सुविधा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	225
जनपद बदायूँ के दातागंज में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	225
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	226
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में टोंस नदी के किनारे बने बांध के अधूरे निर्माण से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	226-227
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर के अन्तर्गत ग्राम चांडक तुर्क से किरतपुर मार्ग पर अण्डरपास तथा ग्राम जीवन सराय में सीढ़ीदार फ्लाईओवर बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	227-228

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवा, इलाज, जांच एवं वेन्टिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	228
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पालीटेक्निक बनवाये के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	228
जनपद महराजगंज के मोहम्मदी के अन्तर्गत शंकरपुर से फरेंदा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	228-229
प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी अस्पतालों में एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	229
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन-II 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-05 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	229
वित्त लेखे खण्ड-I, वर्ष 2021-2022 एवं खण्ड-II, वर्ष 2021-2022 उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष 2021-2022 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया) ...	229
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, प्रतिवेदन सं0-6, वर्ष 2022 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	230
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिक प्रणाली पर उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-3 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	230
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2010, दिनांक 04 मार्च, 2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	230
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2017, दिनांक 28 जुलाई, 2017 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	230
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	230-231
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)..	231-232

विषय		पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ लिये जाने का पीठ से अनुरोध	...	232
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)..		233-258
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हेतु मा0 सदस्यों के लिये समय का निर्धारण	...	258
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)	...	258-294
याचिकाओं का उपस्थापन	...	294
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	295
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	295-296
डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	296
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	296-297
डा0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	.	297
डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	297-298
श्री श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	298-299
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	299
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	299-300
श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	300-301
श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	301
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	302

विषय		पृष्ठ-संख्या
श्री आशीष कुमार सिंह आशू, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	302-303
श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	303
श्री गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित 01 एवं प्रयागराज से 04 याचिकाएं (व्यपगत)	...	303-304
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 01 एवं जालौन से सम्बन्धित 04 याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	304-305
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	305
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	305-306
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी की 04 एवं उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)	...	306-307
श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	...	307
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	307
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)	...	308
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	308-309
श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	309
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	309-310
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	310
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	310-311

विषय		पृष्ठ-संख्या
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	311-312
श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	312
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	312-313
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)	...	313
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	313-314
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	314-315
श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	...	315
श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	315-316
श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)	...	316
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	316-317
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	317
श्री राजीव सिंह पारीक्षा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	318
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	318
श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	318-319
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	319
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	320

विषय		पृष्ठ-संख्या
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	320-321
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	321
श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	...	322
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित हुई मानी गयीं)	...	322-323
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	323-324
श्रीमती पूजा सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	324-325
श्रीमती रानी पक्षालिका, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से एवं एटा से सम्बन्धित 01-01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	325
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	325-326
श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयी)	...	326
डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	326-327
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	...	327
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	...	327-328
दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	328-329
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के अनुसार ही सदन की कार्यवाही को संचालित कराये जाने का अनुरोध	...	329-331
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	...	331-346
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	346-347
नत्थियां	...	348-360

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2023 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-369

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, श्री — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
12. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
24. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
25. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
26. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
27. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
29. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
30. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
31. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
32. अरमान खान, श्री — लखनऊ
33. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
34. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
35. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
36. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
37. अशरफ अली खान, श्री — शामली
38. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
41. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
42. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
43. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
44. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
45. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
46. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
47. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
48. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री — लखनऊ
49. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं

50. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
51. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
52. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
53. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
58. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
59. एम0 पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
62. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
63. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
64. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
65. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
66. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
67. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
68. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
71. कैलाश, श्री चन्दौली
72. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
73. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
74. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
77. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
78. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
79. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
82. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
83. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
84. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
85. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
86. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
89. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जाहीद, श्री भदोही
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
100. जी एस धर्मेश, डॉ0 आगरा
101. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
102. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
103. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
104. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
105. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
106. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
107. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
108. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
111. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ

112. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
115. दुधराम, श्री बस्ती
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
118. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
119. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
120. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
123. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
124. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
125. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
126. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
127. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
130. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
131. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
132. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
133. नाहिद हसन, श्री शामली
134. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
135. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
136. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
137. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
138. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
139. पंकज, श्री जौनपुर
140. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
141. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
142. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
143. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
144. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
145. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
146. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
147. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
148. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
149. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
150. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
151. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
152. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
153. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
154. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
155. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
156. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
157. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
158. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
159. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
160. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
161. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
162. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
163. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
164. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
165. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
166. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
167. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
168. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
169. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
170. बाबूराम, श्री पीलीभीत
171. बाबूलाल, श्री आगरा

172. बावन सिंह, श्री गोण्डा
173. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
174. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
175. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
176. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
177. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
178. बेदी, श्री गाजीपुर
179. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
180. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
181. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
182. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
183. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
184. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
185. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
186. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
187. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
188. मनीष रावत, श्री सीतापुर
189. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
190. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
191. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
192. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
193. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
194. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
195. महबूब अली, श्री अमरोहा
196. महेन्द्र, श्री अमरोहा
197. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
198. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
199. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
200. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
201. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
202. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
203. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
204. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
205. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
206. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
207. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
208. मेघश्याम, श्री मथुरा
209. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
210. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
211. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
212. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
213. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
214. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
215. योगेश धामा, श्री बागपत
216. योगेश वर्मा, श्री खीरी
217. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
218. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
219. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
220. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
221. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
222. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
223. रमेश, श्री जौनपुर
224. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
225. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
226. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
229. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
230. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
231. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
232. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
233. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
234. राकेश राठौर, श्री सीतापुर

235. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
236. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
237. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
238. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
239. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
240. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
241. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
242. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
243. राजमणि, श्री प्रयागराज
244. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
245. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
246. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
247. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
248. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
249. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
250. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
251. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
252. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
253. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
254. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
255. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
256. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
257. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
258. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
259. रामकेश निषाद, श्री बांदा
260. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
261. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
262. रामदुलार, श्री सोनभद्र
263. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
264. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
265. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
266. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
267. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
268. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
269. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
270. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
271. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
272. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
273. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
274. लकी यादव, श्री जौनपुर
275. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
276. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
277. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
278. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
279. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
280. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
281. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
282. विजयपाल (आढती), श्री हापुड़
283. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
284. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
285. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
288. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
289. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
290. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
291. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
292. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
293. विपुल दुबे, श्री भदोही
294. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर

295. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
296. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
297. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
298. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
299. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
300. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
301. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
302. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
303. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
304. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
305. शशांक वर्मा, श्री खीरी
306. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
307. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
308. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
309. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
310. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
311. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
312. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
313. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
314. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
315. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
316. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
317. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
318. संग्राम सिंह, श्री बलिया
319. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
320. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
321. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
322. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
323. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
324. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
325. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
326. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
327. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
328. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
329. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
330. सभाकुंवर, श्री देवरिया
331. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
332. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
333. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
334. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
335. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
336. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
337. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
338. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
339. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
340. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
341. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
342. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
343. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
344. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
345. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
346. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
347. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
348. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
349. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
350. सुरेश राही, श्री सीतापुर
351. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
352. सुशांत सिंह, कुँवर बिजनौर
353. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
354. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
355. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
356. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
357. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
358. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी

359. स्वामी ओउमवेश, श्री	बिजनौर	364. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
360. हंसु राम, श्री	बलिया	365. हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़
361. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	366. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
		367. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
362. हरिओम, श्री	कासगंज	368. हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं
363. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर	369. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :-नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) भी सदन में उपस्थित थे।

नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

मा0 वित्त मंत्री।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने नियम-311 में नोटिस दी है, बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 की नोटिस का अभी कोई समय नहीं है। जिस समय उसका समय आएगा उस समय देखेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर पढ़ दूँ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं कोई ईश्यू नहीं है। आज 11:00 बजे बजट प्रस्तुत होना है आपको पता है और मैंने मा0 वित्त मंत्री जी को बुला लिया है। माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, नियम-311 में सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 में कोई नोटिस नहीं सुनेंगे। यदि आवश्यकता होगी, समझेंगे कि सुनवाई के लिए आवश्यक है, तो नियम-56 में सुन लेंगे।

(वित्त मंत्री जी को पुकारे जाने पर सदन में मेजों की थपथपाहट व जय श्रीराम के नारे सुनाई दिये)

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ई-विधान द्वारा

***संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। मान्यवर,

योगी जी का बजट बना है यू0पी0 की खुशहाली को,
यह अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को।
(मेजों की थपथपाहट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है, अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं।

देश की जी0डी0पी0 में प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत से अधिक का है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश के विकास की दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गई है। यह भी अपने आपमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.....

(मेजों की थपथपाहट)

वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है।

वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गई है। यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी, 2023 के मध्य यू0पी0 ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यन्त सफल आयोजन किया गया। इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गये जहाँ उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड-शो आयोजित किये गये। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यू0के0, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैण्ड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व आस्ट्रेलिया शामिल हैं।

इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 08 प्रमुख नगरों-मुम्बई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चण्डीगढ़ में रोड-शो का आयोजन किया गया।

इसके परिणामस्वरूप उ0प्र0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपये के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा (16 प्रतिशत), इलेक्ट्रानिक्स (12 प्रतिशत), औद्योगिक पार्क (11 प्रतिशत), शिक्षा (09 प्रतिशत) तथा लॉजिस्टिक्स (09 प्रतिशत) सेक्टर्स में किये गये हैं।

सुधर गई कानून-व्यवस्था,
उद्योगों की अलख जगी,
यू0पी0 बना ग्रोथ का इंजन,
यह सब पहली दफा समझ,

फकत किनारे बैठे-बैठे,
लहरों से मत सवाल कर,
डूब के खुद गहरे पानी में,
पानी का फलसफा समझ।

मान्यवर, यह हमारे लिये अत्यन्त गर्व का विषय है कि दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह जी-20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के अन्तर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी जिसमें उत्तर प्रदेश के 04 शहरों- लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिये बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और सम्भावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक वृहद् एवं व्यापक अवसर होगा, जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं जनता को प्राप्त होगा।

मान्यवर, गवर्नेन्स के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गयी प्रभावी कार्यवाही के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 'इण्डिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कान्टेस्ट' में तथा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।

कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है।

भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत् उत्तर प्रदेश को 'इनस्पायरिंग लीडर' के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

मान्यवर, आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अन्दर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरन्तर कठोर परिश्रम एवं अनुशासन से सम्भव हो सका है।

श्रम के जल से राह सदा सिंचती है,
गति मशाल आंधी में ही हंसती है,
छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है,
वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं,
मंजिल की मांग लहू से ही सजती है।।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल तथा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप प्रदान किया गया है। हमने न केवल प्रदेश में अवस्थापना विस्तार, निवेशानुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योग स्थापित करने पर बल दिया, अपितु समाज के विभिन्न समूहों, विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलम्बन की दिशा में निरन्तर कार्य किया। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष इस क्रम में कुछ प्रमुख उपलब्धियों एवं प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा रखना चाहूँगा।

किसान

- हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किये गये कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95, 125 करोड़ रुपये से 86,728 करोड़ रुपये अधिक है।

- गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गन्ने के साथ अन्तः फसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

- रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में 2015 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था। विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

- खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु रु0 2040 तथा ग्रेड-ए हेतु रु0 2060 प्रति कुन्तल मूल्य निर्धारित किया गया है। अद्यतन

62.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है, जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरित की गयी।
- किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है।
- प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने से 01 लाख किसान लाभान्वित हैं।

महिला एवं बाल विकास

बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित ''मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना'' के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को रु0 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2023-2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत् गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं।
- प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत अक्टूबर, 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया। मिशन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया।

- प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन किया जा रहा है।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अन्तर्गत पीजीआई, लखनऊ, आईआईटी, कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया चुका है।
- इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक-स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज/स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत् कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया।
- युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉर्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

रोजगार-

- मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक लगभग 01 लाख 07 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करते हुये 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है।

- प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। एम0एस0एम0ई0 अधिनियम, 2020 के माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति/लाइसेन्स/अनुमति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त कर रहा है। सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवम्बर, 2023 तक 03 लाख 95 हजार से अधिक उद्यम पंजीकृत हुये, जिसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ।
- एक जनपद-एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 01 लाख 35 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।
- एक जनपद-एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अन्तर्गत अब तक 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों/पारम्परिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण किया गया।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत 01 लाख 73 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना अन्तर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 01 लाख 37 हजार से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 06 वर्षों में 12 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है। प्रमाणीकृत हुये युवाओं में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 01 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।
- मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4,837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है।
- अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के क्रम में मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 के अन्तर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,53,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक, 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक, 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया।

सामाजिक सुरक्षा

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 7,248 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।
- दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान हेतु 1,120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत् इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190 करोड़ 49 लाख रुपये का ऋण वितरित कराते हुये उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फेज-03, 04 एवं फेज-05 में 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया।

श्रमिक कल्याण

- प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है।
- कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत् कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है।

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
- प्रदेश में 5,021 रोजगार मेलों का आयोजन कराया गया, जिनके माध्यम से 7 लाख 29 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट को चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों/शहरी वार्डों को बालश्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना का संचालन किया गया, जिनमें 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया।
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित ''मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना'' हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित ''मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा योजना'' के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत् 2000 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिया जा रहा है।

अवस्थापना

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत् मार्च, 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर यातायात संचालित है। एक्सप्रेस-वे के आस-पास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक्सप्रेस-वे के आस-पास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 2022 तक 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
- मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बे लगभग रुपये 36,230 करोड़ लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही। फिल्म सिटी से लगभग 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की सम्भावना के साथ-साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
- वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा चुका है तथा लगभग 18,407 किमी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है।
- 188 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 74 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू किये जा चुके हैं।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1,024 किमी0 लम्बाई की 87 सड़कों में 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रदेश के 60,397 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त तथा 14,144 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों को नवीनीकृत किया गया।

कानून व्यवस्था

जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों को नियन्त्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके इनके लिए निरापद वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति सरकार निरन्तर प्रयासरत् है।

सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाये जाने एवं आपराधिक/असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियन्त्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जा रही है, जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है।

- वर्ष 2022 में वर्ष 2016 के सापेक्ष आलोच्य अवधि में डकैती में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.51 प्रतिशत, हत्या में 32.45 प्रतिशत, बलवा में 51.65 प्रतिशत, गृह भेदन में 5.59 प्रतिशत, चोरी में 17.22 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत व फिरौती हेतु

अपहरण में 43.18 प्रतिशत की कमी आयी है। अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

- उक्त अवधि में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81 प्रतिशत, बलात्कार में 21.75 प्रतिशत व अपहरण में 9.17 प्रतिशत की कमी आयी है। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पुलिस द्वारा नियंत्रण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
- प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गईं।
- अभियान के अन्तर्गत 70 हज़ार हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल को अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है।
- 23,920 राजस्व वाद, 923 सिविल वाद एवं 4504 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी हैं। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, वर्तमान में 196 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं।
- साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र में साइबर क्राइम पुलिस थाना की स्थापना की गयी है। प्रदेश के समस्त थानों में (1531) साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर बेसिक साइबर फोरेसिंक लैब एवं पुलिस मुख्यालय पर एडवांस्ड डिजिटल साइबर फारेंसिक लैब की स्थापना करायी जा रही है।
- कर्तव्य पालन के दौरान शहीद/मृत पुलिस कर्मियों एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुये 73 शहीद/मृत कर्मियों के आश्रितों को 17 करोड़ 96 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।
- पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
- नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि की व्यवस्था हेतु 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा (शहरी क्षेत्र) उपलब्ध कराये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- एस0डी0आर0एफ0 के सुदृढ़ीकरण हेतु नये वाहनों के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर, कोविड-19 वैश्विक महामारी के सामने विश्व के ताकतवर समझे जाने वाले देश असहाय हो गये थे। उस विषम परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से प्रदेश को उस कठिन कालखण्ड से बाहर निकाला। कोविड कालखण्ड में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें ध्यान में रखते हुये अत्यन्त त्वरित गति से प्रदेश में स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार किया गया और प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा-

मंजिलें लाख कठिन आयें, गुजर जाऊँगा।
हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊँगा।।
लाख रोकें ये अंधेरे, मेरा रास्ता लेकिन
मैं जिधर जाऊँगा रोशनी ले जाऊँगा।।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर क्रिटिकल केयर यूनिट, जनपदों में इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेन्टर फार डिजीजेज कन्ट्रोल का सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इन्फॉरमेशन के विस्तार के लिये पोर्टल की स्थापना तथा इमर्जेन्सी आपरेशन सेन्टर एवं मोबाइल यूनिट हास्पिटल की स्थापना आदि कार्यों हेतु 1,547 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना का संचालन सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 23 सितम्बर, 2018 से किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- भारत सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। ''कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेन्टर्स एण्ड पी0एच0सी0 टू हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स'' हेतु 15वें वित्त

आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग 407 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आयुष्मान भारत मुख्य मंत्री जन-आरोग्य अभियान हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा

- प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ''एक जनपद एक मेडिकल कालेज'' की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कालेज से आच्छादित किये जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन हैं। असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना पी0पी0पी0 मॉडल पर की जा रही है।
- 14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेजों की स्थापना हेतु 26 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 की कुल 8,528 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं।
- प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022-2023 में पी0जी0 की कुल 2,847 सीटें हो गयी हैं।
- वर्ष 2022 में लगभग 300 संस्थानों में नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुये हैं।
- प्रदेश में राजकीय पैरामेडिकल कालेजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 की गयी, जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या 287 से बढ़ाकर 351 की गयी।

- टर्शियरी चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ किये जाने के क्रम में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के 558 बेड के इमरजेन्सी मेडिसिन एवं रीनल ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र की स्थापना की गयी। इसके अलावा एस0जी0पी0जी0आई0 में लीवर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर व एडवांस डायबिटिक सेन्टर की स्थापना की गयी है।
- राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ, प्रयागराज एवं के0जी0एम0यू0 लखनऊ में डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना की गयी है।
- राम मनोहर लोहिया संस्थान, लखनऊ में एडवान्स्ड न्यूरोसाइंस केन्द्र का कार्य प्रगति पर है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन

- 14 मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

- आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 डेटा सेन्टर, ई0एस0डी0एम0 डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एम0एस0एम0ई0 सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिये लगभग 25 नीतियां प्रख्यापित की गयी हैं जिनके माध्यम से प्रदेश में समेकित औद्योगिक विकास के लिये एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं।
- प्रदेश में त्वरित परिवहन के दृष्टिगत कई एक्सप्रेस-वेज का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रदेश में द्रुत परिवहन के एक्सप्रेस-वेज के दोनों तरफ औद्योगिक/व्यावसायिक गतिविधियाँ तेज होंगी जो प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक होंगी।
- पाँच लाख रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बनाये जा रहे एक्सप्रेस-वेज के किनारे औद्योगिक गलियारों के सृजन का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बनेगा, जिससे भविष्य में और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे 06 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 04 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे तथा 02 संकुल बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाये जाने प्रस्तावित हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर्स समिट फरवरी, 2018 में आयोजित किया गया जिसमें प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है।

- भारत में व्यवसाय में सुगमता की रैंकिंग में 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुये उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। सफलता के पश्चात् राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित होना इसका स्पष्ट प्रमाण है।
- प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

- प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास व रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों के सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम0एस0एम0ई0) की महती भूमिका है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक एम0एस0एम0ई0 इकाईयों की स्थापना कराकर प्रदेश में पूँजी निवेश एवं रोजगार सृजन सुनिश्चित किया गया है।
- प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवीन एम0एस0एम0ई0 नीति-2022 में रोजगार सृजन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। इस नीति के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को प्रथम बार 4 करोड़ रुपये तक पूँजी उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जायेगा जिससे प्रदेश में पूँजी निवेश के साथ ही अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सकेगा।
- प्रदेश में ओ0डी0ओ0पी0 एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी माल की स्थापना के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सड़क एवं सेतु

- वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण तथा अब तक लगभग 18,407 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया।
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किमी0 लम्बाई की 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया।
- मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया।
- सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21,159 करोड़ 62 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 6,209 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिये 3,473 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1,525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपये एवं अन्य सेतुओं हेतु 1,850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2588 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2,538 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं जल संसाधन

- उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है।
- प्रदेश में 75,090 किलोमीटर लम्बी नहर प्रणालियों, 34,316 राजकीय नलकूपों, 29 पम्प नहरों, 252 लघु डाल नहरों एवं 69 जलाशयों से लगभग 99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में 20 परियोजनायें पूर्ण की गयी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई जिससे 44 लाख 72 हजार कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।
- मध्यगंगा (द्वितीय चरण) परियोजना, कचनौदा बांध के अवशेष कार्यों की परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना आदि परियोजनाओं के पूर्ण होने से 1.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी जिससे प्रदेश में 4.26 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

- विगत पांच वर्षों में लगभग 7,426 किलोमीटर लम्बाई की नहर पटरियों को गड्ढा मुक्त/ नवीनीकरण किया गया।
- राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों से सम्बन्धित 08 परियोजनाओं को पूर्ण करते हुये लगभग 1,17,435 हेक्टेयर की सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 83,055 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया।
- प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुये 1.05 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है जिससे लगभग 01 लाख 03 हजार कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
- प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण परियोजना आगामी 02 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुये 56.90 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना का लक्ष्य है जिससे लगभग 39,800 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु रु0 2,803 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332 करोड़ 50 लाख रुपये, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ 20 लाख रुपये तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु 502 करोड़ रुपये एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रास्तावित है।
- एल0टी0आई0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 330 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए 1,619 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- वर्ष 2022-2023 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 19,500 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया। वर्ष 2023-2024 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 25,350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2023-2024 तक इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत् पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत 188 योजनाओं, जिनकी लागत 455.15 करोड़ रुपये है, को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

नागरिक उड्डयन

- हमारी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 09 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा 80 गन्तव्य स्थानों के लिए एयर सर्विस उपलब्ध है।
- प्रदेश में 03 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। शीघ्र ही प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे।
- जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या 02 से बढ़ाकर 05 किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
- हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 04 एयरपोर्ट्स के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 06 एयरपोर्ट्स (अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है।
- आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे।

हमारा यह मानना है कि प्रदेश की जनता को हवाई यात्रा सुलभ हो। प्रदेश में जिस प्रकार हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार हो रहा है, वह कदाचित इन पंक्तियों में सांकेतिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है-

हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है।
जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिला।।

ऊर्जा

- वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घण्टे और गांवों को 18 से 20 घण्टे बिजली दिये जाने का रोस्टर निर्धारित है।

- 01 अप्रैल, 2017 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में 14:38 घण्टे, तहसील क्षेत्र में 16:58 घण्टे तथा शहरी क्षेत्र में 21:08 घण्टे आपूर्ति के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 तक औसतन ग्रामीण क्षेत्र में 17:26 घण्टे, तहसील क्षेत्र में 20:52 घण्टे तथा शहरी क्षेत्र में 23:26 घण्टे आपूर्ति की गई।
- वर्ष 2017-18 से कुल 1,21,324 मजरे विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत् गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए।
- कृषि कार्यों हेतु समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 11 के0वी0 कृषि एवं गैर कृषि ग्रामीण फीडरों के पृथकीकरण योजना के अन्तर्गत लक्षित 2227 नग फीडरों का पृथकीकरण पूर्ण कर लिया गया है।
- प्रदेश में स्थापित होने वाली तापीय उत्पादन परियोजनाओं यथा घाटमपुर, ओबरा 'सी' व जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 7076.37 करोड़ रुपये की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण पी0पी0पी0 पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 4081.23 करोड़ रुपये की परियोजनायें पूर्ण कर ली गयी हैं तथा शेष निर्माणाधीन हैं।
- वर्ष 2019-2020 में औसतन उत्पादन उपलब्धता 3,766 मेगावाट प्रतिदिन, वर्ष 2020-2021 में औसत उत्पादन उपलब्धता 3,816 मेगावाट प्रतिदिन तथा वर्ष 2021-2022 में औसतन उत्पादन उपलब्धता 3,998 मेगावाट प्रतिदिन रही।
- 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय परियोजना 2x660 मेगावाट ओबरा सी तापीय विस्तार परियोजना एवं 1x660 मेगावाट पनकी तापीय परियोजना का आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण होना एवं उत्पादन कार्य प्रारम्भ होना लक्षित है।
- पारेषण तंत्र की क्षमता जो कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 16,348 मेगावाट थी, को वर्ष 2021-2022 में 28,000 मेगावाट तक किया गया, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक बढ़ाकर 30,806 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी जिसे लोक कल्याण संकल्प-पत्र में की गयी घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है जिसके लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- बुन्देलखण्ड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिये केन्द्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था KFW की सहायता से ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर-II परियोजना के अन्तर्गत पारेषण तंत्र के निर्माण हेतु 1554 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस परियोजना को 03 वर्षों में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

- विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारम्भ की गयी है जिसके लिए 6,500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर, विद्युत प्रकाश और शक्ति का स्रोत है। यह वह शक्ति है जिसके अभाव में नगर अंधकारमय और समाज गतिशून्य हो सकता है। इसीलिये हमारी सरकार ने ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है हम यह कहना चाहते हैं कि-

इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूँगा,
मर मिटुंगा मगर ऐसा नहीं होने दूँगा,
जब तलक भी मेरी पलकों पे दिये हैं रोशन,
अपनी नगरी में, अंधेरा नहीं होने दूँगा।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

  नीति के अन्तर्गत 05 वर्षों में 22000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अन्तर्गत सरकारी एवं निजी भवनों पर 6000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना, 14000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं/सोलर पावर पार्क की स्थापना करायी जायेगी 2000 मेगावाट क्षमता पी0एम0 कुसुम योजनान्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्प का सोलराइजेशन एवं पृथक कृषि विद्युत फीडरों का सोलराइजेशन कराया जायेगा जिनकी सम्मिलित क्षमता 2000 मेगावाट होगी।

- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

  यह नीति आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी नीति के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो- गैस प्लाण्ट, बायो-कोल (पैलेट्स और ब्रिकेट्स) बायो-डीजल/बायो-एथेनॉल की स्थापना के लिये निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पम्प स्थापित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 29,652 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है।
- प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के गरीब परिवारों के घरों पर प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1.93 लाख सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग 3.10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है।

आवास एवं शहरी नियोजन

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं में लगभग 48,277 भवन निर्मित किये जा रहे हैं। इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किये जा चुके हैं जबकि अवशेष भवन मार्च, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 585 करोड़ रुपये की वजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- मुख्य मंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- गोरखपुर नगर स्थित गोड़धोइया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इण्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

नगर विकास

- अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनायें जिनकी कुल लागत 11,156 करोड़ रुपये है, में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में

144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण हो चुकी है तथा शेष परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

- स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1.0 के अन्तर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89 लाख 21 हजार टन लिगेसी वेस्ट एकत्रित था जिसमें से 51 लाख 21 हजार टन के लिगेसी वेस्ट का निस्तारण कर दिया गया है। शेष के निस्तारण हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है।
- प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की गयी।
- महाकुम्भ मेला, 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है जिसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्ष 2022-2023 में प्रावधानित 621.55 करोड़ रुपये के सापेक्ष आगामी बजट में 2,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अमृत 2.0 के अन्तर्गत पेयजल, सीवरेज तथा वाटर बाडीज हेतु वर्ष 2022-2023 में 2,000 करोड़ रुपये के बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5,616 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत शौचालय, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु 1,356 करोड़ 36 लाख रुपये के सापेक्ष वर्ष 2023-2024 में 2,707 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जो लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।
- प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के चिन्हित नगर निकायों को आकांक्षी नागर निकाय के रूप में विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान दिये जाने के लिये प्रारम्भ की जा रही 'आकांक्षी नागर योजना' हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नियोजन

- त्वरित आर्थिक विकास योजना के हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नये कार्यों हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड की विशेष योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति, प्रबन्धन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य करने हेतु विधिक प्रक्रियान्तर्गत शोधार्थियों का चयन किया गया है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 05 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष आवास निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 8,62,767 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना हेतु 9000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 तक 1,43,821 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में योजना हेतु 1203 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना का उद्देश्य गाँवों के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन रोकना है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में योजना हेतु 87.49 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रदेश के 5,89,189 ग्राम पंचायतों ने विभिन्न बैंकों के माध्यम से बैकिंग बिजनेस करेस्पॉण्डेंट सखी की पद स्थापना का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान

में 34,292 बी0सी0 सखी द्वारा 7,846 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया है।

- सुदूर ग्रामों को विकास खण्डों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अन्तर्गत 453 वाहनों का संचालन समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।

पंचायती राज

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा 330 विकास खण्डों में प्लास्टिक मैनेजमेन्ट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना हेतु 2,288 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य मंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गाँवों में ई-गवर्नेस विस्तार करने हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु में 01 करोड़ 65 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि

- कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम ''द मिलियन फार्मर्स स्कूल'' का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। वर्ष 2023-2024 में 17000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में माह नवम्बर, 2022 तक 12 किस्तों में 51,639 करोड़ रुपये का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया।
- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631 करोड़ 93 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रदेश के 49 जनपदों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें गंगा नदी से जुडे 26 जनपद सम्मिलित हैं। योजनान्तर्गत 1714 क्लस्टर्स आच्छादित हैं जिनका

सम्मिलित क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है। योजना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स योजना हेतु 753 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरूद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- पण्डित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102 करोड़ 81 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- दलहन और तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना हेतु 15-15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्री-स्टैक योजना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।

- पेराई सत्र 2021-22 में प्रदेश में 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई तथा 120 चीनी मिलों द्वारा 1016 लाख टन गन्ने की पेराई कर 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है एवं इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।
- वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउण्ट मैकेनिज्म प्रारम्भ किया गया है जिससे गन्ना मूल्य खाता केवल मिल प्रतिनिधि के स्थान पर अब मिल प्रतिनिधि एवं जिला गन्ना अधिकारी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा रहा है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है।

- विगत पांच वर्षों में 27,531 हेक्टेयर गन्ना खेती में ड्रिप इरीगेशन संयंत्र की स्थापना हुई है। इससे 50 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत होगी। सिंचाई जल के साथ पोषक तत्वों के प्रयोग से 50 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों की बचत होगी, साथ ही ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से क्षारयुक्त और अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती सम्भव हो सकेगी।

कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान

कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

- प्रदेश के 04 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बाँदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) आजमगढ़ में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

दुग्ध विकास

भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटती हुई कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है।

- वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नन्द बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 61 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन

- प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गौवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है जिसके सापेक्ष 171 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण है।
- प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गौ-आश्रय केन्द्र स्थापित/क्रियाशील है।
- छुट्टा गौवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3 करोड़ 44 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत होल सेल फिश मार्केट के लिये 257 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य मंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत'' 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 741 करोड़ 98 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन हेतु 206 करोड़ 27 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश के कृषकों को गुणवत्तापूर्ण टिश्यू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने हेतु ऊतक सम्वर्धन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहारनपुर में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फॉर हनी की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता

- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2021-2022 में 7,556.91 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 18.76 लाख कृषक लाभान्वित हुये।
- वर्ष 2022-2023 में दिनांक 30-11-2022 तक 6936.76 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- खादी एवं ग्रोमोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे हाथ कागज केन्द्र कालपी-जालौन के पुनरूद्धार, दोना पत्तली मशीन का वितरण, सोलर चर्खा का वितरण कार्य किये जायेंगे।
- प्रदेश में माटी कला के परामपरागत कारीगारों को रोजगार से जोड़ने के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम व जनपद लखनऊ में माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण एवं फैसलिटी सेन्टर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख (एक लाख इक्यानबे हजार) हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हथकरघे हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम कार्यरत हैं जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

- वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उ0प्र0 टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पालिसी-2022 प्रख्यापित की गयी है जिसमें वस्त्र क्षेत्र के निवेशकों एवं नया स्वरोजगार प्रारम्भ करने वाले युवाओं को अनेक वित्तीय सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं जिसके लिये 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- गारमेन्टिंग नीति, 2017 के अन्तर्गत 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 345 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य मंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपये तथा मुख्य मंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गयी। इस पायलट योजना का विस्तार करते हुये लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत अनुरूप 02 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन का 05 वर्षों में वितरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना हेतु 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्टेट डाटा सेन्टर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश में आई0टी0 पार्क्स की स्थापना की जा रही है। उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017-2022 के तहत राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों को रोजगार के साथ लगभग 6,300 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा नई उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को अधिसूचित की गयी है। इसके अन्तर्गत लगभग रुपये 5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है जिससे लगभग 50,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं 1,00,000 व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

बेसिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय/अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय

संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।

- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 20.255 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- केन्द्र सरकार की सहायता से पी0एम0 श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 510 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये व्यवस्था की गयी है।
- गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत् लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वनटांगिया गावों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023–2024 में प्रवेश दिलाये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा हेतु 2357 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21,023 वित्त विहीन कुल 27,892 माध्यमिक विद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा के लिये 2 राजकीय, 971 सहायता प्राप्त एवं 267 वित्त विहीन कुल 1240 विद्यालय संचालित है।

- माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण/सम्वर्द्धन के लिये विद्यालय की परिसम्पत्तियों का उपयोग करते हुये विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना प्रस्तावित है।
- केन्द्र सरकार की सहायता से पी0एम0 श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये व्यवस्था की गयी है।
- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1003 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संस्कृत विद्यालयों की परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 7372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

- नैक रैंकिंग में लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालयों को ए-डबल प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, के0जी0एम0यू0 को भी नैक रैंकिंग में ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को ए श्रेणी प्राप्त हुई है। भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान हुई है और यह श्रेय प्रदेश के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है।
- प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में से एमिटी विश्वविद्यालय को ए श्रेणी तथा शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय एवं जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय को ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है।

- प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की तैयारी कर सहभाग लिया है। चार विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग हेतु क्यू0आई0एस0 रैंकिंग में भाग ले रहे हैं।
- विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 201 राजकीय संस्थायें एवं 19 अनुदानित संस्थायें अर्थात् 220 संस्थायें स्वीकृत हैं जिनमें से 168 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 52 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में पी0पी0पी0 मोड पर संचालित किया जाना है।

- वर्तमान में 1372 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमानतः राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये कुल प्रवेश क्षमता 223779 है।
- छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलाजी आधारित उद्योग हेतु मैनपावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-23 से NewAge Course के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट आफ थिंग्स, साइबर सेक्यूरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण 21 राजकीय पालीटेक्निकों में प्रारम्भ किया गया है, जिसमें प्रवेश क्षमता 1575 है।
- राजकीय पालीटेक्निकों की स्थापना एवं अवस्थापना विकास हेतु क्रमशः 50 करोड़ रुपये एवं 33 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, गोण्डा, बस्ती, प्रतापगढ़ तथा मीरजापुर में कक्षाओं के संचालन हेतु 1.50-1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों/अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,72,872 सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही है। सम्पूर्ण प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतन्त्र रूप से संचालित हो रहे हैं।
- सम्पूर्ण प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं।
- टाटा टेक्नोलाजीज लि0 की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी उन्नयन की योजना के अन्तर्गत आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की लागत 5000 करोड़ रुपये से अधिक है जिसमें 88 प्रतिशत अंश टाटा टेक्नोलाजी लि0 द्वारा तथा 12 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा परियोजना हेतु 10 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि के निर्माण के लिये 477 करोड़ रुपये का व्यय वहन किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में परियोजना के लिए 940 करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी गयी है। परियोजना के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 30,000 छात्र प्रशिक्षित होंगे।
- कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य मंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- केन्द्र प्रायोजित स्ट्राइव योजना के अन्तर्गत 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण कराया जायेगा। इस हेतु 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

खेल

- खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद मेरठ में मेजर ध्यान चन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण हेतु 20 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर, हमारी सरकार के पहले की सरकारों का रवैया प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति घोर उपेक्षा का रहा। प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अपनी प्राचीन धार्मिक आस्था को प्रकट करना अपराध की श्रेणी में आ गया था। जब मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरूत्थान का अभियान प्रारम्भ किया तो उनका विरोध भी किया गया। कर्मयोगी और पराक्रमी पुरुष विरोध और अवरोध को पराभूत कर अपना मार्ग बनाना जानते हैं।

मैं पंछी तूफ़ानों में राह बनाता,
मेरा राजनीति से केवल इतना नाता।
तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछाकर,
मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता।।

संस्कृति एवं धमार्थ कार्य

- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य किया गया। वर्तमान में वैदिक विज्ञान केन्द्र में वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान एवं वैदिक न्याय शास्त्र सहित, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
- जनपद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में सम्भावित वृद्धि के दृष्टिगत 03 पहुँच मार्गों का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तथा 06 स्थानों पर पार्किंग तथा जनसुविधाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है जिन्हें आगामी 02 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- जनपद मीरजापुर में प्रसिद्ध माँ विन्ध्यवासिनी देवी मन्दिर, माँ अष्टभुजी देवी मन्दिर एवं काली खोह मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने तथा त्रिकोणीय परिक्रमा पथ को विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- जनपद अयोध्या एवं चित्रकूट की भाँति जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना का प्रस्ताव है। भजन संध्या स्थल की स्थापना हो जाने से तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में

श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त होगी, इसके साथ सांस्कृतिक विकास का कार्य भी किया जा सकेगा।

- जनपद सीतापुर में प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। वेद विज्ञान अध्ययन केन्द्र की स्थापना से वेदों एवं पुराणों में संरक्षित ज्ञान को आमजन के बीच ले जाने हेतु अध्ययन कार्य किया जायेगा।

पर्यटन

उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ है। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिये आधारभूत संरचाओं में वृद्धि की गयी है। इससे पर्यटन वृद्धि के राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है।

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 83 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 04 लाख 10 हजार से अधिक रही है।
- स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत गोरखपुर-देवीपाटन डुमरियागंज का पर्यटन विकास, स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत जेवर दादरी-सिकन्दराबाद-नोएडा-खुर्जा बाँदा का समेकित पर्यटन विकास, जनपद मथुरा स्थित गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विन्ध्यांचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये जा रहे हैं।
- मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास 300 करोड़ रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।
- शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मन्दिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन हेतु 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शुक्रतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्ट हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 2.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं में सड़क, रेलवे लाईन, नहरों के किनारे की भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण की कार्य योजना है। वर्षाकाल-2023 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

- सामाजिक वानिकीकरण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पौधशाला प्रबन्धन योजना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रीन इण्डिया मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में ईको टूरिज्म के विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाईट सफारी पार्क की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

छात्रवृत्ति योजनायें

- पिछड़ा वर्ग के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 962 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु 530 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

- पूर्व से निर्माणाधीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के अवशेष कार्यों हेतु कुल 20.60 करोड़ रुपये तथा निर्मित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु 8.64 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- पूर्वदशम् कक्षाओं (कक्षा 9 एवं 10) में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक के समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये है, को अधिकतम रुपये 3000/-वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है।
- दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में छात्रावास निर्माण/विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। योजना के अन्तर्गत मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये स्नातक शिक्षक को रुपये 6000/- प्रति माह, परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षकों को रुपये 12,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रुपये 50,000 विज्ञान एवं गणित किट हेतु रुपये 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रुपये प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

न्याय

- नवसृजित जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 420 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से सम्बन्धित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अन्तरण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 06 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 20 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य एवं रसद

- अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ 25 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रतिमाह निःशुल्क वितरण माह दिसम्बर, 2022 तक कराया गया।
- उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलिण्डर के रीफिल हेतु 3047 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- खाण्डसारी शक्कर योजना हेतु 218 करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु इस योजनान्तर्गत 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है।
- उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों एवं नैफेड के माध्यम से ''टेक होम राशन'' के रूप में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- छः वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने, 06 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर में कमी लाने और गर्भवती/धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्रम

- निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1000 बालक/बालिकाओं के लिये कक्षा-06 से कक्षा-12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं। इन विद्यालयों का संचालन आगामी सत्र 2023-2024 से प्रारम्भ किया जाना है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रुपये तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना'' के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रुपये 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरूष कामगारों की पत्नियों को रुपये 6000 एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान है। अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त रुपये 20,000/- तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रुपये 25,000/- बतौर सावधि जमा, जो 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किया

जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रुपये 50,000 बतौर सावधि जमा जो, 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

- ''निर्माण कामगार की मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना'' तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना 'निर्माण कामगार मुत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना' कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 5 लाख जो 05 वर्ष तक मासिक किश्त के रूप में दिया है, सामान्य मृत्यु पर रुपये 02 लाख 02 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में एवं अन्त्येष्टि हेतु रुपये 25,000 एकमुश्त देय है। पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर रुपये 04 लाख 04 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में, स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम पर रुपये 3 लाख 03 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत से कम पर रुपये 02 लाख 02 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में देय है। अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रुपये 01 लाख एकमुश्त देय है। इस योजना के अन्तर्गत समेकित की गयी समस्त योजनाओं में माह नवम्बर, 2022 तक 37,149 लाभार्थी हैं तथा लगभग 419 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी है।

- महात्मा गांधी पेंशन योजना में प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर एवं पूर्ववर्ती कम से कम 10 वर्षों तक लगातार 'लाभार्थी' के रूप में सदस्य बना रहता है, को प्रतिमाह रुपये 1000 की दर से पेंशन देय है, जो उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी अथवा पति को दिये जाने का प्रावधान है।

राजस्व

- उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में वर्ष 2022 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष दिनांक 21-12-2022 तक 6.68 लाख कृषकों को रुपये 261.42 करोड़ के कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जा चुका है। यह प्रक्रिया अभी जारी है।

मान्यवर, विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय-व्ययक में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं, राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 50 हजार करोड़ रुपये (1,50,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58 हजार करोड़ रुपये (58,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 34 हजार 560 करोड़ रुपये (34,560 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12 हजार 672 करोड़ रुपये (12,672 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान-2023-2024

मान्यवर,

- प्रस्तुत बजट का आकार 06 लाख 90 हजार 242 करोड 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) है।
- बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये (32,721.96 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 06 लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपये (6,83,292.74 करोड़ रुपये) अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 5 लाख 70 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपये (5,70,865.66 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 01 लाख 12 हजार 427 करोड़ 08 लाख रुपये (1,12,427. 08 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 04 लाख 45 हजार 871 करोड़ 59 लाख रुपये (4,45,871.59 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 62 हजार 634 करोड़ रुपये (2,62,634 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 83 हजार 237 करोड़ 59 लाख रुपये (1,83,237.59 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- कुल व्यय 06 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये (6,90,242.43 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में 05 लाख 02 हजार 354 करोड़ 01 लाख रुपये (5,02,354.01 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 01 लाख 87 हजार 888 करोड़ 42 लाख रुपये (1,87,888.42 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 06 हजार 949 करोड़ 69 लाख रुपये (6,949.69 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 5 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 01 हजार 449 करोड़ 69 लाख रुपये (1,449.69 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 37 हजार 407 करोड़ 11 लाख रुपये (37,407.11 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 35 हजार 957 करोड़ 42 लाख रुपये (35,957.42 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 68 हजार 511 करोड़ 65 लाख रुपये (68,511.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपये (84,883.16 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है।

मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से अभिसिंचित और अनुप्राणित सर्वसमावेशी एवं त्वरित विकास की रणनीति पर आधारित प्रदेश की विकास यात्रा ने विरोधियों के स्वर को धीमा कर दिया है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली ने अवश्य ही सबको प्रभावित किया है।

हमने तो समंदर के रुख बदले हैं।
मोदी-योगी ने सोचने के सलीके बदले हैं।
आप कहते थे कुछ नहीं होगा।
हमने आपके भी सोचने के तरीके बदले हैं।।

मान्यवर, मैं, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी, केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं, अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

इन्ही शब्दों के साथ मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूँ।

वंदे मातरम्।]

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी, आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। ऊपर जो कंट्रोल रूम वाले बैठे हैं, वह जैसे-जैसे माननीय वित्त मंत्री जी पढ़ेंगे, केवल वही लाइन ऊपर चली जाये, चूंकि पहले सामने स्क्रीन पर बजट लिखा आ रहा है, बाद में आप पढ़ रहे हैं। इसलिए जो लाइन वित्त मंत्री जी पढ़ेंगे, वही सिर्फ ऊपर जायेगी। इस बात का ऊपर से कंट्रोल रूम वाले ध्यान देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने दो लाइनें कही थीं, मैं उसी से इसका समापन करना चाहता हूँ कि-

सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है।
ये नखत अमाँ के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

माननीय सदस्यों के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से भोज की सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज अभी मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। आज बजट के बाद हम लोग कुछ समय के लिए बैठेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा आज दोपहर का लंच और शाम की

हाई टी आप सब लोगों के लिए कैण्टीन में उपलब्ध है। मेरा मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से सभी मा0 सदस्यों से निवेदन है कि दोपहर के लंच और शाम की हाई टी के लिए बैठेंगे। इसके बाद बजट जब तक चलेगी तब तक मा0 वित्त मंत्री जी भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे, इसकी सूचना मैं बाद में दूँगा। अब हम लोग अपराह्न दो बजे के लिए उठते हैं।

(तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 39 मिनट पर मध्याह्न भोजन हेतु सदन की कार्यवाही अपराह्न 02:00 बजे तक के लिए स्थगित की।)

(अपराह्न 02:00 बजे मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन अपराह्न 02:30 तक के लिए बढ़ा दिया है।)

(इस समय अपराह्न 02 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

आज नेता प्रतिपक्ष शेरवानी में कुछ ज्यादा चमक रहे थे, मैं उस समय देख रहा था।

(मेजों की थपथपाहट)

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मैंने इसलिए शेरवानी पहनी है कि आज कुछ अच्छे शेर सुनने को मिले।

श्री अध्यक्ष-

आपको आज अच्छे ही शेर सुनने को मिले।

श्री अखिलेश यादव -

यह तुकबन्दी नहीं है, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छे शेर सुनाये हैं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

नत्थी (क)

प्रदेश में बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति बढ़ाये जाने एवं ट्रांसफार्मर को उच्चीकृत किये जाने हेतु

***1-डा0 आर0 के0 वर्मा तथा श्री लालजी वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाकर प्रदेशवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं अधिभारित विद्युत ट्रांसफार्मरों को उच्चीकृत करने हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

जी हाँ। प्रदेश में बढ़ती विद्युत माँग को देखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु एवं प्रदेशवासियों को निर्वाध विद्युत आपूर्ति एवं अधिभारित विद्युत ट्रांसफार्मरों को उच्चीकृत करने हेतु सरकार की योजना है।

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य को सभी स्रोतों से कुल 30462 मे0वा0 विद्युत की उपलब्धता हो रही है। भविष्य में प्रदेश की बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति के दृष्टिगत पारम्परिक स्रोतों से कुल 7413 मे0वा0 एवं गैर पारम्परिक स्रोतों से कुल 1584 मे0वा0 विद्युत उपलब्धता हेतु अनुबन्ध किए गए हैं। जिसमें गैर पारम्परिक स्रोतों के अन्तर्गत सौर ऊर्जा की कुल 354 मे0वा0 एवं गैर सौर ऊर्जा की कुल 1230 मे0वा0 की परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

उपरोक्त में से राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्तमान में 05 तापीय परियोजनाएं (कुल क्षमता 5643 मे0वा0) निर्माणाधीन है। जिनमें से 01 हरदुआगंज तापीय परियोजना जिसकी क्षमता 660 मे0वा0 है, संचालित हो गई है। 04 परियोजनाएं जोकि क्रमशः जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (क्षमता 2x660=1320), पनकी तापीय परियोजना (क्षमता 1x660=660 मे0वा0), घाटमपुर तापीय परियोजना (क्षमता 3x660=1980 मे0वा0) एवं ओवरा 'सी' तापीय परियोजना (क्षमता 2x660=1320 मे0वा0) अर्थात् कुल क्षमता 4983 मे0वा0 की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु करार की गयी 16 (कुल क्षमता 1584 मे0वा0) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 में ओवरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) एवं अनपरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) में तापीय परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु एन0टी0पी0सी के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए हैं तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रु0 291914.80 करोड़ का निवेश किए जाने हेतु कुल 116 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए हैं।

गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गत वर्ष में बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत पुराने एवं जर्जर तारों/जर्जर पोलों को बदलने के मद में रु0 28.84 करोड़ व्यय कर 772 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा रु0 86.44 करोड़ व्यय कर 33/11 के0वी0 के 51 नग परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि की गयी है। इसके अतिरिक्त रु0 17.66 करोड़ व्यय कर 11/04 के0वी0 के नये 396 परिवर्तकों की स्थापना एवं रु0 99.97 करोड़ व्यय कर 11/04 के0वी0 के 3410 नग परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की गयी है। साथ ही रु0 433 करोड़ का व्यय 258812 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत पर हुआ है।

इसके अतिरिक्त विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर0डी0एस0एस0) के अन्तर्गत पुराने तारों को ए0बी0सी0 केबिल

से बदल कर हानि कम करने हेतु रु0 16,498.61 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के सापेक्ष समस्त टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर अवार्ड निर्गत कर दिये गये हैं तथा सर्वे का कार्य अन्तिम चरण में है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सामग्री क्रय हेतु रु0 4110.87 करोड़ के क्रयादेश कर दिये हैं। योजना अन्तर्गत कई स्थानों पर धरातल पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

आर0डी0एस0एस0 के अगले चरण के अन्तर्गत आधुनिकीकरण के कार्य हेतु रु0 18916.00 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जिसमें 33/11 के0वी0 के नये उपकेन्द्रों का निर्माण, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि, नई 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण, वितरण परिवर्तकों की स्थापना, 11 के0वी0 लाइन का निर्माण, एल0टी0 लाइन का निर्माण, वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि का कार्य तथा शहरी क्षेत्र में स्काडा/डी0एम0एस0 का कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश की सम्पूर्ण आबादी से जुड़ा हुआ लोकहित का यह विषय आज सदन में आया है। माननीय मंत्री जी आई0ए0एस0 की सेवा देकर आये हैं लेकिन प्रश्न के जवाब से और प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की अनदेखी से 'अधजल गगरी छलकत जाये' की कहावत चरितार्थ हो रही है। मान्यवर, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जब तक सप्लाई, डिमाण्ड और प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग नहीं की जायेगी, तब तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदेश में सम्भव नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने प्रोडक्शन के बारे में चर्चा तो की, हम सभी सदन के साथी जानते है कि डिमाण्ड, प्रोडक्शन और सप्लाई भी बहुत बार मौसम और महीने पर निर्भर करती है। अगर हम चर्चा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप चर्चा नहीं करिए, प्रश्न करिए।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूँ। पिछले जनवरी के महीने में विगत वित्तीय वर्ष से यदि आप तुलना करते हैं तो 2264 मेगा यूनिट की डिमाण्ड बढ़ी थी। वहीं पर सम्पूर्ण विद्युत प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा जो प्रोडक्शन था, उसमें 1800 मेगावाट की कमी आयी थी। आज जो हालात बने हैं, चाहे विद्युत कम्पनियों के द्वारा या विजिलेन्स टीम के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर केवल डाका डालने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, अभी बिजली की कम्पनियों ने नियामक आयोग को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में लगभग 23 फीसदी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भेजा है।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो प्रश्न है, उस पर आइये। आपको पूरा उत्तर डिटेल में मिला है, उसके अनुपूरक पर आइये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। पोल आदि की कीमतों पर कारपोरेशन को वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बिजली की कम्पनियों के लिए काम कर रही है या प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है ? अभी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि विगत वर्ष में 2 लाख 58 हजार 812 ट्राँसफार्मर ऐसे रहे हैं, जो जले। सरकार कहती है कि 48 घण्टे के भीतर 1912 पर कम्पलेन करने के बाद दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाता है। मान्यवर, मैं आईना दिखाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आईना न दिखाइये, आप प्रश्न करिये।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न ही है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न यह है कि बोलिए।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, उसी पर आ रहा हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उपकेन्द्र खाखापुर की कतरौली ग्राम पंचायत का ट्रांसफार्मर विगत 3 महीनों से जला हुआ है, लेकिन अभी तक वहां पर दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना है कि प्रश्न है ?

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न ही है, प्रश्न के माध्यम से मैं जानकारी दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

तो मैं माननीय मंत्री जी को बुलाऊँ ?

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, एक प्रश्न आया है यह सूचना देना जरूरी था, मान्यवर। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रायः सदन के भीतर गलत जवाब भेजे जाते हैं। ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं, लेकिन जवाब भेजा जाता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड नहीं है।

मान्यवर, ओवरलोडेड नहीं है, तो 2,58,812 ट्रांसफार्मर कैसे जल गये ? सरकार से पहले मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या सरकार विधान सभा को गलत जवाब भेजने वाले अधिकारियों को दण्डित करने का कार्य करेगी ? दूसरा सदियों से अंधेरे में रह रही बस्तियां जो अभी तक अंधेरे में हैं जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है, सरकार वहां पर विद्युतीकरण कराने का कार्य कब तक करेगी ? तीसरा एक प्रश्न है कि मेरी विधान सभा के जर्जर तार, विद्युत पोल कब तक ठीक कर दिये जायेंगे और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जो हैं उनको कब तक उच्चीकृत कर दिया जायेगा ? ये तीन सवालों का जवाब माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब तो बहुत डिटेल में माननीय सदस्य जी को और माननीय सदन को आपके मार्फत दिया जा चुका है। रही बात इनके क्षेत्र में किसी स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर की तो वह प्रश्न का भाग नहीं था। अगर माननीय सदस्य हमारे ध्यान में लायेंगे तो उसको अवश्य दिखवा लिया जायेगा, अवश्य ठीक करवा दिया जायेगा। रही बात डिमाण्ड और सप्लाई की तो माननीय सदस्य ने चिन्ता की कि सरकार का ध्यान नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताऊँ कि हमारे पास एक-एक दिन का, आज ही का नहीं वर्ष 2012 से हमारे पास आंकड़ा है, फिगर है कि किस साल में किस महीने में कितनी बिजली की डिमाण्ड हुई है, कितनी बिजली की आपूर्ति हुई है। मैं उदाहरण दूं तो वर्ष 2012-13 में कुल जो पीक डिमाण्ड होती थी वह 12,000 मेगावाट की होती थी और इस साल वर्ष 2022-23 में जो पीक डिमाण्ड चल रही है वह 26,590 मेगावाट की है, जिसे हमने इसी राज्य में, इसी विद्युत के तंत्र में पूरा किया है। इस प्रकार से इस तरह की बात कहना कि डिमाण्ड सप्लाई पर ध्यान नहीं है, यह सर्वथा गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि यह सरकार बिजली कम्पनियों के लिए काम कर कही है या जनता के लिए काम कर रही है ? हमारी सरकार तो जनता के लिए काम कर रही है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि आपके टाइम में क्या हुआ है ? माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या की जड़ में अगर कोई है तो पिछली सरकारों द्वारा गलत ढंग से किया गया करार है। पिछली सरकारों द्वारा बिजली कम्पनियों के साथ ऊँचे दर पर जो करार किया गया है उसकी वजह से हमको बिजली महंगी पड़ रही है। हम नये संयंत्र नहीं लगा पा रहे हैं। मैं तारीख के साथ आपको अवगत करा रहा हूं कि हमारा ध्यान है कि नहीं है। वर्ष 2010 में बी0पी0एल0 के साथ वर्ष 2010 में बरखेरा के साथ एवं वर्ष 2010 में मकसूदपुर पी0पी0एल0 के साथ रु0 6.33, रु0 6.46 एवं रु0 6.75 का करार किया गया और उसके बाद फिक्सड चार्ज को जोड़ा गया। वर्ष 2010 का ही नहीं मैं नीचे भी आ रहा हूँ। वर्ष 2014 का के0एस0के0 महानदी के साथ, वर्ष 2010 में ललितपुर पावर के साथ, वर्ष 2014 में एम0डी0 पावर के साथ, रोजा का 2006, 2009, 2011 में ये सारी प्राइवेट कम्पनियां हैं जिनके साथ आपके टाइम पर करार हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी हमारा यू0पी0 का नियामक आयोग कहता

है कि उत्तर प्रदेश में यह जो पुराने करार हुए हैं उन करार के चलते यू0पी0पी0सी0एल0 की जो एवरेज कास्ट ऑफ पावर है, वह देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है रु0 5.80 से ले करके 5.50 प्रति यूनिट तक हमको खरीदनी पड़ती है। यह उदाहरण है कि बिजली कम्पनियों के लिए किसने काम किया और जनता के लिए कौन काम कर रहा है ? इतना ही नहीं, यू0पी0ई0आर0सी0 ने हमारे लिए एक तरह से स्टे आर्डर लगा रखा था कि जब तक यह करार वैलिड है तब तक आप कोई नया पावर प्लाण्ट नहीं बनायेंगे, क्योंकि जो अनुबन्धित क्षमता है वह इतनी ज्यादा है कि अगर आप उनकी बिजली नहीं खरीदोगे तो आपको फिक्सड चार्ज देने पड़ेंगे और लगभग 8-10 हजार करोड़ रुपये का हर साल हम फिक्सड चार्ज देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की बिजली की समस्या के मूल में अगर कोई समस्या है तो यह समस्या है।

श्री अध्यक्ष

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप पूछ लीजिए।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि पुरानी सरकार के जो एम0ओ0यू0 थे, उसके कारण आज यह समस्या है। तो मेरे दो छोटे से सवाल हैं कि माननीय मंत्री जी, क्या उन एम0ओ0यू0 की समीक्षा करेंगे ? आज सस्ती है तो क्या उन्हीं प्लाण्ट से सस्ती बिजली उपलब्ध करायेंगे ? और दूसरा, अभी 2023 तक इन्होंने कौन सा बिजली का प्लाण्ट लगा करके तैयार कर दिया ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यू0पी0ई0आर0सी0 ने यह हमारा कमेंट नहीं है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा।

श्री अखिलेश यादव-

अगर आरोप लगाया है, रेगुलेटरी एथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड है, वह तय करेगा, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर दे दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह स्वाभाविक बात है और यह बात मैंने पहले भी कही है कि इस तरह के जो हाई कास्ट पी0पी0एज0 हुये हैं, जिनके चलते हमारी कास्ट आफ पावर प्रक्योरमेंट पावर हो गई है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल यह सवाल है कि क्या सरकार इसको कम कराने पर विचार करेगी ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

विचार करने योग्य है।

श्री अखिलेश यादव-

मेरा कहना है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, उसको कम कराने के लिए उनसे कोई बातचीत करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, यह आप भी जानते हैं कि जो करार होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वह दोनों तरफ के लिए बन्धनकर्ता हो जाता है, यह बात आप भी जानते हैं और इसलिए हम उसके कानूनी पहलुओं को देखेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो नये प्लाण्ट लगाने जा रहे हैं, उसका पी0पी0ए0 क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है, आप उसका स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, इस तरह के जो पुराने प्राब्लेमेटिक पी0पी0एज0 हैं, उनके कानूनी पहलुओं पर विचार करके, उन पर कानूनविदों की राय ले करके, हम उस पर अवश्य पुनर्विचार करेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन प्लान्ट्स पर आप मानते हैं कि एम0ओ0यू0 गलत हुए हैं, क्या उस पर विचार के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड में सरकार जायेगी या नहीं जायेगी ? इससे साबित हो जायेगा कि सरकार किसके साथ है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

वह कह रहे हैं कि जायेंगे, उसके ऊपर समीक्षा करेंगे।

प्रश्न सं0-2, श्री अतुल प्रधान। इसमें माननीय लालजी वर्मा जी का भी नाम है, आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सबसे बड़ी जो बिजली की समस्या है, यह तो है ही। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उसके बारे में पूछा ही है। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में जो ट्रान्सफार्मर ओवरलोडेड हैं। मान्यवर, आपके सामने भी यह समस्या आती है और ओवरलोडेड ट्रान्सफार्मर को बदलने के लिए जब जनता जाती है तो वह कहते हैं कि विधायक से लिखवा आइये, वह विधान मण्डल विकास क्षेत्र निधि से ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए पैसा दे दें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में जो ओवरलोडेड ट्रान्सफार्मर हैं, क्या सर्वे कराकर, जो भी वितरण के लिए ओवर लोडेड ट्रान्सफार्मर है, उनकी क्षमता वृद्धि करने पर विचार करेंगे, अगर करेंगे तो कब तक करेंगे ? और दूसरा मान्यवर, बार-बार जे0ई0 के पास जाइये, एक्स0ई0एन0 के पास जाइये तो वह उपभोक्ता से कहता है कि आप माननीय विधायक से लिखा लाइये तो इस तरह की जो समस्या आ रही है, वह इसलिए आ रही है, क्योंकि सारे ट्रान्सफार्मर ओवरलोडेड हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र में ओवरलोडेड ट्रान्सफार्मर का सर्वे कराकर उनकी क्षमता वृद्धि करने पर विचार करेंगे ? और यदि करेंगे तो कब तक इस काम को पूरा कर लेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही उचित और बहुत ही अच्छा है। मैं उनको बता दूँ कि तीन तरह से इन कार्यों को हम लोग कर रहे हैं। एक तो बिजनेस प्लान में, माननीय वित्त मंत्री जी हमें जो रकम देते हैं, उसके मार्फत हम तार की, पोल की और ट्रान्सफार्मर की तबदीली करते हैं। दूसरा, जो ए0डी0बी0 सहायक हमारी योजनायें चल रही है, जिसमें हजारों मजरों का हजारों किलोमीटर तार बदला गया है। अभी हमने इस प्रश्न के जवाब में भी यह बात लिखी है और सभी माननीय सदस्यगण को हमने ई-मेल करके सबको सेपरेटली लगभग 20-25 दिन पहले सामने से बताया है कि आपके क्षेत्र में आर0डी0एस0एस0 नाम की 16-17 हजार करोड़ रुपये की योजना को हम लोगों ने सम्पूर्ण धरातल पर उतारने का प्रयास किया है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, सारे टेण्डर हो चुके हैं, सारी मंजूरियाँ मिल चुकी हैं। वर्तमान में माननीय सदस्यों को और माननीय सदन से कहना चाहूँगा कि सर्वे का कार्य चल रहा है। आप थोड़ा सजग रह करके हमारे स्थानीय अधिकारियों को अगर आप गाइडेंस और मार्गदर्शन दे दें तो आपके मन में जो भी कार्य करने लायक हैं, उसको ले लिया जायेगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न पर 15 मिनट हो गये। इसके बाद भी प्रश्न लेने हैं ? माननीय अतुल प्रधान जी के साथ अन्याय न करिये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में हमारी जो योजनायें चल रही हैं उन योजनाओं के तहत भी और अगर इस वर्ष की बात करूं तो जनवरी, 2023 तक 2 लाख 51 हजार ट्रांसफार्मर को या तो बदला गया है या उसको उच्चीकृत किया गया है। माननीय योगी जी की सरकार में 732 नए उपकेन्द्र लगाये गये हैं। इसमें वृद्धि 1466 उपकेन्द्रों की हुई है। यह निरन्तर कार्य चल रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 2 बजे के लिए आपने कहा था, लेकिन सदन 2:30 बजे किसी कारण से शुरू हो पाया। जो प्रश्नकाल है वह 1 घंटा 20 मिनट है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल 1 घंटा 20 मिनट लेंगे।

प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

***2-श्री अतुल प्रधान-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर सहित प्रदेश के अन्य महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण लोगों में श्वांस एवं कैंसर जैसे गम्भीर रोग उत्पन्न होने से लोगों का जीवन खतरे में है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 अरूण कुमार)-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये वायु गुणता सूचकांक अभिलेख में सूचकांक स्तर के अनुसार स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव निम्नवत् हैं :-

ए0क्यू0आई0 का स्तर	वायु प्रदूषण की स्थिति	स्वास्थ्य पर सम्भावित प्रभाव
0-50	अच्छा	न्यूनतम प्रभाव
51-100	संतोषजनक	संवेदनशील व्यक्तियों पर अल्प मात्रा में श्वसन समस्या
101-200	मध्यम	फेफड़ों, सांस के रोगी एवं हृदय रोग से पीडित व्यक्तियों का श्वसन समस्या

ए0क्यू0आई0 का स्तर	वायु प्रदूषण की स्थिति	स्वास्थ्य पर सम्भावित प्रभाव
201-300	खराब	लम्बी अवधि तक स्थिति बनी रहने पर अधिकांश व्यक्तियों में श्वसन समस्या
301-400	बहुत खराब	लम्बी अवधि तक स्थिति बनी रहने पर अधिकांश व्यक्तियों में श्वसन सम्बन्धी बीमारी उत्पन्न होना
401-500	गम्भीर	स्वस्थ व्यक्तियों पर दुष्प्रभाव एवं बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों में गम्भीर दुष्प्रभाव

जी हाँ।

वायु प्रदूषण के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा प्रदेश के चिन्हित 17 नान-अटेनटमेंट शहरों यथा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, गोरखपुर एवं बरेली में वायुगुणता सुधार हेतु वर्तमान में कार्य योजना सरकार द्वारा क्रियान्वित की गयी हैं। उक्त कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समितियों एवं अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के फलस्वरूप कुल 17 नॉन अटेनमेन्ट नगरों में से 16 नॉन अटेनमेन्ट नगरों यथा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद, लखनऊ, गजरौला, रायबरेली, कानपुर, मेरठ, अनपरा, बरेली, आगरा, नोएडा एवं गाजियाबाद की परिवेशीय वायु गुणता में वर्ष 2021-22 (वर्ष 2019-20 के सापेक्ष) में प्रमुख वायु प्रदूषणकारी प्रचालक पी0एम0 10 (वार्षिक औसत मान) के स्तर से 4.0 से 49.0 प्रतिशत तक कमी आयी है, जोकि वायु गुणता में सुधार का द्योतक है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा सवाल है उसका जवाब मिला नहीं है। मैंने एयर पॉल्यूशन पूछा था। मेरठ सहित अन्य महानगरों में जो एयर पॉल्यूशन है उसके ऊपर माननीय मंत्री जी बतायेंगे। चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे एयर पॉल्यूशन से, कैंसर हो, चाहे चर्म रोग हो, चाहे हृदय गति रुकने का हो इसकी वजह से हर कोई प्रभावित है। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद पूरे एन0सी0आर0 सहित कानपुर, लखनऊ सहित पूछ लीजिये एयर पॉल्यूशन

इंडेक्स कितना है। जिसको यह लोग बोलते हैं और इन्होंने लिखा भी है कि 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्य, 201 से 300 खराब। इसके ऊपर 301 से 400 बहुत खराब। अब यहाँ मंत्री जी से पहला क्वेश्चन यह है। अगर यहाँ पर हमारे मंत्री जी मौजूद होंगे तो जरूर बतायेंगे कि आज लखनऊ का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स कितना था, मेरठ का कितना था और इससे किस प्रकार से निजात पाने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके ऊपर कोई ऐसी चीज हो तो वह भी बता दें। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल चलता है। अभी हमारे साथी भाजपा के लोग बार-बार स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, अरे काहे की स्मार्ट सिटी। जहाँ पर धूल के गुब्बार खड़े हों, हम सब लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हों, हमारे छोटे बच्चों की स्मरण शक्ति खत्म होती जा रही हो।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न पर आइये।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। हिन्दुस्तान की 1/4 आबादी सांस रोग से पीड़ित है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल कर आता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिये। आप 2 मिनट 30 सेकेंड से भाषण दें रहे हैं।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख का लखनऊ, कानपुर, मेरठ या गाजियाबाद किसी एक शहर का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बता दें कि कितना है। दूसरा सवाल यह है जो हमारे यहाँ अनुश्रवण मासिक के लिए जिलाधिकारी समिति गठित करता है जिला प्रवर समिति। आज तक उसकी कोई जनप्रतिनिधि की मीटिंग हुई हो तो बता दें। इससे सम्बन्धित जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके उपचार से सम्बन्धित क्या कोई ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है या कोई जानकारी हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

वह मेडिकल वालों से पूछिये।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ मेरठ से सम्बन्धित पूछना चाहता हूं। हमारे मेरठ में 7 साल से रेडियोथेरेपी कैंसर की जो शिकायत है।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर आयें। कैंसर के इलाज के बारे में स्वास्थ्य मंत्री से पूछियेगा।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, यह कैंसर पॉल्यूशन से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे प्रश्न पर आइये।

श्री अतुल प्रधान जी, अब आप सीधे प्रश्न पर आइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी बता दें कि क्या किसी ऐसी लैब की स्थापना की, किसी शहर में कोई इस तरह की लैब बनायी, जिससे इस बीमारी का पता चल जाए और लोगों का जीवन बच जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

डॉ0 अरुण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, इसका कोई कैंसर से डाइरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कैंसर टोबैको और सिगरेट स्मोकिंग से होता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप शान्ति से सुनिए। अगर आप शान्ति से नहीं सुनेंगे, तो मैं प्रश्नकाल स्थगित कर दूँगा।

डॉ0 अरुण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, हार्ट डिजीज प्रदूषण से होता है। जब ये बहुत बढ़ जाता है तो कॉर पलमोनेल हो जाता है, लेकिन डाइरेक्ट ऐसे हार्ट की बीमारी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप प्रदूषण पर बताइए।

डॉ0 अरुण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरठ की आज की एयर क्वालिटी इंडेक्स की इग्जेट फीगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूचना लेकर आपको बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आप मा0 सदस्य को इससे अवगत करा दीजिएगा।

(सदस्य श्री अतुल प्रधान जी के द्वारा कुछ शेरो-शायरी बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ये शेरो-शायरी न लिखी जायेगी, न प्रसारित की जायेगी। प्रेस से मेरा निवेदन है कि मा0 सदस्य श्री अतुल प्रधान जी ने अभी जो बोला है, उसको प्रसारित नहीं किया जायेगा।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिए कारखाने लगाये जाने एवं कारखानों का विवरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

***3-श्री अनिल प्रधान तथा श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर बिजली संकट और बिजली कटौती को देखते हुए विद्युत उत्पादन के लिए नए कारखाने लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 22 दिसम्बर, 2022 तक प्रदेश में बिजली उत्पादन हेतु स्थापित नए कारखानों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ। प्रदेश में बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

देश में विद्युत आपूर्ति हेतु 2017-2022 के मध्य 05 तापीय परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। उक्त परियोजनाओं (कुल क्षमता 5643 मे0वा0) में से 01 हरदुआगंज तापीय परियोजना जिसकी क्षमता 660 मे0वा0 है, संचालित हो गई है। 04 परियोजनाएं क्रमशः जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 (क्षमता 2x660 = 1320 मे0 वा0), पनकी तापीय परियोजना (क्षमता 1x660 = 660 मे0 वा0), घाटमपुर तापीय परियोजना (क्षमता 3x660 = 1980 मे0 वा0) एवं ओबरा 'सी' तापीय परियोजना (क्षमता 2x660 = 1320 मे0वा0) है, कुल क्षमता 4983 मे0वा0 की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

प्रश्नगत अवधि के मध्य विद्युत उत्पादन हेतु करार किये गये 42 (कुल क्षमता 3970 मे0वा0) नवीकरणीय परियोजनाओं में से 31 (कुल क्षमता 2412 मे0वा0) परियोजनाएं संचालित हैं एवं 11 (कुल क्षमता 1558 मे0वा0) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 में ओबरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) एवं अनपरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) में से तापीय परियोजनाएं स्थापित किये जाने हेतु एन0टी0पी0सी0 के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए हैं तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रु0 291914.8 करोड़ का निवेश किए जाने हेतु कुल 116 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनिल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का जो जवाब आया है, उसमें बिजली को लेकर बहुत लम्बी-चौड़ी बात इन्होंने कही है। पहला, मा0 मंत्री जी इस बात को सदन में बताने का कष्ट करेंगे कि जो बिजली आपूर्ति करने का सरकार का जो रोस्टर है, क्या उस रोस्टर के हिसाब से विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश को हो रही है। दूसरा, जनपद चित्रकूट में समाजवादी सरकार में मा0 श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही थी। इस समय जनपद चित्रकूट में 12 से 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बिजली मिल रही है कि नहीं ? तीसरा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो बुन्देलखण्ड में किसानों को निजी ट्यूबवेल के कनेक्शन में 66 प्रतिशत की छूट दी जाती थी, बाद में उस 66 प्रतिशत छूट 66 हजार में किया गया और वर्ष 2019 से लेकर लगभग चित्रकूट समेत पूरे बुन्देलखण्ड में हजारों ऐसे किसान हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये आपके प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप अपने प्रश्न के ऊपर आइये।

श्री अनिल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, ये भी उसी का विषय है। चित्रकूट समेत पूरे बुन्देलखण्ड में निजी ट्यूबवेल के तहत हजारों की तादाद में किसानों ने पैसा जमा कर दिया। वर्ष 2019 से किसान परेशान है, लेकिन उनको विद्युत सामग्री नहीं मिल पा रही है। क्या सरकार उनको विद्युत सामग्री देगी और पुनः 66 प्रतिशत छूट को देने पर विचार करेगी। मान्यवर, मेरा एक और छोटा सा प्रश्न है कि विद्युत चोरी के नाम पर छोटे-छोटे किसानों को जबरदस्ती परेशान किया जाता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जैसे गाँव में पानी की समस्या है, लोग छोटे-छोटे मोटर लगा देते हैं या जो बेचारे किसान हैं, कटिया काटने के लिए छोटे-छोटे मशीन लगा देते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जो विजिलेंस के थाने खुले हैं, वो बड़े आदमी के यहाँ, पूँजीपति के यहाँ छापा नहीं मारते, लेकिन छोटे किसान के यहाँ छापा मारते हैं। मेरा निवेदन है कि क्या इस पर कोई कार्रवाई आपके द्वारा की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

आप विषय पर आइए।

श्री अनिल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरधुवा व महुवा दो गाँव के मध्य राजापुर में यमुना नदी बहने के कारण लगभग 15 दिन जलमग्न हो जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 15 दिन तक ठप्प हो जाती है।

श्री अध्यक्ष-

इसको लिखकर अलग दीजिएगा।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग बिजली के गम्भीर संकट से परेशान हैं। इसमें मुझे यह पूछना है कि उत्तर प्रदेश में कितने किलोवाट जनता की मांग है और दूसरी बात यह पूछनी है कि कितना किलोवाट का उत्पादन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपका उत्तर पहले वाले प्रश्न में आ चुका है। मा0 मंत्री जी आप दोनों प्रश्नों को मिलाकर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पहले प्रश्न के जवाब में और इस प्रश्न के जवाब में भी बहुत स्पष्ट कहा है कि राज्य में बढ़ती हुई बिजली की मांग के मद्देनजर 30 हजार मेगावाट के हमारे अनुबन्ध कार्यरत हैं और जैसा कि मैंने कहा कि पिछले सालों में जो मांग 12 हजार मेगावाट, 14 हजार मेगावाट की हुआ करती थी वह 2022 में बढ़कर 24 से 26 हजार मेगावाट तक पहुंची है, जिसको हमने सप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश की है। साथ ही इस प्रश्न के जवाब में जो प्रश्न नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या नये संयंत्र स्थापित किये जाएंगे। तो उसका जवाब मैं यह देना चाहूंगा कि 15-04-2017 को जवाहरपुर पावर प्लान्ट का कार्य स्टार्ट किया गया है, वह मा0 योगी जी के कार्यकाल में हुआ है।

श्री अखिलेश यादव-

उसकी तारीख भी बता दें ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

पनकी का सारा कार्य 2017-2018 में मा0 योगी जी के कार्यकाल में हुआ है। उसी प्रकार घाटमपुर का कार्य चल रहा है और इस समय 30 हजार मेगावाट हमारे पास उपलब्ध है तथा इसमें लगभग 9 हजार मेगावाट के ऊपर की यह सारी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, कहीं कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं अभी हमारे मा0 योगी जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई उसमें हमने दो एम0ओ0यू0 किये हैं। ओवरा व अनपरा में 800-800 मेगावाट के 4 पावर प्लान्ट लगाने के लिए हमने एन0टी0पी0सी0 के साथ एम0ओ0यू0 किये हैं। बिजली की मांग के प्रति हम सजग है और उस मांग को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा किये गये भुगतान का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

***4-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 तक किसानों का कितना गन्ना भुगतान किया गया है तथा कितना शेष है ? क्या सरकार ने किसानों का गन्ना बकाया का भुगतान के उपाय किये हैं ? यदि हां, तो कब तक उक्त का भुगतान कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

दिनांक 22-12-2022 तक पेराई सत्र, 2021-22 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,201.34 करोड़ के सापेक्ष रु0 33,080.23 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो कुल देय का 93.97 प्रतिशत था तथा रु0 2,121.11 करोड़ भुगतान हेतु शेष था। इसी प्रकार पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व अवधि तक देय गन्ना मूल्य रु0 6,105.32 करोड़ के सापेक्ष रु0 4,522.75 करोड़ का भुगतान किया गया था, जो 74.08 प्रतिशत था तथा रु0 1,582.57 करोड़ भुगतान हेतु शेष था।

कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन), अधिनियम, 1953 एवं तद्विषयक नियमावली, 1954 के अन्तर्गत व्यवस्था विद्यमान है, जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही कराई जाती है।

वर्तमान में अद्यतन सूचना दिनांक 13-02-2023 के अनुसार पेराई सत्र, 2021-22 के अन्तर्गत कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,201.34 करोड़ के सापेक्ष रु0 34,565.77 करोड़ एवं पेराई सत्र, 2022-23 में 14 दिन पूर्व अवधि तक देय गन्ना मूल्य रु0 18,720.84 करोड़ के सापेक्ष रु0 13,221.50 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है। पेराई सत्र, 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 25-02-2022, 14-09-2022 एवं 20-10-2022 को नोटिस तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं। इसी क्रम में चीनी मिल गोला (लखीमपुर-खीरी), गांगनौली (सहारनपुर), मलकपुर (बागपत), कप्तानगंज (कुशीनगर) एवं गड़ौरा (महराजगंज) के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इसी प्रकार पेराई सत्र, 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से बकायेदार चीनी मिलों को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में गन्ने की फसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, मैंने सवाल गन्ना भुगतान

के सन्दर्भ पूछा था, जिसमें इन्होंने जवाब दिया है कि 2021-22 के कुल देय गन्ना मूल्य 35201.34 करोड़ के सापेक्ष 34565.77 करोड़ का भुगतान हो गया है। क्योंकि मंत्री जी बहुत सक्षम हैं और मैं इनकी क्षमता को भी जानता हूँ।

बहुत विद्वान हैं, मैं इनकी क्षमता को भी जानता हूँ, पर अधिकारी जवाब बना करके भेज देते हैं, इसी पेपर में 14 दिन के अन्दर भुगतान का जिक्र किया गया है। यह जो अन्तर है और जिन्होंने आज तक नहीं दिया, एक साल का डिफरेंस है। मैं 2021-2022 की बात कर रहा हूँ लगभग 1500 करोड़ रुपये के भुगतान की बात है। क्या मंत्री जी जिन विभागीय अधिकारियों के कारण भुगतान नहीं हुआ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम करेंगे ? अगर किसान के ऊपर सरकारी या सहकारी एक रुपया भी बकाया रहता है तो किसान को बेइज्जत किया जाता है, उसको ब्याज में कोई छूट नहीं मिलती है। दूसरा, मेरा सवाल भी है और सुझाव भी है कि चीनी मिलों में चीनी के अतिरिक्त गन्ने का रस, शीरा, एथनॉल का उत्पादन चीनी मिलों से हो रहा है। पेट्रोलियम कम्पनियों को एथनॉल भेजकर नियमानुसार 21 दिन के अन्दर भुगतान भी चीनी मिलें प्राप्त कर रही हैं। मेरा सीधा सा अनुरोध है कि क्या सरकार एथनॉल के इस रुपये से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान करने की कोई योजना बनायेगी जिससे यह जो विलम्ब होता है, वह विलम्ब न हो। इन दो सवालों का जवाब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय विधायक जी ने जो सवाल पूछा था वह 22 दिसम्बर तक था। 22 दिसम्बर, 2022 तक को जो देय था और कुछ पुराना भी देय था। इसलिये केवल वही दिया है। आपने जो यह बात कही कि 1500 करोड़ रुपया बाकी है, ऐसा नहीं है। अब मात्र 490 करोड़ रुपया बाकी रह गया है। इस साल जो वर्तमान सीजन चल रहा है, उसमें अब तक 20,413 करोड़ रुपये का गन्ना हमने 20 फ़रवरी की शाम तक खरीदा है। उसमें हमने 14,612 करोड़ रुपये का भुगतान किया है जो कुल भुगतान का 71 प्रतिशत होता है। हम भुगतान के प्रति पूरी तरह से सजग हैं। पश्चिम का क्षेत्र पूरे देश में गन्ने की सबसे मजबूत बेल्ट है, इसलिये मा0 पंकज मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने 06 साल में अब तक 1 लाख 86 हजार 720 करोड़ रुपये का भुगतान डायरेक्ट किसान के खाते में किया है, तो इसका यही एक सबूत है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

श्री लालजी वर्मा-

आपने पहले गन्ना खरीदा तब उसका भुगतान किया या एक्सट्रा भुगतान कर दिया। अगर एक्स्ट्रा नहीं किया इसमें वाह-वाही क्यों लूट रहे हैं।

(कई सदस्यों के साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

क्या कभी पहले जितना खरीदा उससे ज्यादा भुगतान होता था ?

श्री लालजी वर्मा-

हमने ज्यादा गन्ना पैदा किया, ज्यादा गन्ना चीनी मिलों को दिया फिर भी उसका बकाया है। आपके अनुसार 6 हजार करोड़ रुपये बकाया है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

आदरणीय वर्मा जी से मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, 2007 से लेकर 2012 तक जब आप वित्त मंत्री थे तो उस समय का 13 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हमारी सरकार ने किया है। इसके बाद जो सरकार थी, उनका भी 10 हजार करोड़ हमारी सरकार ने किया है। यह इस बात का सबूत है कि पहले कभी भी 21 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में नहीं बोया गया, आज उत्तर प्रदेश में 28 लाख हेक्टेयर से ज्यादा गन्ना बोया जा रहा है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना बकाये की समस्या बहुत पुरानी चली आ रही है, इसीलिए शुगर केन परचेज एक्ट बना था और उसमें ट्रैकिंग की व्यवस्था की गयी थी, उसका मतलब है कि जब यह चीनी मिल चीनी पैदा करती है तो उसके अगेन्स्ट बैकों से लोन लेती है और उसमें यह नियम था कि जिला मैजिस्ट्रेट महीने में उस नियम के अनुसार उसकी समीक्षा करेंगे और जो लोन या जो रुपया इनके पास चीनी बेचकर या किसी भी तरह से आयेगा, उसका 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान किसानों को किया जायेगा। अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाए तो इतना बकाया न रह जाए। क्या माननीय मंत्री जी यह नियम समाप्त हो गया है ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मुझसे भी 5 साल पहले से इस विधान सभा में हैं इसलिए मैं आदरणीय पाण्डेय जी को यह बताना चाहूंगा कि अब तो हमने यह व्यवस्था और ज्यादा प्रगाढ़ कर दी है। पहले 85 प्रतिशत चीनी की जो कीमत आती थी, उसमें डी0सी0ओ0, हमारा एक अधिकारी और एक फैक्ट्री का एम0डी0 या जी0एम0 होता था, उनके ज्वाइन्ट सिग्नेचर से पैसा विद्ड्रा होता था और सीधा किसान के खाते में जाता था। अब तो प्रेस्ड मड हो, चाहे खोई हो, चाहे एथेनॉल हो जिनका भी पैसा आता है, वह पूरा पैसा इनके ज्वाइन्ट खाते में आकर सीधे किसान के खाते में जा रहा है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, आपकी क्षमता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। इसमें आपका जो जवाब था, उसी पर मैंने सवाल पूछा है। आपने ऊपर

लिखा है 22-12-2022 तक वह मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने वर्तमान में अद्यतन सूचना दिनांक 13-02-2023 के सन्दर्भ में पूछा था। अवशेष अगर बचा है तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ। ऐसी क्या दिक्कत है, क्या कमी है कि सहकारी चीनी मिलों का उच्चतम गन्ना मूल्य मेरी जानकारी के अनुसार गन्ना भुगतान मात्र लगभग 55 प्रतिशत ही है। सहकारी चीनी मिलों को कम गन्ना भुगतान के क्या कारण हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार सहकारी चीनी मिलों में भारी घाटा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चीनी मिलें सी0सी0 लिमिट के अन्तर्गत चीनी को बन्धक रखकर प्राप्त धनराशि से 85 प्रतिशत तक गन्ना भुगतान किसानों का कर देती हैं, परन्तु सहकारी चीनी मिलों की बिक्री समय से न करने के क्या कारण हैं ? सहकारी बैंकों को हर साल ब्याज के रूप में लगभग ढाई सौ, तीन सौ करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। सवाल यह है कि सरकार सहकारी मिलों की चीनी को हर महीने समय से बेचने का कोई प्राविधान कर सकती है, जिससे कि लोगों का भला हो सके ? किसानों का एक सुझाव और एक बड़ी समस्या बागपत जिले की है। मैं सरकार का ध्यान बागपत जिले की रमाला की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर 5 हजार टन की क्षमता की मिल लगायी गयी थी, परन्तु यह मिल 3 साल में 300 करोड़ रुपये के ऊपर घाटे में जा रही है। किसान बर्बाद हो रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और मेरी जानकारी के अनुसार इसमें भारी अव्यवस्था है। न तो अधिकतम रिकवरी मिल रही है, न पावर एक्सपोर्ट में पूरा पैसा मिला है और न ही व्यय ब्याज की बचत हो रही है। आपने बहुत हिम्मत और मजबूती के साथ जवाब दिया कि हमने इतना-इतना कर दिया, अगर किसान का एक रुपया भी बाकी रह रहा है तो क्यों रह रहा है ? किसान की क्या खता है ? हम लोग किसान परिवार से आते हैं। किसान के ऊपर एक पैसा भी बाकी होता है तो उसे नोटिस भेजकर जलील किया जाता है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, सरकार बहुत बड़े-बड़े दावे करती है और सरकार ने आते ही कहा था कि हम लाभ दोगुना करने का काम करेंगे। लाभकारी मूल्य देने का काम करेंगे, एक रुपया भी नहीं बढ़ाया, इसके बारे में जरूर बता दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मा0 सदस्य ने आपको कुछ सुझाव दिये हैं, कुछ जानकारियां दी हैं, वह सारे सुझाव पर आप विचार कर लीजियेगा, जानकारी आप ले लीजियेगा ?

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने गन्ना बकाये के बारे में पूछा है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने रमाला चीनी मिल के बारे में पूछा है। किसान मर रहा हैं ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे चुके हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, गम्भीरता से लें। आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत विद्वान हैं, मैंने आपको यहीं विपक्ष में बैठकर अपने साथ आवाज उठाते हुए देखा है। यह गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आपका सवाल तो अभी आया नहीं है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल है। मैंने रमाला मिल के बारे में पूछा है, वहां पर जो गड़बड़ हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा कि गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो रहा है। इन्होंने जवाब में 14 दिन का जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दे दीजिए।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, इन्हें यह कन्फ्यूजन हो गया था। इन्होंने दिनांक 22-10-2022 तक बताई, मैंने उसको अलग-अलग बताया कि पिछली साल का उतना था और इस साल जो गन्ना लिया उसका इतना था। यह माननीय विधायक जी को कन्फ्यूजन हो रहा है। मेरा अनुरोध यह था कि रमाला का इनके प्रश्न में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई शिकायत है तो आप मुझे लिख कर दे दीजिए मैं जाँच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, धन्यवाद।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, इसमें यह जिक्र किया है कि 14 दिन में भुगतान हमने किया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज भी लगभग तीन महीने मिल चलते हुए होंगे। आज भी अकेले जनपद शामली का लगभग एक सौ उनहत्तर करोड़ रुपये शामली की शामली मिल का ऊन का एक सौ उनहत्तर करोड़ रुपये, दो सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा है थानाभवन का, बुढ़ाना का एक पैसा अब तक इस सत्र का नहीं दिया गया है यह भी पूछना चाहता हूँ। मेरठ का भी यही हाल है। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आपने सवाल पूछा और माननीय मंत्री जी को जितना उत्तर देना था उन्होंने दे दिया इससे ज्यादा उत्तर नहीं है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आप बता दीजिए, माननीय मंत्री जी यह तो बता सकते हैं कि इन मिलों का कोई बकाया है कि नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो बता चुके हैं कि चार सौ करोड़ रुपये का बकाया है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, सबने क्लैपिंग की थी कि इतने-इतने करोड़ कर दिया। मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपका जवाब नहीं आया तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जवाब से सन्तुष्ट हैं कि नहीं हैं। एक ही प्रश्न पर डिबेट नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी को जितना जवाब देना था उन्होंने दे दिया। आप कृपया करके बैठ जाइए। पंकज जी आप खानदानी विधायक हैं कई बार जीत चुके हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। जितना आपने प्रश्न किया माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया। अब मैं माननीय मंत्री जी को किसी तरह का भी उत्तर देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। मेरा निवेदन है कि आप बैठ जाइए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, ठीक है।

प्रदेश में बिना अनुमति के पुराने धर्मस्थल का पुनर्निर्माण किये जाने हेतु नियमावली के सम्बन्ध में

***5-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिना शासन की अनुमति के पुराने धर्मस्थल का पुनर्निर्माण करना, कच्ची छत को पक्का करना, मीनार, गुम्बद अथवा चोटी बनाने की अनुमति की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानानुसार प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की तथा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य

विनियमन) अधिनियम, 1958 के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के विनियमित क्षेत्रों में नियत प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तथा उक्त अनुमति के लिए समुचित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना आवश्यक है। कच्ची छत को पक्का करना, मीनार, गुम्बद अथवा चोटी बनाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र में प्रभावी महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ऊँचाई सम्बन्धी प्राविधानों यथा सुरक्षा जोन, एयरपोर्ट फनल जोन एवं हेरिटेज जोन, आदि के आलोक में अनुमति दी जाती है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सवाल यह था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिना शासन की अनुमति के पुराने धर्मस्थल का पुनर्निर्माण करना, कच्ची छत को पक्का करना।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला अनुपूरक पूछना चाहूँगा कि सरकार मेरे प्रश्न में वर्णित निर्माण की अनुमति हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली सदन के पटल पर क्यों नहीं रखना चाहती। दूसरा यह कि उत्तर के वर्णित अधिनियमों के प्राविधान नगर व देहात में होने वाले हर प्रकार के भवन निर्माण पर लागू है या केवल धर्मस्थलों के लिए है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार पुराने अधिनियमों में वर्तमान नवीन परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक संशोधन करने का आश्वासन सदन में देगी। मैं यह अनुपूरक पूरा ही पूछ लेता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में लागू अधिनियम के तहत् अनुमति से बने भवनों की संख्या सदन में बताएगी।

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

मान्यवर, जो कुछ भी माननीय सदस्य ने पूछा है बिना अनुमति के विकास प्राधिकरण में कोई निर्माण नहीं होगा और यह प्रॉपर अनुमति लेंगे, अनुमति भी दी जाएगी और जिस तरह से इन्होंने प्रश्न किया है मीनार, गुम्बद इसमें कुछ छूट देने का अभी सरकार ने प्राविधान किया है। छूट में नियम नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के भाग-4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा का पालन करते हुए कुछ नियमों में छूट दी गयी है। ऐसी खिड़की या दरवाजे, रोशनदान खोलना अथवा बन्द करना जो किसी दूसरे की सम्पत्ति की ओर न खुलते हों, आन्तरिक संचालन हेतु दरवाजों का प्राधिकरण किया गया हो, न्यूनतम मापदण्डों का उल्लंघन न होने के कारण आन्तरिक विभाजनों, बागवानी, सफेदी करना, रंगाई करना इस तरह के तमाम जो गुम्बद इत्यादि के हैं, यह किए जा सकते हैं, इसमें छूट देने का प्रावधान सरकार ने किया है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

ठीक है मा0 अध्यक्ष जी।

प्रदेश में 250 आबादी की बसावटों को मार्गों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में

***6-श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री संदीप सिंह तथा श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 250 आबादी की बसावटों को जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी हैं, को पक्के मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

जी हाँ।

प्रदेश में वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 एवं उससे अधिक आबादी के बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जो कि अब तक लेपन स्तर की एकल सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ सकी है, जिसे निम्न कार्य योजना के अन्तर्गत जोड़ा जाना है :-

(1) पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत (लम्बाई 500 मी0 से 999 मी0)।

(2) नाबार्ड वित्त पोषित आर0 आई0 डी0 एफ0 योजनान्तर्गत (लम्बाई 1.00 किमी0 या उससे अधिक)।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा यह प्रश्न लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना जिसमें 250 की आबादी की बसावटों को पक्के मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में रहा है। मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि कितनी बसावटें बची हुई हैं और जो बची हुई हैं क्या उनको आगे की कार्य योजना में लिया जायेगा ? मा0 अध्यक्ष जी, हम आपसे कहना चाहते हैं और मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जो आपकी 250 बसावटों का प्रकरण था उसमें दो बड़ी खामियाँ रही हैं। पहली, अगर कोई आबादी 250 की जगह 248 रही है तो उसे नहीं लिया गया है। दूसरी, अगर कहीं पर कोई भी एक ग्राम पंचायत 9 किलोमीटर दूर से पक्के मार्ग से जुड़ी है, जबकि उसकी तहसील, उसका ब्लाक 500 मीटर पर है तो यह लिखकर विभाग से आ जाता है कि वह ग्राम पंचायत या बसावट एक तरफ से पक्के मार्ग से जुड़ी हुई है जिसके कारण उसको आच्छादित नहीं किया जा सकता है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार का एक उदाहरण दे रहा हूँ। 19 बार मैंने विभाग में लिखकर दिया है कि विकास खण्ड डलमऊ में किशुनदासपुर एक गांव है, वह ग्राम पंचायत पक्के मार्ग से मुराई के बाद डलमऊ से जुड़ी है, जो कि 9 किलोमीटर है। हम जहां से जोड़ने के लिए कह रहे थे वहां से 4.50 मीटर पर ब्लाक आ जाता और बाजार में आ जाता, लेकिन कई बार पत्र लिखने के बाद भी उसकी जो

वास्तविक स्थिति है वह न तो कभी विभाग ने देखी है और न ही जांच करके जनहित में कोई रिपोर्ट दी गयी है। इस प्रकार दो चीजें इसमें आई हैं अगर 248 की भी आबादी आई है तो वह आच्छादित नहीं हो पाई है, वह रह गयी है जबकि 2 और 3 की संख्या में उसको पूरा कर देना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम मा0 मंत्री जी से अनुपूरक पूछना चाहते हैं कि 250 की बसावटों को जोड़ने का जो फैसला आपने लिया है उसमें अभी कितनी ऐसी बसावटें हैं जो आज तक अभी भी पक्के मार्ग से नहीं जुड़ पायी हैं ? उनकी संख्या क्या है ? दूसरा हमारा प्रश्न है कि जब 250 बसावटों का पूरे उत्तर प्रदेश में चिन्हीकरण किया गया तो कितनी ऐसी बसावटों का आपने चिन्हीकरण किया और उन पर कितना धन व्यय हुआ और कितना अभी शेष है ? यह हम आपसे जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, 3 मा0 सदस्यों का इसमें प्रश्न था आप तीनों के प्रश्न नोट कर लें एक साथ उत्तर में दीजिएगा।

श्री संदीप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मनोज पाण्डेय जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए एक अनुपूरक करना चाहता हूँ। मा0 लोक निर्माण मंत्री जिन्होंने कहा कि 250 की आबादी के लगभग गांव, चूँकि मैंने कई बार पत्र लिखा तो मुझे सूचना मिली की 250 की आबादी के लगभग पूरे गांव पक्के मार्ग से जोड़ दिए गये हैं। मा0 मंत्री जी मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कई ऐसे गांव हैं जो दूसरी तरफ बसे हैं, लेकिन उस गांव के बगल से अगर कोई सड़क चली गयी है तो क्या उसको भी मान लिया गया कि वह गाँव पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है ? अथवा उसको अभी जोड़ने की तैयारी है ? चूँकि हमारी विधान सभा क्षेत्र मेजा में कम से कम 3 से 4 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी लगभग 1 हजार से ऊपर है।

श्री अध्यक्ष-

यह अलग से लिख कर आप मा0 मंत्री जी को दे दीजिएगा, हर गांव की जानकारी नहीं होगी।

श्री संदीप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी को और विभाग को मैंने पूरी सूची भेजी है।

श्री अध्यक्ष-

एक बार फिर भेज दें।

श्री संदीप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके अलावा कई गांव ऐसे हैं जो आज तक हजार आबादी से ऊपर के गांव हैं, लेकिन आज तक पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं, क्या उनके लिए आपके पास कोई योजना है ? अगर इन गांवों को चिन्हित करने के लिए या यह गांव किसी कारण से छूट

गए हैं तो क्या पुनः इनकी तत्काल जनगणना कराकर, चूँकि जिनकी आबादी 2011 के पहले 1100 से या 2000 से ज्यादा थी, लेकिन अगर विभागीय गलतियों की वजह से वह गांव छूट गए थे तो क्या उनकी दुबारा जनगणना कराकर उनको पुराने आधार पर जोड़ा जाएगा और यदि जोड़ा जाएगा तो कब तक और यदि नहीं जोड़ा जाएगा तो क्यों ?

श्री विनोद चतुर्वेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, पाण्डये जी एवं संदीप सिंह जी से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे ही क्षेत्र से 6 ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक सड़क नहीं है। विकास खण्ड जालौन में ग्राम दहगवां का मजरा महिया कमलपुर दूसरा कदौरा में रोगी शहादतपुर का सहेजरा मजरा है। कदौरा में नगवा चदरसी का मजरा नगवाडेपुरा है। पाली में रामेश्वर डेरा है।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय चतुर्वेदी जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए फिर आप पूछ लीजिएगा, आपका अधिकार है। एक-एक गांव के बारे में सारी जानकारी उनको हो यह सम्भव नहीं है। आप वह जानकारी कर लीजिए जो जनरल हो। आप अलग से गांव के बारे में लिखकर दे देंगे तो यह व्यवस्था है कि माननीय मंत्री जी आपको अलग से जानकारी दे दें। आपकी जनरल बात है वह पूछ लीजिए प्रत्येक गांव की इन्डिविजुअल जानकारी अभी देना सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम गांव की जानकारी अभी यहां नहीं होगी। आप लिख कर दे दीजिए। मैं मंत्री जी को यह व्यवस्था दे रहा हूं कि आपको उसका उत्तर देंगे और समस्या का समाधान करेंगे।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

यह व्यवस्था दे दें कि बनवा दें।

श्री जितिन प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें यही प्रयास है कि प्रदेश का प्रत्येक गांव पक्की सड़क से जुड़े। जो मानक बनाये गये थे कि 2011 के सेन्सेस के आधार पर 250 की आबादी वाले गांव का चयन होगा। मैं मान सकता हूं कि माननीय सदस्य जी ने पहले पूछा कि 248 हो। प्रदेश सरकार का प्रयास यही है कि प्रत्येक गांव को जोड़ा जाये। जहां तक हो सकेगा कोई मानक तो तय करना ही पड़ेगा, हम दिखवा लेंगे। सरकार भी चाहती है कि एक-एक गांव जुड़ जाये। जहां तक माननीय सदस्य ने नम्बर के बारे में बताया। दो तरीके की श्रेणी बनाई गयी है। एक नाबार्ड की रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट फण्ड के तहत् बनाई जा रही है। जो बसावटें जहां एक किलोमीटर से ऊपर सड़क बननी हैं वे करीब 1049 गांव हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 75 सालों में जो कभी नहीं हुआ उसकी पूर्ति अब हो रही है। एक किलोमीटर से ऊपर लगभग हर एक गांव एक-एक पक्के मार्ग से जोड़ा जा रहा है। दूसरी श्रेणी 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अन्दर रखी गयी है। जहां मार्ग बनता है, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत आते हैं, 1687 ऐसे गांव हैं उसमें से करीब 60 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जो कार्य योजना में अनुमोदित हो चुके हैं उनको पूरा

कराया जायेगा, बाकी 500 मीटर से कम की सड़कें हैं वे जिला पंचायत, विधायक निधि, सांसद निधि से भी होते हैं। यह तो माननीय पाण्डेय जी का संख्या के विषय में प्रश्न था और फण्ड्स के बारे में जैसा उन्होंने बताया। मैं आर0आई0डी0एफ0 योजना के तहत बता सकता हूं कि 470 गांव जोड़े जाने हेतु 630 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हो चुकी है। जहां तक हमारे दूसरे सदस्य का सवाल था कि गांव की सड़कें बगल से निकल गई हैं। क्या वह गांव इस योजना के अन्तर्गत आ गया है ? अभी तक यही नियम बना है कि सड़क अगर गांव छू रही है तो वह गांव बसावट कनेक्डेड मानी जायेगी। मगर जैसा मैंने बताया सरकार चाहती है। अगर कोई ऐसे गांव हैं जो आपको लगता है कि वे छूट रहे हैं, उनको हम जोड़ेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी तीसरे विधायक चतुर्वेदी जी जो पूछ रहे थे और उन्होंने जिस गांव के बारे में बताया है तो मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि ये मेरे पास आयें मैं इनको चाय भी पिलाऊंगा और उनके गाँव भी छोड़वाऊंगा, क्योंकि यह प्रदेश के हित में है और गांव की जनता के हित में है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज पाण्डेय जी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैंने सीधा और स्पष्ट प्रश्न किया है। मैंने मा0 मंत्री जी से यह पूछा था कि 250 की आबादी की बसावटें विभाग के द्वारा कुल कितनी चिन्हित की गईं और कितनी आपने बनवा दी। दूसरा हमने आपसे यह प्रश्न किया था कि क्या सरकार इस चीज की कोई जांच करायेगी या जनहित को देखते हुए करेगी कि अगर कहीं पर 250 की आबादी सिर्फ 300 मीटर पर है और गांव का व्यक्ति बाजार या ब्लाक से जुड़ जा रहा है और 9 किलोमीटर दूर से आ रहा है उसको आप पक्के मार्ग से जुड़ा मान रहे हैं। अभी एक मा0 सदस्य ने बहुत ही प्रैक्टिकली बात कही केवल अधिकारियों के बना देने के उत्तर से सरकार नहीं चलती है। सच्चाई यह है कि आप चेक करा लीजिये 250 की आबादी से आप सम्पर्क मार्ग जुड़ा मान रहे हैं जहां पर एक घर बना हुआ है और गांव पूरा अन्दर है और उस गांव में कच्चा मार्ग जा रहा है। इसमें जांच हुई है और आपके ही विभाग ने लिख कर दिया है हां सिंगल घर पर है तो उसे मान लिया गया। इसलिये मेरा आग्रह है कि केवल पाई गई मात्रा से नहीं और इसमें दो चीजों का हमने निवेदन किया है और हमको इसमें यह उत्तर दे दीजिये कि कुल कितना आपने चिन्हित कराया था और कितनी बन गई और कितनी शेष है। मा0 अध्यक्ष जी यह हमारे मूल प्रश्न में ही है मैं कोई अलग से नहीं पूछ रहा हूं और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ग्राम पंचायत या बसावट 9 किलोमीटर दूर से जुड़ रही है तो क्या सरकार उसको जोड़ने पर विचार करेगी, क्योंकि ये जनहित का मामला है मेरा नहीं है पूरे सदन का है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी जानकारी दे दीजिये।

श्री जितिन प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इसको दिखवा लूंगा, क्योंकि ये टेक्निकल बात है। मैंने बताया है कि सरकार की मंशा यही है कि सभी बसावटें जोड़ी जायें और जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति हो रही है। जो ये संख्या पूछ रहे हैं उनका अनुमोदन हो चुका है और 470 पर धन अवमुक्त हो चुका है और 768 किलोमीटर सड़क बन रही है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 ऐसी बसावटों की सड़कों की कुल कितनी संख्या है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न में कितनी संख्या का मामला आपका नहीं है। अगर इनके पास संख्या की जानकारी होगी तो आप बाद में जानकारी कर लीजियेगा। यह आपका मूल प्रश्न में नहीं है।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन किये जानी वाली कम्पनियों द्वारा करार किया गया एवं शेष इकाइयों का विवरण

***7-श्री अभय सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 22-12-2022 तक विद्युत उत्पादन हेतु किन-किन कम्पनियों से करार किया गया था और इनमें से कितनी धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई गई थी ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उनमें से कितनी इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है एवं शेष कितनी इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में तापीय विद्युत परियोजनाओं की कुल 01 पनकी परियोजना (660 मे0वा0) एवं अक्षय ऊर्जा की कुल 42 (3970 मे0वा0) इकाइयों से वर्ष 2017 से दिनांक 22-12-2022 के मध्य विद्युत उत्पादन हेतु करार किये गये हैं।

अक्षय ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से कुल 682.5 लाख रु0 की धनराशि उ0प्र0पा0का0लि0 में सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई गयी है।

जी हाँ।

अक्षय ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की कुल 42 (3970 मे0वा0) में से 31 (2412 मे0वा0) इकाइयों से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है, शेष इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। पनकी की योजना भी निर्माणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं। मैं मा0 ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मेरा बहुत ही साधारण प्रश्न है कि वर्ष 2017 से 2022 तक विद्युत उत्पादन हेतु किन-किन कम्पनियों से करार किया गया, उन कम्पनियों को कोई सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन कम्पनियों की सूची इसलिए उपलब्ध न कराई जा रही हो कि कहीं वह किसी और प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड हों। मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि उन कम्पनियों की सूची हमें उपलब्ध करा दी जाए, दूसरी बात अभी मंत्री जी स्वयं बोल रहे थे कि वर्ष 2017-18 में पनकी की परियोजना चालू करने के लिए एग्रीमेंट किया था।

उसके अतिरिक्त इन्होंने अक्षय ऊर्जा में भी अनुबन्ध किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुबन्ध में जो सीमा निर्धारित की गई हो वह बीत गई हो और काम पूरा न हुआ हो। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर समय बीत चुका है और उन कम्पनियों ने काम पूरा नहीं किया तो सरकार द्वारा क्या उन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी या उनको ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने प्रश्न के माध्यम से जो सूचना मांगी थी हमने प्रश्न के उत्तर में पूरा विवरण दिया है। माननीय सदस्य को यदि उन कम्पनियों की लिस्ट चाहिये जिनसे करार हुआ है तो हमारे पास वह लिस्ट तैयार है और वह लिस्ट भिजवा दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आप माननीय सदस्य को लिस्ट दीजियेगा।

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि जिन कम्पनियों ने समय से काम पूरा नहीं किया है क्या उनको ब्लैक लिस्ट किया जायेगा ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ब्लैक लिस्टिंग के सम्बन्ध में पूछा है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब कोई ब्लैक काम किया गया हो तो ब्लैक लिस्टिंग की जाती है। मैंने उदाहरण देकर बता दिया कि वर्ष 2010 से 2014 तक क्या हुआ था। इसका हिसाब-किताब मैंने दे दिया। आपको इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सिक्योरिटी से सम्बन्धित प्रश्न पूछा था तो ज्वाइंट वेंचर में अथवा गवर्नमेण्ट सेक्टर में जो प्रोजेक्ट लगते हैं उनमें सिक्योरिटी लेने का प्राविधान नहीं है। ग्रीन एनर्जी की जो इकाइयाँ प्राइवेट सेक्टर में लगी हैं उनसे सिक्योरिटी लेने का प्राविधान है जिसकी धनराशि का विवरण हमने अंकित कर दिया है। हम जो पत्रक देंगे उसमें आपको विवरण मिल जायेगा।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी लगातार वर्ष 2010 से 2014 की याद दिला रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने पहले जब यह बात कही थी तो उस समय मैंने प्रश्न नहीं किया था। अब मैं उसी सवाल पर आ जा रहा हूँ। मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि पिछली बार जो एम0ओ0यू0 हुए थे वह गलत हुये थे या बिजली के कारखाने आज जो बिजली उपलब्ध करा रहे हैं वह महँगी है। अगर ऐसा है तो सरकार उनके रेट कम कराने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी में जायेगी अथवा नहीं जायेगी ? मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि आपने वर्ष 2017 से 2023 तक कौन सा बिजली का कारखाना लगाया है। माननीय मंत्री जी बता दें कि जवाहरपुर योजना किसकी है, पनकी योजना किसकी है और घाटमपुर योजना किसकी है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

हमारी सरकार के समय लगाये गये कारखाने ही बिजली दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप कहाँ बीच में खड़े हो गये। कृपया आप बैठिये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अथवा मेरा विभाग यह बात नहीं कह रहा है, बल्कि यह बात यू0पी0 इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कह रहा है कि पिछले सालों में जो पावर का प्रोक्योरमेण्ट हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है और उसे रद्द करने की दिशा में सरकार को सोचना चाहिये।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि क्या वह इस पर सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम सोच रहे हैं। मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में ही कह दिया था कि हम सोच रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

आप अगले चार साल तक सोचते ही रहेंगे या कोई कार्यवाही भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि वह इस पर सोच रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि किन कम्पनियों ने समय से काम पूरा नहीं किया है और क्या उनको ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप स्वयं भी कोई प्रश्न लगाया करिये या फिर दूसरे माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये प्रश्न पर ही अनुपूरक प्रश्न करते रहेंगे। कृपया आप बैठिये। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत वर्ष 2007 से 2012 तक बनी सड़कों का मरम्मतीकरण कराये जाने विषयक

***8-श्री अखिलेश-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत वर्ष 2007 से 2012 तक बनी आर0सी0सी0/पिच रोड वर्तमान में टूट गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/पुनः निर्माण की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जितिन प्रसाद-

मार्गों का निर्माण योजना विशेष के अन्तर्गत पूर्ण करा दिये जाने के पश्चात् योजनावार मार्गों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है, अपितु मार्गवार रखा जाता है। प्रदेश में डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत वर्ष 2007 से 2012 तक बनी सड़कें ग्रामीण श्रेणी के मार्ग हैं। नवीनीकरण चक्र के अनुसार ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण प्रत्येक 8 वर्ष पश्चात् उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत कराया जाता है। मार्गों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मार्गों पर पैच मरम्मत, नवीनीकरण, विशेष मरम्मत, पुनर्निर्माण का कार्य आवश्यकतानुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

श्री अखिलेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत वर्ष 2007 से 2012 तक ग्रामीण अंचल में जो सड़कें बनाई गई थीं उन सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है। माननीय मंत्री जी की तरफ से जवाब आया कि नवीनीकरण चक्र के अनुसार ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण प्रत्येक 8 वर्ष के पश्चात् उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत कराया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि मेरे क्षेत्र के कई ग्राम उस समय डॉ0 भीमराव अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किए गए थे और उन सड़कों को बने आज दस से बारह वर्ष हो गये हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 की तरफ से उन सड़कों की मरम्मत की कोई योजना नहीं है।

मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम आठ साल में नवीनीकरण कराते हैं। उन सड़कों को बने आज 12 साल हो गये। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देखा कि काशीपुर, खौरा, दौरा, भटौरा, सिकन्दरपुर, चकिया, प्रतापपुर, मस्तीवीर, मठवां, सेमा, मउआं, जयरामपुर, मसूदपुर यह तमाम गाँव हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप इसको अतारांकित प्रश्न में पूछ लेते तो उसमें उत्तर आपको मिल जाता। इसमें तो यह उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आपको एक-एक गाँव के बारे में पूछना है तो अतारांकित प्रश्न लगा देते तो उसमें आपको उत्तर मिल जाता।

श्री अखिलेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा चलायी गयी योजनाओं की देख-भाल और विकास कार्यों के मरम्मत की जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है और जो सड़कें वर्ष 2007-2012 के बीच में बनायी गयीं उनके रिन्यूवल की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री जितिन प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हर एक वह सड़क जो विभाग बनाता है उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी विभाग के पास होती है और विभिन्न श्रेणियों में मार्गों का चयन किया गया है। जो हमारी ग्रामीण सड़कें हैं उनके चक्र के अनुसार उनकी मरम्मत होती है। आठ साल बाद उसका चक्र आता है। जो अदर डिस्ट्रिक रोड हैं उसका पांच वर्ष बाद आता है और स्टेट हाई-वे और एम0डी0आर0 का चार वर्ष बाद आता है। तो चक्र के अनुसार मरम्मत कार्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। कोई सरकार हो, कोई योजना हो सड़क की मरम्मत करायी जायेगी और अगर वह पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क नहीं है जैसा मा0 सदस्य बता रहे हैं कि अम्बेडकर गाँव के चयन हुये थे अधिकतर गाँव में सी0सी0 रोड बनी थीं तो वह पी0डब्ल्यू0डी0 की नहीं होंगी। वह ग्राम समाज या जिला पंचायत द्वारा बनायी गयी होंगी और अगर पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा बनायी गयी हैं तो उसकी मरम्मत करायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश जी, मा0 मंत्री जी ने जैसा कहा है कि अगर सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा बनायी गयी है तो उसकी मरम्मत करायी जायेगी। आपके पास जो भी सूची है वह आप मा0 मंत्री जी को दे दीजिएगा।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि गाँव के जो सम्पर्क मार्ग थे उनका लेपन कार्य पी0डब्ल्यू0डी0 ने कराया और गाँदों के अन्दर जो गलियों में सी0सी0 रोड बनी थी, जल

निकासी के लिए जो नालियाँ बनी थीं वह अन्य विभाग ने बनवाया। तो सड़कें आपके विभाग ने बनवायी हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने विषयक

***9-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि इस वित्तीय वर्ष में गड्ढामुक्ति हेतु एवं नव निर्माण हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि दिनांक 22-12-2022 तक आवंटित की जा चुकी है ? क्या सरकार जर्जर हो चुकी सड़कों को समयबद्ध गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जितिन प्रसाद-

मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रदेश में वर्ष 2022-23 में दिनांक 22.12.2022 तक गड्ढामुक्ति के लिए रु0 503.74 करोड़ की धनराशि तथा मार्गों/सेतुओं के नये निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सेतु कार्यों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 503 कार्यों पर रु0 3378.54 करोड़ की लागत के कार्यों की स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 1094.74 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।

प्रदेश के समस्त श्रेणी के मार्गों को गड्ढामुक्त करने की योजना आरम्भ है, इस योजना के अन्तर्गत मार्गों पर यथावश्यक गड्ढामुक्ति/नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने अनुपूरक से पहले आपसे एक व्यवस्था भी चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल में व्यवस्था नहीं उठायी जाती है। नियमावली में भी है और आपकी जानकारी में भी है। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था होती है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने कई बैठकों में आश्वस्त भी किया था कि जब भी जिस विभाग के प्रश्न आयेंगे तो उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक जरूर उपस्थित रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यह व्यवस्था मेरे द्वारा पिछले सत्र में दी गयी थी कि जिस विभाग का प्रश्न होगा उस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। श्री उमाशंकर सिंह जी ने इस बात की ओर ध्यान दिया है। जिस विभाग के प्रश्न थे अगर उस विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं हैं तो आज जिस-जिस विभाग के प्रश्न थे उनसे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी यहाँ नहीं थे तो उनसे आज आप जरूर लिखित रूप उनका स्पष्टीकरण मांगिये और कल से यह जरूर सुनिश्चित करिये कि प्रश्न से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारी तो हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

अब पी0डब्ल्यू0डी0 के विशेष सचिव यहाँ आकर बैठेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शासन की व्यवस्था है कि प्रमुख सचिव अपने विभाग के विशेष सचिवों को अलग-अलग जॉब एसाइन कर सकते हैं, वह एक राजपत्रित एवं सीनियर अधिकारी होते हैं। जो सक्षम होते हैं और जो इसका संज्ञान ले सकते हैं, जो इसको समय-समय पर देखते भी हैं, उन्हीं अधिकारियों को सदन में उपस्थित रहना पड़ता है। यह तो बड़ा मुश्किल होगा कि कौन अधिकारी सदन में उपस्थित रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

विषय से सम्बन्धित जो भी अधिकारी है वह सदन में उपस्थित रहेगा। आप अपना अनुपूरक प्रश्न कीजिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, यही दोनों चेयर हैं, मैं आप दोनों लोगों से सीखता था और यह सवाल कितनी बार आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अधिकारी उपस्थित हैं और उसका संज्ञान उतना ही लिया जा सकता है जितना ले लिया गया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने निवेदन कर लिया है। आप अपना अनुपूरक प्रश्न कीजिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं अनुपूरक प्रश्न पर आ रहा हूँ। मैं केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो अनुपूरक प्रश्न करने जा रहा हूँ, क्योंकि वह प्रश्न लोक निर्माण विभाग से

सम्बन्धित है और मा0 मंत्री जी शरीक हैं। मेरा सवाल था कि क्या सरकार यह बताएगी कि इस वित्तीय वर्ष में सड़कों को गड्ढामुक्त करने एवं नव-निर्माण हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि दिनांक 22-12-2022 तक अवमुक्त की गयी है। इस पर मा0 मंत्री जी का जवाब आ गया कि गड्ढामुक्ति के लिए 503 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि गड्ढामुक्ति के लिए कितने बजट का प्राविधान था, जिसके सापेक्ष 503 करोड़ रुपया अवमुक्त हुआ है और दूसरा मेरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ चाह इसलिए की गयी कि नव निर्माण के लिए पिछले सवालों में जवाब आया था कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत और अनजुड़ी बसावटों की योजना के अन्तर्गत नव निर्माण के कार्य कराये जाते हैं। मेरे पास सही जानकारी है कि कल दिनांक तक पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत और अनजुड़ी बसावटों की योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में एक रुपये की भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मैं यह भी जानता हूँ कि मा0 मंत्री जी ने पत्राचार बहुत किया है, लेकिन वह वरिष्ठ अधिकारी कौन हैं, इसको लगता है कि मा0 मंत्री जी या तो डर रहे हैं और अगर मा0 मंत्री जी नहीं डर रहे हैं तो उस वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध लिख कर भेजना चाहिए। इसलिए मेरा प्रश्न है कि अनजुड़ी बसावटों की योजना एवं पण्डित दीनदयाल योजना के अन्तर्गत जो सड़कें प्रस्तावित हैं, जो कार्य योजना अनुमोदित है उसकी स्वीकृति कब तब जारी कर दी जायेगी।

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि जानकारी बहुत है, लेकिन अधूरी जानकारी है। जहां तक मरम्मत का सवाल है उसकी विभिन्न श्रेणी है। एक पैचवर्क, दूसरा नवीनीकरण जो चक्र के अनुसार होती है, जिसके सम्बन्ध में अभी पहले भी बता चुका हूँ, तीसरा विशेष मरम्मत/स्पेशल रिपेयर और एक और मद अभी तैयार किया गया है कि जो सड़कें बिल्कुल ध्वस्त हो जाती हैं जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है उनका पुनर्निर्माण होगा। उन सभी मदों के लिए अन्दाजन साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था और जो प्रश्न के उत्तर में 503 करोड़ रुपया बताया गया है वह पैच रिपेयर के लिए इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया है और कार्य कराया गया है। जहां तक अनजुड़ी बसावटों के बारे में बताया गया है वह भी इस वर्ष जो खर्चा हुआ है जो एक किमी0 से लम्बी सड़कें थीं और जहां पर बसावटें थी जो नहीं जुड़ी थी उनमें से 1049 की कार्य योजना बनी, 470 सड़कें स्वीकृत हो गयी, 630 करोड़ रुपया अवमुक्त हो गया। मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहूँगा कि धन भी अवमुक्त हुआ, कार्य भी हुआ और काम भी चल रहा है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जनपद प्रयागराज से कौशाम्बी तक आदरणीय मा0 मुख्य मंत्री जी ने फोर लेन सड़क

बनाने की घोषणा की थी। लगभग दो साल हो गये है और अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं बांटा गया है। मैं बार-बार प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग....

श्री अध्यक्ष-

यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसमें केवल गड्ढामुक्ति का मामला है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं पूछने ही जा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि यह प्रश्न तारांकित प्रश्न से सम्बन्धित ही नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री के पास उसका उत्तर भी नहीं होगा और अनुपूरक प्रश्न भी नहीं बन रहा है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, ठीक है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, टू लेन को फोर लेन करने की घोषणा की गयी, जमीन का अधिग्रहण के मुआवजे हेतु...

श्री अध्यक्ष-

ये गड्ढामुक्ति से सम्बन्धित प्रश्न है, पहले प्रश्न तो पढ़िए।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जिलाधिकारी और कमिश्नर द्वारा बार-बार शासन को फाइल भेजी जा रही है, लेकिन उस मुआवजे की धनराशि नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

उसका इससे क्या मतलब है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन टू लेन की सड़कों को फोर लेन बनाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी है, उनका नवीनीकरण भी नहीं हो रहा है। उनका गड्ढा भरने का भी काम नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप कह रहे थे कि सड़क बनी ही नहीं है और अब गड्ढामुक्ति की बात कह रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, उन फोर लेन सड़कों को जो घोषित हुई हैं उनको गड्ढामुक्त कराने पर विचार करेंगे ? मान्यवर, ये मेरा प्रश्न है।

श्री जितिन प्रसाद

मान्यवर, बिल्कुल करेंगे और कर भी रहे हैं। कोई आपके पास शिकायत है वह लाइए, उस पर कार्रवाई भी कराई जाएगी और मैं यह आश्वस्त कर सकता हूं कि सभी सड़कें फोर लेन, टू लेन, ग्रामीण सड़कें सभी पर अभियान चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री अवधेश प्रसाद जी, आप सबसे वरिष्ठ सदस्य है, आप कहेंगे तो आपको अवसर अवश्य मिलना ही चाहिए।

श्री अवधेश प्रसाद-

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी और वर्तमान सरकार की तरफ से लगातार प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने की घोषणा बार-बार की जाती रही है। हम जानना चाहते हैं कि अब तक प्रदेश में कितनी ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढायुक्त हैं और कितनी सड़कों को गड्ढा से मुक्त कर दिया गया है। मान्यवर, हमें इस सवाल को पूछने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में कई ऐसी सड़कें हैं जिनके लिए मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत मिला भी था, लिखकर भी दिया था, प्रमुख सचिव को भी दिया था, माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में भी दिया था, उन तमाम सड़कों में अमानीगंज एक बहुत पुरानी बाजार है, अमानीगंज से थाना है और थाने से ब्लाक है, जिस ब्लाक के सड़क की लम्बाई लगभग 12 किमी0 है, इतने गड्ढे हैं, कम-से-कम दर्जनों लोगों के उस गड्ढे में गिरने से पैर टूट गये, तमाम महिलाएं चोट खा गयीं, बच्चे चोट खा गये। बच्चों को एक-एक महीना अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, इसी तरह घोड़वल की सड़क भी ऐसे ही है। सरकार की तरफ से जो बार-बार घोषणा की जाती है और उसके एवज में पैसा भी आवंटित किया जाता है। मान्यवर, चिंता का विषय है कि यह पैसा कहां जाता है। ये सड़के गड्ढामुक्त नहीं हैं, ये गड्ढायुक्त हैं। इन सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए सरकार कोई प्रभावी या बहुत मजबूत कदम उठायेगी, जिससे बरसात के पहले-पहले जहां पर सड़कों पर गड्ढा है, बड़े-बड़े गड्ढे हैं, उन्हें गड्ढों से मुक्त किया जाए।

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया है, मैं सर्वप्रथम अपनी संवेदना प्रकट करता हूं जो लोग घायल हो गये और उन्हें उपचार के लिए कोई सुविधा चाहिए तो उसके लिए भी आश्वस्त कराता हूँ। मगर जब गड्ढामुक्ति की बात आती है तो यह एक प्रक्रिया है, कही पैचवर्क करके गड्ढे मुक्त किये जाते हैं, ट्रैफिक हर समय चलता रहता है और कहीं नये गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं तो प्रत्येक वर्ष बरसात के बाद सरकार अभियान चलाती है

और मै बताना चाहता हूं कि इस वर्ष करीब 60 हजार किलोमीटर सड़क प्रदेश भर में चिन्हित की गयी थी और एक-एक जो सड़क चिन्हित की गयी है, उसकी सूची सार्वजनिक रूप से जहां चाहेंगे उपलब्ध कराई जाएगी और यह प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ कार्य पैचवर्क से होते है, कुछ विशेष मरम्मत से होते हैं।

मान्यवर, कुछ नवीनीकरण से प्राप्त होते हैं और कुछ पुनर्निर्माण से होते हैं। समय लग सकता है, मगर यह सरकार प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक सड़क की मरम्मत करें, मोटरेबल बनायें और आवागमन सुगम करें।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।†

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने विषयक

***10-श्री अजय कुमार**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी नहीं।

दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिनांक 01-01-2004 से लागू की गयी है।

प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अन्तर्गत माह जनवरी, 2023 तक 5.95 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के 50 लाख कर्मचारियों का पंजीकरण एन0पी0एस0 में किया जा चुका है। माह जनवरी, 2023 तक सरकारी कर्मचारियों के प्रान (परमानेन्ट रिटायरमेन्ट एकाउण्ट नम्बर) खातों में रु0 28,836 करोड़ की धनराशि तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रान खातों में रु0 14,262 करोड़ की धनराशि अंतरित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु संगठित/असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है।

नोट :-† तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

उपर्युक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में आवास विकास में नीलामी की उच्चतम बिड एवं समय-सीमा का विवरण के सम्बन्ध में

***11-श्री समरपाल सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में जहां आवास विकास कार्यरत है नीलामी द्वारा निस्तारित सम्पत्ति की उच्चतम बिड एवं बोली की स्वीकृति/अस्वीकृति हेतु परिषद् के नियमानुसार कितना समय निर्धारित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि समय-सीमा के कई दिनों बाद या महीनों बाद उच्चतम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत की जाती है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्ति निस्तारण सम्बन्धी विनियम यथासंशोधित-2016 के अनावासीय नियम-16 (ख) के अनुसार-

आरक्षित मूल्य से अधिक की बोली प्राप्त होने पर उच्चतम बोली पर सक्षम स्तर से गुण-दोष परिस्थितियों पर विचार कर, पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्णय हेतु सक्षम स्तर को अग्रसारित किया जायेगा।

उक्त नियमावली के नियम-19 (क) के अनुसार-नीलामी की कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रहण की गयी उच्चतम नीलामी तिथि के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से निर्णय लिये जाने की व्यवस्था है।

कतिपय विशेष परिस्थितियां जैसे जाति प्रमाण-पत्र/आय प्रमाण-पत्र के सत्यापन में विलम्ब अथवा नीलामी पोर्टल में तकनीकी समस्या आदि की स्थिति में विलम्ब हो सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मार्गों के मरम्मत का कार्यकाल निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

***12-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्गों की मरम्मत का कार्यकाल 8 वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों में सड़क मरम्मत का कार्यकाल 5 वर्ष की भांति प्रदेश में भी सड़कों की मरम्मत का समय 5 वर्ष निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जितिन प्रसाद-

प्रदेश में मार्गों के नवीनीकरण हेतु राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/शहरी मार्गों हेतु 4 वर्ष, अन्य जिला मार्गों हेतु 5 वर्ष तथा ग्रामीण श्रेणी के मार्गों हेतु 8 वर्ष का श्रेणीवार चक्र निर्धारित है।

वर्तमान में प्रदेश के (ग्रामीण श्रेणी) मार्गों हेतु नवीनीकरण चक्र 5 वर्ष की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत पोल एवं जर्जर तार को बदलने के सम्बन्ध में

***13-डॉ0 रागिनी, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी एवं डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली के अधिकांश तार एवं पोल पुराने एवं जर्जर होने के कारण तार टूटने से आगजनी की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तार एवं पोलों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

गत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा पुराने एवं जर्जर तारों/खम्भों को बदलने हेतु बिजनेस प्लान एवं ए0डी0बी0 की सहायता से कार्य कराया जा रहा है।

गत वर्षों में बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत पुराने एवं जर्जर तारों/खम्भों को बदलने हेतु धनराशि रु0 28.84 करोड़ व्यय कर 772 कार्यों को पूर्ण कराया गया है तथा धनराशि रु0 433 करोड़ व्यय कर 2,58,812 क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को रिपेयर कर पुनः स्थापित किया गया।

एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2021 से प्रारम्भ कर पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0 तथा मध्यान्चल वि0वि0नि0लि0 के अन्तर्गत मजरों में जर्जर एल0टी0 लाइनों एवं पोल बदलने का कार्य निम्नवत् है :-

डिस्काम का नाम	मजरों की संख्या	स्थापित नये पोल की संख्या	ए0बी0 केबिल की लम्बाई (किमी0)	व्यय धनराशि (रु0 करोड़ में)
पूर्वान्चल	10781	108443	13238	424
मध्यान्चल	8874	111303	11332	295
कुल योग :	**19655**	**219746**	**24570**	**719**

इसके अतिरिक्त एशियन विकास बैंक की उपरोक्त योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत जर्जर एल0टी0 लाइनों को एल0टी0ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापित किये जाने एवं जर्जर विद्युत पोलों को बदलने का कार्य प्रस्तावित है।

साथ ही विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर0डी0एस0एस0) में रु0 16,498.61 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। समस्त टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर अवार्ड निर्गत किये गये हैं तथा रु0 16632.24 करोड़ का क्रयादेश निर्गत किये गये हैं, जिससे लॉस रिडेक्शन सर्वे का कार्य अन्तिम चरण में है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सामग्री क्रय हेतु रु0 4110.87 करोड़ के क्रयादेश कर दिये हैं। योजनान्तर्गत कई स्थानों पर धरातल पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

आर0डी0एस0एस0 के अगले चरण के अन्तर्गत आधुनिकीकरण के कार्य हेतु रु0 18916.00 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसमें 33/11 के0वी0 के नये उपकेन्द्रों का निमार्ण, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि, नई 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण, वितरण परिवर्तकों की स्थापना, 11 के0वी0 लाइन का निर्माण, एल0टी0 लाइन का निर्माण, वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि का कार्य तथा शहरी क्षेत्र में स्काडा/डी0एम0एस0 का कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***14-(प्रश्न हटाया गया)**

प्रदेश में माननीय विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन, पेंशन एवं भत्तों को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***15-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा माननीय विधायकों एवं पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते आदि को बढ़ाये जाने हेतु वर्ष 2021 में सदन में घोषणा करके विधि समिति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायकों/पूर्व विधायकों की पेंशन, भत्ते आदि को बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्ष 2021 में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी है।

वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी विभागों एवं बड़े विद्युत के बकायेदारों से बिजली बिलों की वसूली के सम्बन्ध में

***16-श्री धीरेन्द्र यादव एवं श्री तुफानी सरोज-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी विभागों सहित विद्युत के बड़े बकायेदारों में ऐसे कितने बकायेदार एवं संस्थायें हैं जिन पर बिजली बिल पचास हजार

रुपये से अधिक है ? क्या सरकार उक्त बकायेदारों से बिजली बिलों की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माह जनवरी, 2023 के अन्त में रु0 पचास हजार से अधिक सरकारी विभागों सहित बिजली बिल के बड़े बकायेदारों एवं संस्थाओं की संख्या 31,87,763 है, जिसकी धनराशि रु0 55,693.62 करोड़ है।

जी हाँ।

विद्युत बिल की वसूली का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है, जो लगातार किया जा रहा है।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विगत में वसूली हेतु निम्न प्रयास किये गये हैं :-

प्रदेश में रु0 50 हजार से अधिक बकायेदार उपभोक्ताओं से पिछले तीन माह में रु0 2041.66 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गयी है।

दिनांक 01-02-2023 से दिनांक 15-02-2023 तक के0वाई0सी0 अपडेशन पखवाड़ा चलाया गया।

विद्युत बिल सम्बन्धी शिकायतों सहित अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए विद्युत समाधान सप्ताह दिनांक 12-09-2022 से दिनांक 19-09-2022 तक चलाया गया, जिसमें 1.73 लाख शिकायतों में से 1.46 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया।

कुल 71,000 शिकायतों का निस्तारण सम्भव पोर्टल की ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा किया गया।

वसूली हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं को विद्युत विच्छेदन नोटिस निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रदेश के सभी जनपदों में प्रमुख स्थानों पर उपभोक्ता सेवा कैम्प लगाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उप निबन्धक के रिक्त पदों पर नियम विरुद्ध बनाये गये प्रभारी पर कार्यवाही विषयक

***17-श्री पंकज पटेल-**

क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उप निबन्धक के रिक्त पदों पर जनपदीय वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी की तैनाती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपदीय कार्यालयों में वरिष्ठों को प्रभारी न बनाकर कनिष्ठ को प्रभारी बनाया गया है तथा चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नत कर्मचारी को भी प्रभारी बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कर नियम विरुद्ध बनाये गए प्रभारी को हटाते हुए जिम्मेदारों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र जायसवाल)-

जी हां।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-12 के अन्तर्गत महानिरीक्षक निबन्धन के परिपत्र सं0-2901, दिनांक 30-07-2013 के अन्तर्गत जनपदीय ज्येष्ठता (वरिष्ठता) के आधार पर नियमानुसार प्रभारी बनाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनपद स्तर पर गन्ना सोसाइटियों पर गन्ना सम्पत्ति की धनराशियों विवरण

***18-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद स्तर पर गन्ना सोसाइटियों पर गन्ना सम्पत्ति की कितनी धनराशि वर्तमान में उपलब्ध है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गन्ना सम्पत्तियों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सहकारी गन्ना विकास समितियाँ, उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-7 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निबन्धित हैं, जो स्ववित्तपोषित व स्वायत्तशासी संस्थायें हैं तथा इन्हें अपने प्रबन्धकीय व्ययों का वहन अपनी आय के स्रोतों से करना होता है।

जनपद स्तर पर व गन्ना समितियों पर गन्ना सम्पत्ति की कोई धनराशि उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि गन्ना समितियों की सामान्य निकाय द्वारा समिति सम्पत्तियों के अनुरक्षण अथवा निर्माण हेतु वार्षिक आय-व्ययक (बजट) स्वीकृत किया जाता है।

उक्त के दृष्टिगत इसे सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अन्तर्गत गन्ना समिति की सामान्य निकाय द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों के मध्य विचार-विमर्श उपरान्त समिति के स्वीकृत वार्षिक आय-व्ययक (बजट) के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव के क्रम में गन्ना समितियों की सम्पत्तियों के अनुरक्षण व निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है। इसी अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी के स्तर से स्वीकृति उपरान्त धन उपलब्धता के आधार पर पारित प्रस्ताव का क्रियान्वयन मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सचिव द्वारा कराया जाता है। यद्यपि गन्ना समितियों की सम्पत्तियों के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लेने एवं उसका क्रियान्वयन कराने का

अधिकार उसकी सामान्य निकाय एवं प्रबन्ध कमेटी में निहित है, किन्तु उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-44 के अन्तर्गत राज्य सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, तद्क्रम में गन्ना समितियों को सुदृढ़ करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए निबन्धक के स्तर से समय-समय पर सुझाव व निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति कम्पनियों द्वारा मनमानी वसूली में अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में

***19-श्री अमिताभ बाजपेई-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति कम्पनियों द्वारा कॉस्ट डाटा बुक की दरों का उल्लंघन कर, नियामक आयोग के निदेशों की अवहेलना कर नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार 8 जुलाई, 2019 से दिनांक 15-11-22 तक के नए कनेक्शन की जांच कराकर दोषियों को चिन्हित कर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

ऐसे संयोजनों को चिन्हित कर कास्ट डाटा बुक की दरों से भिन्न जमा अतिरिक्त धनराशि को उपभोक्ताओं को वापस किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

	उपभोक्ता की संख्या	वापस की गयी धनराशि (लाख में)
पूर्वान्चल	98	16.22
मध्यान्चल	2203	272.33
पश्चिमांचल	197	25.56
दक्षिणांचल	118	24.43
कैस्को	13	0.60
योग :	**2629**	**339.14**

भविष्य में सभी संयोजनों हेतु कॉस्ट डाटा बुक की दरों का कड़ाई से पालन करने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कठोर चेतावनी दी गयी है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना मिलों की बकाया भुगतान के सम्बन्ध में

***20-श्री शहज़िल इस्लाम अंसारी-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना मिलों को भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी अनुदान धनराशि दी गई ? क्या सरकार उक्त अनुदान के सापेक्ष गन्ना किसानों का बकाया भुगतान समय-सीमा निर्धारित कर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कोई अनुदान धनराशि प्रदेश की चीनी मिलों को नहीं दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच के विकास खण्ड मिहींपुरवा में ग्राम सभा चौधरी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

1-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, ब्लाक मिहींपुरवा, ग्राम सभा चौधरी गांव में शालीराम के घर से छत्रपाल यादव के घर से 90 मीटर लम्बाई 3.50 मीटर चौड़ी आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री, (श्री ब्रिजेश)-

जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा के ग्राम सभा चौधरी गांव (मजरा खम्हरिया) में शालीराम के घर से छत्रपाल के घर तक लम्बाई 90 मी0 एवं वास्तविक चौड़ाई 3.00 मी0 है, प्रश्नगत संरेखण लौकाही से चौधरी गांव सम्पर्क मार्ग का आबादी भाग है, मार्ग की कुल लम्बाई 3.00 किमी0 है। मार्ग का नवीनीकरण वर्ष 11/2016 में कराया गया था। मार्ग के मरम्मत का कार्य एवं प्रश्नगत आबादी भाग में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

2-श्री अनिल प्रधान-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-208 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गन्ना किसानों को अतिरिक्त बोनस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

3-श्री अतुल प्रधान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन में लगातार बढ़ रही लागत के दृष्टिगत गन्ना किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार कोई अतिरिक्त बोनस देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

गन्ना किसानों को अतिरिक्त बोनस देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राज्य कर विभाग द्वारा विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की गई जाँचों का विवरण प्रदान करने के सम्बन्ध में

4-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 05-12-2022 से लेकर दिनांक 08-12-2022 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल कितनी वि0 अनु0 शा0 (विशेष अनुसंधान शाखा) द्वारा जांच की गई ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि दिनांक 05-12-2022 से दिनांक 08-12-2022 तक की गई वि0अनु0शा0 (विशेष अनुसंधान शाखा) द्वारा की गई जांच से सम्बन्धित फर्मों एवं उक्त फर्मों के नामों को जी0एस0टी0 नम्बर सहित सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य कर विभाग द्वारा पंजीयन अभिवृद्धि हेतु व्यापारियों में जागरूकता लाने, रिटर्न फाइल करने हेतु प्रशिक्षण देने तथा राजस्व वृद्धि हेतु समय-समय पर अभियान चलाये जाते रहे हैं। माह दिसम्बर 2022 में भी इसी प्रकार का अभियान चलाया गया। विभागीय माड्यूल में ऑनलाइन उपलब्ध डाटा के अनुसार राज्य कर विभाग की वि0अनु0शा0 (विशेष अनुसंधान शाखा) द्वारा अभिग्रहण संबंधी कार्यवाही कराते हुए कुल 243 मामलों में जांच की गयी। चूंकि प्रतिवेदन/न्याय-निर्णयन आदि की कार्यवाही प्रक्रियागत है अतः नाम सहित सूची का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण तथा कारोबार परिसरों तक पहुँच के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में निम्न प्रकार व्यवस्था की गयी है :-

धारा-67-निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति-

(1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि-

(क) जहां किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या अपने पास रखे गये मालों के स्टाक के सम्बन्ध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या

इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिये इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है, तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुये व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किये गये निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिये दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिये उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिये लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा।

धारा-71 कारबार परिसरों तक पहुंच-

(1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर चाहे किसी कम्प्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर किसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के लिये आवश्यक हो, पहुंच होगी।

इस प्रकार धारा-67 के अन्तर्गत व्यापारिक परिसर के अन्दर निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण करने की शक्तियाँ प्रदत्त की गयी हैं, जिसके अन्तर्गत उक्त अवधि में कुल 243 परिसरों की जांच निष्पादित की गयी।

प्रदेश में गन्ना मिलों को भारत सरकार द्वारा अनुदान की गयी धनराशि विषयक

5-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना मिलों को भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी अनुदान धनराशि दी गई ? क्या सरकार उक्त अनुदान एवं अन्य सुविधाएं देने के सापेक्ष गन्ना किसानों का बकाया भुगतान निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत करने की शर्त मिल मालिकों के सामने रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कोई अनुदान धनराशि प्रदेश की चीनी मिलों को नहीं दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्मार्ट मीटरों का सर्वेक्षण कराकर बदले जाने विषयक

6-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 21-12-22 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाये गये एवं स्मार्ट मीटर खराब होने की कितनी शिकायतें दर्ज हुयी हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश स्मार्ट मीटर ज्यादा यूनिट के बिल जनरेट कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे स्मार्ट मीटरों को सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराकर बदलने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में दिनांक 21-12-2022 तक कुल 11,72,464 स्मार्ट मीटर स्थापित किये गये।

उपरोक्त अवधि तक स्मार्ट मीटर खराब होने की कुल 42,618 शिकायतें प्राप्त हुईं।

जी नहीं।

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विद्युत बीजक मीटर में रिकार्ड की गई वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर बनाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यदि उपभोक्ता को स्थापित स्मार्ट मीटर में रिकार्ड की जा रही रीडिंग पर संदेह होता है तो उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर चेक मीटर लगाकर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच की जाती है। किसी कमी के परिलक्षित होने पर मीटर को 15 दिनों के भीतर नए मीटर से

बदलते हुए उस माह के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, पूर्व तीन माह का बिल अंतिम परिणाम के अनुसार पश्चातूवर्ती बिल में समायोजित कर दिया जाता है।

जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत ताजपुर लरु केसरी का पुरवा विदासिन मार्ग का नवीनीकरण कराया जाने के सम्बन्ध में

7-श्री विनोद सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ताजपुर लरू केसरी का पुरवा विदासिन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 14 किमी0 अत्यन्त जीर्ण अवस्था में है, जिससे जनमानस को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण/चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ताजपुर तरु केसरी का पुरवा विदासिन मार्ग (अ0जि0मा0) की कुल लम्बाई 11.330 किमी0 है। किमी0 1.330 भाग पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, प्रतापगढ़ द्वारा निर्मित है। मार्ग के किमी0 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (350) का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, उक्त मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्तमान में मार्ग गड्ढामुक्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

रायबरेली-प्रयागराज मार्ग पर टोल प्लाजों पर नियम विपरीत टोल वसूले जाने के सम्बन्ध में

8-श्री विनोद सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-प्रयागराज राजमार्ग एन0एच0-30 रायबरेली से प्रयागराज टू लेन राजमार्ग पर इटौरा बुजुर्ग (चन्दरई) एवं अंधियारी टोल प्लाजा पर परिवहन नियम के विपरीत वाहनों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-30 (पुराना रा0रा0सं0-24बी) रायबरेली-प्रयागराज मार्ग पर संचालित दोनों टोल प्लाजाओं क्रमशः इटौरा बुजुर्ग एवं अंधियारी पर प्रयोक्ता शुल्क लिए जाने की अधिसूचना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का0आ01697(अ), नई दिल्ली दिनांक 06-05-2019 द्वारा जारी की गयी थी। उक्त अधिसूचना में रायबरेली-इलाहाबाद खण्ड

डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तान्तरण (डीबीएफओटी) आधार पर पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन मार्ग मैसर्स रायबरेली-इलाहाबाद हाईवेज प्रा0लि0 द्वारा बनाया जाना ही उद्धरित किया गया है। तदानुसार ही, विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों से विनिर्दिष्ट आधार दर के 60 प्रतिशत के हिसाब से (जो 2-लेन मार्ग के लिए है) वाहनों पर शुल्क उद्धरित एवं संग्रहीत किए जाने का उल्लेख है। उक्त अधिसूचना के आधार पर ही, उक्त दोनों टोल प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण उक्त परियोजना के रियायतग्राही, मैसर्स रायबरेली-इलाहाबाद हाईवेज प्रा0लि0 द्वारा किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि उक्त दोनों टोल प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण वैध रूप से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत परियावा लवाना मार्ग का नवीनीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

9-श्री विनोद सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत परियावा-लवाना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 15.300 किमी0 अत्यन्त जीर्ण अवस्था में होने से आमजनमानस को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण/चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 15.350 किमी0 है। उक्त मार्ग के पी0सी0यू0 के अनुसार 5.5 मीटर में चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्तमान में मार्ग गड्ढा मुक्त है एवं सुगम यातायात हेतु उपलब्ध है।

जनपद गाजियाबाद के पॉश कालोनी इन्दिरापुरम से डम्पिंग हटाये जाने के सम्बन्ध में

10-श्री चन्दन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के पॉश कालोनी इन्दिरापुरम, सी0आई0एस0एफ0 के रोड के बीच सोसाइटी में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा डम्पिंग ग्राउण्ड बना दिया गया है जिससे वहां के निवासियों में गम्भीर बीमारी फैलने तथा कूड़े के गन्ध के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डम्पिंग ग्राउण्ड को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद गाजियाबाद में इन्दिरापुरम योजना नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तान्तरित न होने के कारण योजना का रख-रखाव/अनुरक्षण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा

रहा है। इन्दिरापुरम योजना के शक्ति खण्ड-4 में एस0टी0पी0 हेतु भूमि चिन्हित है। एस0टी0पी0 हेतु रिक्त भूमि के एक भाग पर योजना से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित कर डाला गया था। उक्त डम्प किये गये कूड़े का बायोरेमेडियेशन नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा है, जिस पर व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जा रहा है। नगर निगम, गाजियाबाद की मांग के क्रम में दिनांक 21-10-2020 से पूर्व डम्प किए गए लिगेसी वेस्ट के बायोरेमेडियेशन हेतु रु0 3.08 करोड़ की धनराशि तथा दिनांक 21-10-2020 से दिनांक 31-03-2022 तक डम्प किए गए कूड़े के बायोरेमेडियेशन हेतु रु0 1.54 करोड़ अर्थात् कुल धनांक रु0 4.62 करोड़ की धनराशि नगर निगम, गाजियाबाद को उपलब्ध करायी जा चुकी है। दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 31-08-2022 तक डम्प किए गए लिगेसी वेस्ट के बायोरेमेडियेशन हेतु अवशेष रु0 44.76 लाख की धनराशि नगर निगम, गाजियाबाद को उपलब्ध करायी जा रही है। बायोरेमेडियेशन पूर्ण हो जाने के उपरान्त उक्त भूमि का डलाव घर के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा। मात्र कूड़े का ट्रांसफर स्टेशन रहेगा।

डम्पिंग ग्राउण्ड नहीं है, इसलिए हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। मात्र ट्रांसफर स्टेशन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है एवं कूड़ा उक्त स्थल से नगर निगम, गाजियाबाद के वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट पाईप लाईन/मोरटा पर पहुंचाया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के थाना इन्दिरापुरम के सेक्टर 8 वसुन्धरा आवास कालोनी से कूड़े की ढेर हटाये जाने के सम्बन्ध में

11-श्री चन्दन चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के थाना इन्दिरापुरम के सामने सेक्टर-8 वसुन्धरा आवास विकास कालोनी में कूड़ा पड़ा होने के कारण आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कूड़े के ढेर को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

कूड़े के ढेर को उठवा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम जटवाड़ा से विद्युत लाईन हटाये जाने के सम्बन्ध में

12-श्री चन्दन चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत 33 के0वी0ए0 पावर हाउस जानसठ से पावर हाउस ककरौली के बीच में ग्राम जटवाड़ा के ऊपर से 33 के0वी0ए0 की विद्युत लाइन जाने से जान-माल का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम के ऊपर से गुजरी 33 के0वी0ए0 विद्युत लाइन को हटवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

33 के0वी0 की विद्युत लाईन सन् 1970 में 132 के0वी0 उपकेन्द्र जानसठ से ककरौली उपकेन्द्र हेतु खेतों की बीच खाली जमीन पर बनाई गयी थी एवं कुछ स्थानों पर सड़क के किनारे भी स्थापित है, जो लगभग 14 किमी लम्बी है किन्तु बाद में जटवाड़ा ग्रामवासियों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के लगभग लाईन की 300 मीटर दूरी में लाईन के नीचे 7-8 घर अनाधिकृत रूप से बना लिये गये हैं।

33 के0वी0 लाईन सन् 1970 से ककरौली उपकेन्द्र हेतु निर्मित है तथा उक्त लाईन निगमीय नियमानुसार पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत ही स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला स्तर पर ओ0डी0आर0, एम0डी0आर0 एवं एस0एच0 पर उच्चीकरण एवं शुद्धीकरण के कार्यों का विवरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

13-श्री जियाऊर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2022 से 15 दिसम्बर, 2022 तक जिला स्तर पर कितने ओ0डी0आर0, एम0डी0आर0 एवं एस0एच0 पर उच्चीकरण एवं शुद्धिकरण का कार्य किया गया है तथा कितने नए बनाए गए हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रति वर्ष कितने नए किलोमीटर बनाने का लक्ष्य है और किन मापदण्ड के आधार पर ओ0डी0आर0, एम0डी0आर0 एवं एस0एच0 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रदेश में 1 अप्रैल, 2022 से 15 दिसम्बर, 2022 तक कुल 481 ओ0डी0आर0, 17 एम0डी0आर0 एवं 100 राज्य राजमार्गों अर्थात् कुल 598 मार्गों पर कार्य कराया गया है। उक्त अवधि में 21 नये कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण करते हुए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन कराया जाता है तथा यातायात गणना एवं मार्ग के सर्वेक्षण के आधार पर ओ0डी0आर0, एम0डी0आर0 एवं एस0एच0 के कार्यों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रश्नगत अवधि में ओ0डी0आर0, एम0डी0आर0 एवं एस0एच0 पर कराये गये कार्यों एवं स्वीकृत नये कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

14-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-9-2016/वे0आ0-2-201/दस-2016-8 (मुस0स0)-2011 टी0सी0 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 24-02-2016 के क्रम में उ0प्र0 के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों/स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31-12-2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन/ वर्क चार्ज एवं संविदा के कार्मिकों को विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन में नगर निगम, फिरोजाबाद में दैनिक वेतन पर कार्यरत 11 कर्मचारी (06 चालक, 03 बेलदार, 02 विद्युतकार) जो नगर निगम, फिरोजाबाद के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2002 तक की अवधि में दैनिक भोगी के रूप में कार्यरत रहे हैं ? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में सरकार नगर निगम, फिरोजाबाद के पत्रांक 390/सा0प्र0/अ0न0जा0/2021-22, दिनांक 19 फरवरी, 2022 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी 11 कर्मचारियों को विनियमितीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी, हाँ।

जी, नहीं।

इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त नगर निगम, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 10-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निम्न 11 कर्मचारी क्रमशः वाहन चालक श्री अरमान बेग, श्री कामरान बेग, श्री बसंत लाल, श्री रामवीर सिंह, श्री राकेश कुमार, श्री इरशाद व बेलदार श्री चन्द्रशेखर, श्री सुभाष यादव, रामबहादुर तथा विद्युतकार श्री इन्द्रेश शर्मा, श्री कृष्णकान्त तिवारी ठेकेदारी प्रथा पर ठेकेदार के माध्यम से वर्कशाप, जलकल एवं मार्ग प्रकाश विभाग में कार्यरत थे। उक्त ठेका कर्मी नगर निगम फिरोजाबाद

तत्कालीन नगर पालिका परिषद फिरोजाबाद में कभी भी दैनिक वेतन पर नियुक्त नहीं किये गये हैं। उपरोक्त से सम्बन्धित वाद संख्या-12760/2017 मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में मुंगारी टोल प्लाजा पर मूलभूत सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

15-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज-मिर्जापुर से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुंगारी टोल प्लाजा पर मूलभूत सुविधायें सार्वजनिक शौचालय, पीने का पानी, क्रेन, एम्बुलेंस, कार्यालय न होने के कारण क्षेत्रवासियों/जनमानस को अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

रा0मा0 संख्या-76ई/35 (प्रयागराज-मिर्जापुर मार्ग) के किमी0 418 पर स्थाई टोल प्लाजा का निर्माण भूमि अध्याप्ति पूर्ण न होने के कारण किया जाना अभी सम्भव नहीं हो सका है। टोल प्लाजा निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) द्वारा दिनांक 08-02-2023 द्वारा निर्गत की गयी है। भूमि सम्बन्धी मुआवजा देने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, प्रयागराज द्वारा की जा रही है। भूमि का कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त टोल प्लाजा निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अस्थायी टोल प्लाजा का स्वयं निर्माण कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल शुल्क संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अस्थायी शौचालय, अस्थायी कार्यालय एवं वाटर कूलर की व्यवस्था अस्थायी टोल प्लाजा पर की गयी है। मार्ग के अनुबन्ध में क्रेन, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का प्राविधान नहीं है। रा0मा0 द्वारा संख्या-27/30 (प्रयागराज-रीवां मार्ग) के किमी0 39 पर स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित हर्रो (गन्ने) टोल प्लाजा पर क्रेन/पेट्रोल की सुविधा उपलब्ध है जो प्रश्नगत टोल प्लाजा से लगभग 56.00 किमी0 दूरी पर है तथा आकस्मिकता की स्थिति में इस पर उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग किया जा सकता है।

भूमि अध्याप्ति का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्थायी टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम पंचायत ताजपुर से कुम्हरई तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

16-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में ग्राम पंचायत ताजपुर से ग्राम कुम्हरई तक कच्चा सम्पर्क मार्ग से दोनों गांवों की जनता को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद हाथरस की विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के अन्तर्गत ताजपुर से कुम्हरई मार्ग की लम्बाई 1.60 किमी0 है। ग्राम कुम्हरई, गढ़ी गुमानी बासदत्ती मार्ग (अन्य जिला मार्ग) से पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं ग्राम ताजपुर, तसींगा मई मिढावली मार्ग के किमी0 4 में पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार दोनों ग्राम पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पक्के मार्ग से जुड़े हुए है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया, भुवाल, छपरा एवं नौरंगा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

17-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया, भुवाल, छपरा, नौरंगा के आधे गांव में विद्युतीकरण हुआ है तथा आधी आबादी आज भी विद्युतीकरण से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त गांव का विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम पंचायत भुवाल, छपरा, नवरंगा का विद्युतीकरण सौभाग्य योजना के अन्तर्गत पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र (क्षेत्रों) में स्थापित सोलर प्लाण्ट क्रियाशील है तथा अवशेष विद्युतीकरण कार्य हेतु धनराशि रु0 76.00 लाख का प्राक्कलन बनाया गया है, जिसमें 130 पोल की 11 के0वी0 लाईन, 160 पोल की एल0टी0 लाईन एवं 63 के0वी0ए0 के 06, 25 के0वी0ए0 के 02 एवं

10 के0वी0ए0 01 वितरण परिवर्तक की स्थापना के कार्य सम्मिलित है। धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त उपरोक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महानगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले मार्गों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

18-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महानगरपालिकाओं, नगर पालिकाओं, नगरपंचायतों के अन्तर्गत आने वाले मार्गों को (सड़कों को) जिन ठेकेदारों के द्वारा बनायी गई हैं, उन्हीं को न्यूनतम पाँच (5) वर्ष अथवा उससे अधिक वर्षों तक मेंटीनेन्स करने के लिए कोई योजना लाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के नगरीय निकायों के अन्तर्गत आने वाले मार्गों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-24वीआईपी (1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013, दिनांक 24-07-2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें यह व्यवस्था है कि निर्मित की जाने वाली सड़क का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के अन्तर्गत नगीना विधान सभा क्षेत्र के कतिपय सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

19-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराया जाना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अकबराबाद-किरतपुर रोड, नगीना वाया धर्मशानगली भुरापुर नहटौर मार्ग, नहटौर वाया शादीपुर-किरतपुर मार्ग, गुनियापुर वाया दुधली-मेमन भनेडा मार्ग उक्त योजना में सम्मिलित कर नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा 40 मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराया जाना है। विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर में अकबराबाद-किरतपुर रोड (प्रमुख जिला मार्ग), नगीना वाया धर्मशानगली भूरापुर नहटौर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) तथा नहटौर वाया शादीपुर किरतपुर मार्ग अन्य जिला श्रेणी के

मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कार्य योजना में अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। गुनियापुर वाया दूधली-मेमन भनेडा मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है। ग्रामीण श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण की कोई विभागीय नीति नहीं है।

जनपद प्रयागराज में लखनऊ मार्ग से कठौया पुल से गऊघाट तक नवीनीकरण/ चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री गुरु प्रसाद मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज से लेकर लखनऊ मार्ग कठौया पुल से गऊघाट तक मार्ग का नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग प्रयागराज लखनऊ मार्ग के किमी0-180 (कठौआपुल) से कमालापुर, विजलीपुर होते हुए गऊघाट तक जाता है। यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 4.00 किमी0 है। मार्ग के मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में मरम्मत के साथ लेपन / नवीनीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की विभागीय नीति के अनुसार ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण की योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज में लखनऊ मार्ग से बेरावां रोड से बेरावा जुड़ापुर बीहड़ तक नवीनीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री गुरु प्रसाद मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज से लेकर लखनऊ मार्ग बेरावां रोड से या बेरावा जुड़ापुर बीहड़ तक मार्ग का नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग प्रयागराज लखनऊ मार्ग के किमी0 176 (बेरावां) से निकलकर जुड़ापुर बीहड़ तक जाता है। यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 9.00 किमी0 है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की विभागीय नीति के अनुसार ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण की योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के नगर पंचायत बक्शी का तालाब के अन्तर्गत वार्ड नं0 03, सरकपुर सरैया में सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

22-श्री गुरु प्रसाद मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ नगर पंचायत बक्शी का तालाब वार्ड नं0 03, सरकपुर सरैया, में संजय रावत के घर से लेकर रैथा मार्ग तक खड़ंजा मार्ग जर्जर होने के कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण एवं चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

जनपद लखनऊ की नगर पंचायत बख्शी का तालाब द्वारा वार्ड नं0 03, सरकपुर सरैया में संजय रावत के घर से लेकर रैथा मार्ग तक खड़ंजा का निर्माण जून, 2019 में कराया गया था। उक्त मार्ग में कतिपय स्थानों पर मरम्मत की आवश्कता पायी गयी है, जिसकी मरम्मत शीघ्र नगर पंचायत द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के लखनऊ मार्ग से कतिपय मार्गों का नवीनीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

23-श्री गुरु प्रसाद मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज से लखनऊ मार्ग हथिगहां से सांगीपुर होलागढ़ तक वाया सहावपुर मसनी मालापुर मार्ग का नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग प्रयागराज लखनऊ मार्ग के किमी0 186 (हथिगहां) से निकलकर सहावपुर, मसनी, मालापुर, सांगीपुर होते हुए होलागढ़ तक जाता है। यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 10.00 किमी0 है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है। मार्ग के नवीनीकरण का कार्य निर्धारित चक्रानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमन्य है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की विभागीय नीति के अनुसार ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण की योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के फाफामऊ एवं श्रृंगवेरपुर गंगाघाट पर विद्युत शवदाह एवं घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

24-श्री गुरु प्रसाद मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के फाफामऊ एवं श्रृंगवेरपुर गंगाघाट पर विद्युत शवदाह गृह एवं घाट का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

फाफामऊ गंगाघाट पर विद्युत शवदाह गृह के निर्माण कार्य हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। चयनित रेलवे की भूमि को 35 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लेने के लिए उत्तर पूर्व रेलवे एवं नगर निगम प्रयागराज के मध्य संयुक्त रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षर किया जा चुका है। उत्तर पूर्व रेलवे विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान चयनित भूमि पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। श्रृंगवेरपुरघाट नगरीय क्षेत्र में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढाना में कतिपय मार्गों का मरम्मतीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

25-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में मुन्डभर से सिसौली रोड लम्बाई लगभग 3 किमी0 तथा शिकारपुर पुल से आदमपुर बाईपास मार्ग लम्बाई लगभग 4 किमी0 संकरे एवं जर्जर हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों रोडों की विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढाना में मुन्डभर से सिसौली मार्ग, लम्बाई 3.00 किमी0 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुन्डभर से सिसौली तक का भाग धौलरा सिसौली बुढाना (अन्य जिला मार्ग) चौ0 0.000 से 14.650 तक मार्ग की लम्बाई 14.650 किमी0 है, जिसके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

शिकारपुर पुल से आदमपुर बाईपास मार्ग की लम्बाई लगभग 4.00 किमी0 का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के पारा, गोविन्दनगर में विद्युत लाइन को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

26-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के तहसील सदर के अन्तर्गत पारा, गोविन्दनगर (नियर सुरेन्द्र विहार कालोनी के सामने वाली गली) में जो वोल्टेज की समस्या से स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या को दूर कराते हुए थ्री-फेज लाइन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

बिजनेस प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में लो-वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु एक नया 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक एवं थ्री-फेज ए0बी0सी0 लगाने के कार्य का प्राक्कलन/पैकेज स्वीकृत किया जा चुका है। निविदा के माध्यम से उक्त कार्य की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसको मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के बुढाना टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कम किये जाने विषयक

27-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजमार्गों पर लगने वाला टोल टैक्स राष्ट्रीय राज्य मार्गों के टोल टैक्स से अधिक है ? क्या यह सही है कि जनपद मुजफ्फरनगर के बुढाना टोल प्लाजा पर प्रदेश में सबसे अधिक टोल टैक्स लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राज्य मार्गों के टोल टैक्स की तुलना में प्रदेश के राज्य मार्गों के टोल टैक्स को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ। जनपद मुजफ्फरनगर के बुढाना में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का कोई टोल प्लाजा नहीं है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में भी बुढाना टोल प्लाजा नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य निजी-सहकारी-सहभागिता (पी0 पी0 पी0 माडल) के आधार पर किया जाता है, जिसमें निजी विकासकर्ता को उसके द्वारा मार्ग विकास हेतु निवेशित धनराशि की प्रतिपूर्ति टोल की वसूली के माध्यम से होती है। टोल की दरें कम करने पर निजी विकासकर्ता को अधिक कन्सेशन अवधि के लिये टोल वसूलने की अनुमति देनी होगी।

जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का विवरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

28-श्री तुफानी सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितने सड़कों का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है ? क्या सरकार वर्ष 2017 से दिनांक 05-08-22 तक उक्त जनपद में स्वीकृत समस्त सड़कों का विवरण उपलब्ध कराते हुए अद्यतन स्थिति से भी अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां।

जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 13 सड़कों का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है।

जी हां।

जनपद जौनपुर में सड़क निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2017 से दिनांक 05-08-2022 तक कुल 706 निर्माण कार्य स्वीकृत हैं, जिसमें 500 कार्य पूर्ण है एवं 206 कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के जफराबाद विधान सभा क्षेत्र के जलालगंज रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने विषयक

29-श्री तुफानी सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जफराबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जलालपुर चौमुहानी से थानागद्दी जाने वाली सड़क पर जलालगंज रेलवे फाटक पर अधिकांश समय तक रेलवे फाटक को बन्द रखने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें एम्बुलेन्स फंसे रहने के कारण गम्भीर मरीजों को समय से इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत सम्पार सं0-30सी किसी 811/28-30 निकट जलालगंज के स्थान पर 02 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य योजना में उक्त कार्य के अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के खरगापुर हनुमान मन्दिर से कामाख्या मंदिर मार्ग से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री तुफानी सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के अन्तर्गत खरगापुर हनुमान मंदिर से कामाख्या मंदिर जाने वाली नाली को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिए जाने से नाली का पानी सड़क पर बहता है, जिसके कारण सड़क पूर्ण रूप से टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिक्रमित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त नालियों को ठीक कराकर सड़क की मरम्मत कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के अन्तर्गत खरगापुर हनुमान मंदिर से कामाख्या मंदिर जाने वाले मार्ग पर नवीन भवनों के निर्माण के समय भवन स्वामियों द्वारा पुनः नाली का निर्माण स्वयं के स्तर से कराया गया है, जिस कारण कई स्थानों पर नाली का लेवल परिवर्तित हो गया है एवं कुछ स्थानों पर नाली क्षतिग्रस्त भी हो गयी है। ऐसे भवन स्वामियों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है। मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य वर्तमान में स्वीकृत है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के पवई सजई मार्ग से बसुई नाला का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

31-श्री पंकज पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में पवई सजई मार्ग से बसुई नाला के आगे लम्बाई 500 मी0 क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

पवारा-सजईकला-देवकीपुर मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 4.900 किमी0 है, जिसका 225 मी0 लम्बाई का भाग बाढ़ के पानी से ओवरफ्लो होने से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग के शेष भाग में पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है एवं वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में कतिपय मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

32-श्री मोहन वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में गन्ना विकास परिषद् की सड़कें सेखूपुरवा से असना मार्ग, सेमरी-वृंदावन मार्ग लोक निर्माण विभाग की सड़क से डुमरी संवांगी पट्टी तक जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

गन्ना विकास विभाग की एन0एस0 कमेटी बोदरवार द्वारा सेखूपुरवा से असना मार्ग वर्ष 1974-75 तथा गन्ना विकास परिषद, हाटा द्वारा सेमरी-वृंदावन मार्ग वर्ष 1974-75 एवं पी0डब्लू0डी0 से डुमरी सवांगी पट्टी मार्ग वर्ष 1993-94 निर्मित कराया गया है। सेखूपुरवा से असना मार्ग एवं सेमरी-वृंदावन मार्ग को अन्य विभाग द्वारा मरम्मत करा दिया गया है। पी0डब्लू0डी0 मार्ग से डुमरी संवांगी पट्टी मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट के सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों की गड्ढामुक्ति हेतु कार्य योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है, जिसके कारण उक्त मार्ग को इसमें शामिल किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में विद्युत वोल्टेज बढ़ाने एवं कटौती को रोके जाने विषयक

33-श्री मोहन वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति में कटौती/कमी का कारण क्या है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद कुशीनगर व विधान सभा क्षेत्र हाटा में विद्युत कटौती तथा लो-वोल्टेज की समस्या से किसानों, छात्रों, व्यापारियों तथा आम जनमानस को समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद कुशीनगर में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है। कभी-कभी लोकल फाल्ट के कारण आपूर्ति बाधित होती है तो उसे तत्काल ठीक करा दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत जैदपुर में जल निकासी के सम्बन्ध में

34-श्री गौरव कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत नगर पंचायत जैदपुर में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण जल भराव की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समय-सीमा निर्धारित कर निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

नगर पंचायत जैदपुर कस्बे की स्थलीय बनावट एवं ढ़लाव, उच्चावच के कारण कुछ स्थानों पर वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या बन जाती है।

उक्त समस्या का निराकरण, अस्थायी तौर पर तत्समय विभिन्न उपलब्ध संसाधनों यथा पम्पिंग सेट के माध्यम से किया जाता है। जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत ब्लाक मसौली में मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

35-श्री गौरव कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत ब्लाक मसौली में बाराबंकी गोण्डा रोड से बड़ागांव बांसा होते हुए सफदरगंज तक की सड़क मेन अयोध्या बाराबंकी मार्ग को जोड़ती है, इस सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत ब्लाक मसौली में बहराइच बांदा मार्ग (एन0एच0-28 सी) के किमी0-12 से निकलकर ''बोसा'' सफदरगंज मार्ग

को जाता है, जो अन्य जिला मार्ग के श्रेणी का है। उक्त मार्ग की लम्बाई 12.230 किमी0 व चौड़ाई 5.50 मी0 है। उक्त मार्ग पर पी0सी0यू0 5782 है, जो प्रश्नगत मार्ग की वर्तमान चौड़ाई के सापेक्ष उपयुक्त है। अतः उक्त मार्ग के 5.50 मी0 से अधिक चौड़ाई में चौड़ीकरण किया जाना लो0नि0वि0 की वर्तमान नीतियों से आच्छादित नहीं है।

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर में कतिपय सड़कों का मरम्मतीकरण/निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में

36-श्री गौरव कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत ब्लाक मसौली में गोण्डा-बहराइच रोड से भयारा होते हुए सद्दीपुर सम्पर्क मार्ग संकरा एवं जर्जर होने के कारण आम जनमानस को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को चौड़ा करने तथा सड़क की मरम्मत/निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत ब्लाक मसौली में बहराइच बांदा मार्ग (एन0एच- 28सी) के किमी0-14 से निकलकर मसौली भयारा देवा कुर्सी कुम्मरावां मार्ग को जोड़ता है, जो अन्य जिला मार्ग है। उक्त मार्ग की कुल लं0-11.810 किमी0 है। उक्त मार्ग के किमी0-1,2,5 (620), 6 से 12 (810) तक का भाग सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना में स्वीकृत है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

उक्त मार्ग के किमी0 1.00 से किमी0 5.50 तक भाग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर के अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर के अनियमितता विषयक

37-श्री जय कुमार सिंह (जैकी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग सिविल लाइन्स कानपुर नगर द्वारा अवैध सड़क निर्माण कराये जाने के प्रकरण से सम्बन्धित 26 बिन्दुओं पर बिन्दुवार/भौतिक/अभिलेखीय (गुण दोष के आधार पर) जांच कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-6 नं0-681605 दिनांक 31-05-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां।

प्रकरण से सम्बन्धित 26 बिन्दुओं पर भौतिक/अभिलेखीय जांच की गयी है। जनपद कानपुर में ग्राम टौंस से सिमरनपुरवा (सेमरझाल) तक कुल 1.20 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण का कार्य वर्ष 2001 में लघु उद्योग निगम लि0 फलजगंज, कानपुर द्वारा खडंजा स्तर तक कराया गया था, जिसके चैनेज 0.368 से चैनेज 0.498 तक (कुल 130 मी0) भाग पर भूमि विवाद के कारण उक्त भाग में केवल मिट्टी भराई का कार्य ही कराया गया (जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता के बिन्दु संख्या 02 से की जा सकती है)। वर्ष 2005 में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-1941/23-9-05-23 नाबार्ड/05, दिनांक 17-06-2005 द्वारा उक्त मार्ग पर खडंजा से लेपन स्तर तक उच्चीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ तथा कार्य प्रगति के समय ही श्री रामजी सैनी एवं प्रवेश कुमार सैनी द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) कानपुर नगर में वाद संख्या 1298/2005 योजित की गयी, जिसमें दिनांक 13-09-2006 को मा0 न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के समादर में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष मार्ग के 130 मी0 विवादित भाग को छोड़कर शेष लम्बाई में लेपन स्तर तक निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 में सम्पन्न कराया गया था। तत्समय उक्त ग्रामीण मार्ग के स्वीकृत आगणन में किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण का प्राविधान नहीं था। अतः किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं था। मूल वाद संख्या 1298/2005 में दिनांक 07-12-2013 को मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कानपुर नगर के स्थगन आदेश के समादर में अब तक उक्त विवादित भाग में विभाग द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर की यमुनापुरम कालोनी में मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

38-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की यमुनापुरम कालोनी में मकान संख्या बी-491, बी-489 से लेकर विपिन कुमार के मकान तक का रास्ता काफी खराब होने के कारण वाहनों को आने-जाने में काफी परेशानी एवं दुर्घटना होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ। नगर की यमुनापुरम कालोनी में वर्णित रास्ते का निर्माण कार्य सम्बन्धित नगर निकाय के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के विजय खण्ड-2 गोमती नगर के उजरियाँव के मेट्रो हास्पिटल के पीछे अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में

39-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित विजय खण्ड-2, गोमतीनगर के उजरियाँव के मेट्रो हास्पिटल के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि पर बंगलादेशी नागरिकों का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

गोमती नगर के विजय खण्ड में मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि के आंशिक भाग पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा है।

प्रश्नगत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवंटियों को आवासीय प्लाट के रूप में आवंटित है। उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से पुलिस प्रशासन के सहयोग से यथाशीघ्र अवैध अतिक्रमण को खाली कराये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ट्रांस गोमती क्षेत्र में स्थित माया नगर के हसनगंज में अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में

40-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के ट्रांस गोमती क्षेत्र में स्थित मोहल्ला माया नगर के हसनगंज से निराला नगर द्वारा शंकर नगर चौराहे से मुंशीगंज नाले तक जाने वाली मुख्य सड़क एवं नाली पर अतिक्रमण हटाये जाने विषयक-पत्र जनवरी, 2020 जो नगर विकास मंत्री को सम्बोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत यह पाया गया कि प्रश्नगत स्थल पुरानी आबादी का क्षेत्र है, जिसका राजस्व अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अतिक्रमण चिन्हान्कन में कठिनाई है। स्थल पर कतिपय लोगों द्वारा नाली के ऊपर अवैध तरीके से चबूतरा

निकाल कर निर्माण करा लिया गया है, जिसे हटाने के लिये अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के यमुनापुरम आवासीय कालोनी में पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के यमुनापुरम आवासीय कालोनी के सभी पार्कों का सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा -

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर में यमुनापुरम आवासीय कालोनी के समस्त पार्को का सौन्दर्यीकरण कार्य जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त 15वें वित्त आयोग की धनराशि से नियमानुसार कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर की यमुनापुरम आवासीय कालोनी में एवं सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक

42-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर की यमुनापुरम आवासीय कालोनी के आई ब्लॉक स्थित बड़े पार्क के आस-पास की सभी सड़क और नालियों की स्थिति जर्जर होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों और नालियों का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में स्थित यमुनापुरम आवासीय कालोनी के आई ब्लाक स्थित बड़ा पार्क बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त कालोनी के साथ ही विकसित किया गया था। उक्त कालोनी नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर को दिनांक 27-03-2013 को हस्तान्तरित हुई है।

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में स्थित यमुनापुरम आवासीय कालोनी के तीन मुख्य मार्गों (1-काला आम चौराहे से स्याना अड्डा चौराहे तक, 2-अम्बेडकर

चौराहे से काला आम चौराहे तक, 3-अम्बेडकर पार्क से डी0ए0बी0 फ्लाईओवर तक) का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराया गया है।

यमुनापुरम आवासीय कालोनी की अन्य सड़कों व नालियों की मरम्मत/निर्माण का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर में जेपी जनता इंटर कालेज जाने वाले मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

43-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर, विधान सभा क्षेत्र सदर बुलन्दशहर की नगर पालिका में जेपी जनता इंटर कॉलेज में रास्ते जर्जर होने के कारण छात्रों को कक्षा में आने-जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जे0पी0 जनता इण्टर कालेज एक स्ववित्त पोषित संस्था है, जिसके परिसर के अन्दर जर्जर रास्ते का नवनिर्माण कराया जाना नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को खेतों में कटीले तार लगाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक

44-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-7 सं0-100064 जोकि प्रदेश में किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा हेतु उनके खेतों में कंटीले तार लगाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के अभिलेखानुसार पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के सुजडू चंगी से रेलवे क्रासिंग मार्ग का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में

45-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में महावीर चौक से सुजडू चंगी तक उक्त सड़क से रेलवे फाटक व राम कोलेज जा रही सड़क का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह मार्ग व चौराहे का नामकरण स्व0 चौधरी चरण सिंह चौक के नाम पर सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-217 के अन्तर्गत मार्गों/चौराहों के नामकरण का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नगर पालिका परिषद के निर्वाचित बोर्ड में निहित है और बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव पर आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त नामकरण किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

46-श्रीमती सैय्यदा खातून-

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

नगर निगम कानपुर द्वारा जे0के0 रेयान कम्पनी का लीज का प्रतिलिपि विषयक

47-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में नगर महापालिका द्वारा जे0के0 रेयान कंपनी को 1961 में लीज पर जमीन किन शर्तों पर दी गई थी ? क्या सरकार उक्त लीज डीड की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर निगम, कानपुर द्वारा जे0के0 रेयान कम्पनी को वर्ष 1961 में लीज पर जमीन शर्तों के अनुसार दी गयी थी। लीज डीड की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें लीज की शर्तों का उल्लेख है।

जी हाँ। लीज डीड की छायाप्रति संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत पार्वती बंगला रोड पर हॉट का निर्माण कराये जाने विषयक

48-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 18-11-1999 को पार्वती बंगला रोड पर प्लॉट न0 11, ब्लॉक न0-6 के 7475.60 मीटर जमीन पर कानपुर हॉट बनाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त हॉट का निर्माण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-3236/9-आ-4-99-375-एन/99 दिनांक 18-11-1999 द्वारा नजूल भूखण्ड सं0-11 ब्लाक सं0-6 क्षेत्रफल-22463.468 वर्ग मी0 कानपुर विकास प्राधिकरण को कतिपय शर्तों के अधीन आवंटित/हस्तांतरित की गई है।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-20999/2002 कृषक मजदूर एवं पशुपालक विकास सेवा समिति एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-03-2019 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) संख्या-24932/2019 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम कृषक मजदूर एवं पशुपालक विकास सेवा समिति योजित है जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25-04-2022 को यह आदेश पारित किया गया है कि "issue Notice- Dasti service inAddition is permitted. Tag with S.L.P. (C) No. 8643/2019. प्रश्नगत प्रकरण में ही मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एक अन्य एस0एल0पी0 संख्या-8643/2019 रेव इन्टरटेनमेण्ट बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 08-04-2019 में यह आदेश पारित किया गया है कि "Issue Notice. In the meantime. the operation of impugned judgement shall remain stayed." मा0 सर्वोच्च न्यायालय में सम्प्रति दोनों एस0एल0पी0 विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर में मोतीझील फुटपाथ पर कियोस्क में व्यय ही धनराशि की भरपाई विषयक

49-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत मोतीझील फुटपाथ पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से कियोस्क लगाये जाने व

† छापा नहीं गया।

पुनः हटाए जाने के निर्णय की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्य पर व्यय धनराशि की भरपाई उक्त हेतु दोषियों से सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 13वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02-12-2021 में स्वीकृति के उपरान्त ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मोतीझील फुटपाथ पर 60 वेण्डर कियोस्क को स्थापित किये जाने हेतु मेसर्स डिजाइन फैक्ट्री इण्डिया को धनांक रु0 1, 12, 22, 355.00 (जी0एस0टी0 रहित) का कार्यादेश निर्गत किया गया। मोतीझील में वेण्डर कियोस्क की स्थापना से इस क्षेत्र में यातायात पर दबाव बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की गयी। अतएव अध्यक्ष, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से विचार-विमर्श एवं स्वीकृति के उपरान्त उक्त योजना को कार्यकारिणी, नगर निगम, कानपुर द्वारा फूड हब के रूप में प्रस्तावित योजना स्थल पर बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में स्थानान्तरित कर दिया गया है। उक्त प्रक्रिया में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, कानपुर को पत्र दिनांक 20-02-2023 के माध्यम से निर्देशित कर दिया गया है।

उक्त कार्य में कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है। अतः व्यय की गयी धनराशि की भरपाई की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराईच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में विद्युत तारों के बदले जाने विषयक

50-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में किन-किन गाँवों में खम्भों पर पुराने व जर्जर विद्युत तार हैं जिससे आये दिन विद्युत सप्लाई प्रभावित होती है ? क्या सरकार उक्त खम्भों के पुराने विद्युत तारों को बदल कर केबलिंग की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में 45 अदद् मजरों में विद्युत लाइन जर्जर अवस्था में पायी गयी थी। 45 अदद् मजरों को ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत चयनित कर उनकी जर्जर विद्युत लाइन को ए0बी0 केबिल के द्वारा बदल दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराईच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में विद्युत ट्रांसफार्मरों को बदले जाने के सम्बन्ध में

51-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई हेतु किन-किन गाँवों में कितने ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिन पर विद्युत लोड अधिक होने से बार-बार जल जा रहे हैं या खराब हो जा रहे है ? क्या सरकार ऐसे ट्रांसफार्मरों को बदल कर अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विद्युत लोड अधिक होने के कारण विभिन्न गाँवों के कुल 12 अदद् परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुए।

12 अदद् क्षतिग्रस्त परिवर्तक में 11 अदद् परिवर्तक की क्षमतावृद्धि की जा चुकी है। बिजनेस प्लान से कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराईच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में टूटे हुए विद्युत खम्भों को बदले जाने के सम्बन्ध में

52-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में किन-किन गाँवों में कितने विद्युत पोल टूटे हैं जो अब तक नहीं लगाये गये हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी टूटे हुए खम्भों को चिन्हित कर बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में समय-समय पर विभिन्न कारणों से टूटने वाले विद्युत पोलों को नये पोलों से विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाती है।

वर्तमान में ऐसे किसी टूटे विद्युत पोल, जिसके कारण आपूर्ति में व्यवधान हो तथा इसके बावजूद जिसका प्रतिस्थापन अब तक नहीं किया जा सका हो, का प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत दौलताबाद से परशुरामपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

53-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के दौलताबाद से परशुरामपुर तक का मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग परशुरामपुर सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 1.95 किमी0 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत लम्बाई 1.50 किमी0 लागत रु0 25.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है। कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। शेष लम्बाई 0.450 किमी0 की अनुमानित लागत रु0 09.51 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

54-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर अन्तर्गत गुजरपार-टुनटुन मोड़ मेन रोड से ग्राम मुस्तफाबाद सम्पर्क मार्ग ग्राम सभा नेतपुर में डीह बाबा स्थान से कामता यादव के घर तक तथा ग्राम सलारपुर से ग्राम सराय मुबारकपुर तक क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग मुस्तफाबाद सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग पर गड्ढे भरकर यातायात चालू रखा गया है। उक्त मार्ग की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण की योजनान्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम सभा नेतपुर में डीह बाबा के स्थान से कामता यादव के घर तक एवं ग्राम सलारपुर से ग्राम सरायमुबारकपुर सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत खैरा में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

55-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर अन्तर्गत ग्राम सभा खैरा में मेन रोड से बालचन्द यादव के घर तक की सड़क क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग मुबारकपुर-जीयनपुर मार्ग से मुस्तफाबाद ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की तहसीलों में उप रजिस्ट्रार का पदोन्नति एवं चयन प्रक्रिया में अनियमितता की जाँच विषयक

56-श्री अभय सिंह-

क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में प्रदेश की तहसीलों में सब-रजिस्ट्रार पद हेतु नई नियुक्ति तथा पदोन्नति (विभागीय) नियुक्ति हेतु कोई मानक निर्धारित है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के अन्तर्गत कतिपय तहसीलों में बिना निर्धारित मानक/अर्हता के ही वर्तमान में सब-रजिस्ट्रार पद पर नियुक्तियां की गई हैं तथा बिना योग्यता के उस पर विभागीय कार्मिकों को ही चार्ज दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

जी हाँ।

उ0प्र0 उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम-5 के अनुसार 75 प्रतिशत पदों पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित किये जाते हैं तथा 25 प्रतिशत प्रोन्नति के माध्यम से चयनित किये जाते है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा-12 एवं महानिरीक्षक निबन्धन के परिपत्र संख्या-2901, दिनांक 30-07-2013 अन्तर्गत जनपदीय ज्येष्ठता (वरिष्ठता) के अनुसार सब-रजिस्ट्रार पद पर प्रभारी बनाया जाता है। बिना निर्धारित मानक के किसी को भी प्रभार नहीं दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या मण्डल में प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

57-श्री अभय सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022 से दिनांक 22-12-2022 तक विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण (वायु तथा जल) किये जाने की घटनायें सरकार के संज्ञान में आयी हैं तथा इनमें से अयोध्या मण्डल की कितनी व कौन-कौन सी प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हाँ।

अयोध्या मण्डल में निम्न विवरण के अनुसार प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है :-

औद्योगिक इकाई का नाम	प्रदूषण का विवरण कृत कार्यवाही
मेसर्स सी0पी0 मिल्क फूड प्रोडक्ट प्रा0लि0, बाराबंकी।	जल प्रदूषण कारण बताओ नोटिस निर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 60,000/-का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए शर्तों के अधीन निक्षेपित।
मेसर्स स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, प्यारेपुर, सरैंया, सफदरगंज, बाराबंकी।	जल प्रदूषण कारण बताओ नोटिस निर्गत।
मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर।	जल प्रदूषण कारण बताओ नोटिस निर्गत। पर्यावरणीय शर्तों के अधीन निक्षेपित।
मेसर्स यश पैका लि0 (पूर्व नाम-यश पेपर	जल प्रदूषण कारण बताओ नोटिस निर्गत।

औद्योगिक इकाई का नाम	प्रदूषण का विवरण कृत कार्यवाही
मिल्स लि0), यश नगर, दर्शन नगर, अयोध्या।	पर्यावरणीय शर्तों के अधीन निक्षेपित।
मेसर्स अमृत बाटलर्स प्रा0 लि0, चांदपुर हरवशं, पोस्ट-डाभासेमर, अयोध्या।	जल प्रदूषण कारण बताओ नोटिस निर्गत। पर्यावरणीय शर्तों के अधीन निक्षेपित।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर में दि किसान सहकारी चीनी मिल की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

58-श्री हिमान्शु यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर में दि किसान सहकारी चीनी मिल की दशा जीर्ण-शीर्ण होने के कारण पेराई न होने के अभाव में गन्ना किसानों को गन्ना निजी चीनी मिलों को देना पड़ता है जिससे क्षेत्र के किसानों का गन्ना भुगतान भी लम्बित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल का विस्तारीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

बदायूं चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1977-78 में 1250 टी0सी0डी0 क्षमता पर हुई थी। तत्समय से यह मिल इसी क्षमता पर कार्य कर रही है। विगत 05 वर्षों में चीनी मिल बदायूं द्वारा विक्रीत गन्ने का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	वर्ष	विक्रीत गन्ने की मात्रा (ला0कु0 में)	गन्ने का ड्राल (%)	पेराई क्षमता उपयोग
1	2017-18	16.19	47.36	83
2	2018-19	13.21	41.12	79
3	2019-20	13.97	49.86	82
4	2020-21	13.94	69.11	87
5	2021-22	13.62	56.68	84

पेराई सत्र 2021-22 का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है।

बदायूं चीनी मिल का वर्तमान में क्षमता विस्तारीकरण प्रस्तावित नहीं है। सूच्य है कि चीनी उद्योग के वर्तमान परिदृश्य में मात्र चीनी मिल का क्षमता विस्तार करते हुए एकल चीनी मिल का संचालन किया जाना लाभप्रद नहीं है। क्षमता विस्तारीकरण के अन्तर्गत न्यूनतम 5000 टी0सी0डी0 की नई चीनी मिल, एथेनॉल प्लाण्ट, प्रेसमड से सी0बी0जी0 प्लाण्ट की स्थापना इन्टीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स के रूप में किया जाना ही वित्तीय रूप में संधारणीय होता है।

इस परियोजना पर लगभग रु0 580.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। चूँकि बदायूं चीनी मिल की नेटवर्थ ऋणात्मक है तथा दिनांक 31-03-2022 तक रु0 682.93 करोड़ की संचित हानियाँ हो चुकी हैं, जिसके कारण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद ललितपुर के आजाद चौक से पुराना सागर मार्ग में शहजाद नदी पर दीर्घ सेतु बनाये जाने विषयक

59-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में शहरी भाग के आजाद चौक से पुराना सागर मार्ग में शहजाद नदी पर स्थित दीर्घ सेतु की दिनांक 19 जून, 2022 को झांसी मण्डल में झांसी मुक्ताकांशी मंच से घोषणा की गई थी ? क्या उक्त कार्य को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

दिनांक 19 जून, 2021 को मुक्ताकांशी मंच, झांसी से जनपद ललितपुर में स्थित आजाद चौक पर शहजाद नदी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में घोषणा की गयी थी।

सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत घंटाघर से गोविन्द सागर डैम तक चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के क्षेत्र अन्तर्गत घंटाघर से गोविंद सागर डैम के मुहाने तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग (शहरी भाग) की श्रेणी का है, जिसकी लम्बाई 3.55 किमी0 है। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्तमान में मार्ग पर पक्के पैच बनाकर मार्ग को यातायात योग्य बना दिया गया है।

61-[प्रश्न हटाया गया]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण/ उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री मोहन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के मुख्य बाजार हाटा से देवरिया बार्डर तक जोड़ने वाली मुख्य सड़क वाया हाटा, किश्तुराज स्कूल से करमहां होते हुए देवरिया बार्डर तक मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र-ख-7 नं0 56252, दिनांक 24-05-22 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग के संरेखण की कुल लम्बाई 7.00 किमी0 है, जिसके प्रारम्भिक चैनेज 0.000 से 2.000 तक अर्थात् 02 किमी0 भाग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसका चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अवशेष 5.00 किमी0 का भाग ग्रामीण श्रेणी का है, और ग्रामीण श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण की कोई विभागीय नीति नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद नगरीय क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा गलत बिल भेजने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की माँग

63-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगरीय क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल भेजे जाने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी होने की जानकारी सरकार को है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2021-22 में दिनांक 23-12-2022 तक कुल कितनी संख्या में उपभोक्ताओं को गलत विद्युत बिल भेजे जाने की शिकायतें प्राप्त हुयीं एवं कितनों का निस्तारण किया गया है ? क्या सरकार गलत बिल भिजवाने के दोषियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुये आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

फिरोजाबाद नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में दिनांक 23-12-2022 तक कुल 2464 नग उपभोक्ताओं को गलत विद्युत बिल प्राप्त होने की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं, जिनका बिल संशोधित कर सभी शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है।

माह अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा गलत बिल निर्गत किये जाने के कारण बिलिंग संस्था मै0 टेरा सॉफ्टवेयर लि0, 8-2-293/82/ए/1107, रोड नं0 55 जुबिली हिल्स, हैदराबाद द्वारा प्रेषित बीजकों में से धनराशि रु0 571600/- की कटौती की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत करछना बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

64-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम करछना को टाउन एरिया सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426 सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है। जिसमें निर्धारित मुख्य मानक-प्रस्तावित क्षेत्र की जनसंख्या-20,000 या उससे अधिक होना, 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना, शहरी गुण होना आदि निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 21-09-2022 द्वारा जनपद प्रयागराज के ग्राम पंचायत करछना को नगर पंचायत बनाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। आख्यानुसार प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या-14220 तथा प्रस्तावित क्षेत्र के 60 प्रतिशत लोगों का जीवन यापन व्यापार व अन्य व्यवसाय व 40 प्रतिशत कृषि पर आधारित है। जिलाधिकारी, प्रयागराज की उक्त आख्या के आधार पर मानकों की पूर्ति न किये जाने के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम करछना को टाउन एरिया (नगर पंचायत) बनाये जाने का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

65-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य कराए जाने हेतु बोर्ड बैठक वर्ष 2020-21 में

प्रस्ताव पारित हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुनापुरम कालोनी में लाइटों की व्यवस्था के सम्बन्ध में

66-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के यमुनापुरम कॉलोनी में मार्गों पर लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आम जनता को अंधेरे में आने-जाने में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कॉलोनी में लाइटों की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा वार्ड संख्या-03 यमुनापुरम कालोनी की गलियों एवं मार्गों पर लगभग 720 एल0ई0डी0 लाईटों को लगाया गया है, आवश्यकतानुसार एल0ई0डी0 लाइटों को लगाने का कार्य, पालिका द्वारा समय-समय पर किया जाता है। पालिका सीमान्तर्गत लाइटों की स्थापना एवं देख-रेख का कार्य एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (ई0ई0एस0एल0) कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम करकोड़ा से सैदपुर सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने विषयक

67-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के गांव करकोड़ा से सैदपुर सम्पर्क मार्ग जर्जर होने के कारण लोगों को आने-जाने में

परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 2.260 किमी0 एवं लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मी0 है। वर्तमान में मार्ग गड्ढामुक्त कर यातायात योग्य कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर के सतहरिया से बरईपार कटाहितखास में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने विषयक

68-श्री पंकज पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर के सतहरिया तथा बरईपार कटाहितखास में 33/11 के0वी0ए0 तथा 400/220 का विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर के 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बरईपार का निर्माण रिवैम्ड योजना में आवश्यक स्वीकृति तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है। 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सतहरिया, कटाहितखास के निर्माण की तकनीकी रूप से आवश्यकता नहीं है।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कटाहितखास में 400/220 के0वी0 उपकेन्द्र मछलीशहर (जौनपुर) निर्माणाधीन है। दिनांक 06-12-2022 को उपकेन्द्र पर 315 एम0वी0ए0 परिवर्तक को ऊर्जीकृत कर परिचालित कर दिया गया है। अग्रेतर उपकेन्द्र का परिचालन 220 के0वी0 पर माह मार्च, 2023 में किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

69-श्री संग्राम सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत सागरपाली थम्हनपुरा बैरिया सम्पर्क मार्ग सागरपाली से गंगहरा पुल तक मार्ग

बाढ़ के समय पूर्ण रूप से डूब जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का उच्चीकरण तथा चौड़ीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 12.00 किमी0 है। मार्ग के चैनेज 0.250 किमी0 से 0.550 किमी0 तक (कुल 300 मीटर) लम्बाई में भीषण बाढ़ की स्थिति में पानी मार्ग के इस भाग को क्रास करता है। सामान्य बाढ़ की स्थिति में मार्ग पर आवागमन में कोई अवरोध नहीं रहता है।

प्रश्नगत मार्ग के किमी0 1.00 से किमी0 12.00 तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है, जिसे माह जून, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के जिला सहकारी बैंक के खाताधारकों को जमा धनराशि निकाले जाने से रोके जाने विषयक

70-श्री संग्राम सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के जिला सहकारी बैंक में खाताधारकों के जमा धनराशि को निकाले जाने पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार धनराशि निकाले जाने पर रोक संबंधी शासनादेश का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जे0पी0एस0 राठौर)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में स्थापित ट्रांसफार्मरों का विवरण एवं क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

71-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी की विधान सभा क्षेत्र सिराथू में कुल कितने विद्युत ट्राँसफार्मर स्थापित हैं तथा उनमें से कुल कितने ट्राँसफार्मर अतिभारित हैं ? क्या सरकार उक्त अतिभारित विद्युत ट्राँसफार्मर की क्षमता वृद्धि करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद कौशाम्बी की विधान सभा क्षेत्र सिराथू में कुल 5986 नग विद्युत परिवर्तक स्थापित हैं तथा उनमें से कोई भी परिवर्तक अतिभारित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में टॉयलेट/पिंक टॉयलेट बनाये जाने के सम्बन्ध में

72-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी की सिराथू विधान सभा क्षेत्र में प्रमुख सड़कों व बाजारों में उपयुक्त स्थान पर टॉयलेट/पिंक टॉयलेट न होने के कारण से महिलाओं को परेशानी होती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निःशुल्क टॉयलेट का निर्माण कर महिलाओं को इस समस्या से निजात दिलाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद कौशाम्बी की नगर पंचायत, सिराथू सीमान्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर महिलाओं हेतु निःशुल्क टॉयलेट/पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है :-

नगर पंचायत, सिराथू के सैनी रोड स्थित उपनिबन्धक कार्यालय के पास महिलाओं हेतु 05 सीटर पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है।

नगर पंचायत, सिराथू के धाता रोड मुख्य बाजार/टैम्पों स्टैण्ड के पास 06 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है।

नगर पंचायत, सिराथू सीमा क्षेत्र में उपरोक्त के अतिरिक्त कुल 11 स्थानों पर 52 सीटर सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है।

नगर पंचायत, सिराथू स्थित मुख्य बाजार में महिलाओं के उपयोगार्थ 02 फाइबर यूरिनल भी रखे गयें हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

73-डॉ0 रागिनी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग जौनपुर प्रान्तीय खण्ड-2 को सम्बोधित पत्र 293, दिनांक 03-01-22 को

मछलीशहर के अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 एवं अप्रैल, 2022 से वर्तमान तक मार्गों के विशेष मरम्मत/चौड़ीकरण/नवीनीकरण आदि विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र संख्या-293, दिनांक 03-11-2022 प्राप्त है।

विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 एवं अप्रैल, 2022 से 03-11-2022 तक नव निर्माण के कुल 06 मार्ग, लागत रु0 420.74 लाख तथा नवीनीकरण/विशेष मरम्मत के कुल 78 मार्ग, लागत रु0 1286.47 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। नव निर्माण का 01 मार्ग तथा नवीनीकरण/विशेष मरम्मत के 46 मार्ग पूर्ण हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज के अन्तर्गत महादेवा घाट पर मड़हा नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में

74-श्री अभय सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत गोसाईगंज में महादेवा घाट पर मड़हा नदी की साफ-सफाई की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त स्थल की नियमित सफाई हेतु निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

महादेवा घाट विसर्जन स्थल की नियमित साफ-सफाई नगर पंचायत गोसाईंगंज के सफाई कर्मचारियों द्वारा करायी जाती है। दशहरा, दुर्गा पूजा व छठ पूजा आदि के शुभ अवसर पर उक्त स्थल की विशेष साफ-सफाई नगर पंचायत द्वारा करायी जाती है। नगर पंचायत गोसाईंगंज के अनुरोध पर सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर पोकलैण्ड मशीन के द्वारा मड़हा नदी, महादेवा घाट की साफ-सफाई करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र के कतिपय सड़कों का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

75-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में ब्लाक जलीलपुर से जलीलपुर नवादा, भसौड़ी, मीरापुर, शेखपुरी चौहड़, भगौड़ा, बास्टा तक की सड़क की विशेष मरम्मत कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग तीन मार्गों के संरेखण में आता है।

(1) चांदपुर खानपुर दत्तियाना मार्ग से मीरापुर मार्ग की लम्बाई 5.100 किमी0 है चौड़ाई 3.00 मी0 है। इस मार्ग पर पड़ने वाली आबादी जलीलपुर नवादा शाहपुर भसौड़ी के समस्त आबादी में सी0सी0 मार्ग निर्मित है तथा शेष लम्बाई पैचलेस है।

(2) मीरापुर से रसूलपुर नंगला की लम्बाई 4.77 किमी0 है। इस मार्ग की मरम्मत हेतु 3.03 किमी0 लम्बाई की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा शेष लम्बाई में दो गांव की आबादी में सी0सी0 मार्ग निर्मित है, जो संतोषजनक है।

(3) रसूलपुर नंगला से मीरापुर जाने वाले मार्ग पर ग्राम शेखपुरी से भसौड़ी होते हुए बास्टा तक कुल लम्बाई 5.800 किमी0 है, जिसमें शेखपुर से भसौड़ी शैतान चौक तक 4.913 किमी0 लम्बाई पी0एम0जी0एस0वाई0 पंचवर्षीय अनुरक्षण के अन्तर्गत है। शेष लम्बाई 800.00 मी0 शैतान चौक से बास्टा तक पी0डब्लू0डी0 के अधीन है, जिसका विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना, शहरी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को देय धनराशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

76-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना, शहरी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को वर्तमान में देय धनराशि रुपया 2 लाख 50 हजार को बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत सरकार अपनी ओर से 50 हजार रुपये अतिरिक्त लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लाभार्थी को भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में रुपये 1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रुपये 1.00 लाख प्रदान किया

जाता है। प्रश्नगत योजना में केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 60:40 है। वर्तमान में राज्य सरकार के अंश में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

77-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम पंचायत भुआल छपरा, नवरंगा के आधे गांव में विद्युतीकरण हुआ है और आधे गांव के कुछ हिस्से में सिर्फ खम्भे लगाकर छोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गावों का सर्वे कराकर अवशेष गांव में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के ग्राम पंचायत भुवाल छपरा, नवरंगा का विद्युतीकरण सौभाग्य योजना के अन्तर्गत पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्र (क्षेत्रों) में स्थापित सोलर प्लाण्ट क्रियाशील है तथा अवशेष विद्युतीकरण कार्य हेतु धनराशि रु0 76.00 लाख का प्राक्कलन बनाया गया है, जिसमें 130 पोल की 11 के0वी0ए0 लाइन, 160 पोल की एल0टी0 लाइन एवं 63 के0वी0ए0 के 06, 25 के0वी0ए0 के 02 एवं 10 के0वी0ए0 के 01 वितरण परिवर्तक की स्थापना के कार्य सम्मिलित हैं। धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त उपरोक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

78-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत गंगा नदी पर बन रहा शिवपुर कपूर दियर घाट से बिहार को मिलाने वाले पुल का निर्माण समय-सीमा निर्धारित कर सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद बलिया में गंगा नदी पर नौरंगा के पास शिवपुर घाट पर सेतु को मार्च, 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत दया छपरा-नवरंगा स्थित पीपे के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में

79-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत आवागमन की समस्या के हल हेतु गंगा नदी के दया छपरा-नवरंगा स्थित पीपे के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल से लगभग 12 किमी0 की दूरी पर डाउन स्ट्रीम में नवरंगा के पास गंगा नदी पर सेतु निर्माणाधीन है एवं अपस्ट्रीम में लगभग 28 किमी0 की दूरी पर श्रीरामपुर घाट पर गंगा नदी सेतु निर्मित है। प्रश्नगत स्थल पर सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पारा, हैदरगंज तृतीय वार्ड नं0-20 में पाइप लाइन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

80-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ पारा, गोविन्द नगर के हैदरगंज तृतीय वार्ड नं0-20 में पीने के पानी की पाइप लाइन न होने से पीने के पानी की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु पाइप लाइन की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-लखनऊ पारा, गोविन्द नगर हैदरगंज तृतीय वार्ड नं0-20 में हैण्डपम्पों एवं सब-मर्सिबल के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। उक्त क्षेत्र में पाइप पेयजल आपूर्ति हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना का सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। उक्त सिटी वाटर एक्शन प्लान की स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित योजना का प्राक्कलन विरचन, उसकी स्वीकृति तथा धनावंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के कतिपय वार्डों में सड़कों, ड्रेनेज, सीवर, स्ट्रीट लाइट एवं पार्कों का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

81-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्डों में सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज, सीवर लाइन का कार्य, स्ट्रीट लाइटें लगवाने, पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं जलभराव के निस्तारण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-05-2022 एवं 31-05-2022 तक उक्त समस्याओं से सम्बन्धित हैं, नगर आयुक्त लखनऊ को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

उक्त पत्र दिनांक 18-05-2022 एवं 31-05-2022 में उल्लिखित कार्यों में निम्नलिखित 02 कार्य कराये गये हैं :-

(1) वृन्दावन सेक्टर-9 बी की आन्तरिक सड़कों का पेवर द्वारा सुधार कार्य।

(2) मानसरोवर सेक्टर-ओ में स्थित पार्क संख्या-07 चिल्ड्रेन पार्क की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई व पाथ-वे का निर्माण कार्य।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में विभिन्न 22 सड़कों का पेवर द्वारा सुधार कार्य, 06 नालों के निर्माण/मरम्मत/कवरिंग का कार्य तथा कुल 10 पार्कों के निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया गया है।

अमृत-2.0 योजना में लखनऊ नगर के पेयजल डिस्ट्रिक्ट डी के अन्तर्गत सरोजनीनगर प्रथम एवं द्वितीय वार्ड तथा इब्राहिमपुर वार्ड में पेयजल आपूर्ति की परियोजना (लागत रु0 246.00 करोड़) की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

दिनांक 13 से 15 फरवरी, 2023 तक सम्पन्न हुए भव्य जी-20 सम्मेलन के दृष्टिगत विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर सहित पूरे लखनऊ शहर में व्यापक स्तर पर सड़कों की मरम्मत, सौन्दर्यीकरण, साफ-सफाई इत्यादि के कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरों में बढ़ते विद्युत कनेक्शनों को देखते हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत एवं क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

82-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों में बढ़ते विद्युत कनेक्शनों से ट्रांसफार्मरों पर क्षमता से अधिक लोड के कारण लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई है ? यदि हां,

तो क्या सरकार लो-वोल्टेज की समस्या के निराकरण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में खराब ट्रांसफार्मरों को मरम्मत कर लगाए जाने हेतु कितनी समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? क्या सरकार खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का कार्य समयान्तर्गत कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवर्तक से निर्गत संयोजन उनके अधिकतम भार के अनुसार ही सीमित रखे जाते हैं, समय-समय पर भार में वृद्धि की मांग को देखते हुऐ परिवर्तक की क्षमता वृद्धि करने की व्यवस्था है।

शिकायत प्राप्त होने पर क्षतिग्रस्त परिर्वतकों को शहरी क्षेत्रों में 08 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टों में बदलने की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित है।

क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की मरम्मत का कार्य विभागीय कार्यशालाओं में ससमय कराया जा रहा है।

लखनऊ नगर निगम को अवस्थापना निधि एवं राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

83-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं वर्ष 2021-2022 में कोरोना (कोविड-19) की अवधि में अवस्थापना निधि की धनराशि आवंटित न होने एवं राज्य वित योजना में धनाभाव के कारण लखनऊ नगर निगम के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लम्बित विकास कार्यों को सम्पादित कराने के लिए लखनऊ नगर निगम को अवस्थापना निधि एवं राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवस्थापना मद की कुल आवंटित धनराशि रु0 175.00 करोड़ नगरीय निकायों की विद्युत देयताओं के सापेक्ष भुगतान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रु0 34.00 करोड़ की धनराशि नगर निगम, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में रु0 300.00 करोड़ की धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के निर्वतन पर उपलब्ध करा दी गयी है। राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि नगर निगम, लखनऊ को प्रति माह आवंटित की जाती है।

नगर निगम, लखनऊ को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की जाती है। मुख्य मंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत इण्टरलाकिंग, रोड निर्माण, नाला-नाली निर्माण आदि के लिए रु0 11.85 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 155.43 करोड़ तथा जी0आई0एस0, जी-20 सम्मेलन के दौरान सौन्दर्यीकरण, लाइटिंग, पौधरोपण, सेनीटाइजेशन, फॉगिंग/एण्टीलार्वा छिड़काव, मार्ग प्रकाश, सड़कों के सुदृढ़ीकरण, डिवाइडर पेंन्टिंग, नाला-नाली निर्माण, चौराहों के सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों के लिए क्रमशः रु0 24.80 करोड़ एवं रू0 05.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में अण्डरग्राउण्ड विद्युत केबलिंग कराने जाने के सम्बन्ध में

84-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में विद्युत लाइनें पुरानी होने के कारण घनी आबादी के मध्य जर्जर विद्युत लाइनों से घटनाओं के बचाव हेतु अण्डरग्राउण्ड विद्युत केबलिंग कराए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-189/एम0एल0ए0(आर)/एस0एन0/05-22, दिनांक 09-05-2022 प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

रिवैम्पड योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के शहरी क्षेत्र में घनी आबादी के मध्य पुरानी जर्जर लाइनों को एल0टी0 ए0बी0 केबिल से बदलने हेतु बी0ओ0क्यू0 (बिल आफ क्वान्टिटी) अनुसार लगभग 41 किलोमीटर का कार्य अनुमोदित है, जिसे 31-12-2023 तक करा दिया जायेगा। अण्डरग्राउण्ड विद्युत केबलिंग का वर्तमान बी0ओ0क्यू0 (बिल आफ क्वान्टिटी) में विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत जैतीखेड़ा रोड से गढ़ी गवइया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

85-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-आर0एस0/234/एम0आई0एन0/22, दिनांक 17-07-22 जो विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के

अन्तर्गत जैतीखेड़ा रोड से ग्राम गढ़ी मवइया तक लगे ग्रामों के लिए माइनर के किनारे के मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर लखनऊ के अन्तर्गत जैतीखेड़ा रोड से ग्राम गढ़ी मवइया तक मार्ग की लम्बाई 2.50 किमी0 है। यह मार्ग कच्चा स्तर का मार्ग है। जैतीखेड़ा रोड से ग्राम गढ़ी मवइया तक लगे ग्रामों के लिए माइनर के किनारे का मार्ग का स्वामित्व सिंचाई विभाग का है। मार्ग का निर्माण कार्य वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के तालपुर योजना के अन्तर्गत मौजा तालपुरा की खाता सं0-141 पर से कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

86-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद्, झांसी द्वारा विकसित की जा रही तालपुर योजना के अन्तर्गत मौजा तालपुरा की खाता सं0-141, गाटा सं0-300/3, रकबा 0.2450 हे0 पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को परिषद् के कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित तालपुरा योजना झांसी के मौजा तालपुरा की भूमि पर परिषद् द्वारा कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कतिपय चौराहों पर अण्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में

87-श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगरा एक्सप्रेस-वे से पारा बुद्धेश्वर रोड से लखनऊ कैंट, एस0जी0पी0जी0आई, हास्पिटल एवं चारबाग से अवध चौराहे पर अत्यधिक जाम लगे रहने के कारण उक्त मार्गों पर आने-जाने वाले यात्रियों को अत्यधिक

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर अण्डरपास की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत कार्य के लिए वी0आई0पी0 रोड से पारा की तरफ सिंचाई विभाग की नहर को क्रास करने हेतु सिंचाई विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अण्डरपास का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

88-श्री माधवेन्द्र प्रताप-

[गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विगत पांच वर्षों (2017 से 2022 तक) में सड़क मरम्मतीकरण का वर्षवार धनराशि का विवरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

89-श्री राकेश प्रताप सिंह सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों (2017 से 2022 तक) में सड़क मरम्मत में वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रदेश में सड़कों के मरम्मत मद में विगत पांच वर्षों (01-04-2017 से 31-03-2022 तक) में कुल 17150.02 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया है।

जी हाँ।

उक्त धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि रु0 करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मार्गों पुलियों का अनुरक्षण मद बजट प्राविधान		ग्रामीण मार्गों पुलियों का अनुरक्षण मद बजट प्राविधान		3054-राज्य सड़क निधि बजट प्राविधान		महायोग बजट प्राविधान	
	उपयोग	व्यय धनराशि	उपयोग	व्यय धनराशि	उपयोग	व्यय धनराशि	उपयोग	व्यय धनराशि
2017-18	820.00	820.00	900.00	900.00	1500.00	1497.66	3220.00	3217.66
2018-19	820.00	820.00	900.00	900.00	1500.00	1482.64	3220.00	3202.64
2019-20	999.20	949.88	1024.00	1011.28	1500.00	1266.26	3523.20	3227.42
2020-21	1000.00	1000.00	1024.00	1024.00	1500.00	1492.85	3524.00	3516.85
2021-22	1275.00	1275.00	1275.00	1275.00	1500.00	1435.45	4050.00	3985.45
G-Total	**4914.20**	**4864.88**	**5123.00**	**5110.28**	**7500.00**	**7174.86**	**17537.20**	**17150.02**

उपरोक्तानुसार

जनपद झांसी के आँतिया ताल के सौन्दर्यीकरण के कार्य में तीव्रता लाये जाने के लिए अन्य संस्था नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

90-श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे आँतिया ताल के सौन्दर्यीकरण कार्य की प्रगति धीमी तथा कार्य और सामग्री में गुणवत्ता की कमी पाये जाने के कारण कार्यदायी संस्था पर पेनाल्टी भी लगाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ताल के सौन्दर्यीकरण कार्य की गति में तीव्रता लाये जाने के लिए किसी अन्य कार्यदायी संस्था को नियुक्त कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अवगत करायी गयी स्थिति के अनुसार आँतिया ताल परियोजना में कार्यदायी संस्था पर निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के लिए पेनाल्टी लगाये जाने की कार्यवाही की गयी है। उक्त कार्य और सामग्री में गुणवत्ता हेतु झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसमें निर्माण कार्य एवं सामग्री में कमी नहीं पायी गयी है।

जी नहीं। उक्त परियोजना में फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत किसी अन्य कार्यदायी संस्था से कार्य कराया जाना वर्तमान में आवश्यक नहीं है। परियोजना के कार्य में गति लाने एवं कार्य, सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण कराने के निर्देश स्मार्ट सिटी लिमिटेड झांसी को दिनांक 17-02-2023 को निर्गत करा दिये गये हैं।

झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कार्यदायी संस्था पर धीमी प्रगति हेतु पेनाल्टी लगाये जाने की कार्यवाही के उपरान्त उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा तीव्र गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है, उक्त परियोजना मार्च, 2023 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

जनपद झांसी के उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के कार्यों में शिथिलता की जांच कराते हुए कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

91-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 में गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा झांसी महानगर में 46 वर्षों में मात्र तीन कॉलोनी विकसित की हैं, जिसमें तीसरी कॉलोनी का फेज 3 का कार्य वर्तमान में भी प्रगति पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के कार्य में शिथिलता की जांच कराकर झांसी के विकास हेतु कार्यों को पूर्ण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद में नंदनपुरा योजना, तालपुरा योजना तथा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, झांसी संचालित की जा रही है, जिसमें से नंदनपुरा योजना व तालपुरा योजना पूर्ण रूप से विकसित करते हुए नगर निकाय को दिनांक क्रमशः 27-01-1984 एवं 08-05-2012 को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

वर्तमान में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, झांसी का विकास कार्य प्रगति पर है। योजना का विकास विभिन्न चरणों में उ0प्र0 रेरा में पंजीकरण कराते हुए कार्य कराया जा रहा है। रेरा पंजीकरण में प्रस्तावित अवधि के अनुरूप योजना का विकास कार्य चरणबद्ध रूप में समयान्तर्गत कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़कों की मरम्मतीकरण हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

92-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम गोड़हरा बाजार से अहिरौली तक दूरी 04 किमी0 देवगांव बसही वाया खुम्हादेवरी लहुआ सड़क मार्ग 05 किमी0, ठेकमा से मुड़हर होते हुए उबारपुर तक लगभग 0.8 किमी0 लालगंज से लहुआ होते हुए कटौली बुजुर्ग तक मार्ग 05 किमी0 एवं भीरा-लालगंज के बीच से अवदह प्राइमरी स्कूल होते हुए हदिशा दयालपुर एवं रामपुर तक सम्पर्क मार्ग की पक्की सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो चुकी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने हेतु धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

बूढ़नपुर-दीदारगंज-मेहनाजपुर औड़िहार मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-124) के किमी0 75 से दायें गोड़हरा बाजार से होते हुए ग्राम अहिरौली तक जाती है यह मार्ग अन्य जिला मार्ग है, जिसकी लम्बाई 4.300 किमी0 है। उक्त मार्ग सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना में स्वीकृत है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

देवगांव बसही सलेमपुर वाया खुम्हादेवरी लहुआ मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 15.800 किमी0, जिसमें 10.800 किमी0 लम्बाई तक यातायात के लिए सुगम है। शेष 5.00 किमी0 लम्बाई का मार्ग वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना में स्वीकृत है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

आजमगढ़-सरायरानी-जौनपुर मार्ग के किमी0 36 के बायें तरफ स्थित ठेकमा से मुड़हर होते हुए उबारपुर तक जाती है। ठेकमा से मुड़हर तक मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग

है, जिसकी लम्बाई 4.00 किमी0 एवं चौड़ाई 3.75 मी0 है, जो सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना में स्वीकृत है, कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

लालगंज-लहुआ अन्य जिला मार्ग के किमी0 2 के दायें तरफ से निकलकर कटौली बुजुर्ग को जाती है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 2.700 किमी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

लालगंज-भीरा मार्ग के किमी0 7 के बायें तरफ से निकलकर अवदह प्राइमरी स्कूल होते हुए अवदह ग्राम को जाती है, जिसकी लम्बाई 1.00 किमी0 है। मार्ग निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है एवं दुलारगंज से हदिशा दयालपुर होते हुए रामपुर तक मार्ग की लम्बाई 5.760 किमी0 है। मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के अन्तर्गत सुजातगंज चंदारी मे निर्माणाधीन जलाशय का कार्य समय-सीमा तक पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

93-श्री मोहम्मद हसन रूमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के कानपुर कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुजातगंज चंदारी में निर्माणाधीन जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत 17 लाख लीटर क्षमता का जलाशय (पानी की टंकी) के कार्य 13 किलोमीटर में से अभी तक मात्र 3 किलोमीटर कार्य पूर्ण हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जलाशय का कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

कानपुर नगर के कानपुर कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुजातगंज चंदारी में निर्माणाधीन जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 12.67 किमी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 3.50 किमी0 वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है। अवशेष वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य अनुबन्धित फर्म मैसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है, जिसे दिनांक 15-06-2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

94-श्री अतुल प्रधान-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद शामली में बिजनेस योजना के अन्तर्गत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराये जाने विषयक

95-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत ट्रांसफार्मर की वोल्टेज क्षमता बढ़ाये जाने हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि हेतु चिन्हित किये हैं तथा कितने ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

परिवर्तक की क्षमता बढ़ाये जाने का कार्य बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत कराये जाने की व्यवस्था है।

जनपद शामली के अन्तर्गत 01-04-2022 से दिनांक 31-01-2023 तक बिजनेस प्लान योजना में 57 नग ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि हेतु चिन्हित किये गये हैं तथा 26 नग ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है तथा शेष बचे 31 नग ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के सोरांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मरखामऊ खास का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

96-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सोरांव की विकास खण्ड मऊआइमा मरखामऊ से नई बस्ती सम्पर्क मार्ग एक-एक फिट गड्ढों में तब्दील हो गई है ? उक्त मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव की विकास खण्ड मऊआइमा के अन्तर्गत मरखामऊ खास सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई 2.1 किमी0 है एवं चौड़ाई 3.75 मी0 है। वर्तमान में मार्ग को पैच मरम्मत से गड्ढामुक्त करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर की तहसील बढ़ापुर में स्थित वन क्षेत्र की भूमि पर फर्जी नामान्तरण और अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में

97-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की तहसील बढ़ापुर में स्थित वन क्षेत्र की हजारों बीघा भूमि पर कूट रचना कर भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से अपने नाम कराने या कब्जा करने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त भूमि के फर्जी नामान्तरण और अवैध कब्जे को हटाने में की गई कार्रवाई का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जनपद बिजनौर की तहसील बढ़ापुर में स्थित वन क्षेत्र की हजारों बीघा भूमि पर कूट रचना कर भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से अपने नाम कराने या कब्जा करने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में जांच करायी गई। जांच में यह पाया गया कि बढ़ापुर रेंज जनपद बिजनौर नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत है। नजीबाबाद वन प्रभाग की सभी रेंजों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् कुल 31974.125 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि अधिसूचित है और यह समस्त भूमि वन विभाग के कब्जे में है।

वन विभाग की 639.7779 हेक्टेयर वन भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को समय से बिजली बिल न मिलने और बढ़े बिल पर सरचार्ज वसूलने विषयक

98-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं से बिल भुगतान तिथि से कितने दिन बाद सरचार्ज वसूल किया जाता है तथा वसूल किए जाने वाले सरचार्ज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक है ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत तीन वित्तीय वर्षों में विद्युत उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि विद्युत बिल तथा कितनी धनराशि सरचार्ज के रूप में वसूल की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के प्राविधानानुसार विद्युत बिल की देय तिथि के बाद विलम्ब प्रभार (सरचार्ज) शुल्क की वसूली की कार्यवाही की जाती है। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों में वर्तमान टैरिफ के अनुसार सरचार्ज की

दर, बिल की मूल धनराशि पर प्रथम 03 माह के लिए 1.25 प्रतिशत तथा उसके उपरान्त 2 प्रतिशत प्रतिमाह है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों में विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली गई विद्युत बिल एवं सरचार्ज की धनराशि निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	वसूली गयी विद्युत बिल की धनराशि (रु0 करोड़ में)	वसूली गयी सरचार्ज की धनराशि (रु0 करोड़ में)	कुल धनराशि (रु0 करोड़ में)
2019-20,	45304.95	1114.43	46419.38
2020-21	48573.90	953.42	49527.32
2021-22	50375.28	905.89	51281.17
कुल-	**144254.13**	**2973.74**	**147227.87**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद, चन्दौसी, सम्भल में वानिकी प्रक्षेत्र सीमाओं के अनुसार सरकार द्वारा सीमा निर्धारण विषयक

99-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र बिलारी जिला मुरादाबाद एवं सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र चन्दौसी जिला सम्भल का क्षेत्र निर्धारण जनपद मुरादाबाद एवं सम्भल की सीमाओं के अनुसार सरकार निर्धारित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1099/81-1-2022-30(29)/2011, दिनांक 04-11-2022 द्वारा सम्भल वन प्रभाग की चन्दौसी रेंज द्वारा जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी की 38 ग्राम पंचायतों एवं सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद की बिलारी रेंज द्वारा जनपद सम्भल के विकास खण्ड बनियाखेड़ा के 28 ग्राम पंचायतों के देखे जा रहे कार्यक्षेत्रों को उपरोक्तानुसार क्रमशः जनपद मुरादाबाद एवं जनपद सम्भल को हस्तगत किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र की जानकारी व जनपद चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र को पक्के मार्गों द्वारा जोड़ने विषयक

100-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसी बसावटें जिनमे 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 250 से अधिक है, को पक्का मार्ग से जोड़ने हेतु अनजुडी बसावट योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि जनपद चित्रकूट को चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त योजना में कितनी बस्तियां आच्छादित हैं तथा उसमें से कितनी बस्तियां पक्के मार्ग से जुड़ी हैं एवं कितनी बस्तियों को जोड़ा जाना शेष है ? क्या सरकार शेष बस्तियों को पक्के मार्ग से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ

जनपद चित्रकूट में चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी की कुल 59 बसावटें है, जिनमे से 48 बसावटें पक्के मार्ग से संतृप्त हैं। अवशेष 11 बसावटों में से 9 बसावटों पर भूमि उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का कोई प्राविधान न होने के कारण उक्त बसावटों को संतृप्त किया जाना सम्भव नहीं है। शेष 2 बसावटों को जोड़े जाने हेतु दीर्घ सेतु की आवश्यकता है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर में सीसामऊ नाले की टैपिंग के कारण व भैराघाट सीवेज से पम्पिंग होने से सिविल लाईन्स क्षेत्र में सीवर ओवरफ्लो होने विषयक

101-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में सीसामऊ नाले की टैपिंग के कारण भैराघाट पम्पिंग से सीवेज पम्पिंग होने पर सिविल लाइन्स क्षेत्र में होने वाले सीवर ओवरफ्लो पर नियंत्रण की कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

कानपुर नगर में सीसामऊ एवं 05 अन्य नालों के प्रवाह के इण्टरसैप्शन एवं डायवर्जन की योजना की स्वीकृति एन0एम0सी0जी0, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03-10-2016 को प्रदान की गयी थी। योजना में प्रमुख कार्य एशिया का सबसे बड़ा नाला सीसामऊ एवं अन्य 5 नालों

(नामतः म्योर मिल नाला, नवाबगंज नाला, गुप्तार घाट नाला, परमिया नाला एवं डबका नाला) की टैपिंग एवं रिनोवेशन के कार्य/पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण कराये गये हैं। योजनान्तर्गत 7 नग टैपिंग, 3 नग एसपीएस स्वीकृत थे। योजना की स्वीकृत लागत रु0 63.80 करोड़ थी। उक्त योजना के पूर्ण होने के उपरान्त सीसामऊ नाले के 140 एमएलडी फ्लो सहित कुल 160 एमएलडी सीवेज को गंगा नदी में गिरने से रोका गया है। वर्तमान में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत पीपीपी मॉडल पर आधारित एच0ए0एम0(हैम) परियोजना के अन्तर्गत इस टैपिंग के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य अनुबन्धित फर्म मै0 के0आर0एम0पी0एल0 कानपुर के द्वारा किया जा रहा है। इसी परियोजनान्तर्गत वर्तमान में परमट पम्पिंग स्टेशन का नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि गणेश उद्यान, फूलबाग से अपस्ट्रीम साइड की सीवर लाइन के रिहैबिलिटेशन का कार्य अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जा रहा है, जो मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना है। इसके अतिरिक्त कानपुर नगर में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत परेड चौराहे से बड़ा चौराहा होते हुए फूलबाग तक पुरानी सीवर लाइनों को डायवर्ट किया जा रहा है।

उक्त निर्माणाधीन कार्यों के कारण यदा-कदा सीवेज प्रवाह बाधित होने के कारण ओवरफ्लो की स्थिति उत्पन्न होती है।

उक्त समस्त कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् समस्या का निदान हो जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में मन्दवाड़ा-जोला मुख्य मार्ग का नव निर्माण कराये जाने विषयक

102-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढाना में मन्दवाड़ा-जोला मुख्य मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम मन्दवाड़ा से मेरठ करनाल मार्ग होते हुए जौला तक की लम्बाई 2.900 किमी0 है, जिसमें मंदवाड़ा से मेरठ करनाल तक कच्चे भाग की लम्बाई 1.775 किमी0 है तथा मेरठ करनाल मार्ग से जौला तक लेपित मार्ग की लम्बाई 1.125 किमी0 है। ग्राम मंदवाड़ा 2.600 किमी0 लम्बाई के पक्के सम्पर्क मार्ग 'बुढाना शफीपुर पट्टी से मन्दवाड़ा मार्ग' से संतृप्त है तथा ग्राम जौला 'कैराना खतौली-मोरना (राज्य मार्ग सं0-116)' पर स्थित है। इस मार्ग को जोड़ने

हेतु कुल लम्बाई 1.775 किमी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम-बेहड़ा सादात से निजामपुर-कासमपुर, खोला-बिजनौर तक की सड़क मार्ग का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने विषयक

103-श्री चन्दन चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम बेहड़ा सादात से निजामपुर-कासमपुर खोला-बिजनौर तक की सड़क सँकरी और जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम बेहड़ा सादात से निजामपुर-कासमपुर, खोला-बिजनौर तक मार्ग की वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है जिस पर वर्तमान में कार्य प्रगति में है। प्रश्नगत मार्ग मुजफ्फरनगर-जौली, बेहड़ा सादात से मेरठ-पौडी मार्ग तक अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 35.00 किमी0 है। चै0 0.000 से 10.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण है, चै0 10.000 से 23.000 (बेहड़ा सादात) तक लम्बाई 13.000 किमी0 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है शेष लम्बाई चै0 23.000 (बेहड़ा सादात) से 35.000 तक, लम्बाई 12.000 किमी0 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में रूड़कली पंचायत की भुमियां से लेकर बड़ी नहर मार्ग व भट्टे के पुल से तिस्सा मार्ग तक विशेष मरम्मत कराये जाने विषयक

104-श्री चन्दन चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में जर्जर/क्षतिग्रस्त सड़कें जो कि रूड़कली पंचायत की भुमियां से लेकर बड़ी नहर तक मार्ग लम्बाई 03 किमी0 तथा भट्टे के पुल से तिस्सा वाले रास्ते तक मार्ग लम्बाई 01.3 किमी0 का विशेष मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग रूड़कली से कावंड नहर की पटरी मार्ग की कुल लम्बाई 3.00 किमी0 है, जिसमें से लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व 2.00 किमी0 का है। इस मार्ग के 0.800 किमी0 मार्ग की दशा संतोषजनक है तथा क्षतिग्रस्त मार्ग की लम्बाई 1.20 किमी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में भट्टे के पुल से तिस्सा वाले रास्ते तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.700 किमी0 है। प्रश्नगत मार्ग रूड़कली से तालाबली, जौली-बेहड़ा सादात को जोड़ता है, जिसमें से 0.700 किमी0 मार्ग की दशा संतोषजनक है एवं क्षतिग्रस्त मार्ग की लम्बाई 1.00 किमी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में कतिपय ग्रामों व मुहल्लों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

105-श्री चन्दन चौहान

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में ग्राम सभा-रूड़कली तालिक अली के मोहल्ला नई बस्ती में वर्तमान तक विद्युतीकरण नहीं होने से वहां के लोगों को अंधेरे में गुजर-बसर करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम की नई बस्ती में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद मुजफ्फरनगर विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम रूड़कली तालिक अली में मोहल्ला नई बस्ती का निर्माण वर्ष 2020 में हुआ है व उक्त ग्राम से मोहल्ला नई बस्ती की दूरी लगभग 400 मीटर है। बस्ती के पास एच0टी0 लाइन गुजर रही है। उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन के लिये आवेदन उपरान्त वांछित धनराशि जमा करने पर विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के कतिपय ग्राम के पास 35 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने विषयक

106-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में मुरली छपरा ब्लाक अन्तर्गत लालगंज के पास 35 के0वी0 का उपकेन्द्र लगाये जाने की सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में मुरली छपरा ब्लाक के अन्तर्गत लालगंज के पास उपकेन्द्र बनाये जाने का कार्य भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत कराये जाने की व्यवस्था है।

आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत ब्लाक दत्तहा गोपालपुर के पास 35 के0वी0 विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने विषयक

107-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत रेवती विकास खण्ड दत्तहा-गोपालपुर के पास 35 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत रेवती विकास खण्ड दत्तहा-गोपालपुर में 25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगा है, जिसका स्थलीय निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि परिवर्तक अधिभारित नहीं है। उक्त परिवर्तक से सामान्य रूप से विद्युत आपूर्ति हो रही है। विभाग द्वारा 35 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाया जाना प्राविधानित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में कतिपय मार्गों की सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक

108-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में मुबारकपुर-मुहम्मदाबाद मुख्य सम्पर्क मार्ग से ग्राम इब्राहिमपुर से मदनपुर तक के जर्जर सड़क का पुनः निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग मुहम्मदाबाद-मुबारकपुर मार्ग से मोहिउद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग का विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना अन्तर्गत लम्बाई

1.100 किमी0 एवं लागत रु0 13.34 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मार्ग के 1.000 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य कराया जा चुका है। मार्ग के आबादी भाग में 0.100 किमी0 लम्बाई में सी0सी0 मार्ग का कार्य प्रगति में है, जिसे मार्च 2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में शाहगढ़-मुबारकपुर रोड से सम्पर्क मार्ग नीबी बुजुर्ग तक की जर्जर सड़क को मरम्मत कराये जाने विषयक

109-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शाहगढ़-मुबारकपुर रोड से सम्पर्क मार्ग नीबी बुजुर्ग तक की जर्जर सड़क का मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग शाहगढ़-मुबारकपुर मार्ग से बम्हौर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2.000 किमी0 के मरम्मत का कार्य यूपीईडा द्वारा करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त मार्ग के आबादी भाग की विशेष मरम्मत के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारक पुर में कतिपय जर्जर मार्गों का नवीनीकरण कराने विषयक

110-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के गुजरपार पंच मुहानी से ग्राम अहिरौला तक के जर्जर सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

गुजरपार नैठी से मुस्तफाबाद-अहिरौला सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3.000 किमी0 की विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत लागत रु0 37.86 लाख की वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मार्ग की मरम्मत का कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजगगढ़ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को गड्ढामुक्त कराये जाने विषयक

111-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सठियांव-मुबारकपुर रोड पर शहीद नगर होते हुये एस्कामपुरा तक मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सराकर उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सठियांव-मुबारकपुर मार्ग से शहीद नगर सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 0.600 किमी0 है। मार्ग के चैनेज-0.000-0.300 तक भाग गड्ढामुक्त है एवं चैनेज 0.300-0.600 तक आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग निर्माण हेतु विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत लागत रु0 14.15 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कार्य प्रगति में है, जिसे 03/2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के कतिपय ग्रामों के मध्य हिंडन नदी पर क्षतिग्रस्त रपटा पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक

112-श्री उमर अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड सडोली कदीम के ग्राम रायपुर व ग्राम मिर्जापुर के मध्य नदी का रपटा पुल कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रपटा पुल का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम साइड में 7 किमी0 की दूरी पर दर व्यवस्था 4x17.50 मी0, कुल लम्बाई 70.00 मी0 एवं डाउनस्ट्रीम में 300 मी0 की दूरी पर दर व्यवस्था 3x22.00 मी0 कुल लम्बाई 70.88 मी0 का सेतु निर्मित है।

प्रश्नगत स्थल से अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 10 किमी0 से कम दूरी पर सेतु पूर्व से निर्मित होने के कारण नये सेतु का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के ग्राम बड़कला, विकास खण्ड सडोली कदीम, तहसील बेहट में श्री बड़केश्वर महादेव प्राचीन मंदिर व माता शाकुम्भरी देवी मंदिर के मार्ग क्षतिग्रस्त व जर्जर होने से उनके नव निर्माण कराये जाने सम्बन्धी

113-श्री उमर अली खान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ग्राम बड़कला, विकास खण्ड सडोली कदीम, तहसील बेहट में श्री बड़केश्वर महादेव जी का प्राचीन काल मंदिर है की दूरी माता शाकुम्भरी देवी से लगभग 3 या 4 किमी0 है, परन्तु मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण अन्य मार्ग द्वारा यह दूरी 10 या 12 किलोमीटर हो जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

सहारनपुर जनपद के अन्तर्गत शिवालिक वन प्रभाग की शाकुम्भरी रेंज के बड़कला वन ब्लाक, कक्ष संख्या-2 बी में आरक्षित वन भूमि एवं हाथी रिजर्व क्षेत्र में श्री बड़केश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। उक्त मंदिर खारा हरिद्धारी वन मोटर मार्ग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। वन मोटर मार्ग वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन हेतु प्रयोग किये जाते हैं। प्रश्नगत वन मोटर मार्ग का प्रयोग श्रद्धालुओं द्वारा भी उक्त प्राचीन मंदिर की पहुँच हेतु किया जाता है। बजट की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर उक्त वन मोटर मार्ग की मरम्मत की जाती है।

वन विभाग में अभी तक उक्त मार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव/योजना प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्राविधान लागू होते हैं, इसलिए उक्त मंदिर के पहुंच मार्ग के नव निर्माण हेतु नियमानुसार भारत सरकार/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रकरणों में किसी एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण का प्रस्ताव दिया जाता है, तो नियमानुसार भारत सरकार/ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति हेतु कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के कतिपय ग्रामों के मध्य हिंडन नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने विषयक

114-श्री उमर अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्राम कुरडी खेड़ा एवं ग्राम नवरंगपुर के मध्य हिंडन नदी के पुल का नव निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम साइड में 5 किमी0 की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला होने के कारण कोई सेतु नहीं है एवं डाउनस्ट्रीम में 15 किमी0 की दूरी पर दर व्यवस्था 5x22.00 मी0 लम्बाई 118.84 मी0 का सेतु निर्मित है। प्रश्नगत स्थल पर सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के ग्राम संसारपुर में डमोला नदी के पुल का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

115-श्री उमर अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के ग्राम संसारपुर में डमोला नदी के पुल का चौड़ीकरण सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत पुल फतेहपुर मुजफ्फराबाद कलसिया मार्ग (प्र0जि0मा0) के किमी0 43 में स्थित है, जिसकी चौडाई 5.00 मीटर है। उक्त पुल के दोनों ओर 7.00 मीटर चौडाई में लेपित मार्ग है। पुल का चौड़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सडोली कदीम के कतिपय ग्रामों को जोड़ने हेतु नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

116-श्री उमर अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सडोली कदीम में ग्राम मोहम्मद शफीपुर से ग्राम रोशनपुर पेलो के बीच में नदी पर पुल न होने के कारण आम-जन को आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पुल का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम साइड में 3 किमी0 की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला होने के कारण कोई सेतु नहीं है एवं डाउनस्ट्रीम में 5 किमी0 की दूरी पर दर व्यवस्था 4x17.50 मी0 लम्बाई 70.00 मी0 का सेतु निर्मित है।

प्रश्नगत स्थल से डाउनस्ट्रीम में 10 किमी0 से कम दूरी पर सेतु पूर्व से निर्मित होने के कारण नये सेतु का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख-7 नं0-019531, दिनांक 07-07-2022 पर कार्यवाही किये जाने विषयक

117-श्री मोहन वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में 250 मैट्रिक टन क्षमता के दो गोदाम रामपुर सोहरौना व भैसही बाजार में निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-7 नं0-019531, दिनांक 07-07-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर-

जी हां।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग के मानकों के अनुसार 250 मै0 टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु दोनों समितियों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, अतः निर्माण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत फिरोजाबाद नगर में इण्डस्ट्रियल एरिया में कतिपय स्थान पर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण सम्बन्धी

118-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत फिरोजाबाद नगर में इण्डस्ट्रियल एरिया (भाऊ का नगला) से राजा का ताल क्षेत्र में संचालित/नवीन औद्योगिक इकाइयों हेतु नवीन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-6 नं0-589816, दिनांक 07-05-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

भविष्य में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की सम्भावना के दृष्टिगत भाऊ के नगला एवं राजा का ताल के मध्य ढोलपुरा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित रिवैम्ड योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र (बम्बा रोड इण्डस्ट्रियल एरिया ढोलपुरा) प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति होने एवं धन की उलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर सीकरी के राजवाह से हंसपुरा ग्राम तक सड़क का कार्य मानकों के अनुसार न होने तथा शिकायतकर्ता के कतिपय पत्र संख्या पर कार्यवाही किये जाने विषयक

119-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-362 /वि0फ0/फा0जू0/2022, दिनांक 14-06-2022 एवं 1051/वि0फ0/फा0अ0/2022, दिनांक 31-10-2022 जो फतेहपुर सीकरी राजवाह से हंसपुरा ग्राम तक लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़क का कार्य मानकों के अनुसार न कराने की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम जाजऊ में अटल आवासीय विद्यालय का कार्य प्रगति में है। माननीय विधायक जी द्वारा अपने पत्रों में श्री पी0के0 शरद, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा द्वारा अटल आवास, आगरा के निर्माण के समय मानकों के अनुसार कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है। श्री पी0के0 शरद, अधिशासी अभियन्ता इस कार्य पर माह जुलाई, 2021 से माह अप्रैल, 2022 तक कार्यरत थे। अटल आवासीय विद्यालय, आगरा के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के नियन्त्रण हेतु मे0 आरकोप एसोशिएट्स, नई दिल्ली नाम की परामर्शी एजेन्सी लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा नियुक्त है, जिसके द्वारा कार्यस्थल पर कार्य को मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार करने हेतु नियमित रूप से परीक्षण कराये जाते हैं। मण्डलायुक्त, आगरा द्वारा भी इस कार्य की गुणवत्ता व प्रगति हेतु जांच कमेटी गठित की गयी है, जो प्रत्येक माह कार्यस्थल पर जाकर कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भी गुणवत्ता हेतु समय-समय पर जांच की जाती है। कार्यस्थल पर किये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में कतिपय ग्रामों में विद्युत सप्लाई हेतु विद्युत तार लगवाने विषयक

120-श्री पंकज पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के विकास खण्ड सुजानगंज स्थित ग्राम चौबेपुर, छिमिया दहेव, लखीपुर, पहाड़ पट्टी एवं तिलंगापुर में विद्युत कनेक्शन हेतु खम्भे तीन वर्ष पूर्व स्थापित करने के उपरान्त भी

वर्तमान तक विद्युत सप्लाई हेतु विद्युत तार नहीं लगाये जाने से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर विलम्ब हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्युत पोलों पर तार लगवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

सौभाग्य योजना के मानक अनुसार पाँच कनेक्शन प्राप्त होने पर एक पोल की लाइन बनाने का निर्देश था। मजरे छिमिया दहेव बफेपुर (लखीपुर), पहाड़ पट्टी एवं तिलंगापुर से सौभाग्य योजना के अन्तर्गत वांछित संख्या में कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त न होने के कारण सौभाग्य योजना के तहत् विद्युतीकरण नहीं कराया गया, जबकि कार्यदायी संस्था ने पोल गाड़ दिये थे, परन्तु कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त न होने के कारण गाड़े गये पोलों का कोई भुगतान कार्यदायी संस्था को नहीं किया गया। प्रकरण में वर्तमान में विद्युतीकरण हेतु रु0 20.80 लाख का प्राक्कलन बना लिया गया है तथा वित्तीय पोषण हेतु व्यवस्था होने पर कार्य कराना सम्भव है। प्रकरण में जांच करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के कतिपय स्थलों के मेन रोड पर स्थापित होने से वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाने विषयक

121-श्री पंकज पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के मछलीशहर से सुजानगंज मेन रोड पर स्थापित प्राइमरी पाठशाला मटरी मथुरापुर, हरनिया थलोई, थलोई बाजार, मुस्तफाबाद बाजार, बराई सुजानगंज, बृजराजी भोलानाथ इण्टर कालेज तथा आई0एन0एस0 पब्लिक स्कूल मटरी के सामने स्पीड ब्रेकर न होने से स्कूली बच्चों के सड़क क्रास करने तथा विद्यालय होने के कारण बच्चों के जीवन को खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग सुजानगंज-मछलीशहर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्तमान में निर्माणाधीन है। उक्त मार्ग पर पड़ने वाले विद्यालयों के सामने आवश्यकतानुसार रम्बल स्ट्रीप एवं काशन बोर्ड का कार्य किया जाना है, जिसे मई, 2023 तक कराया जाना लक्षित है।

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाये जाने विषयक

122-श्री पंकज पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मछलीशहर, मछलीशहर देहात, मछलीशहर तहसील, गोपालपुर, जंघई, पवार तथा सतहरिया पर स्थापित परिवर्तक अतिभारित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपकेन्द्रों पर स्थापित परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मछलीशहर वर्तमान में अतिभारित है। इसके अतिरिक्त मछलीशहर देहात, मछलीशहर तहसील, गोपालपुर, जंघई, पवार तथा सतहरिया उपकेन्द्र वर्तमान में अतिभारित नहीं हैं। बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराये जाने की व्यवस्था है। आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में मजरों के डामरीकरण कराये जाने की जानकारी सम्बन्धी

123-श्री पंकज पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपन जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में कितने मजरे वर्तमान में डामरीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित मजरे का डामरीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के कुल मजरों की संख्या 641 है, जिसमें से 532 मजरे सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। 40 मजरों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृति निर्गत हो चुकी है, जिन पर कार्य प्रगति पर है। 69 मजरे सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, जिनमें से 01 मजरे को जोड़ने हेतु नाबार्ड योजना के अन्तर्गत एवं 16 मजरों को जोड़ने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 500 मी0 से 1000 मी0 लम्बाई के 29 मजरे एवं 500 मी0 से कम लम्बाई के 23 मजरे जोड़े जाने हेतु अवशेष हैं, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर अतिभारित विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि कराये जाने विषयक

124-श्री पंकज पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मुंगराबादशाहपुर, तरहटी, सुजानगंज, करतोरा पर स्थापित परिवर्तक अतिभारित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिभारित परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मुंगराबादशाहपुर, तरहटी, सुजानगंज, करतोरा पर स्थापित परिवर्तक वर्तमान में अतिभारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के एन-7/48 एच-3बी कतिपय मकानों के सामने दबंगों द्वारा मार्ग पर अतिक्रमण को हटाते हुए मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

125-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के एन-7/48एच-3बी छोटी भिखारीपुर पटेल नगर में अनिल गुप्ता, विजय शंकर गुप्ता एवं शिशिर खरे के मकानों के सामने भू-माफियाओं द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवरोध को हटाते हुए मार्ग का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल की जांच नायब तहसीलदार, नगर निगम, वाराणसी द्वारा की गयी। मौके पर रास्ते के लिये प्रस्तावित स्थल अराजी संख्या-217, स्थित मौजा भिखारीपुर कला, परगना (देहात अमानत), तहसील सदर, वाराणसी के अंश भाग पर स्थित है। राजस्व अभिलेख एवं भू-चित्र में रास्ते का अंकन नहीं है। राजस्व अभिलेख खतौनी फ0सं0-1428-1433 में श्रेणी-1 (क), संक्रमणीय भूमिधरों रामलखन/बालकरन, निवासी ग्राम वगैरह के नाम से अंकित है।

विपक्षी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर रास्ते के निर्माण हेतु भूमि देने से इन्कार किया जा रहा है, जबकि भवन स्वामी प्रश्नगत स्थल से आते-जाते रहे हैं, परन्तु भवन स्वामियों द्वारा रास्ते की भूमि होने का कोई सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तावित भूमि संक्रमणीय भूमिधरों की भूमि है। इस स्थिति में आपसी सहमति के आधार पर रास्ता का निर्माण कराया जा सकता है या सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रकरण दीवानी प्रकृति का होने के कारण नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका मंझनपुर के सिराथू तहसील क्षेत्र में आवास विकास की योजना पर लोन पर विचार करने सम्बन्धी

126-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका, मंझनपुर के सिराथू तहसील क्षेत्र में आवास विकास की कोई योजना पर लोन पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आवासीय योजनाएं किसी क्षेत्र विशेष के लिये नहीं बनायी जाती हैं, वरन् सम्पूर्ण प्रदेश के लिये समग्रता के आधार पर योजनायें बनायी जाती हैं। इसी क्रम में प्रश्न में इंगित नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर में भी पात्र लाभार्थी आवासीय व्यवस्था से पोषित हो रहे हैं।

निकाय सीमान्तर्गत मोहल्ला गांधीनगर एवं समदा में मा0 कांशीराम आवास योजना के अन्तर्गत 1000 आवास पूर्व से ही निर्मित एवं आवंटित हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भी नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर, कौशाम्बी में 1703 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास बनाने हेतु चयनित कर प्रथम किस्त की धनराशि लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र सं0-038/022 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ तथा कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में गुणवत्ता मानक कार्य न होने से जाँच कराये जाने विषयक

127-श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या-038/022, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित है तथा विधान सभा क्षेत्र

हरचन्दपुर जनपद रायबरेली के अन्तर्गत एक सम्पर्क मार्ग रायबरेली-लालगंज मार्ग से वाया ढकिया चौराहा हरचन्दपुर-महाराजगंज रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण के कार्य में कार्यदायी संस्था जीत कन्स्ट्रक्शन द्वारा अधोमानक सामग्री तथा गुणवत्ता विहीन कार्य की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच हेतु शासन के पत्र दिनांक 13-06-2022, 23-06-2022, 05-07-2022 व 16-11-2022 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को निर्देशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, परिवाद 'क' वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 26-12-2022 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रकरण की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नामित किया गया है। वर्तमान में जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र के नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत संचालित राइस मिल को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक फीडर सरकार द्वारा लगवाये जाने विषयक

128-डा0 एम0 पी0 आर्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र के नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत संचालित राइस मिल को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक फीडर लगाये जाने की सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र नबावगंज क्षेत्रान्तर्गत संचालित राइस मिलों के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार 33/11 के0वी0 टाउन फीडर नवाबगंज तहसील उपकेन्द्र से निर्गत 11 के0वी0 टाउन 01 फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

ऐसे पोषक जिन पर औद्योगिक संयोजित भार उस पोषक के कुल संयोजित भार का 50% से अधिक है, उस फीडर को औद्योगिक फीडर घोषित कर 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था विद्यमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र महलीशहर के अन्तर्गत आने वाले मार्ग को सरकार द्वारा एन0एच0 मार्ग से जोड़ने हेतु चिन्हित किये गये मार्ग सम्बन्धी

129-डॉ0 रागिनी-

लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत किन-किन मार्गों को एन0एच0 के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 2 राष्ट्रीय मार्ग (रा0मा0 सं0-731बी एवं रा0मा0 सं0-31) अवस्थित है। नव घोषित राष्ट्रीय मार्ग संख्या-731बी (मछलीशहर-जंघई-दुर्गागंज-भदोही-कपसेठी-वाराणसी मार्ग) का मछलीशहर-जंघई मार्ग भाग विधान सभा मछलीशहर के अन्तर्गत आता है। राष्ट्रीय मार्ग सं0-31 (रायबरेली-प्रतापगढ़-मछलीशहर-जौनपुर) विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर से होकर गुजरता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी अन्तर्गत कतिपय स्थानों को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक

130-श्री हृदय नारायण पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी अन्तर्ग रौनापार से चांदपट्टी होते हुए बिलरियागंज आजमगढ़ को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

आजमगढ़-बिलरियागंज-रौनापार मार्ग की कुल लम्बाई 26.00 किमी0 है। उक्त मार्ग के चैनेज 0.000 से 12.870 तक (लम्बाई 12.870 किमी0) 7.00 मीटर चौड़ाई में निर्मित है, जिसकी दशा संतोषजनक है। मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद अयोध्या में विकास खण्ड अमानीगंज से आगे जाकर बहादुरगंज चौराहे तक की सड़क को गड्ढामुक्त कराये जाने विषयक

131-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या में स्थित विकास खण्ड अमानीगंज में अमानीगंज बाजार से थाना खण्डासा से होकर अमानीगंज ब्लाक को जाकर बहादुरगंज चौराहे तक मार्ग लम्बाई लगभग 12 किमी0 में बड़े-बड़े गड्ढे होने से क्षेत्रवासियों को

आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

अमानीगंज खण्डासा से बीसा का पुरवा हलियापुर अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 17.00 किमी0 व चौड़ाई 3.75 मी0 है। मार्ग के गड्ढे भरकर उसे पैचलेस कर दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है। अमानीगंज खण्डासा से बीसा का पुरवा हलियापुर अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत लम्बाई 12.48 किमी0 एवं लागत रु0 220.69 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त मार्ग के मरम्मत का कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इस मार्ग पर खण्डासा बाजार से अमानीगंज ब्लाक जाने वाला मार्ग तथा अमानीगंज ब्लाक से बहादुरगंज चौराहे तक का मार्ग पैचलेस है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर की अधिकांश सड़कें जर्जर होने के कारण सरकार द्वारा नव निर्माण कराये जाने विषयक

132-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की अधिकांश सड़कें जर्जर एवं टूटी होने से जनता को आने-जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों को चिन्हित कर उसका नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर की सीमान्तर्गत अमृत योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाये जाने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को जल निगम, बुलन्दशहर द्वारा रेस्टोरेशन का कार्य कराया गया है।

नगर क्षेत्र में नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2021 से वर्ष 2022 तक 17 मुख्य मार्गों के नवीनीकरण (लम्बाई-10.740 मीटर) का कार्य एवं 29 गलियों/रास्तों/पुलिया/इण्टरलॉकिंग (लम्बाई-5.350 मीटर) के निर्माण कार्य कराये गये हैं। निकाय के अधीन शेष क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य 15वें वित्त आयोग की धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के टिकैतराय तालाब कालोनी फेज-1 एल0डी0ए0 कालोनी, राजाजीपुरम क्षेत्र में मकानों से गुजर रही हाईवोल्टेज तार लाइन हटायने जाने विषयक

133-श्री अरमान खान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के टिकैतराय तालाब कालोनी फेज-1, एल0डी0ए0 कालोनी, राजाजीपुरम की आवासीय कालोनी में मकानों से सटकर छूती हुई हाईवोल्टेज एच0टी0 लाइन (11000) के तार गुजर रहे हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है तथा आदर्श नगर बरौरा मल्लपुर में दर्जनों मकानों के 150 मी0 बल्लियों के माध्यम से विद्युत कनेक्शन चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार टिकैतराय तालाब एलडीए कालोनी में घरों से सटकर गुजर रही लाइन को सिफ्ट करने व बरौरा मल्लपुर में विद्युत पोल लगाकर ए0बी0सी0 केबिल लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-लखनऊ एल0डी0ए0 कालोनी फेज-1, एल0डी0ए0 कालोनी राजाजीपुरम, टिकैतराय तालाब लखनऊ से गुजर रही 11 के0वी0 एल0डी0ए0-1 पोषक की ओवरहेड लाइन अपट्रान उपकेन्द्र से सम्बन्धित है। सन्दर्भित 11 के0वी0 पोषक का निर्माण कई वर्षों पूर्व हुआ है, जिसके उपरान्त घरों का निर्माण कराया गया है। आदर्श नगर बरौरा मल्लपुर में एल0टी0 लाइन के सुद्धीकरण का कार्य रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव है।

उक्त लाइन को शिफ्ट कराने हेतु पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने तथा प्राक्कलित धनराशि जमा होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव है एवं आदर्श नगर, बरोरा, मल्लपुर में एल0टी0 लाइन को सही करने का कार्य रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर तथा शामली में कतिपय स्थानों पर प्रदूषण जाँच कराये जाने विषयक

134-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फनगर तथा शामली में स्थित चीनी तथा पेपर मिल द्वारा उत्सर्जित वायु तथा जल में प्रदूषण स्तर का समयबद्ध निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार मुजफ्फरनगर, शामली तथा खतौली चीनी मिलों में प्रदूषण स्तर की जांच कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हां।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली के अन्तर्गत कुल 11 शुगर उद्योग एवं 35 पेपर उद्योग स्थापित हैं। उक्त सभी उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के परिचालकों के नियमित आनलाइन अनुश्रवण हेतु आनलाइन कॉन्टिन्युअस एफ्लुएन्ट मानिटरिंग सिस्टम एवं गैसीय उर्त्सजन की सतत् मॉनिटरिंग हेतु आनलाईन कान्टीन्यूअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित हैं, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के सर्वर से संयोजित है। प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु उक्त उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण/अनुश्रवण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में 02 शुगर एवं 35 पेपर उद्योग के निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के दृष्टिगत उक्त उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन न पाये जाने पर कुल रुपये 106.62 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की नगर पंचायत में फलावदा आय-व्यय/आडिट रिपोर्ट सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने विषयक

135-श्री अतुल प्रधान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की नगर पंचायत फलावदा की वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक आय-व्यय का विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अवधि में किन वर्षों में आडिट हुआ ? क्या सरकार उक्त आडिट रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद मेरठ की नगर पंचायत फलावदा की वित्तीय वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक का आय-व्यय विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	वर्ष में कुल आय (प्रारम्भिक अवशेष सहित)	वर्ष में व्यय
1	2017-18	7,11,24,499.00	3,95,15,644.13
2	2018-19	8,49,71,299.29	5,74,34,038.62
3	2019-20	9,43,03,320.07	5,98,69,153.50
4	2020-21	9,78,57,547.29	6,39,14,772.16

उक्त अवधि में निकाय के ऑडिट का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	सम्परीक्षण तिथि
2017-18	12-09-2018 से प्रारम्भ 05-11-2018 को समाप्त
2018-19	03-06-2019 से प्रारम्भ 12-06-2019 को समाप्त
2019-20	16-10-2020 से प्रारम्भ 30-10-2020 को समाप्त
2020-21	18-06-2021 से प्रारम्भ 30-11-2021 को समाप्त

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की अपेक्षा ग्रामीण उपभोक्ताओं में प्रति यूनिट बिजली दर का अन्तर बताये जाने विषयक

136-श्री महबूब अली-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों मे घरेलू उपभोक्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले विद्युत मूल्य की दर प्रति यूनिट कितना अधिक है तथा उक्त के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश वितीय वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण घरेलू मीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत दरों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :-

खपत	ग्रामीण		शहरी	
	फिक्स्ड चार्ज	इनर्जी चार्ज	फिक्स्ड चार्ज	इनर्जी चार्ज
प्रथम 100 यूनिट/माह तक	रु0 90/- कि0वा0/	रु0 3.35 प्रति यूनिट	110/कि0वा0	रु0 05.50 प्रति यूनिट
101 से 150 यूनिट/माह तक		रु0 3.85 प्रति यूनिट		रु0 5.50 प्रति यूनिट
151 से 300 यूनिट/माह तक		06.00 प्रति यूनिट		रु06.00 प्रति यूनिट
300 यूनिट/माह से अधिक		रु0 5.50 प्रति यूनिट		रु0 6.50 प्रति यूनिट

मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-61, 62, 64 एवं 86 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन विभिन्न उपभोक्ता वर्गों हेतु लागू दर का निर्धारण विभिन्न उपभोक्ता/उपभोक्ता संगठनों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स से आपत्तियाँ/सुझाव लेकर व्यापक जन-सुनवाई तथा उपभोक्ता के लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, निर्दिष्ट समय में ऊर्जा खपत अथवा भौगोलिक स्थिति, प्रदाय की प्रवृत्ति, प्रयोजन एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी हेतु अनुमन्य सहायिकी का संज्ञान लेते हुए किया जाता है। जिस कारण से विभिन्न उपभोक्ता वर्गों की दरों में अन्तर हो सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत 5 वर्षों में कुल पुलों के निर्माण की जानकारी तथा कतिपय क्षेत्रों में निर्माण बन्द/निर्माण धनराशि खर्च किये जाने की जानकारी विषयक

137-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत विगत 5 वर्षों से दिनांक 27-12-2022 तक कितने पुलों का निर्माण कार्य हो चुका है व कितने शेष हैं तथा उक्त पुलों का निर्माण किस कार्यदायी संस्था के द्वारा कितनी-कितनी धनराशि से कराया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ की विकास खण्ड पल्हना के ग्राम खुरसू खाडा एवं खुसनामपुर में नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य बन्द किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत विगत 5 वर्षों से दिनांक 27-12-2022 तक किसी पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। वर्तमान में 03 पुलों का निमार्ण कार्य प्रगति पर है। उक्त 03 पुलों का निर्माण कार्य निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा कराया जा रहा है। निर्माणाधीन 03 पुलों का विवरण एवं स्वीकृत धनराशि निम्नानुसार है :-

क्र0-सं0	कार्य का विवरण	धनराशि (लाख में)
1	जनपद आजमगढ़ में खुसनामपुर एवं नई बस्ती के बीच गांगी नदी पर 3X10 मी0 लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	590.93
2	जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा सिसरेडी एवं भैंसकुर के बीच बेसों नदी पर 3×10 मी0 लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	390.56

क्र0-सं0	कार्य का विवरण	धनराशि (लाख में)
3	जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा खूरसु एवं रामपुर बढ़ौना के बीच बेसों नदी पर 3×10 मी0 लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	374.13

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं।

खुरसू खाडा पुल पर निर्माण कार्य तथा खुशनामपुर पुल पर भूमि अध्याप्ति का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-वाराणसी सड़क मार्ग को गड्ढामुक्त कराये जाने विषयक

138-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-वाराणसी सड़क मार्ग से श्री रामगंज बाजार होते हुए सतपुरवां, इमिलिया, धन्नीपुर बार्डर तक की पक्की सड़क लम्बाई 05 किमी0 गड्ढायुक्त व जर्जर होने के कारण आवागमन में कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग के किमी0-236 से बायें तरफ निकलकर श्रीरामगंज बाजार होते हुए सतपुरवा, इमलिया, धन्नीपुर बार्डर तक जाती है, जिसकी कुल लम्बाई 7.040 किमी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग की लम्बाई 1.740 किमी0 का पुनः निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा शेष लम्बाई 5.300 किमी0 का विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना में स्वीकृत है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में सड़क निर्माण सम्बन्धी उक्त पत्र संख्या- का-6- नं0 605772/22-5-2024 पर कार्यवाही कराये जाने विषयक

139-श्री मोहन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 नं0 605172, दिनांक 22-05-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत 14 मार्गों में से 01 मार्ग लेहनी से कुस्महा तक पिच रोड का नव निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, कुशीनगर द्वारा प्रगति पर है। अवशेष 13 नव निर्माण हेतु प्रस्तावित मार्गों पर पड़ने वाली समस्त बसावटें लेपित सम्पर्क मार्ग से पूर्व से ही संतृप्त हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के नगर पालिका कर्वी में ट्रैफिक जाम समस्या से निजात पाने हेतु खोह से देवांगना बाईपास तथा खोह से भरतकूप तक लिंक रोड बनाये जाने विषयक

140-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के नगर पालिका कर्वी में ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु खोह से देवांगना बाईपास मार्ग तथा खोह से भरतकूप लिंक रोड निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद चित्रकूट में ग्राम खोह से देवांगना घाटी तक वर्तमान में लेपित मार्ग है, जिसमें खोह से पटेल तिराहा कर्वी तक लम्बाई 5.00 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-35 का भाग है, जिसकी लेपित चौड़ाई 10.00 मी0 है तथा पटेल तिराहा कर्वी से देवांगना घाटी तक लम्बाई 6.50 किमी0 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है एवं लेपित चौड़ाई 7.00 मी0 है। मार्ग के आबादी भाग में पटरियों पर अस्थाई अतिक्रमण के कारण यदा-कदा जाम की स्थिति हो जाती है। समय-समय पर जिला प्रशासन के सहयोग से अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाता है। सामान्यतः स्थाई जाम की समस्या नहीं है। ग्राम खोह एवं भरतकूप राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-35 द्वारा पक्के मार्ग से जुड़े हुए हैं। प्रश्नगत खोह से भरतकूप लिंक रोड निर्माण डबल कनेक्टिविटी से सम्बन्धित है। वर्तमान में डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज जाजापुर में बाँस के खम्भों की जगह सीमेण्टेड पोल लगवाये जाने विषयक

141-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज जाजापुर में बांस के पोल पर विद्युत तार लगा कर आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बांस के पोल की जगह विद्युत आपूर्ति हेतु सीमेंटेड पोल लगाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा -

प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज जाजापुर एच0वी0डी0एस0 के अन्तर्गत विद्युतीकृत है।

सौभाग्य योजना में सर्वे के उपरान्त नई आबादी बसने अथवा नये मजरे बनने के कारण इच्छुक लोगों को विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु आवश्यक विद्युत तंत्र की स्थापना आगामी किसी वित्त पोषित योजना के प्रारम्भ होने पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों को गड्ढामुक्त करने एवं रख-रखाव विषयक

142-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों के रख-रखाव व गड्ढामुक्ति हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रदेश में वर्ष 2022-23 में दिनांक 14-02-2023 तक गड्ढामुक्ति के लिए रु0 504 करोड़ की धनराशि जनपदों को आवंटित की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर में सीवर लाइन की खुदाई के उपरान्त सड़कों का मरम्मतीकरण न किये जाने सम्बन्धी व कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

143-श्री पल्टूराम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के नगर पालिका क्षेत्र बलरामपुर में एमएसडीपी योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन का कार्य जल निगम द्वारा

कराया जा रहा है जिससे अधिकांश मुहल्लों में खुदाई करके सीवर लाइन डाला गया है, परन्तु सड़क/सम्पर्क मार्गों को ठीक नहीं किया गया जिसके कारण दुर्घटनायें हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों को अधूरा कराने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बलरामपुर में सीवरेज सिस्टम एवं एस0टी0पी0 निर्माण (फेज-1) का कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में जिन-जिन स्थानों पर सीवर लाइन बिछाने हेतु रोड कटिंग का कार्य किया गया था, उन समस्त स्थानों पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कराते हुए सड़क पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम द्वारा लम्बित ट्रांसफार्मर को स्वीकृति दिये जाने विषयक

144-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कितने गांवों के ट्रांसफार्मस की क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के यहां 20 दिसम्बर, 2022 तक लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त लम्बित ट्रांसफार्मस को स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के गांवों में परिवर्तक की क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ के यहां लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत गांवों में विद्युतीकरण तय समय-सीमा में कराये जाने विषयक

145-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य में ऐसे कितने गांव/परिवार हैं जहां

केवल विद्युत पोल अथवा मीटर लगा दिया गया है और कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार उक्त गांवों/परिवारों का विद्युतीकरण का कार्य समय-सीमा निर्धारित कर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य दिनांक 31-12-2021 तक पूर्ण करा लिये गये थे।

वर्तमान में अवशेष कार्य पूर्ण करने के लिए आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 5 वर्षों में 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली गई धनराशि में से नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों व अन्य विभागों में दिये जाने विषयक

146-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से कितनी धनराशि वसूली गई है ? क्या सरकार उक्त धनराशि में से नगर निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं अन्य विभागों को दी गई धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

जी हाँ।

विगत 05 वर्षों में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से वसूली गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क
2017-18	रु0 1724,73,00,846.00
2018-19	रु0 2009,55,06,094.00
2019-20	रु0 2135,48,34,655.00
2020-21	रु0 2214,09,10,403.00
2021-22	रु0 2770,85,13,424.00
योग-	**रु0 10854,70,65,422.00**

(रुपये दस हजार आठ सौ चौवन करोड़ सत्तर लाख पैसठ हजार चार सौ बाईस मात्र)

02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से वसूली गयी धनराशि का वितरण एवं उपयोग शासनादेश संख्या-क0नि-5-1149/11-2013-312(268)/2001, दिनांक 13-09-2013 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया में गंगा पर बने पुल के निर्माण में किये गये घोटाले की जानकारी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

147-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में गंगा पर बने पुल के निर्माण में संशोधित एस्टीमेट के नाम पर वर्ष 2019 में किए गए 18 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो क्या उक्त घोटाले में की गई कार्रवाई तथा प्रकरण से सम्बन्धित प्रमुख तथ्य को सरकार सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश-

विषयगत प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाने के उपरान्त विद्युत वसूली हार्सपावर के बजाय पूर्व की भाँति किलोवाट में लिए जाने विषयक

148-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाने के उपरान्त विद्युत बिल की वसूली पूर्व की भांति हार्स पावर के बजाय किलो वाट के अनुसार से मीटर की लागत किए जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत वसूली पूर्व की भांति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

किसानों के नलकूपों के संयोजनों पर यद्यपि मीटर लगाये जा रहे हैं, परन्तु मीटर का उपयोग केवल विद्युत खपत की गणना हेतु किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में निजी नलकूप धारक किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश सरकार द्वारा निजी नलकूपों हेतु रु0 7097 करोड़ की शासकीय सहायिकी का प्राविधान किया गया है। निजी नलकूप संयोजन हेतु विद्युत बिल की दर बिना सब्सिडी के रु0 720 प्रति हार्स पावर प्रतिमाह के सापेक्ष वर्तमान में विद्युत दर रु0 85 प्रति हार्स पावर प्रतिमाह रखी गयी है अर्थात निजी नलकूप के कृषकों को विद्युत बिलों में 88.19 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

वसूली पूर्व की भांति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक नगरों में वायु प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित कराने और उनकी माप प्रतिदिन प्रकाशित कराये जाने विषयक

149-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में वायु प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक नगर में वायु प्रदूषण मापक यंत्र स्थापित करने और उनकी माप प्रतिदिन प्रकाशित करने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न नगरों (नान अटेन्मेन्ट एवं अन्य प्रमुख नगरों) में परिवेशीय वायुगुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है। उक्त के अन्तर्गत परिवेशीय वायुगुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 20 नगरों (नान अटेन्मेन्ट एवं अन्य प्रमुख नगरों) में कुल 49 नग सतत् परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उक्त सभी अनुश्रवण केन्द्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के सर्वर से कनेक्टेड हैं, जिसके माध्यम से वायुगुणता के आंकड़ें सतत् रूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली को प्राप्त हो रहे हैं। इन केन्द्रों से प्राप्त हो रहे वायुगुणता के आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा सम्बन्धित नगरों की वायुगुणता की प्रतिदिन की जानकारी एयर क्वालिटी इन्डेक्स प्रकाशित की जाती है।

उ0प्र0 के प्रत्येक नगर में वायु की परिवेशीय गुणता का सतत् आकलन कर उसके आंकड़े प्रतिदिन प्रकाशित करने की कोई योजना नहीं है।

उ0प्र0 राज्य के प्रत्येक नगर में सतत् परिवेशीय गुणता केन्द्र स्थापित किये जाने के वर्तमान में कोई निर्देश केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नहीं दिये गये हैं।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में बकाया गन्ने की भुगतान राशि और शेष राशि का भुगतान कराये जाने विषयक

150-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में गन्ना किसानों के कितने बकाया धनराशि का भुगतान किया गया है तथा कितना बकाया भुगतान अवशेष है? क्या सरकार गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करेगी? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में गन्ना मूल्य की देयता, पेराई सत्रवार आगणित की जाती है। दिनांक 13-02-2023 की सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2019-20 के अन्तर्गत कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,898.85 करोड़ के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान कराया जा चुका है। पेराई सत्र 2020-21 में कुल देय गन्ना मूल्य रु0 33,014.44 करोड़ के सापेक्ष रु0 33,005.52 करोड़

का भुगतान कराया गया है तथा रु0 8.92 करोड़ भुगतान हेतु शेष है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2021-22 में कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,201.34 करोड़ के सापेक्ष रु0 34,565.77 करोड़ का भुगतान कराया गया है तथा रु0 635.57 करोड़ भुगतान हेतु शेष है।

पेराई सत्र 2020-21 में उक्त अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु सम्बन्धित चीनी मिल गड़ौरा (महराजगंज) के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 25-02-2022,14-09-2022 एवं 20-10-2022 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं। इसी क्रम में चीनी मिल गोला (लखीमपुर-खीरी), गांगनौली (सहारनपुर), मलकपुर (बागपत), कप्तानगंज (कुशीनगर) एवं गड़ौरा (महराजगंज) के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

151-[प्रश्न हटाया गया]

152-[प्रश्न हटाया गया]

आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना को कतिपय मार्गों से होते हुए जिला मुख्यालय दबराई तक विस्तार कराये जाने विषयक

153-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना को विस्तारित करते हुये जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला नगर से राजा का ताल, जैन मंदिर चौराहा से जिला मुख्यालय दबरई तक कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन नगरीय सीमा के अन्तर्गत यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। आगरा एवं फिरोजाबाद (टूण्डला नगर) प्रदेश के दो पृथक-पृथक जनपद हैं, दो पृथक जनपदों के मध्य परिवहन सुविधा हेतु मेट्रो परियोजना उपयुक्त नहीं होगी।

प्रदेश में विद्युत सप्लाई में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य हेतु विद्युत उपकेन्द्रों पर विद्युत सप्लाई शेड्यूल चस्पा/तय कराये जाने विषयक

154-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत सप्लाई में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विद्युत उपकेन्द्रों पर विद्युत सप्लाई शेड्यूल चस्पा कराना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

वर्तमान में प्रदेश में उपकेन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति शेड्यूल चस्पा कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत धान खरीद में बर्ती गई अनियमितता के सम्बन्ध में

155-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल के अन्तर्गत चालू ख़रीद सत्र 2022-23 हेतु जिला मुरादाबाद, सम्भल और रामपुर आदि में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) द्वारा धान क्रय केंद्र खोलने में मानक दूरी का उल्लंघन करने, प्राइवेट एजेंसियों को क्रय केंद्र खोलने की अनुमति देने की अनियमितताओं की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता करने वालों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर-

मुरादाबाद मण्डल में शासन द्वारा निर्धारित धान खरीद क्रय नीति वर्ष 2022-23 के निर्धारित मानक के अनुपालन में ही क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में सोलर प्लांट स्थापना कराये जाने विषयक

156-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में सोलर प्लांट की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

यूपीनेडा सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु एक कार्यदायी नोडल संस्था है। सरकारी कार्यालयों में सोलर की स्थापना हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा सहमति व बजट उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में यूपीनेडा सोलर संयंत्रों की स्थापना कराती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में स्थित भैसाना शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का बकाया मूल्य भुगतान कराये जाने विषयक

157-श्री राजपाल सिंह बालियान -

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में स्थित भैसाना शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का गन्ने का कुल भुगतान 438.16 करोड़ रु0 में से बकाया गन्ना भुगतान 254.51 करोड़ रु0 का भुगतान सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अद्यतन सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2021-22 के अन्तर्गत बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, इकाई-भैंसाना, जिला-मुजफ्फरनगर द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 438.16 करोड़ के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय क्षेत्रों में खम्बे न होने से वहां सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक

158-श्री चन्दन चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम रुड़कली, विकास खण्ड मोरना में जान मोहम्मद के मुर्गी फार्म से जंगल की नई बस्ती तक विद्युत पोल न होने के कारण बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल को विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत पोलों को स्थापित कर विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम रूड़कली विकास खण्ड मोरना के अन्तर्गत जान मौहम्मद के मुर्गी फार्म से जंगल की नई बस्ती तक आवश्यक विद्युत तंत्र का निर्माण जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरपुर के अन्तर्गत दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का भुगतान कराये जाने विषयक

159-श्री चन्दन चौहान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 मोरना के किसानों के गन्ने के वित्तीय वर्ष 2021-22 का कितना भुगतान बकाया है ? क्या सरकार उक्त बकाया का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 मोरना, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा पेराई सत्र 2021-22 में किसानों से क्रय किये गये कुल 51.78 लाख कुन्तल गन्ने हेतु देय कुल गन्ना मूल्य रु0 181.15 करोड़ का शत-प्रतिशत भुगतान दिनांक 28-11-2022 को किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना उपज को किसानों द्वारा किसी भी चीनी मिल पर अपना गन्ना बेचने का नियम बनाये जाने विषयक

160-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उनकी गन्ना उपज निर्धारित चीनी मिल पर ही गन्ना बेचने की अनुमति है ? क्या सरकार बतायेगी कि नई किसान (कृषि) नीति मे किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की अनुमति दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश में गन्ना किसान को अपना गन्ना किसी भी मिल पर बेचने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-16 में यह व्यवस्था वर्णित है कि चीनी मिलें अपने को सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्रों से सम्बद्ध सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से ही गन्ने की खरीद करेंगी। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 की उपबन्ध-5(6) में भी यह व्यवस्था वर्णित है कि गन्ना उत्पादक अथवा सहकारी गन्ना समिति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति, चीनी मिल को गन्ना नहीं बेचेगा।

अग्रेतर किसी कृषक के पास यदि उसके निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना उपलब्ध है तो वह उसे खाण्डसारी इकाइयों को आपूर्ति करने या गुड़ बनाने अथवा अन्य कार्यों में उपयोग करने में स्वतन्त्र होगा।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 01-12-2021 द्वारा नई कृषि नीति से सम्बन्धित तीनों अधिनियमों को निरसित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सहकारिता विभाग में विगत 06 वर्षों से रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति कराये जाने विषयक

161-श्री सचिन यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारिता विभाग में विगत 06 वर्षों से रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने की सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है? यदि हां, तो कब तक उक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर-

सहकारिता विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित नीतियों के अनुसार यथा आवश्यकता एवं यथासमय की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी की नव सृजित नगर पालिका मंझनपुर के अन्तर्गत असकरनपुर मंगरोहनी में पुराने भवनों की घरौनी बनाये जाने विषयक

162-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी की नवसृजित नगर पालिका मंझनपुर के अन्तर्गत असकरनपुर मंगरोहनी के पुराने भवनों का खसरा (घरौनी) बनाया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार खसरा (घरौनी) बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा -

जी नहीं।

आगामी वित्तीय वर्ष में विस्तारित सीमा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में निर्मित भवनों का सर्वे कराकर भवन पंजिका के निर्माण का कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी के नगर पालिका मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में तालाबी नम्बरों पर अवैध निर्माण हटवाये जाने विषयक

163-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के नगर पालिका मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में तालाबी नम्बरों पर अवैध निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त की जांच कराकर उक्त अवैध निर्माण को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नही।

वर्तमान समय में कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

भविष्य में यदि कोई निर्माण होता है, उसे हटवा दिया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण उपरान्त वनों का विस्तार कराने जाने विषयक

164-श्री पंकज पटेल-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के कितने भू-भाग पर वन आच्छादित क्षेत्र है ? क्या सरकार वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की रिपोर्ट जनपदवार तैयार की जाती है तथा इसमें विधान सभावार विवरण नहीं होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जनपद जौनपुर के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.72 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है।

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वन एवं वृक्षाच्छादन की वृद्धि हेतु विगत वर्षों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कुल 35 करोड़ पौधारोपण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नगर पालिका मुंगराबादशाहपुर में मार्च, 2018 से मार्च, 2022 तक सड़क/नाली/खड़न्जा विस्तृत विवरण निर्माण सम्बन्धी

165-श्री पंकज पटेल-

नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत नगर पालिका मुंगराबादशाहपुर में मार्च, 2018 से मार्च, 2022 तक कौन-कौन से सड़क, नाली निर्माण का कार्य कहां-कहां पर कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पालिका परिषद्, मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर में मार्च, 2018 से मार्च, 2022 तक सड़क एवं नाली निर्माण सम्बन्धी कराये गये कार्यों की सूची संलग्न† है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में स्थापित कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों के अन्तर्गत निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक

166-श्री पंकज पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में स्थापित विद्युत उपकेन्द्रों में 5 एम0वी0ए0 8 एम0वी0ए0 तथा 10 एम0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर अतिभारित होने के कारण निर्बाध विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत उपकेन्द्रों पर स्थापित परिवर्तकों का भार बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में स्थापित विद्युत उपकेन्द्रों में 5 एम0वी0ए0, 8 एम0वी0ए0 तथा 10 एम0वी0ए0 के परिवर्तक वर्तमान में अतिभारित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से चल रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी व अन्य कतिपय गाँवों को जोड़ने हेतु निर्माण सम्बन्धी

167-श्री हृदय नारायण पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्रांक सं0-195/25-2020, दिनांक 05-04-2022 के क्रम में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में ग्राम रामपुर देवारा व वनियापार के बीच तथा ग्राम हसनपुर व सेमराडीह के बीच छोटी सरयू नदी पर पुल बनाने के लिए प्रस्ताव तथा स्टीमेट सेतु निगम आजमगढ़ द्वारा 21-04-2022 को शासन को प्रेषित किया गया है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

प्रश्नगत दोनों स्थल लोक निर्माण विभाग के वृहद सेतुओं हेतु मार्गदर्शी नियमों के अन्तर्गत अर्ह न पाये जाने के कारण विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन प्रेषित नहीं किये गये है।

---

† देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-348 पर।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी व अन्य गावों को जोड़ने हेतु रपटा पुल निर्माण कराये जाने विषयक

168-श्री हृदय नारायण पटेल-

लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी का 40 प्रतिशत आबादी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है ? यदि हां, तो क्या सरकार महूला से हैदराबार बंधे के नीचे आने वाले सैकड़ों गांवों को जोड़ने के लिए बेलहिया, रोशनगंज, अभ्भनपट्टी, सोनौरा, आंका बुढनपट्टी को जोड़ने वाले रास्ते पर रपटा पुल का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र सगड़ी घाघरा नदी के किनारे स्थित होने के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत महुला गढ़वल बंधा के उत्तरी दिशा में घाघरा नदी के असाध्य क्षेत्र/जलग्रह क्षेत्र (CatchmentArea) में 31 गांव स्थित हैं। यह सभी गांव घाघरा नदी के डूब क्षेत्र में पड़ते हैं, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रतिवर्ष अत्यधिक बाढ़ एवं जल भराव के कारण भूमि का कटान होता है, अतएव इस क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाले कच्चे/खड़न्जा मार्गों पर डूब क्षेत्र होने के कारण रपटा पुल का निर्माण कराया जाना उपयुक्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कतिपय पत्र को संज्ञान में लेते हुए मोहान रोड पर 4 लेन के रूप में मार्ग चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

169-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं आर0एस0 /061/एम0आई0एन0/22, दिनांक 14-04-22 जो विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 1097, दिनांक 22-01-2018 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित अमौसी नादरगंज फैक्ट्री एरिया से पुरी वाया सुनहरा मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण तथा पत्र सं0-आर0 एस0/010 एम0आई0एन0/22, दिनांक 15-04-2022 जो विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर लखनऊ के अन्तर्गत मोहान रोड को 4 लेन के रूप में चौड़ीकरण करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ, किन्तु मा0 सदस्य, विधान सभा का प्रश्न में उल्लिखित प्रथम पत्र दिनांक 14-04-2022 का न होकर दिनांक 14-05-2022 का है।

पत्र दिनांक 14-05-2022 में वर्णित विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत नादरगंज फैक्ट्री एरिया से पुरी वाया सुनहरा मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में ग्रामीण श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग के मानक/नीति से आच्छादित नहीं है।

पत्र दिनांक 15-04-2022 में वर्णित लखनऊ-मोहान मार्ग राज्य मार्ग संख्या-40 का भाग है। प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 10 किमी0 एवं चौड़ाई 7.00 मीटर है। मार्ग का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कानपुर रोड से नादरगंज तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक

170-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं आर0एस0 /034/एम0आई0एन0/22, दिनांक 30-04-22 जो विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अन्तर्गत कानपुर रोड से नादरगंज (नहर) तक का सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत कानपुर रोड से नादरगंज (नहर) तक मार्ग की लम्बाई 1.90 किमी0 है, जो कच्चा स्तर का मार्ग है। कानपुर रोड से नादरगंज (नहर) मार्ग के समीप आबादी विजय नगर, कृष्णा नगर, तालकटोरा मार्ग एवं हरि ओम नगर आबादी पक्के मार्ग से संतृप्त है। प्रश्नगत मार्ग किसी आबादी को नहीं जोड़ता है। अतः उक्त मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग के किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में नगर निगम सीमा में बढ़ती आबादी से जल निकासी/ड्रेनेज की समस्या को तीव्रगति से निस्तारित कराये जाने विषयक

171-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगम सीमा में बढ़ती आबादी से विशेष कर प्रदेश की राजधानी की नगर निगम सीमा में जल निकासी/ड्रेनेज की समस्या को तीव्रगति से निस्तारित किए जाने की कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के नगर निगमों की सीमा में उत्तरोत्तर बढ़ती आबादी के दृष्टिगत जल निकासी/ ड्रेनेज की समस्या के निराकरण हेतु कार्य योजना तैयार कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के सापेक्ष कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में जल भराव की समस्या के निवारण हेतु आई0आई0एम0 रोड सेमरा से प्रारम्भ होकर गोमती नदी तक नाले (लम्बाई-9.4 किमी0) के निर्माण हेतु लगभग रु0 47.00 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र महलीशहर के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

172-डॉ0 रागिनी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा यकुतपुर में पाल बस्ती के अन्तर्गत विगत 75 वर्षों के उपरान्त भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा यकुतपुर में पाल बस्ती पूर्ण रूप से विद्युतीकृत है। वर्तमान में उस क्षेत्र में 16 के0वी0ए0 के दो परिवर्तक स्थापित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की लखनऊ पश्चिम विधान सभा के ग्रामों में कतिपय मकानों के ऊपर से हाई टेंशन बिजली तार हटाये जाने विषयक

173-श्री अरमान खान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भूहर के आदर्श विहार कालोनी, बुद्धेश्वर के निवासी विकास निगम व अन्य के घर के ऊपर से 11000 एचटी की हाइटेंशन विद्युत तार घरों को छूते हुए लटकने के कारण जान-माल का खतरा बना रहता हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मकानों के ऊपर से जाने वाली हाई टेंशन विद्युत तारों को हटवा कर अन्यत्र पुनर्स्थापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत लाईन लगभग 10 वर्ष पूर्व में ही बनाई गयी थी। स्थानीय निवासियों द्वारा कालानतर में लाईन के नीचे आवास का निर्माण करा लिया गया है। वर्तमान में लाईन तकनीकी रूप से सुदृढ़ अवस्था में है। यदि स्थानीय निवासियों द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करायी जाती है, तो लाईन शिफ्टिंग का कार्य जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगरवासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने तथा हैदर कैनाल पर सड़क निर्माण कराये जाने विषयक

174-श्री अरमान खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ नगरवासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए और वर्तमान में मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक का भार कम करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार में हैदर कैनाल पर सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार हैदर कैनाल नाले पर सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद लखनऊ स्थित हैदर कैनाल नाले के ऊपर राजाजीपुरम से लेकर कालीदास मार्ग तक 8200 मीटर लम्बाई में 3-लेन एलीवेटेड/उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु सर्वे का कार्य किया जा चुका है। उक्त एलीवेटेड/उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग से एन0ओ0सी0 की आवश्यकता होगी। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद लखनऊ स्थित हैदरगंज द्वितीय वार्ड में आस-पास दो पानी की टंकी होने से आवागमन हेतु मार्ग चौड़ीकरण/निर्माण कराये जाने विषयक

175-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित हैदरगंज द्वितीय वार्ड में चन्द्र लोक कालोनी, न्यू हैदरगंज पुलिया निकट दो पानी की टंकी के पास आवागमन हेतु रास्ता न होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वार्ड में माता प्रसाद के मकान के पास बने रास्ते से पूजा यादव के घर तक सड़क निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित रूप से प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाईजर द्वारा बसायी गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों में विकास का प्रथम दायित्व सोसाइटी/कालोनाईजर का है। प्रश्नगत कालोनी नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष विकास कार्य कराये जाते है। प्रश्नगत स्थल पूर्णतः कच्चा है। अतः नागरिकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये उक्त स्थल पर सड़क निर्माण कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के हैदरगंज वार्ड के बुद्धेश्वर गदियाना में कतिपय घरों से होते हुए जर्जर मार्ग/नाली निर्माण कराये जाने विषयक

176-श्री अरमान खान-

नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के हैदरगंज वार्ड के बुद्धेश्वर गदियाना में सुफियान के घर से उस्मान के घर तक मार्ग जर्जर होने के कारण आमजन को आने जाने में समस्या हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का नवनिर्माण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित रूप से प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाईजर द्वारा बसायी गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों में विकास का प्रथम दायित्व सोसाइटी/कालोनाईजर का है। प्रश्नगत कालोनी नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष विकास कार्य कराये जाते है। प्रश्नगत स्थल पूर्णतः कच्चा है। अतः नागरिकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये उक्त स्थल पर सड़क निर्माण कार्य हेतु धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ पश्चिम के बुद्धेश्वर बिहार हैदरगंज व कतिपय स्थानों के मार्ग में जल भराव से जर्जर होने से सड़क का नव निर्माण कराये जाने विषयक

177-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ पश्चिम के बुद्धेश्वर विहार हैदरगंज द्वितीय में रियाज मार्केट के पास से संतराम के घर के पास का मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा बारिश के समय जलभराव होने के साथ ही चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सियाज मार्केट के पास से संतराम के घर के पास तक सड़क निर्माण करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित रूप से प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाईजर द्वारा बसायी गयी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों में विकास का प्रथम दायित्व सोसाइटी/कालोनाईजर का है। प्रश्नगत कालोनी नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत स्थल पूर्णतः कच्चा है। अतः नागरिकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये उक्त स्थल पर सड़क निर्माण कार्य हेतु धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा के अन्तर्गत त्रिपुरापुर ग्राम पंचायत में फर्जी विद्युत बकाया रसीदों के निस्तारण हेतु उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 द्वारा कार्रवाई कराये जाने विषयक

178-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा के अन्तर्गत त्रिपुरापुर ग्राम पंचायत में फर्जी बकाया रसीदों के आधार पर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने एवं गलत रीडिंग के बिल जारी कर अवैध वसूली की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0 100001 दिनांक 7 सितम्बर, 2022 के क्रम में पत्र सं0 3040/वी0आई0पी0/मं0ऊ0आ0ऊर्जा/, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

सन्दर्भित प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पुरवा उन्नाव द्वारा जांच की गई एवं जांचोपरान्त पाया गया कि उपभोक्ता को उनकी ऊर्जा खपत के अनुसार मीटर यूनिट आधारित बिल निर्गत किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) में पंजीकरण कराया गया था, जिसकी निर्धारित किश्त की राशि को उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया है। उपभोक्ता द्वारा मीटर तेज चलने की शिकायत पर दिनांक 06-02-2023 को उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर स्थापित किया गया। अगले माह चेक मीटर रिपोर्ट आने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

जांच अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सही मीटर रीडिंग के आधार पर बिल न बनाने पर मीटर रीडर को दोषी पाया गया है। अतः बिलिंग एजेंसी को चेतावनी देते हुये सम्बन्धित मीटर रीडर को निष्कासित कर दिया गया है।

उपभोक्ता की समस्या का त्वरित निस्तारण न कर पाने एवं मीटर रीडर पर आवश्यक मानीटरिंग न कर पाने के कारण अवर अभियन्ता को चेतावनी दे दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की मोठ से संथर पंडोखर इण्टर स्टेट मार्ग बरसात के कारण जर्जर होने से आवागमन सुचारु रूप से संचालित कराने हेतु सड़क निर्माण कराये जाने विषयक

179-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की मोठ से संथर पंडोखर इण्टर स्टेट मार्ग का निर्माण 2021-22 में पूरा हुआ है किन्तु वर्तमान में बरसात के कारण उक्त मार्ग के हर किमी0 पर कई स्थान पर टूटी/क्षतिग्रस्त होने के कारण छोटे-बड़े वाहनों के आवागमन में मुश्किल हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण की जांच करवाकर दोषी ठेकेदार/एजेंसी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद-झांसी के संथर पंडोखर इण्टर स्टेट मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2021-22 में पूर्ण किया गया, अत्यधिक वर्षा होने एवं निर्माणाधीन पाईप पेयजल योजना के कारण कुछ स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। सम्बन्धित फर्म द्वारा डिफेक्ट लाईबिलटी पीरियड के अन्तर्गत मार्ग का मरम्मत का कार्य किया गया है। वर्तमान में मार्ग की दशा संतोषजनक है तथा यातायात सुचारू रूप से संचालित है।

उक्त मार्ग के सम्बन्ध में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के माध्यम से जाँच करायी जा रही है। जांच आख्या के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर की हरी एन्क्लेव कालोनी में नवशक्ति दुर्गा मंदिर वाले पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक

180-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर की हरी एन्क्लेव कालोनी में नवशक्ति दुर्गा मंदिर वाले पार्क का सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर जनपद-बुलन्दशहर में हरि एनक्लेव कालोनी में नौ शक्ति दुर्गा मन्दिर वाले पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त, 15वें वित्त आयोग की धनराशि से नियमानुसार कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधिशासी अभियन्ता व अन्य कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति विषयक

181-श्री बेचई सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता व अन्य कार्मिकों की स्थानांतरण नीति क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में स्थानान्तरण नीति के विपरीत अधिशासी अभियंता, लालगंज 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त अधिशासी अभियन्ता को जनपदीय मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-430-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2019-100 (01)प्र0सु0/92 दिनांक 03-06-2019 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-500 ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2019-100 (01) प्र0सु0/92 दिनांक 25-06-2019 द्वारा निर्धारित है जो अद्यतन प्रभावी है।

जी नहीं।

विद्युत वितरण खण्ड, लालगंज, आजमगढ़ में श्री मनोज कुमार अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता दिनांक 26-05-2018 से तैनात है जोकि 05 वर्ष से कम है।

स्थानान्तरण सत्र लागू होने पर स्थानान्तरण नीति के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज में वन विभाग की योजनाओं में लगाये गये पौधों के सम्बन्ध में

182-श्री बेचई सरोज-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वन विभाग को विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19

2019-20, 2020-21 एवं 2021-2022 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा उक्त के सापेक्ष कुल कितने पौधे किस-किस प्रजाति के कुल कितने क्षेत्रफल में कहां-कहां लगाये गये हैं तथा उनमें से कुल कितने पौधे जीवित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18, से 2021-22 में लालगंज विधान सभा क्षेत्र में रोपित पौध संख्या- प्रजातिवार/स्थलवार/क्षेत्रफलवार/व्यय धनराशि एवं सफलता प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है-

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	क्षेत्रफल	रोपित पौध संख्या	रोपित प्रजातियां	वर्तमान में सफलता प्रतिशत	कुल स्वीकृत/ व्यय धनराशि (रु0 में)
1	2017-18	17.00	19025	शीशम, कंजी, अर्जुन, बकैन, शोभाकार, फलदार आदि	71.5	848000.00
2	2018-19	26.00	347000	--	78.5	773000.00
3	2019-20	107.50	154700	--	84.5	3239000.00
4	2020-21	126.00	157500	--	92.5	3119600.00
5	2021-22	161.00	185200	--	95.5	4187900.00

सड़क पटरी, नहर पटरी, ग्राम समाज, वन भूमि, विद्यालय परिसर आदि क्षेत्रों में उपरोक्त वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अन्तर्गत लाइट स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

183-श्री बेचई सरोज-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड एक या दो ग्रामीण बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लगाये जाने की योजना संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ की विकास खण्ड ठेकमा, लालगंज व पल्हना के किन-किन ग्रामीण बाजारों में कितनी सोलर स्ट्रीट लाइट किस वर्ष लगाई गई है व उसमें कितना सरकारी धन व्यय हुआ है एवं लगाई गई उक्त लाइटों की समय-समय पर मरम्मत रख-रखाव

आदि की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां। पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त विकास खण्डों के एक या दो मुख्य बाजारों में सामुदायिक पथ प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से करायी जाती है। ग्रामीण बाजारों का चयन करने हेतु मा0 विधायकगण/मा0 सांसदगणों से प्रस्ताव प्राप्त कर जिलाधिकारी द्वारा अन्तिम रूप प्रदान करते हुए चयनित बाजारों की सूची शासन को प्रेषित की जाती है। इस क्रम में जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण बाजारों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने के लिए ग्रामीण बाजारों का चयन किया गया, चयनित बाजारों एवं उनमें स्थापित सोलर लाइटों का विवरण निम्नानुसार है-

विकास खण्ड	चयनित ग्रामीण बाजार का नाम	स्थापित सोलर लाइटों की संख्या	स्थापना वर्ष	व्यय धनराशि (रुपये में)
ठेकमा	1-भवतरचकभतर	8	2017-18	171200
	2-मुड़हर बाजार	9	2017-18	192600
	3-खम्हौली बाजार	2	2018-19	50000
	4-बरदह बाजार	4	2019-20	89940
	5-मुक्ति बाजार	11	2021-22	232199
लालगंज	1-बाजार गोसाई	8	2017-18	171200
	2-देवगांव बाजार	9	2017-18	192600
	3-कंजहित बाजार	3	2018-19	75000
	4-गोसाईगंज बाजार	4	2019-20	89940
	5-श्रीरामगंज बाजार	7	2021-22	147763
पल्हना	1-जयनगर बाजार	8	2017-18	171200
	2-पल्हना बाजार	9	2017-18	192600
	3-शम्भूनगर बाजार	3	2018-19	75000
योग	**कुल 13 ग्रामीण बाजार**	**85**	---	**1851242**

उक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना उपरान्त वारण्टी अवधि 05 वर्ष तक मरम्मत एवं रख-रखाव की व्यवस्था सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म के माध्यम से कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद आजमगढ़ के लालगंज में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में

184-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में वितीय वर्ष 2017-18, 2018 19, 2019-20, 2020-21, व 2021-2022 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत कार्य कराया गया है ? उक्त मार्गों के नाम तथा मरम्मत लागत क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में लोक निर्माण विभाग द्वारा लालगंज विधान सभा क्षेत्र में कराये गये सड़कों का नवनिर्माण एवं मरम्मत कार्य का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	नव निर्माण	मरम्मत	कुल कार्यों की संख्या	कुल लागत (रु0 लाख में)
2017-18	7	1624.94	101	1613.53
2018-19	17	2677.41	109	1991.18
2019-20	17	725.51	36	703.85
2020-21	20	1992.36	21	401.14
2021-22	0	0.00	26	603.30

जी हाँ। विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज विधान सभा क्षेत्र में स्थापित विद्युत उपकेन्द्र व ट्रांसफार्मर विषयक

185-श्री बेचई सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कितने विद्युत उपकेन्द्र स्थापित है एवं उनकी क्षमता कितनी है ? क्या

[†] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-351-361 पर।

सरकार बतायेगी कि विगत 5 वर्षों में कितने उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि व ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ाई गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र क्रमशः पलना, गोसाई की बाजार, लालगंज तहसील, लालगंज ग्रामीण, करसड़ा, जिरिकपुर, देवगांव, ठेकमा, बरदह कुल 09 नग विद्युत उपकेन्द्र स्थापित हैं, जिनकी क्षमता 75 एम0वी0ए0 है।

विगत 05 वर्षों में उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि व ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ायी गयी है, जो निम्नवत है :-

1-33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लालगंज ग्रामीण में 2x5 एम0वी0ए0 से 5x10 एम0वी0ए0 किया गया है।

2-33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ठेकमा में 3x5 एम0वी0ए0 से 2x5 एम0वी0ए0 किया गया है।

3-33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बरदह में 1 x 5 एम0वी0ए0 से 2x5 एम0वी0ए0 किया गया है। इस प्रकार कुल 12 एम0वी0ए0 क्षमतावृद्धि का कार्य किया गया है एवं 01 नग अतिरिक्त 05 एम0वी0ए0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बरदह में लगाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

186-श्री पंकज कुमार मलिक-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-384060 दिनांक 05-05-2022 पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में

187-श्री मोहन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र हाटा के प्रमुख चौराहों पर आर0सी0सी0 नाली निर्माण एवं इण्टरलॉकिंग कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र घ-6 संख्या 384060 दिनांक 05-05-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद कुशीनगर में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कुशीनगर के अन्तर्गत विधान सभा हाटा में भैसही बाजार चौराहा एवं अहिरौली बाजार चौराहा मार्ग हाटा पिपराईच मार्ग के

किमी0-10 एवं किमी0-17 में पड़ते हैं। उक्त मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है, जो 2 लेन चौड़ाई का मार्ग है। निर्मित मार्ग के दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य कराने हेतु लोक निर्माण विभाग में कोई प्रचलित योजना नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में कार्य बंटवारा नियमावली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्पादित किए जाने वाले प्रश्नों में निर्णयात्मक अधिकार विभागीय मंत्री को प्रदत्त किए जाने के सम्बन्ध में

188-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश कार्य बंटवारा नियमावली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्पादित किए जाने वाले प्रश्नों में निर्णयात्मक अधिकार विभागीय मंत्री को प्रदत्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि किन परिस्थितियों में पारित आदेश संख्या-105/08-04-09-211एन(डब्लू)/09 नजूल भू-खण्ड संख्या-22एए सिविल स्टेशन, (इलाहाबाद) प्रयागराज के प्रकरण को मंत्री के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत न करके प्रमुख सचिव, आवास ने अपने स्तर से ही दिनांक 05-06-2009 को प्रश्नगत नजूल भू-खण्ड के फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किए गए मामले की वैधानिकता को निर्णीत कर दिए गए ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश कार्य बंटवारा नियमावली स्वतः स्पष्ट है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-17060/2002 कृपा शंकर यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-02-2009 के अनुपालन में याचीगण का प्रत्यावेदन दिनांक 05-03-2009 का निस्तारण किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने विषयक

189-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या-105/08-04-09-211एन (डब्लू)/09 नजूल भू-खण्ड को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किए जाने की कार्रवाई को निरस्त किए जाने हेतु दिनांक 13-11-2006 को सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 सरकार एवं दिनांक 14-11-2006 को जिलाधिकारी, इलाहाबाद को शासन द्वारा पत्र-प्रेषित कर उसमें उठाए गए मुद्दों पर बिन्दुवार आख्या आहूत किए गए थे, जिनमें स्पष्टतया उल्लिखित किए गए हैं कि जिलाधिकारी, इलाहाबाद के स्तर से सम्पादित समस्त कार्रवाई अवैधानिक व फ्राडयुक्त तथा फर्जी है ? शासन द्वारा इस प्रकरण में निर्णय क्या लिए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की पत्रावली में पत्र दिनांक 13-11-2006 का उल्लेख नहीं है। जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आवास विभाग के तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री द्वारा जिलाधिकारी, इलाहाबाद को दिनांक 14-11-2006 को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तर तत्कालीन अपर जिलाधिकारी नजूल, इलाहाबाद द्वारा तत्कालीन निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री आवास विभाग नवीन भवन सचिवालय लखनऊ को पत्र सं0-378 नजूल-सि0ला0-एक्स एक्स 1-8/1588 (फ्री-होल्ड) (98-99) दिनांक 13-12-2006 को प्रेषित किया गया।

कार्यवाही शासन की पत्रावली से नहीं हुई है। प्रकरण शासन स्तर पर निर्णय हेतु लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित भूमि को फ्री-होल्ड घोषित किये जाने की जांच कराये जाने विषयक

190-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ द्वारा शासन को दिनांक 10-10-2006 को नजूल भू-खण्ड सं0-22 ए ए, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद (प्रयागराज) को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने हेतु परिवर्तन शुल्क व स्टैम्प शुल्क का जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा कम आंकलन कर एवं कतिपय गैर-कानूनी प्रक्रिया अपना कर फ्री-होल्ड डीड के रजिस्ट्रेशन किए जाने के मामले में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को जांच करने व जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या शासन को उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के आवासीय क्षेत्रों में संचालित निम्न व मध्यम वर्ग के व्यापारियों हेतु नियमावली बनाये जाने विषयक

191-श्री अरमान खान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में निवास करने वाले निम्न एवं मध्यम वर्ग के नागरिक के घरों में छोटी दुकानें चला कर या

अन्य व्यापार कर जीविका चलाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नियमावली बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद् विभाग के कर्मचारियों द्वारा भय दिखाकर उक्त कार्य करने वाली जनता से धन उगाही की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पर अंकुश लगायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रभावी लखनऊ महायोजना-2031 जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार आवासीय भू-उपयोग में फुटकर एवं दैनिक उपयोग की दुकानें सशर्त अनुमन्य हैं। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के आवासीय क्षेत्र में निर्मित भवनों में किसी प्रकार के व्यवसायिक प्रयोजन/गतिविधियां अनुमन्य नहीं हैं। आवासीय भू-उपयोग के भिन्न व्यवसायिक गतिविधियां अनधिकृत भू-उपयोग की श्रेणी में आती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

सरकार द्वारा धन उगाही की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ निरन्तर कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के हैदरगंज तिराहे पर लगने वाले जाम से निजात दिलाये जाने विषयक

192-श्री अरमान खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के तुलसीदास मार्ग पर नवनिर्मित फ्लाईओवर के मिल एरिया चौकी हैदरगंज तिराहा तक एवं हैदरगंज तिराहे से चौक चौराहे तक के निर्माण के बाद से हैदरगंज तिराहे पर सब तरफ का ट्रैफिक आकर मिलता है ? जिसके कारण उक्त स्थान पर रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम लगता है और जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर कोई कनेक्टिंग ओवरब्रिज या अण्डरपास का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल पर पर्याप्त भूमि की उपलब्धता न होने के कारण कनेक्टिंग ओवरब्रिज या अण्डरपास का निर्माण फिजिबिल नहीं है।

जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित ई-ब्लाक मार्केट में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

193-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजाजीपुरम् क्षेत्र के सबसे बड़े बाजार ई-ब्लाक मार्केट में पार्किंग स्थल कम होने के कारण व्यापारियों और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर भूमिगत पार्किंग स्थल निर्माण करेगी तथा निर्मित शौचालयों का जीर्णोद्धार सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

नगर निगम, लखनऊ जोन-2 के अन्तर्गत राजाजीपुरम क्षेत्र में विकसित की गयी कालोनियों का विकास उ0प्र0 आवास-विकास परिषद् द्वारा स्वयं किया गया है, जिसमें ई-ब्लाक मार्केट के आस-पास पार्किंग हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है। स्थल की उपलब्धता न होने की दशा में पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं पाया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत इस क्षेत्र में निर्मित सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का समय-समय पर निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के पारा क्षेत्र में स्थित डूडा कालोनी में लगे ट्यूबवेल की मरम्मत कराकर चालू कराये जाने विषयक

194-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पारा क्षेत्र में स्थित डूडा कालोनी में लगे तीन ट्यूबवेल वर्षों से चालू स्थिति में नही हैं जिससे क्षेत्रीय निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध नही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्यूबवेल की मरम्मत कराकर इन्हें चालू कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद लखनऊ में नरपत खेड़ा, पारा क्षेत्र में स्थित डूडा कालोनी में स्थापित तीन ट्यूबवेलों की बोरिंग का कार्य कराया गया था, जो वर्तमान में निष्प्रयोज्य हैं। परन्तु पारा क्षेत्र के निवासियों को पेयजल की आपूर्ति मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत नियमित रूप से की जा रही है।

उक्त ट्यूबवेल भारत सरकार द्वारा संचालित एन0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत लगाये गये थे। यह योजना समाप्त हो चुकी है और वर्तमान में इस मद में धनराशि की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त बोरिंग के निष्प्रयोज्य हो जाने के पश्चात् भी पारा क्षेत्र के निवासियों को पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से उपरोक्तानुसार की जा रही है।

जनपद लखनऊ के नक्खास क्षेत्र में पार्किंग एवं शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

195-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र नक्खास (अकबरी गेट) के नक्खास मार्केट में पार्किंग स्थल न होने के कारण व्यापारियों और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा उक्त कारण से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर भूमिगत पार्किंग स्थल का निर्माण तथा उक्त मार्केट में व्यापारियों एवं जनता के लिये नागरिक सुविधा परिसर/शौचालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नक्खास मार्केट लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है। मार्केट के सामने छोड़ी गयी भूमि पर दो पहिया पार्किंग की व्यवस्था तथा मार्केट के सन्निकट नादान महल मार्ग पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित भूमिगत पार्किंग बनायी गयी है, जिसका उपयोग स्थानीय व्यापारियों एवं ग्राहकों द्वारा किया जा रहा है।

नक्खास मार्केट लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मार्केट के सामने छोड़ी गयी भूमि पर भू-तल पार्किंग निर्मित है, जिसका उपयोग व्यापारियों/नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। मार्केट परिसर में भूमिगत पार्किंग एवं नागरिक सुविधा परिसर/शौचालय निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

196-श्री चन्दन चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत मेरठ-बिजनौर मार्ग पर ग्राम रामराज वाया हुसैनपुर देवल बिजनौर-मेरठ मार्ग लम्बाई लगभग 12 किमी0 क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग बिजनौर-मेरठ (मेरठ-बिजनौर मार्ग पर ग्राम रामराज वाया हुसैनपुर देवल) प्रमुख जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 8.050 किमी0 है, जिस पर नवम्बर, 2022 में पैच मरम्मत का कार्य कराकर मार्ग को पैचलेस कर दिया गया है। उक्त मार्ग वित्तीय वर्ष 2023-24 की नवीनीकरण की कार्य योजना में सम्मिलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में ग्राम फिरोजपुर बांगर के जंगल में सोनाली नदी पर पुल का निर्माण कराने विषयक

197-श्री चन्दन चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में ग्राम फिरोजपुर बांगर के जंगल में सोनाली नदी पर पुल न होने के कारण उक्त ग्राम के किसानों को नदी के आर-पार आने-जाने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल के 08 किमी0 अपस्ट्रीम में ग्राम भोकरहेडी में सोनाली नदी पर 209.350 मीटर लम्बाई का सेतु निर्मित है तथा 01 किमी0 डाउनस्ट्रीम में शुक्रताल में बाणगंगा पर 120.280 मीटर लम्बाई का सेतु निर्मित है।

प्रश्नगत स्थल से अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 10 किमी0 से कम दूरी पर सेतु पूर्व से निर्मित होने के कारण नये सेतु का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित विभागीय व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में 11 हजार वोल्टेज की विद्युत लाइन विस्थापित किये जाने विषयक

198-श्री चन्दन चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मजलिसपुर में मजरा (सिताबपुरी) में 11 हजार वोल्टेज की विद्युत लाइन आबादी क्षेत्र से गुजरी है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? क्या

सरकार उक्त मजरे से गुजरने वाली 11 हजार वोल्टेज की विद्युत लाइन को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मजलिसपुर में मजरा (सिताबपुरी) का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 में 11 के0वी0 एच0वी0डी0एस0 प्रणाली से हुआ था। उस दौरान ग्रामीण विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत चोरी रोकने हेतु एच0वी0डी0एस0 प्रणाली में विद्युतीकरण किया गया था। वर्तमान में 11 के0वी0 एच0वी0डी0एस0 लाइन के तारों का खिंचाव ठीक प्रकार है तथा सुरक्षा के दृष्टिगत अतिरिक्त तार के द्वारा लाइन की गार्डिंग भी की हुई है।

एच0वी0डी0एस0 सिस्टम भारत सरकार की योजना है। इसलिए 11 हजार वोल्टेज की विद्युत लाइन को हटवाया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के ब्लाक नूरपुर में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

199-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक नूरपुर में शिवालाकल से ग्राम भैसा तक मार्ग गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग है, जिसकी लम्बाई 2.330 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीटर है। मार्ग के मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागत रु0 32.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मौसम अनुकूल होते ही मार्ग का डामरीकरण का कार्य करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के ग्राम हीमपुर बुजुर्ग के मार्ग पर जलभराव की समस्या का निराकरण किये जाने विषयक

200-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत ग्राम हीमपुर बुजुर्ग के अन्दर से गुजरने वाले मार्ग में जलभराव होने के कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग

पर जलभराव की समस्या का निराकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

रतनगढ़ से हीमपुर बुजुर्ग मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की कुल लम्बाई 2.460 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 है। उक्त मार्ग की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के ब्लाक हल्दौर जलीलपुर नूरपुर में फुंके ट्रांसफार्मरों के सम्बन्ध में

201-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के ब्लाक हल्दौर जलीलपुर नूरपुर में माह जून, 2022 में कितने ट्रांसफार्मर फुंके हैं तथा कितने समय के अन्तराल में उनको बदलवाया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ब्लाक हल्दौर जलीलपुर नूरपुर में माह जून, 2022 में 306 अदद ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुये थे एवं जिनको निर्धारित समयावधि में बदलवा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के सतीनगर, आसफाबार की घनी आबादी के मध्य गुजरने वाले 33000 के0वी0ए0 से जनहानि के सम्बन्ध में

202-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के क्षेत्र सतीनगर, आसफाबाद की घनी आबादी क्षेत्र में नीचे होकर गुजर रही 33000 के0वी0 विद्युत लाइन से जनहानि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-6, नं0 516758 दिनांक 11-04-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

उक्त क्षेत्र का सर्वे करा लिया गया है। सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा आवेदन पर तकनीकी संभाव्यता के दृष्टिगत लाइन को मकानों से उचित दूरी पर शिफ्ट करने हेतु जमा योजना के अन्तर्गत आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन की धनराशि जमा कराये जाने एवं अविवादित स्थल उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही लाइन शिफ्टिंग की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के सदर विधान सभा क्षेत्र में कचरा प्लाण्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

203-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में स्थित नगर पालिका परिषद् बस्ती में कचरा प्लाण्ट लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा जनपद बस्ती की ग्राम सभा-कोइलपुरा में स्थित गाटा संख्या-86 ढ़0मि0 व 87 ढ़0मि0 कुल रकबा 4.25 हेक्टेयर भूमि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण प्लाण्ट स्थल के रूप में चयनित है। वर्तमान में उक्त स्थल पर कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। उपरोक्त स्थल पर एम0आर0एफ0 सेन्टर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सडोली कदीम में नदी का पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

204-श्री उमर अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड सडोली कदीम में ग्राम बादशाही बाग से ग्राम मगनपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर नदी का पुल विगत वर्षों से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत/नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल पर रपटा निर्मित है, जो क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त सेतु की मरम्मत/नव निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत लाइनों से हुयी दुर्घटनाओं में मुआवजा दिलाये जाने विषयक

205-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत लाइन व विद्युत पोल से हुई दुर्घटना के कारण घायल एवं मृतक विभागीय कर्मचारी अथवा आम-जन के परिवारों को आर्थिक रूप में सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत दुर्घटनाओं के प्रति अत्यन्त सजग है तथा सरकार का यह प्रयास रहता है कि विद्युत दुर्घटनायें घटित न हों। इस सम्बन्ध में विद्युत दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु कारपोरेशन के पत्र सं0-2878-औ0सं0-17/पाकालि/2022-8-एम/92, दिनांक 30-07-2022 के द्वारा सभी डिस्कामों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किये गये है। प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय कर्मचारी एवं आम-जन को विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत् है :-

(क) विद्युत दुर्घटनाओं में प्रभावित विभागीय कर्मचारियों को अनुमन्य क्षतिपूर्ति का विवरण-

1-कार्य करने के दौरान घटित विद्युत दुर्घटना में मृतक एवं घायल विभागीय कर्मचारी को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के निहित प्राविधान के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि उसकी आयु एवं रिलेवेन्ट फैक्टर के आधार पर गणना कर निम्नवत् क्षतिपूर्ति अनुमन्य किया जाना प्राविधानित है :-

विद्युत दुर्घटना का प्रकार	अनुमन्य न्यूनतम क्षतिपूर्ति धनराशि अधिकतम (रू0)
मृत्यु की दशा में	16,97,850/-
घायल होने की दशा में	8,80,575/-

विद्युत दुर्घटना में घायल होने पर उपचार में हुये सम्पूर्ण व्यय अर्थात् 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है।

मृत्यु की दशा में मृतक परिजनों को सेवायोजन, ग्रेच्युटी, एक्स-ग्रेसिया, लीव इन कैशमेन्ट आदि की सुविधायें अनुमन्य हैं, जिसमें आदेश सं0-4829-औ0 सं0/2018-66-डब्यू0बी0सी0, दिनांक 26-12-2018 के अनुसार धनराशि अनुमन्य की जाती है एवं दिनांक 01-01-2016 से लागू 7वां वेतनमान की संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अनुसार न्यूनतम अनुग्रह

धनराशि रु0 50 हजार एवं अधिकतम रु0 2.0 लाख (दो लाख) अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है।

(ख) विद्युत दुर्घटनाओं में प्रभावित आमजन हेतु अनुमन्य क्षतिपूर्ति का विवरण :-

कारपोरेशन के आदेश संख्या-2828-औ0सं0/2021-19/(125)-ए0एस/01, दिनांक 25-09-2021 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की नीति निर्धारित की गयी है, जिसमें निम्नवत् क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है :-

विद्युत दुर्घटना का प्रकार	अनुमन्य न्यूनतम क्षतिपूर्ति धनराशि अधिकतम (रू0)
मृत्यु की दशा में	5.00 लाख न्यूनतम
(आयु 25 से 30 वर्ष तक, विवाहित एवं 06 से अधिक आश्रित होने के आधार पर)	7.49 लाख
पूर्ण अपंगता की दशा में	2.65 लाख (65 वर्ष से अधिक आयु हेतु)
घायल होने की दशा में	9.28 लाख (आयु 25 से 30 वर्ष तक)

आमजन के घायल होने की दशा में उपचार में हुये वास्तविक व्यय या अधिकतम रु0 20,000/- अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये पर ब्याज देने पर विचार किये जाने विषयक

206-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्रय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया एवं उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अधिनियम में भुगतान की निर्धारित अवधि क्या है एवं विलम्ब होने पर किसानों को कितना ब्याज देने का प्रावधान है तथा ब्याज सहित भुगतान करने कि तय सीमा का पालन नहीं करने पर मिल को बाध्य करने के लिए दण्डात्मक प्रावधान है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में चीनी के कारखानों, गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिए अपेक्षित गन्ने की आपूर्ति तथा खरीद और अन्य सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन)

अधिनियम, 1953 पारित किया गया, जो सन् 1953 से प्रवृत्त हुआ। गन्ने की पूर्ति एवं खरीद सम्बन्धी समस्त प्राविधान इस अधिनियम के चार अध्यायों क्रमशः (1) प्रारम्भिक, (2) प्रशासनिक मशीनरी, (3) गन्ने की पूर्ति एवं खरीद तथा (4) विविध में वर्णित हैं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 में गन्ना मूल्य भुगतान अवधि एवं विलम्बित अवधि पर देय ब्याज के सम्बन्ध में व्यवस्था प्राविधानित है। गन्ना मूल्य भुगतान अत्यन्त विलम्बित करने पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 (4) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में चीनी मिलों के विरुद्ध ब्याज सहित देयता निर्धारित करते हुए वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किये जाते हैं।

उक्त के दृष्टिगत इसे सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने विषयक

207-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव शासन/विभाग को प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में प्रदेश में निम्नानुसार डिस्कामवार परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव प्राप्त हुये है :-

क्र0-सं0	डिस्काम का नाम	प्राप्त प्रस्ताव
1	पश्चिमांचल	3724
2	दक्षिणांचल	2500
3	मध्यांचल	1523
4	पूर्वांचल	1128
5	केस्को कानपुर	35
	कुल प्राप्त प्रस्ताव	**8910**

परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि बिजनेस प्लान के अन्तर्गत अथवा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वर्ष 2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में

208-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों /अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिनांक 01-01-2004 से लागू की गयी है।

प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अन्तर्गत माह जनवरी, 2023 तक 5.95 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के 50 लाख कर्मचारियों का पंजीकरण एन0पी0एस0 में किया जा चुका है। माह जनवरी, 2023 तक सरकारी कर्मचारियों के प्रान (परमानेंन्ट रिटायरमेंन्ट एकाउण्ट नम्बर) खातों में रु0 28,836 करोड़ की धनराशि तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रान खातों में रु0 14,262 करोड़ की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु संगठित/असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है।

उपर्युक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश ने गन्ना किसानों का भुगतान किये जाने विषयक

209-डा0 अजय कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों का कितने करोड़ रुपये मिलों पर अवशेष हैं ? क्या सरकार शेष बकाया गन्ना मुल्य भुगतान हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 15-02-2023 की सूचना के अनुसार प्रदेश में पेराई सत्र, 2021-22 में कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,201.34 करोड़ के सापेक्ष रु0 34,610.36 करोड़ का भुगतान कराया गया है तथा रु0 590.98 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। इसी प्रकार पेराई सत्र, 2022-23 में सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व अवधि तक देय गन्ना मूल्य रु0 19,167.76 करोड़ के सापेक्ष रु0 13,657.42 करोड़ भुगतान कराया गया है तथा रु0 5,510.34 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

पेराई सत्र, 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 25-02-2022, 14-09-2022 एवं 20-10-2022 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं। इसी क्रम में चीनी मिल गोला (लखीमपुर-खीरी), गांगनौली (सहारनपुर), मलकपुर (बागपत), कप्तानगंज (कुशीनगर) एवं गड़ौरा (महराजगंज) के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इसी प्रकार पेराई सत्र, 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से बकायेदार चीनी मिलों को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

210-डा0 वीरेन्द्र यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती विद्युत मांग की पूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाये जाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ, विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार की योजना है।

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य में सभी स्रोतों से कुल अनुबन्धित कमिशंड क्षमता 30462 मे0वा0 है एवं भविष्य में आने वाली परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक कुल 7413 मे0वा0 उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु क्षमता अनुबन्धित है। इसके अतिरिक्त नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना किसानों को किये गये भुगतान का विवरण उपलब्ध कराये जाने विषयक

211-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का वर्तमान तक कितना गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान हेतु शेष है? क्या

सरकार यह भी बतायेगी कि गन्ना किसानों का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 15-02-2023 की सूचना के अनुसार प्रदेश में पेराई सत्र, 2021-22 में कुल देय गन्ना मूल्य रु0 35,201.34 करोड़ के सापेक्ष रु0 34,610.36 करोड़ का भुगतान कराया गया है तथा रु0 590.98 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2022-23 में सूचना की तिथि से 14 दिन पूर्व अवधि तक देय गन्ना मूल्य रु0 19,167.76 करोड़ के सापेक्ष रु0 13,657.42 करोड़ भुगतान कराया गया है तथा रु0 5,510.34 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष पेराई सत्र, 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 25-02-2022, 14-09-2022 एवं 20-10-2022 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं। इसी क्रम में चीनी मिल गोला (लखीमपुर-खीरी), गांगनौली (सहारनपुर), मलकपुर (बागपत), कप्तानगंज (कुशीनगर) एवं गड़ौरा (महराजगंज) के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इसी प्रकार पेराई सत्र 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से बकायेदार चीनी मिलों को निर्देशित किया जा चुका है।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र, 2017-18 से अब तक रु0 1,96,328.19 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि उत्पादों के संरक्षण एवं सम्वर्धन हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने विषयक

212-मनोज कुमार पारस-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि उत्पादों के संरक्षण व सम्वर्धन द्वारा किसानों की आय बढ़ाने हेतु विभिन्न फसलों की पराली, भूसी, भूसा, खोई व पत्ती आदि अपशिष्ट से जैविक ईंधन अथवा अन्य दैनिक प्रयोग की वस्तुएं बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022' का प्रख्यापन किया गया है, जिसमें फसलों के अपशिष्ट यथा- पराली, भूसी, भूसा, खोई, पत्ती आदि से जैविक ईंधन बनाने की योजना है। प्रख्यापित नीति यूपीनेडा की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

http://www.upneda.in/wp-content/uploads/2022/10/BIO_ENERGY_POLICY-2022.pdf

नीति के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक तहसील में विभिन्न जैव ऊर्जा उद्यमों यथा-बायो-सी0बी0जी0, बायो-कोल तथा बायो-डीजल की उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर निम्नानुसार प्रोत्साहन एवं उपादान का प्राविधान है :-

प्रोत्साहन

विद्युत शुल्क में छूट

जैव ऊर्जा इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ की तिथि से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट।

स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत छूट

जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि क्रय अथवा लीज पर देय स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत छूट।

विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्जेज से शत-प्रतिशत छूट।

उपादान

कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र-रु0 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ तक,

बायो-कोल संयंत्र-रु0 75,000 प्रति टन की दर से अधिकतम रु0 20 करोड़ तक,

बायो-डीजल/बायो-एथेनॉल संयंत्र-रु0 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम 20 करोड़।

यदि किसी उद्यमी द्वारा बायो प्लान्ट में 50 करोड़ या उससे अधिक का निवेश किया जाता है तो उसे इकाई से अधिकतम 05 किमी0 तक एप्रोच रोड की सुविधा मुख्य मार्ग तक दी जायेगी।

इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित एग्रीगेटर्स (एफपीओ, को-आपरेटिव सोसाईटी एवं गन्ना समिति) को बेलर, रेकर और ट्रोलर्स की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (अधिकतम रु0 20 लाख) देय होगा, जो भारत सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व से दिये जा रहे 50 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सदन में माननीय सदस्यों को उनके जन्म दिवस पर बधाई सन्देश

श्री अध्यक्ष-

आज दिनाँक 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधान सभा के 02 माननीय सदस्यों का जन्म दिवस है।

माननीय श्री बृजेश, मा0 राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री बृजेश, निर्वाचन क्षेत्र देवबन्द, जिला सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर

वर्तमान विधान सभा में द्वितीय बार निर्वाचित हुए हैं। उनके पिता का नाम श्री राजकुमार रावत है। आपका जन्म दिनाँक 22 फरवरी, 1972 को देवबन्द में हुआ था। आपने आयुर्वेद शास्त्र की उपाधि ग्रहण की है। आपके जन्म दिवस के ऊपर मैं और अपने इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

माननीय सदस्य श्री कवीन्द्र चौधरी, (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) उत्तर प्रदेश विधान के माननीय सदस्य श्री कवीन्द्र चौधरी, निर्वाचन क्षेत्र कप्तानगंज, जिला बस्ती से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री राम प्रसाद चौधरी है। आपका जन्म दिनाँक 22 फरवरी, 1992 को सन्तकबीर नगर में हुआ था। आपने प्रवन्धन में डिप्लोमा ग्रहण किया है। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपनी और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत 02 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री लालजी वर्मा जी की है। प्रदेश में विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियमों और विधान परम्पराओं के हुए उल्लंघन के सम्बन्ध में यह सुनी जायेगी।

दूसरी सूचना श्री मनोज पाण्डेय जी की है, यह नियम-300 में नहीं आती, इसे अग्राह्य करते हैं।

श्री लालजी वर्मा जी अपनी बात रखें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियमों तथा विधान सभा की परम्पराओं के उल्लंघन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लोकतंत्र का सबसे प्रमुख स्थान विधान सभा है और मान्यवर, विधान सभा में जब हम सदस्य निर्वाचित होते हैं तो क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएँ होती हैं कि हमारी बात को विधान सभा में ले जाकर उन समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। मान्यवर, सभी सदस्यों से लोगों की अपेक्षाएँ होती हैं। इसीलिए विधान सभा के संचालन की नियमावली बनी है। इस नियमावली में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक 02 माह पर विधान सभा की बैठक होगी और वह 10 दिन के लगभग होगी। मान्यवर, वह तो हो नहीं रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, वह बजट सत्र है और बजट सत्र में विभागवार चर्चा हो सके, विभिन्न विभागों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके कि विभाग के कार्य क्या चल रहे हैं, सदस्य उससे पूरी तरह से अवगत हो सकें और उसमें जो कमियाँ हैं, उसको उजागर कर सकें। इसलिए मान्यवर, एक नियमावली बनायी गयी कि हम बजट कैसे पास करें ? आज ही माननीय मंत्री जी ने 06 लाख 90 हजार करोड़ का विशालकाय बजट प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, इतने बड़े बजट पर हम चर्चा न कर सकें ? मान्यवर, इस नियमावली में है कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो प्रथम सत्र में होता है, उस पर 04 दिन चर्चा होनी चाहिए, मान्यवर, वह कम हो गयी। दूसरी तरफ दिया है, बजट पर सामान्य चर्चा उसके लिए इस नियमावली में 05 दिन का समय निर्धारित किया गया है और तीसरा दिया गया है, अनुदानवार माँग रखने का, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मान्यवर, जब अनुदानवार माँग रखी जायेगी तो उससे विभाग की विस्तृत जानकारी हम सब लोगों को मिल सकती है कि कितना उस विभाग का लक्ष्य था, कितनी पूर्ति हुई, क्या-क्या स्वीकृतियाँ हुईं, क्या नहीं हुईं ? हम उसमें सुझाव भी दे सकते हैं। इसलिए इस नियमावली में नियम बनाया गया है कि 24 दिन हम विभागवार अनुदान माँगों पर चर्चा करने का काम करेंगे।

मान्यवर, पिछला पांच साल बीत गया। नियमावली के नियम-188 (1) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिए 24 दिनों से अनाधिक के दिन नियत करेंगे और 24 दिन उसमें निर्धारित किया गया।

मान्यवर आप वरिष्ठ सदस्य हैं एक-एक विभाग पर आपने कटौती भी रखा उससे बहुत कुछ जानकारी हासिल होती है। पिछला पांच साल बीत गया और हम लोग एक भी अनुदान मांग पर कटौती रखने का अवसर नहीं पाए इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो निर्वाचित मा0 सदस्य हैं वह भी जान सकें कि कटौती कैसे रखी जाती है और उस पर क्या चर्चा होती है, यह अवसर ही हमें नहीं मिला इसलिए 24 दिन रखा गया, 24 दिन न सही 12 दिन सही, 10 दिन सही एक दिन भी इस तरह का नहीं होगा तो जो प्रमुख विभाग है जैसे लोक निर्माण विभाग का इश्यू आया आज की तारीख में मा0 मंत्री जी ने कह दिया इन्होंने अनुमोदन कर दिया होगा, लेकिन आज की तारीख तक एक भी नव निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी तरह से विभिन्न विभाग जैसे ऊर्जा विभाग है अनेकों ट्रांसफार्मर अतिभारित हैं। हम लोग विधायक निधि से पैसा लिखते हैं और छः-छः महीने बीत जाते हैं, लेकिन विधान मण्डल विकास निधि से पैसा पाने के बाद वह काम नहीं होते हैं तो इसलिए अनेक जगह पर इस तरह की बातें हैं तो मैं चाहूंगा कि इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। चौबीस दिन की जगह कम से कम जो महत्वपूर्ण विभाग है हम नहीं कहते कि चौबीस दिन का अवसर नहीं है तो 24 दिन न सही, लेकिन कम से कम 12 दिन, 15 दिन, 10 दिन अनुदानवार मांग पर जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसका आम जनता से सम्बन्ध है अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इन सभी मुद्दों पर अगर हम विभागवार बजट पर चर्चा करेंगे तो वह आएगा इसलिए आपसे निवेदन है कि नियमावली हमारी इसीलिए बनाई गई थी कि जिससे हम चर्चा करें। मा0 मंत्री जी खड़े होंगे कि आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया मैं उनसे आपके माध्यम से पहले से ही जानना चाहता हूं यदि उत्तर दे देंगे कि कोई ऐसा पांच वर्ष सरकार का बीत गया हो और एक बार भी अनुदानवार मांग पर चर्चा न हुई हो ऐसा भी

दृष्टान्त बता दें। दूसरे हमारी कमियों के कारण तो आप सत्ता में आए हैं तो अगर वह कमियां न होतीं तो आप आते नहीं, आप मुझसे भी बड़ी कमी करेंगे तो यह भी अनुचित होगा इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुदानवार जो नियम है 24 दिन उस पर चर्चा करने का अवसर मिले इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, वर्मा जी बहुत ही विद्वान और सीनियर सदस्य भी हैं। सामान्यतः कार्य मंत्रणा में जो कुछ तय होता है उसका जिक्र यहां नहीं होता है, लेकिन जब यह नियम के माध्यम से आएंगे तो हमें उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। मान्यवर, आपके द्वारा परसों एक प्रश्न उपस्थित किया गया और उस प्रश्न में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष जी ने दी है, से यह सदन सहमत है। यह एकमत से पास हुआ है, वह कार्य-मंत्रणा में पास हो गया था उस वक्त मा0 लालजी वर्मा इसी कुर्सी पर विराजमान थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह इसी कुर्सी पर विराजमान थे। याददाश्त का कमजोर होना उतनी बुरी बात नहीं, बेचैन रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। जब कार्य-मंत्रणा में यह बात तय हो चुकी कि सात दिन चर्चा होगी तो मान्यवर क्षमा करें यह बात नहीं आनी चाहिए थी यह सभी विद्वान लोग बैठे हैं क्या आपने सहमति दी। एक बात यह सही है कि अनुदान मांगों के ऊपर जब यह सत्ता में थे तो क्या इन्होंने चौबीसों दिन किया था ? एक भी दिन उसमें कम नहीं था। मेरी याददश्त कमजोर नहीं है याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है। लेकिन बेचैन रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है, वे बेचैन रहते हैं।

मान्यवर, इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं। मान्यवर, इस बार भी अगर आप स्मरण करें और अभी कार्य-मंत्रणा समिति में हमने पास भी किया है कि सात दिन की चर्चा के बाद अनुदान मांगों की भी बात आएगी। हमने वहाँ उन कारणों का भी जिक्र किया, लेकिन अब हम उनका यहाँ पर जिक्र करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहते कि जिन कारणों की वजह से विधान सभा का सत्र देर से बुलाया जा सका। उन बातों को यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल सही है कि इससे नये सदस्यों को मौका मिलता है। अध्यक्ष जी ने अपनी पीठ से व्यवस्था दे दी है कि अगर हम रात में देर तक बैठना चाहें तो देर तक बैठेंगे, जब तक सदन में कोरम रहेगा, सदन चलाएँगे। हमारी मंशा यह है, हमारी कोशिश यह है कि विधान सभा ज्यादा से ज्यादा चले। इस बार अनुदान मांगें आएँगी, आप अपने आप में बिल्कुल निश्चिन्त रहिए। इसमें आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा लेकिन क्षमा करें कि जो कुछ कार्य मंत्रणा समिति में तय हो चुका, उसके बाद आप यह तीन दिन और चार दिन वाली बात न लाते तो अच्छा था। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यह नियम-300 में नहीं आता, इसलिए इसको अग्राह्य कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 श्री लालजी वर्मा जी को सुना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ तय हुआ, मैने उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला। मान्यवर, मैं कार्य-मंत्रणा समिति के खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ और कार्य-मंत्रणा समिति में जो तय होता है, क्या उसका अक्षरशः पालन होता है ? आप ऐसा एक भी सत्र बता दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो हो रहा है।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं हो रहा है। मान्यवर, इसके पहले का आप एक भी सत्र बता दें।

श्री अध्यक्ष-

पहले का छोड़िए, अभी तो पालन हो रहा है। औचित्य का प्रश्न तात्कालिक होना चाहिए, तत्समय का होना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें, बीच में न बोलें। आप इसके पहले का एक भी सत्र बता दें कि जिसमें कार्य-मंत्रणा में जितने दिन का कार्य निर्धारित किया गया, उतने दिन यहां काम हुआ हो।

श्री अध्यक्ष-

मैने श्री लालजी वर्मा जी को सुना मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती, इसलिए मैं इसको अग्राहय करता हूँ।

विधान सभा के रेलवे आरक्षण केन्द्र के कार्मिकों द्वारा मा0 सदस्यों को गुमराह करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें एक विषय मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी का भी है, वह औचित्य में तो नहीं आता है लेकिन चूँकि वह सभी मा0 सदस्यों से सम्बन्धित है कि विधान सभा के रेलवे आरक्षण केन्द्र के कर्मियों द्वारा मा0 सदस्यों को गुमराह किया गया है। हालांकि रेलवे से राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है लेकिन हम उसकी जानकारी कर लेंगे। मेरा इतना ही निवदेन है, धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आपको उसमें पढ़ना क्या है, औचित्य में क्या पढ़ना होता है? आप तो बड़े पुराने मा0 सदस्य हैं, क्या औचित्य की सूचना में भी कुछ पढ़ना होता है? आगे अब हम नियम-301 की सूचनाएँ लेंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 20 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री अवधेश प्रसाद की उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती अनुपमा जायसवाल की जनपद बहराइच के 286 विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत पक्के तालाब का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण तथा गन्दगी से बचाव के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2021 से निर्मित पानी टंकियों के निर्माण की अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत विलसंडा, बरखेड़ाकला तथा बीसलपुर में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोटावा में संडीला-बेनीगंज मुख्य मार्ग पर बहादुरपुर तिराहा से हत्याहरण सड़क के शेष निर्माण के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत बलदेव ब्लाक, राया ब्लाक, फराह ब्लाक एवं ब्लाक मथुरा में मनरेगा/नरेगा योजना के कार्य में हुई अनियमितता के जांच के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ककोड़ के ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत ग्राम बछुआर में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल दूध का प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम शेरपुर सदर, विकास खण्ड सदर में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत सिसोटार में चकबन्दी प्रक्रिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के कमनापुर से फत्तेपुर (टीकमपारा) अशरफपुर बरुवा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डा0 रागिनी की जनपद वाराणसी के सभी जनपदों में निःशुल्क एम0आर0आई0 जांच सुविधा देने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भइया की जनपद बदायूँ के दातागंज में विद्युत आपूर्ति

व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में टोंस नदी के किनारे बने बांध के अधूरे निर्माण से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर के अन्तर्गत ग्राम चाडक तुर्क से किरतपुर मार्ग पर अण्डरपास तथा ग्राम जीवन सराय में सीढ़ीदार फ्लाई ओवर बनवाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवा, इलाज, जाँच एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना, अट्ठारहवीं सूचना श्री रमेश सिंह की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पालीटेक्निक बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद महाराजगंज के मोहम्मदी के अन्तर्गत शंकरपुर से फरेंदा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री जियाऊर्रहमान की सभी जनपदों के सरकारी अस्पतालों में MRI की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्रीमती जय देवी, श्री संदीप सिंह, डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री अजय सिंह, डा0 अमित सिंह चौहान, श्री ओम कुमार, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, डा0 डी0सी0 वर्मा, श्री महेंद्र खड़गवंशी, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री प्रभात कुमार वर्मा, श्री रवि शर्मा, श्री बाबूलाल, श्री राम रतन कुशवाहा, बम्बा लाल, श्री राजपाल बालियान, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मनीष रावत, श्री मौहम्मद फहीम इरफ़ान, श्री राम अचल राजभर, श्री जगदीश नारायण, श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री अभय सिंह, श्री पल्टूराम, श्री राम चन्द्र यादव, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री राजेश्वर सिंह, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री प्रभाष कुमार, श्री अमरेश कुमार, श्री राम अवतार सिंह तथा, श्री रमेश जायसवाल।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आर0 टी0 आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद-

[मान्यवर, आप के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं जो राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-रा0पा0 79/43-2-2022, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 की ओर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। उक्त पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की अधिसूचना संख्या-544-1-43-2-2015-सू0आ0नि0-2015(1)-2015, दिनांक 03-12-2015 के तहत् कराई जाये जिसके सम्बन्ध में मा0 राज्यपाल सचिवालय उ0प्र0 ने भी अपने पत्र संख्या-पी0आई0ओ0 798-जी0एस0, दिनांक 25/11/2022 को प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 को पत्र लिखा था जो सूचना का अधिकार बचाओ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तनवीर अहमद सिद्दीकी व अन्य के मांग पत्र दिनांक 14-11-2022 के सम्बन्ध था इसके बावजूद अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जन सूचना अधिकारियों की पहुंच व सूचना आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत के कारण उक्त पत्रों पे आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है जिस कारण से आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं व जन मानस में शासन प्रशासन व सूचना आयोग के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं/जनहित में उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की अधिसूचना संख्या-544/43-2-2015-सू0आ0नि0-2015-(1)-2015, दिनांक 03-12-2015 के तहत समस्याओं का निराकरण/समाधान की कार्यवाही जल्द से जल्द कराये जाने की कृपा करें]

जनपद बहराइच के 286 विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत पक्के तालाब का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण तथा गन्दगी से बचाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र-286, सदर बहराइच उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत शहर बहराइच में स्थित ऐतिहासिक अनमोल धरोहर पक्के तालाब का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण अत्यन्त आवश्यक है, पक्के तालाब के चारों ओर कूड़ा, गन्दगी रहती है, जिसके कारण प्राचीन धरोहर टूट-फूट कर कूड़ाघर में तब्दील होती जा रही है, कूड़ा, गन्दगी की समस्या भविष्य में न हो, पक्के तालाब के चारों ओर सौन्दर्यीकरण की मांग करती हूँ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 2021 से निर्मित पानी के टंकियों के निर्माण की अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न गांव में वर्ष 2021 से अब तक में पानी की टंकियों का निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त टंकियों के निर्माण में काफी अनियमितताएं बरती गयीं, यथा जिसमें सड़क खोदी गयी, जिसे आज तक पूर्ण नहीं किया गया है, काफी जगह पानी के लीकेज हैं। कई जगह बस्तियों में कनेक्शन ही नहीं किया गया। इस कारण से पानी की टंकियों से सप्लाई कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। टंकियों से पानी की सप्लाई के लिए जो पाइप डाले गये वह भी मानक के विपरीत हैं। जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा इस सम्बन्ध में जांच करवायी गयी, जिसमें कमियों को सही पाया गया, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। जनहित में जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत बिलसंडा, बरखेड़ा कलाँ तथा बीसलपुर में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराये जाने सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार वर्मा-

[मान्यवर ज्ञातव्य हो कि क्षेत्र पंचायत बिलसंडा, क्षेत्र पंचायत बरखेड़ा कलाँ तथा क्षेत्र पंचायत बीसलपुर का भारी क्षेत्रफल ऐसा है, जिस परिक्षेत्र के नागरिकों को क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पहुँचने के लिए काफी व्यय, कठिनाइयां एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस परिक्षेत्र को दियोरियाकलां-माधौपुर के नाम से जाना जाता है। इस भारी परिक्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का अभाव है, परिणामतः छात्र एवं छात्राओं को शिक्षणार्थ अन्यत्र जाना स्वभाविक है। इस शैक्षिक अव्यवस्था के कारण जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव पकड़िया तहसील दियोरियाकलां की भूमि संख्या-136 क्षेत्रफल 0.619 हे0 राजकीय महाविधालय एवं राजस्व गांव जसाई नगर में भूमि संख्या-78 क्षेत्रफल 0.417 हे0 माध्यमिक विधालय हेतु दिनांक 20 फरवरी, 2021 को प्रस्तावित की जा चुकी है। इसी प्रकार राजस्व गांव ईटगांव में राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय हेतु भूमि सं0-486 मि0 क्षेत्रफल 0.218 हे0 एवं भूमि सं0-384 क्षेत्रफल 0.324 हे0 भी प्रस्तावित की गयी है। क्योंकि इस परिक्षेत्र में कन्याओं की शिक्षा का अभाव है, जबकि यहाँ छात्राओं का छात्रावास निरर्थक बना हुआ है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त के क्रम में यह उल्लेख करना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि करेली परिक्षेत्र में भी कोई माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ थाना मुख्यालय है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा हेतु अनुमति प्रदान की जाये तथा उपरोक्त उल्लिखित शिक्षा की अपेक्षाओं की दृष्टि से संस्थान स्थापित कराये जाने की कृपा की जाये।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोछावा में संडीला-बेनीगंज मुख्य मार्ग पर बहादुरपुर तिराहा से हत्याहरण सड़क के शेष निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[मान्यवर, सानुरोध अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड कोछावा में प्राचीन ऐतिहासिक हत्याहरण तीर्थस्थल विद्यमान है। जहां देश भर से लोग पूरे साल भर आते रहते हैं तथा साल में 1 माह का विशाल मेला वर्षों से लगता चला आ रहा है तथा 84 कोसीय परिक्रमा में भी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। सण्डीला-बेनीगंज मुख्य मार्ग से बहादुर तिराहा से आगे हैमा गांव से लेकर हत्याहरण तीर्थ होते हुए भैनगांव तिराहा तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त अवशेष मार्ग के शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत बलदेव ब्लाक, राया ब्लाक, फराह ब्लाक एवं मथुरा ब्लाक में मनरेगा/ नरेगा योजना के कार्य में हुई अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत बलदेव ब्लाक, राया-ब्लाक, फराह-ब्लाक एवं ब्लाक-मथुरा के अन्तर्गत काफी अधिक धन मनरेगा/नरेगा योजना में आवंटन कर मिट्टी का कार्य ग्राम सभाओं में कराया गया है उसमें भारी अनियमितता बरती गयी है। यह भी कहना है कि उपरोक्त तीनों ब्लाकों में 5-5 प्रति ब्लाक में सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि से जो मिट्टी के कार्य, नरेगा के अन्तर्गत कार्य सम्पादित हुए हैं, मनमाने ढंग से ब्लाक कर्मचारी/अधिकारी व ग्राम पंचायतों के प्रधानों की मिली-भगत से ग्राम सभाओं को नियम-विरुद्ध चयनित कर धनराशि आवंटित करके जमकर अनियमितताएं हुईं और धन का दुरुपयोग हुआ था। अतः मेरे जनपद मथुरा के बलदेव विधान सभा क्षेत्र के फराह ब्लाक, बलदेव ब्लाक, राया ब्लाक एवं मथुरा ब्लाक में जो नरेगा/मनरेगा से कच्चे एवं पक्के कार्य किये गये उनमें जो अनियमितताएं बरती गयीं, उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उन कार्यों को पिछले 05 वर्षों की सूची तथा आज के समय की वस्तुस्थिति की जांच करवाकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ककोड के ग्राम सभा वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीराज सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक-सिकन्दराबाद के ककोड व आसपास के 100 गांव के नजदीक कोई भी राजकीय महिला डिग्री कालेज नहीं है, जिस कारण से यहां की छात्राओं को दूर-दराज के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। ककोड के ग्राम सभा-वैर में भूमि भी रिक्त है। जनहित में ककोड के ग्राम सभा-वैर में राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत बछुआर में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल दूध का प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम बछुआर में स्थित औद्योगिक जमीन पर पराग/अमूल दूध प्लाण्ट लगाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। हमारे यहां दुधारू पशुओं की संख्या अत्यधिक है। मवेशियों का दूध औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है, जिससे उनकी आय में कोई इजाफा नहीं हो पाता है। प्लाण्ट लगने से रोजगार का सृजन होगा और मवेशी पालकों को भी लाभ मिलेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम शेरपुर सदर, विकास खण्ड सदर में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुरकाजी के ग्राम-शेरपुर मुख्य सम्पर्क मार्ग जो रूड़की रोड मुजफ्फरनगर मार्ग को जोड़ता है उक्त मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है मार्ग के दोनों ओर घनी आबादी होने के कारण पानी का निकासी न होने से मार्ग पर गन्दा पानी भरा रहता है। जिससे आये दिन लोगों के आवागमन के समय काफी दुर्घटना होती रहती है। उक्त मार्ग के निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्र में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम शेरपुर सदर विकास खण्ड सदर में सड़क एवं दोनों नाली निर्माण कार्य कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के तहतील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत सिसोटार में चकबन्दी प्रक्रिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम सिसोटार में चकबन्दी की प्रक्रिया लगभग 40 साल से चल रही है। परन्तु 2023 तक अभी तक चकों का सीमांकन नहीं हुआ। ए0सी0ओ0 स्तर पर चक काट दिये गये हैं, अपीलों की सुनवाई कुछ दिन तक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने प्रारम्भ किया था। परन्तु उनका स्थानान्तरण अन्य जनपद में हो जाने के कारण इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। वर्तमान कार्यवाहक सी0आर0ओ0, डी0डी0सी0 ने कुछ व्यक्तियों की आपत्ति को सुनकर पूरी चकबन्दी प्रक्रिया ही 06 माह से रोक दिये हैं। यहां के अधीनस्थ कर्मचारी को भी हटा दिया गया है। मैंने कई पत्र मा0 राजस्व मंत्री, प्रमुख सचिव, राजस्व, चकबन्दी आयुक्त को भेजा एवं स्वयं व्यक्तिगत मिलकर जनता की समस्याओं से अवगत कराया। सभी ने जिलाधिकारी, बलिया को आदेशित भी किया, तब भी सी0आर0ओ0, बलिया, कार्यवाहक उप संचालक चकबन्दी ने व्यक्तिगत रंजिश के कारण ग्राम सिसोटार, जनपद बलिया की सम्पूर्ण चकबन्दी प्रक्रिया को ही रोक दिया है, जिससे गांव वालों में काफी निराशा एवं विभागीय अधिकारियों एवं सरकार के प्रति असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उपरोक्त ग्राम सिसोटार, जनपद बलिया की चकबन्दी प्रक्रिया को चालू कराकर किसानों के चकों का सीमांकन शीघ्र अति शीघ्र कराने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के कमनापुर से फत्तेपुर (टीकमपारा) अशरफपुर-बरुवा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[महोदय, जनपद-अम्बेडकरनगर में कमनापुर से फत्तेपुर (टीकमपारा) होते हुए अशरफपुर-बरवां मार्ग विधान सभा क्षेत्र कटेहरी का महत्वपूर्ण मार्ग है उक्त मार्ग अत्यधिक जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, बीच में लगभग 1 किमी0 मात्र (खड़न्जा) है, जोकि अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण आम जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्ग के मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी मण्डल के सभी जनपदों मे निःशुल्क एम0आर0आई0 जांच सुविधा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[महोदय मण्डल वाराणसी के वाराणसी जनपद में भी सदर अस्पताल तथा दीनदयाल अस्पताल में मरीजों की जाँच के लिये एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध नहीं है। जिस मरीज को डॉ0 द्वारा एम0आर0आई0 जाँच करने के लिये लिखा जाता है। गरीब मरीजों को बाहर जाँच कराना पैसे के अभाव में सम्भव नहीं हो पाता है, जिससे वो आगे का इलाज नहीं करा पाते हैं। बनारस एक स्मार्ट सिटी है, अभी तक यहाँ भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उत्तर प्रदेश में यह सुविधा कहाँ-कहाँ है, इसकी भी जानकारी लेने की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वाराणसी मण्डल के सभी जिला अस्पतालों में एम0आर0आई0 मशीन स्थापित करने एवं निःशुल्क जाँच का निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद बदायूँ के दातागंज में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूँ में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था ठीक न होने से आम जनमानस में रोष की स्थिति बनी है। इस हेतु मेरे द्वारा प्रबन्ध निदेशक से लेकर अन्य उच्चाधिकारियों से पूर्व में व्यक्तिगत अनुरोध भी किया गया, परन्तु दातागंज में विद्युत व्यवस्थाएँ जर्जर हैं।

अतः मैं विधान सभा क्षेत्र दातागंज, बदायूँ की विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु इस सदन से निवेदन के साथ विस्तृत वक्तव्य की माँग करता हूँ, जिससे कि समयबद्ध रूप से विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु कार्रवाई हो सके।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-250, रानीगंज में निम्नवत् सड़कें जिनका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की जनहित में अत्यन्त आवश्यकता है, जिन पर यातायात घनत्व अधिक है, आवागमन में जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जिसकी सूचना पूर्व में सदन को दी जा चुकी है, किन्तु उक्त निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिससे आम-जनमानस में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है-

1-फतनपुर-बीरापुर मार्ग लम्बाई-10 किमी0 (ओ0डी0आर0)।

2-ताला-दिलीपुर, लच्छीपुर-चौहरजन मार्ग लम्बाई 15 किमी0 (ओ0डी0आर0)।

3-रामापुर लच्छीपुर मार्ग लम्बाई 10 किमी0 (ओ0डी0आर0)।

4-देल्हूपुर से पुरैला होते हुए खुशियालगढ़ मार्ग लम्बाई 6 किमी0 (ओ0डी0आर0)।

5-सुवंशा मडुवाडीह मार्ग लम्बाई 11 किमी0 (ओ0डी0आर0)।

अतः महोदय उपरोक्त अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में टोंस नदी के किनारे बने बांध के अधूरे निर्माण से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत बहने वाली टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय यहां के कृषकों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टोंस नदी में गाजीपुर से जनपद बलिया तक बने रिंग बंधे में दो जगह 500-500 मीटर का गैप छोड़ दिये जाने की वजह से इसी रास्ते बाढ़ का पानी ग्राम सभा सराय भारती, अतरसुवां, मुस्तफाबाद, कोप, खजुहां, बेसवान, तिराहीपुर, प्रधानपुर, फिरोजपुर, कोडरा, मिर्जापुर, लखुआं, जेवनिया आदि गांवों में फैल जाता है तथा यहां की कृषि भूमि जलमग्न होने के साथ ही साथ इन सभी गांवों का अस्तित्व भी खतरे में है, जोकि कभी भी कटान की वजह से टोंस नदी में विलीन हो सकते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यही नहीं इन गांवों के किनारे वर्षों पूर्व ठोकर आदि का निर्माण भी कराया गया था परन्तु विगत 10-12 वर्षों से इन पर कोई भी अनुरक्षण कार्य न किये जाने के कारण यह सभी ठोकरें अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के टोंस नदी में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ के गम्भीर संकट को देखते हुए अधूरे रिंग बंधे को पूर्ण कराने के साथ ही साथ पुराने ठोकरों के अनुरक्षण के साथ आवश्यकतानुसार नई ठोकरों का निर्माण किये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर के अन्तर्गत ग्राम चांडक तुर्क से किरतपुर मार्ग पर अण्डरपास तथा ग्राम जीवन सराय में सीढ़ीदार फ्लाईओवर बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर के अन्तर्गत ग्राम चांडक तुर्क के मुख्य मार्ग के सम्बन्ध मे दिलाना चाहता हूँ। उल्लेखनीय है कि किरतपुर में विधुत उपखंड कार्यालय के पास से ग्राम चांडक तुर्क जाने वाले मुख्य मार्ग को बन्द करते हुए नेशनल हाई-वे आथॉरिटी द्वारा किरतपुर का बाईपास बनाया जा रहा है। जबकि ग्रामीणों का उक्त मार्ग लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। बाईपास बनाने वाली कम्पनी उस मार्ग को बन्द कर रही है। जबकि शहर किरतपुर से आने-जाने एवं ग्राम के सभी किसानों द्वारा अपनी फसल, गन्ना, गेंहू आदि इसी मार्ग से लाया एवं ले जाया जाता है। ग्राम के सभी किसानों तथा बाशिन्दों को शहर आने-जाने एवं अपनी फसल को बेचने का मौलिक हक भी उनसे छीना जा रहा है। जोकि बिल्कुल भी न्याय उचित नहीं है। नेशनल हाई-वे आथॉरिटी द्वारा बनाये जा रहे बाईपास पर अण्डरपास बनवाने को लेकर उक्त ग्राम के किसानों द्वारा एक माह तक अनिश्चितकालीन धरना भी दिया गया था जिस पर कुछ अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि उक्त जगह पर अण्डरपास बनाया जायेगा। उसके पश्चात् भी किसानों के हित की बात को नहीं सुना जा रहा है। इन ग्रामवासियों में भयंकर आक्रोश है जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। जनता की मांग है उक्त बाईपास के मुख्य मार्ग पर अण्डरपास बनाया जाये एवं ग्राम जीवन सराय में यदि एन0एच0-134 पर सीढ़ीदार फ्लाईओवर नहीं बनाया जाता है, तो ग्राम के लोगों एक ओर से दूसरी ओर आने-जाने हेतु 1.00 किमी0 दूर से घूम कर आना पड़ेगा। इस ग्राम में स्कूल भी मार्ग के दूसरी ओर है। जिस कारण स्कूल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने जाने के लिए भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ग्राम सराय जीवन में क्रासिंग हेतु सीढ़ीदार फ्लाईओवर बनाया जाना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित एवं किसान हित के अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के मामले को औचित्य-प्रश्न के रूप में सदन के संज्ञान में लाते हुए ग्राम चांडक तुर्क से किरतपुर मार्ग पर एन0एच0-134 पर अण्डर बाईपास एवं ग्राम जीवन सराय में क्रासिंग हेतु सीढ़ीदार फ्लाईओवर बनाने हेतु आवश्यक आदेश देने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवा, इलाज, जांच एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, सरकारी अस्पतालों में न दवा मिल रही है न जांच हो रही है, करोड़ों रुपए की दवाएं जो जनता को बांटी जानी थीं उसकी एक्सपायरी डेट भी निकल गई और जनता को वह दवाएं नहीं मिलीं कई लोगों की दवा के अभाव में मौत हो गई, जनता को अस्पतालों में न दवा मिल रही है, न जांच हो रही है, न आई0सी0यू0 में बेड मिल रहा है, न वेंटिलेटर मिल रहा है, दवा और वेंटीलेटर के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं, जिससे जनमानस में जबरदस्त आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है, यह जनता से जुड़ा हुआ जनहित का गम्भीर विषय है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के अति गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में दवा, इलाज, जांच एवं वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में राजकीय पॉलीटेक्निक बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहगंज, जनपद जौनपुर में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज नहीं है। जिससे छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जिससे धन व समय का भी अपव्यय होता है। राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिले में मात्र एक ही कालेज है, जो 40 किमी0 की दूरी पर है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद महराजगंज के मोहम्मदी के अन्तर्गत शंकरपुर से फरेंदा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, यह सदन प्रस्ताव करता है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत शंकरपुर से फरेंदा मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में एवं बहुत बडे-बडे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आये दिन ट्रैक्टर-ट्रालियां पलटने के कारण लोगों को चोट लगती रहती है, उक्त मार्ग के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में मेरे द्वारा सड़क का स्वामित्व पी0डब्लू0डी0 विभाग के द्वारा लेने का आग्रह किया गया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि इस मार्ग का निर्माण हो जाता है, तो यह रोड एन0एच0-730 (मोहम्मदी-शहजहाँपुर मार्ग) से एन0एच0-730ए मोहम्मदी-पुवायां मार्ग को जोड़ता है, इसके बन जाने से लोगों को आ रही समस्याओं से निजात मिल जायेगा।

अतएव उक्त प्रस्ताव पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।]

प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी अस्पतालों में एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाऊर्रहमान-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उ0प्र0 में जिला सरकारी अस्पतालों में एम0आर0आई0 की सुविधा न होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जिला सरकारी अस्पतालों में एम0आर0आई0 की सुविधा कराने की मांग करता हूँ।]

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन-II, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-05†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II, 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-05 को संविधान के अनुच्छेद-151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा-19 (ए) की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

वित्त लेखे खण्ड-I, वर्ष 2021-2022 एवं खण्ड II, वर्ष 2021-2022 उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष 2021-2022 उत्तर प्रदेश सरकार†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त लेखे खण्ड-I, वर्ष 2021-2022 एवं खण्ड-II वर्ष 2021-2022 उत्तर प्रदेश सरकार तथा विनियोग लेखे वर्ष 2021-2022 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापा नहीं गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश शासन प्रतिवेदन सं0-6 वर्ष 2022†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश शासन प्रतिवेदन संख्या-6 वर्ष 2022 को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिक प्रणाली पर उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-3†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर उत्तर प्रदेश सरकार, वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-3 को संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2010, दिनांक 04 मार्च, 2010†

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2010, दिनांक 04 मार्च, 2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2017, दिनांक 28 जुलाई, 2017†

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2017, दिनांक 28 जुलाई, 2017 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2017†

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक

---

† छापा नहीं गया।

आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

आज महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ होगी, मैं अभी उनका नाम लूँगा जिनको इसको प्रारम्भ करना है। अभी 04:00 बजे हैं, रात के 8 बजे तक आज हम इसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य ने चर्चा को 09:00 बजे तक करने का अनुरोध किया।)

ठीक है, 09:00 बजे तक कर देते हैं अभी तो 12:00 बजे तक बैठना है। 09:00 बजे तक मेरे ख्याल से सब लोग तैयार होंगे। 09:00 बजे तक आज बैठेंगे और 09 बजे के बाद आगे की कार्यवाही लेंगे। 4 घंटे आज के लिए निर्धारित हैं और कल मा0 नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तो तभी मेरा सभी नेताओं से निवेदन है कि वह कल बोल लेंगे अगर आज कोई नेता बोलना चाहेगा तो मैं उनको प्राथमिकता दूँगा। हमारा अभिभाषण का प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने के बाद और सेकेण्ड हो जाने के बाद यदि किसी दल के मा0 नेता बोलना चाहेंगे तो वह मुझे बता देंगे तो मैं उन्हें बुला लूंगा अन्यथा मा0 सदस्यों के बोलने के सम्बन्ध में जो सूची मेरे पास आई है। इधर से सूची मेरे पास आ गई है, आपकी तरफ से नहीं आई है, आप भी मुझे दे देंगे और बाकी सदस्य भी मुझे उसकी सूची दे देंगे, तो उसके हिसाब से आज बैठेंगे, लेकिन कल रात को 9 बजे तक का प्रतिबन्ध नहीं होगा, कल रात को हम लेट तक बैठेंगे, चूँकि सभी मा0 सदस्यों की रुचि है और मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान विधान सभा के सारे मा0 सदस्य बड़ी रुचि के साथ पूरा समय यहाँ बैठकर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और विशेष रूप से तब जब मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा और कल मैंने इस बात की घोषणा की थी कि जो भी सदस्य श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर और वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट पर सामान्य चर्चा पर बोलेंगे, तो जिस विभाग से सम्बन्धित विषय वह लेंगे उस विभाग को विधान सभा सचिवालय आपकी कार्यवाही भेजेगा और उस पर कार्यवाही करने के लिए हम अपेक्षा करेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण चर्चा है, सिर्फ अभी तक जिस प्रकार से होता था कि चर्चा हो जाने के बाद उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता था।

वह अब नहीं है, तो इसीलिए गम्भीर विषय है और उस गम्भीर को हम कितना अपने क्षेत्र की जनता और प्रदेश के कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं, यह हम सब पर निर्भर करेगा। अब हम अगली मद संख्या लेते हैं।

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति प्रदान की। ''यह सदन श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 20 फरवरी, 2023 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।'' माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव है। माननीय श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ लिये जाने का पीठ से अनुरोध

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह नियम-56 की बात फिर कब आयेगी ?

श्री अध्यक्ष-

अरे, वह नहीं लाना चाहते हैं, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुद भी जाना चाहते हैं। मेरे पीछे आये इसलिए मैंने पूछ लिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नियम-56 को सुन लेते।

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम 56 तो नम्बर में आया ही नहीं न, जब नम्बर में आयेगा, तभी लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नियम-56 पहले ले लेते।

श्री अध्यक्ष-

अरे कैसे ले लें, जब वह मद में है तो जब उसमें आयेगा तभी लेंगे, पहले कैसे ले लें? माननीय वित्त मंत्री जी, जब नम्बर से आयेगा तो लेंगे, आप बोलो तो पहले ले लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आयेगा, तब लेंगे। श्री नीलकण्ठ तिवारी जी, आप कन्टीन्यू करिए।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के समेकित विकास, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मानव की सम्पूर्ण सुविधा, सुख, समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के विजन को आदरणीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में रखा। अच्छा होता कि हमारे सम्मानित विपक्ष के लोग भी आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुनते। आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हमारे सम्मानित विपक्ष के लोग सदन में हो-हल्ला मचाने, हंगामा करने और तख्तियाँ दिखाने का काम कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी मातृस्वरूपा और मातृ शक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रही थीं, साथ ही साथ राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा, जो अभिभाषण दिया, उस समय एक बहुत ही अचम्भित करने वाला विषय यह था कि उसके प्रथम पेज पर, जिनको विपक्ष के लोग अपना आदर्श मानते हैं, नेता मानते हैं, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी, नेता जी, उनको श्रृद्धासुमन भी उस अभिभाषण में दिया गया लेकिन उस समय भी यह विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग तख्तियाँ दिखाने का काम कर रहे थे, हो-हल्ला मचाने का काम कर रहे थे। इससे यह झलकता है कि इनके मन में मुलायम सिंह यादव जी के प्रति भी कोई सम्मान का भाव नहीं है, यदि वह रहता तो निश्चित तौर पर यह लोग आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुनते। अधिष्ठाता महोदय, अभिभाषण के दौरान इनके द्वारा जो हो-हल्ला मचाया गया, इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि इनके मन में किसी भी प्रकार का महिला सम्मान का भाव नहीं है और न ही किसी पिछड़े वर्ग को यह शीर्ष पद पर देखना चाहते हैं। किसी पिछड़े वर्ग के उत्थान के भाव को लेकर आगे बढ़ने का भी इनके मन में कोई भाव नहीं है। खैर, इन्होंने जो किया उसे जनता ने देखा है और पूरे प्रदेश की जनता ने इस कृत्य की बहुत ही निन्दा की है क्योंकि यह आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का अपमान था, यह राज्यपाल जी का अपमान था, यह महिला शक्ति का अपमान था, यह समाज के एक पिछड़े वर्ग की मातृशक्ति का भी अपमान था, जिसे पूरे समाज ने देखा। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना है उसका मार्ग प्रशस्त करने का भाव भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन बनने की जो परिकल्पना है उसका भी पथ प्रशस्त करने का मार्ग बताया गया है। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डालर इकोनॉमी का प्रदेश बनाने के स्वरूप का खाका बताया गया है। उत्तर प्रदेश प्रभू श्रीराम की जन्मभूमि है, श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है, श्री विश्वनाथ धाम की नगरी, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी, विश्व की सबसे पुरातन नगरी काशी का यह उत्तर प्रदेश है, यहां पर विंध्यधाम है, यहां पर आध्यात्मिक पीठ से सामाजिक समरसता का भाव ले करके काम करने वाले सन्त परम्परा गौरक्षपीठ का यह प्रदेश है, इस प्रदेश में बृज क्षेत्र है, अयोध्या धाम यहां पर है। विंध्य धाम यहां पर है, तीर्थराज प्रयाग यहां पर

है, चित्रकूट यहां पर है, यह वही प्रदेश है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने संदेशों को प्रवाहित किया था, यह वही भूमि है जहां पूज्य सन्त शिरोमणि श्री रविदास ने अवतार लिया था, यह वही भूमि है जहां कबीरदास ने जन्म ले करके अनेक प्रकार की रचना के माध्यम से सामाजिक समरसता का भाव आगे बढ़ाया, आदि कवि महर्षि बाल्मिकी का यह प्रदेश है, गोस्वामी तुलसीदास जी का यह प्रदेश है, जिन्होंने श्री रामचरित मानस के माध्यम से सामाजिक मर्यादाओं को चिन्हित किया और जो भी मर्यादा को मानता है वह श्री रामचरित मानस को अवश्य मानता है, श्री रामचरित मानस का सम्मान करता है, उसकी पूजा करता है, उसका पाठ करता है। यह गोस्वामी तुलसीदास की भूमि है, निषादराज गुह की भूमि है, महाराजा सुहेलदेव की भी भूमि है, जिन्होंने चित्तौड़ झील पर गाजी को धूल चटाने का काम किया था। यहां पर ऋतुओं का समान रूप से संचरण होता है। समय के अनुसार सभी ऋतुएं मिलती हैं, पर्याप्त जल संसाधन है, उर्वरा भूमि है, यहां पर अनेक प्रकार की दैवीय एवं प्राकृतिक सुविधाएं प्राप्त हैं। रामराज्य की परिकल्पना भी यहीं से हुई थी। अधिष्ठाता महोदय, लेकिन दुःख होता है कि वर्ष 2017 के पहले इस भूमि पर गुण्डाराज काबिज हो गया था, अपराध तंत्र हावी हो गया था। राज सत्ता के संरक्षण में माफिया और अपराधियों द्वारा व्यापारियों से गुण्डा टैक्स मांगा जाता था। अपराधियों का राज था, राज़ सत्ता के द्वारा उन्हें यहां पर मान्यता दे दी गयी थी। कोई भी व्यक्ति यहां पर व्यापार नहीं करना चाहता था, जो यहां पर व्यापार करता था वह भी भागना चाहता था। कोई भी व्यापारी सुखपूर्वक नहीं था। कोई भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। बहनें, बेटियां स्कूल जाने से कतराती थीं। माता-पिता उनको स्कूल नहीं भेजते थे। कोई नौकरी पेशा, व्यापारी व्यक्ति या बैंक का कर्मी जब सुबह जाता था तो उसके घर में आरती होती थी कि वह शाम तक सुरक्षित वापस आ जाय। यह स्थिति उत्पन्न कर दी गयी थी। किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। आत्महत्या करने के लिए बाध्य होता था। कल नेता प्रतिपक्ष ने टी0वी0 पर एक स्टेटमेंट दिया और यहां भी रोज किसानों की आमदनी दुगनी-दुगनी-दुगनी की बात करते रहते हैं।

किसान आत्महत्या करता था, किसान की उपज की खरीद नहीं होती थी, उचित मूल्य नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलती थी, कोई भी व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चलती थी। हमारे आध्यात्मिक स्थलों का अपमान होता था, आध्यात्मिक स्थलों पर कोई विकास की व्यवस्था संचालित नहीं होती थी और उन्हें विकास से वंचित कर दिया गया था। यह वह उत्तर प्रदेश की भूमि है, जो सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली भूमि है। पूरे देश की आत्मभूमि है, जिसने 7-7 प्रधानमंत्री दिये हों। उत्तर प्रदेश में जहाँ देश की सर्वाधिक जनशक्ति रहती हो, सबसे ज्यादा युवा शक्ति रहती हो, उस उत्तर प्रदेश का हाल समाजवादी सरकार ने बदतर बना दिया था। 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है।

आदरणीय योगी जी ने मुख्य मंत्री की कुर्सी को कर्तव्य पथ के रूप में और एक साधन मात्र के रूप में चुना और साध्य को जनसेवा। प्रदेश का उत्थान, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाना, 1 ट्रिलियन डालर इकोनॉमी के लक्ष्य

को ले करके काम करना, अन्तिम व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना को ले करके आगे काम करना, यह भाव ले करके आदरणीय योगी जी ने काम शुरू किया। कहने में गौरव होता है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। मैं विपक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2017 से आज तक एक भी किसान ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या नहीं किया। यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2017 में सरकार बनने के बाद 36 हजार करोड़ रुपये से 86 लाख किसानों का ऋणमोचन करके उनको आर्थिक तंगी से उबारने का काम किया गया था। प्रायः इनके द्वारा कहा जाता है, चर्चा की जाती है, आय दोगुनी, आय दोगुनी, आय दोगुनी। इन्होंने शायद आँकड़े नहीं देखे। इन्होंने रबी और खरीफ की फसलों की खरीद के आँकड़े नहीं देखे, शायद आँकड़े देखे होते तो इनको यह कहने की जरूरत नहीं होती कि आज आय कितनी है और किसान की कितनी अच्छी स्थिति है। जितनी उन्होंने पाँच साल में रबी और खरीफ की फसल की खरीददारी की थी, उसके दोगुना से भी ज्यादा की खरीददारी सरकारी रेट पर, बढ़े हुए रेट पर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है।

अधिष्ठाता महोदय, किस बात की चर्चा करते हैं, यह प्रदेश को ले जाकर कहाँ पर खड़ा कर दिये थे, इन्होंने प्रदेश की स्थिति कहाँ पहुँचा दी थी ? प्रदेश के बारे में क्या चिंतन हो रहा था ? उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश के रूप में माना जाता था। यहाँ एयरपोर्ट से व्यापारी आता था तो सोचता था कि कहीं उत्तर प्रदेश के किसी जिले में न जाना पड़े। कोई अपराधी उसको उठा लेगा, कोई उनका अपहरण कर लेगा। यह सब कौन देखेगा, यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सपा सरकार के पाँच वर्षों में 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया था, यह हमारे सपा के मित्र जरूर जानते होंगे और उनको याद भी होगा। वह यह भी जरूर जानते होंगे कि पाँच साल में 2017 से 2022 के बीच में 209.67 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई, यह दोगुनी हुई कि नहीं हुई ? आज उत्तर प्रदेश का देश में अन्न उत्पादन में प्रथम स्थान हो गया है, अनाज के उत्पादन में नम्बर एक है। आपको किस प्रकार के प्रश्न के उत्तर चाहिए ? आप दोगुनी आय की बात करते हो ? हम दिन-रात काम में लगे हैं, दिन-रात आदरणीय योगी जी की सरकार लगी है, दिन-रात आदरणीय योगी जी तपस्वी भाव से पूरे कर्मयोग के भाव को लेकर दिन-रात निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक-एक किसान को आगे बढ़ाने के लिए, एक-एक किसान के उत्थान के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी नियमित कार्य कर रहे हैं। यह योगी जी की सरकार है। आप लोगों ने जो-जो कुकृत्य किया था, उस सबको साफ किया गया। आप जरा ध्यान दीजिए। ये बेरोजगारी की चर्चा करते हैं।

(इसी मध्य 04 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, इनके समय बेरोजगारी 17.5 प्रतिशत थी, आज 4 प्रतिशत से भी कम है, क्या चर्चा करते हो। आपने किया क्या है ? आपने प्रदेश को कहां पर ला करके रख

दिया था। आपने सरकारी नौकरियाँ ढाई लाख के आस-पास दी थीं। आदरणीय योगी जी की सरकार ने 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियाँ दी हैं। जब ढाई लाख नौकरियाँ आपने दिया था तब दुकानें खुल गई थीं। मामा की दुकान, चाचा की दुकान, भइया की दुकान, बबुवा की दुकान, बहना की दुकान अनेक दुकानें खुल गई थीं और उस दुकान में इन नौकरियों को देने के लिए सौदा होता था, रेट चलता था। रेट के लिए वह दुकानें खुल गई थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ।

आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एकदम पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी के साथ पूरी योग्यता के आधार पर बिना किसी जातीय विद्वेष के, पांथिक विद्वेष के लोगों की नियुक्तियाँ हो रही हैं। आज यू0पी0 अर्थव्यवस्था में पूरे प्रदेश में दूसरे नम्बर पर है। जब यह लोग छोड़ कर गये थे तब यू0पी0 छठवें नम्बर पर था, आज दूसरे नम्बर पर है। इन 5 सालों में आदरणीय योगी जी की सरकार ने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है। वर्ष 2018 में इन्वेस्टर्स समिट हुआ। वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का जीरो निवेश था। इन्वेस्टर्स समिट में 5 लाख के आस-पास के ए0एम0यू0 होते हैं। वर्ष 2018 के ए0एम0यू0 होने के बाद ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी होने लगती है, इसी बीच में वैश्विक महामारी कोरोना आ जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोरोना आने के बाद भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व तरीके से प्रदेश की एक-एक जनता की जीवन की रक्षा के लिए चिकित्सा की व्यवस्था के लिए उनके ऊपर किसी भी तरीके से कोरोना का प्रभाव न पड़े इस भाव को ले करके काम करते हुये विकास की गति को आगे बढ़ाया गया और वर्ष 2018 में इन्वेस्टर समिट में जो ए0एम0यू0 हुये थे उसके सापेक्ष 4 लाख करोड़ रुपये के बिजनेस संचालित हो गये, इन्स्टाल कर लिये गये और उन 4 लाख में से जो इन्स्टाल किये गये उनमें ज्यादातर बिजनेस इस समय फंक्शनल हो चुके हैं। ईज आफ डूइंग बिजनेस में 14वां स्थान था, आज दूसरे स्थान पर उत्तर आदेश है और यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई जिसमें देश के सभी औद्योगिक घरानों के साथ-साथ 40 देशों के औद्योगिक प्रतिनिधियों ने आ करके भाग लिया और लगभग 33 लाख 50 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एम0यू0 हुये। यह इनके सोच से भी परे है और इनकी तो सांसें रुक जाती हैं, जब यह आँकड़ा सुनते हैं। आज चाइना कोई नहीं जाना चाहता। कोई अब दूसरे देश में नहीं जाना चाहता। आज भारत में और वह भी उत्तर प्रदेश में विदेश की कम्पनियाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। यह योगी जी का कमाल है, योगी जी की मेहनत है और आपके द्वारा संरक्षित अपराधियों पर कसी गई नकेल, उनके खिलाफ चलाये गये अभियान का यह परिणाम है। पिछले 5 सालों में 2 विषय पर बहुत चर्चा होती थी आप लोगों को ध्यान होगा और सबको याद होगा उसमें बहुत से लोग जेल भी गये थे।

पिछले पाँच सालों में एक विषय पर बहुत चर्चा होती थी खनन। आप लोगों को याद होगा कि उसमें बहुत से लोग जेल भी गये थे। याद है वो खन-खनाता 'खनन'। इनके समय में खनन में मात्र ग्यारह सौ करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था। अधिष्ठाता महोदय, शेष रकम भैया,

चाचा, मामा, मामी, चाची को जाता था। घर के ही प्रधान, बी0डी0सी0, ब्लाक प्रमुख, विधायक, सांसद, अध्यक्ष, सब एक ही परिवार के जो लोग होते थे, उन्हीं परिवारों में ये खनन का पैसा जाता था। अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय योगी जी की मेहनत से उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 के बाद अपराधियों, खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के बाद खनन का राजस्व ग्यारह सौ करोड़ रुपये से बढ़कर बयालिस सौ करोड़ आ गया। बदलता उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, खनन माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का यह बहुत बड़ा नमूना था।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आबकारी में इनके लोगों का गिरोह/सिंडीकेट चलता था। उस सिंडीकेट के चलने के कारण इनकी सरकार में आबकारी विभाग से मात्र बारह हजार करोड़ का राजस्व उत्तर प्रदेश को मिलता था। हमारी सरकार द्वारा उस सिंडीकेट को समाप्त किया गया, सिंडीकेट को तोड़ा गया, सबको अलग-अलग कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ कि बारह हजार करोड़।

(विपक्ष के किसी सदस्य के कुछ बोलने पर)

बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, सच सुनना नहीं चाहते, लेकिन मै सुनाऊँगा। ये योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में कोई भी सच बोल सकता है, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से रह सकता है, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त समाज की परिकल्पना कर सकता है। मा0 योगी जी की सरकार में आबकारी का राजस्व बारह हजार करोड़ से बढ़कर छत्तीस हजार करोड़ हो गया। तीन गुना बढ़ गया, ये मामूली बात नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, आखिर इनके द्वारा क्या किया जाता रहा। वह पैसा कुछ जिलों में जाता था, कुछ जिलों के लोगों के जेब में जाता था।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी बिजली की चर्चा हो रही थी, तत्समय हँसी भी मुझे आ रही थी। पीछे बैठे हमारे कुछ मा0 सदस्य कहते थे कि इतने समय बिजली आती थी। हम कहना चाहते हैं कि बिजली आती ही नहीं थी, तो जाने का कोई तुक ही नहीं था। इसमें जितने लोग बैठे हैं, उसमें से 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बिजली के लिए आन्दोलन किया होगा और आन्दोलन करने के बाद उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 भी हुआ होगा। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 24 घण्टे जिला मुख्यालय, 20 घण्टे तहसील मुख्यालय, 18 घण्टे गाँव में समान रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है। कोई वी0आई0पी0 कल्चर नहीं है। पिछली सरकार में क्या होता था ? कुछ वी0आई0पी0 जिले निर्धारित थे, वहीं पर बिजली आपूर्ति की जाती थी। अब सबको बिजली मिल रही है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, वी0आई0पी0 कल्चर को तोड़ा गया।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, एक और हँसी की बात बताते हैं कि ये 'राम चरित मानस' को नहीं मानेंगे, ये तुलसीदास जी को नहीं मानेंगे, लेकिन नोएडा भी नहीं जाते थे। कहते थे कि नोएडा नहीं जाएंगे, अशुभ है, नहीं तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। सत्ता की

लोलुपता, सत्ता के लिए इतना लगाव, सत्ता के प्रति इतना भाव कि हम यदि नोएडा जाएंगे, तो पुनः सरकार में नहीं आएंगे, मुख्य मंत्री का पद चला जायेगा, मुख्य मंत्री नहीं बनेंगे, नोएडा नहीं जाते थे, नोएडा/एन0सी0आर0 का विकास रुक गया। आज हमें ये यह कहते हुए गौरव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक-एक जन आदरणीय योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करता है।

आज गौरव होता है कहने में और उत्तर प्रदेश का एक-एक जन आभार व्यक्त करता है मा0 योगी जी का कि मा0 योगी जी इन सब चीजों को परे रखते हुए बारम्बार नोएडा गये, जेवर एअरपोर्ट भी नोएडा में बन रहा है, फिल्म सिटी भी वहीं बन रही है, अनेक प्रकार की योजनाओं का मा0 योगी जी स्वयं निरीक्षण करते हैं। सपा का यह दोहरा चरित्र है कि रामचरित मानस को नहीं मानेंगे, शुभ-अशुभ मानेंगे और नोएडा भी नहीं जायेंगे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अपराध को नियंत्रण कैसे किया जाए, इन्होंने इस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि अपराध तो इनके संरक्षण में चल रहा था। मा0 योगी जी ने कहा कि अपराध तो नहीं होगा और कमिश्नरेट प्रणाली को उत्तर प्रदेश में इन्ट्रोड्यूज किया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, ग्रोथ इंजन के रूप में इसकी प्रमाणिकता को स्थापित करना है, वह कैसे होगा, योगी जी ने कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया।

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी से बीच में एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं काशी के जिस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, वहां पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मण्डी है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मण्डी वहां है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मण्डी वहां है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी शर्राफा मण्डी वहां है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी साड़ी मण्डी वहां है। वहां पर 2017 से पहले कोई व्यापारी सुरिक्षत नहीं था, हर व्यापार में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपये लेकर भी घर नहीं जा सकता था, अगर जाता था तो वह गोली खाता था। गुण्डा टैक्स मांगे जाते थे और थाने के संरक्षण में एक दूसरा थाना अपराधियों के संरक्षण में चलता था। व्यापारी व्यापार करने से कतराता था। लेकिन आदरणीय योगी जी ने, योगी जी की सरकार ने कमाल कर दिया और इस पर चर्चा देश में भी होती है, इस पर चर्चा हाई कोर्ट भी करती है, न्यायालय में भी चर्चा होती है, दूसरे प्रदेश व दूसरे देश में भी इसकी चर्चा होती है। 2 हजार करोड़ के लगभग अवैध ढंग से अपराध तंत्र के द्वारा कमायी गयी माफियाओं की सम्पत्ति को आदरणीय योगी जी की सरकार ने जब्त किया और ज़ब्त ही नहीं किया, उन जमीनों पर गरीबों के आवास निर्माण का शिलान्यास कर दिया और अब आवास बन रहा है। दंगा प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, कहां कर्फ्यू लग जाएगा, कब कर्फ्यू लग जाएगा, किस दिन कर्फ्यू लग जाएगा कोई जानता नहीं था, 400 दंगे इनके कार्यकाल में हुए तथा वह 400 दंगे इनके द्वारा इनके लोगों के द्वारा कराये जाते थे। लेकिन आज एक भी दंगा करने की किसी की मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता दंगा करने की, क्योंकि यह योगी जी की सरकार है दंगा मुक्त प्रदेश है। एक भी दंगा साल 2017 से अब तक

नहीं हुआ है और न ही कोई करने का साहस कर सकता है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, भोले-भाले शिव भक्त कांवड़ यात्री जब निकलते थे तब इनके कानून का चाबुक चलता था, डी0जे0 नहीं बजाओगे, गाना नहीं गाओगे, जुलूस में नहीं जाओगे, इस रास्ते से नहीं जाओगे यह रास्ता बन्द कर दिया जाएगा। दुर्गा पूजा पर प्रतिबन्ध लगाने का काम, दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबन्ध लगाने का काम इनके द्वारा किया जाता था। तुष्टीकरण की ओट लेकर इनके द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाता था और थानों में जब कृष्ण जन्माष्टमी होती थी तब यह उस पर भी बैन लगाते थे, आज गौरव होता है और हर भारतीय गौरव करता है कि जब कांवड़ यात्री निकलते हैं तब उनके ऊपर हेलीकाप्टर से फूलों की वर्षा होती है। हर थाने में सरकार के द्वारा कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाओ।

(श्री अतुल प्रधान द्वारा अपने आसन पर बैठे हुए बहुत झूठ बोल रहे हैं,
की टिप्पणी करने पर)

पिछले दिनों 20 फरवरी को भी यही कह करके कि झूठा अभिभाषण मत पढ़ो, झूठा अभिभाषण मत पढ़ो बोलते-बोलते पूज्य मुलायम सिंह यादव जी को भी भुला दिया, उनको भी अपमानित कर दिया था, फिर शुरू किये हैं। अरे ! सच सुनने की आदत डालिये। लव जिहाद, इनके संरक्षण में होता था। माता-पिता डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब किसी स्कूल पर शोहदे नहीं दिखायी देते, लव जिहाद वाले भी नहीं दिखायी देते। यदि दिखायी देते हैं तो उनकी भाषा में और भी अच्छे तरीके से पूरा सदाचार सिखाने के तरीके से, उनको व्यवस्था देकर सजा भी दी जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हमारी पुलिस विभाग में जो बहनें हैं, वह सिविल ड्रेस में विद्यालयों के आस-पास रहती हैं और दौड़ाकर कालर पकड़ करके उनकी धुनाई भी करती हैं। आज कोई लव जिहाद नहीं कर सकता। एण्टी रोमियो स्क्वायड पूरी तरह से सक्रिय है।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, गरीब अँधेरे में रहने के लिए बाध्य था। बड़ी गरीबी की भी बात करते थे, बिजली की भी चर्चा करते हैं। गरीब के पास इतना पैसा नहीं था कि वह बिजली ले सके। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार में, आप लोग नोट कर लीजिए। 03 करोड़ से ज्यादा ऐसे गरीब परिवारों को उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दिया और यही नहीं उनके यहाँ एल0ई0डी0 बल्ब की भी व्यवस्था की। आज गरीब का लड़का लालटेन में नहीं पढ़ता है, बिजली के बल्ब में पढ़ता है। मेडिकल, इन्जीनियरिंग क्वालीफाई करता है, रिक्शा चलाने वाले का लड़का आई0ए0एस0 भी बनता है। क्योंकि आदरणीय योगी जी ने ऐसी व्यवस्था की। उनके यहाँ बिजली का कनेक्शन निःशुल्क दिया। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, रोजगार की चर्चा करते हैं। ये तो जानते ही नहीं हैं कि रोजगार क्या होता है ? क्योंकि रोजगार के बारे में इनकी व्यवस्थायें दूसरी थीं, इनका रोजगार तो अपराध तंत्र से निकलता था। अपराध के बारे में इनका जो चिन्तन होता था वह यह होता था कि यह अपराध

ही रोजगार है। इनके रोजगार और अपराध में कोई अन्तर नहीं होता था। इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ, कोई इण्डस्ट्री नहीं लगी। जो इण्डस्ट्री लगी थीं वो भाग रही थीं, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने पाँच सालों में 01 करोड़ 75 लाख लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया और स्वरोजगार, सेल्फ रोजगार देने का काम किया। अलग-अलग व्यवस्थाओं में उनको रोजगार प्राप्त हुआ है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, प्राइमरी व प्राथमिक स्कूलों की कभी-कभी बड़ी चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या घट रही थी, शिक्षक नहीं थे, कोई नियुक्ति नहीं करते थे, शिक्षा मित्र रख देते थे। नियुक्ति नहीं करते थे, जब नियुक्ति करते थे तो दुकान खुल जाती थी, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने इन सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे नौनिहालों को स्वेटर मिले, जूते मिले, मोजा मिले इसकी व्यवस्था किया और बैग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इन सभी व्यवस्थाओं को किया और यही नहीं 1 लाख 38 हजार ऐसे प्राथमिक व परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प भी करने का काम आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन 06 सालों में किया है। (मेजों की थपथपाहट) नकल इनके यहाँ विचार था, उस नकल को मानते थे कि नकल सबको करना चाहिए, लेकिन यह नहीं सोचते थे कि नकल करके पास तो करा दोगे, लेकिन उस विद्यार्थी का भविष्य आप खराब कर रहे हैं, वह क्या करेगा किसी कम्पटीशन में ? नकल के प्रति आप सकारात्मक भाव रखते थे। लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार ने नकल रोकने के लिए सी0सी0टी0वी0 कैमरे भी लगवाये, नकल पर पूरी तरह से रोक लगवायी। आज उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी जब पास होता है तो जितनी भी बड़ी परीक्षायें राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं, उन बड़ी परीक्षाओं में अण्डर ट्वेन्टी में उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी होता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करिये।

डा0 नीलकण्ठ तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश ने 40 योजनाओं में भारत में नम्बर-1 स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। उत्तर प्रदेश में हमारे जो आध्यात्मिक स्थल थे, उसको पांथिक तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने विकास से वंचित कर दिया है। मुझे यह कहने में बड़ी हंसी आती है और ताज्जुब होता है। इनके नेता ने कहा कि श्री विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनवाने का काम मैंने शुरू किया था, मेरी विधान सभा है, मैं वहीं रहता हूं, कब शुरू किया? मुझे जानकारी नहीं है, कब पैसा दिया था ? मैं उस विभाग का मंत्री भी रहा, कब इन्होंने किस विभाग से पैसा दिया ? यह कहते हैं कि मैंने किया। क्या कभी इन्होंने श्री विश्वनाथ धाम बनाने का सपना देखा होगा। सच्चाई तो यह है कि 1916 में महात्मा गांधी पूज्य बापू जब श्री काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लोकार्पण के कार्यक्रम में आये थे तो उस समय उन्होंने वहां की गलियों की गन्दगी के बारे में चर्चा की थी, लेकिन न तो इनकी सरकार के

समय कोई सुनवाई हुई और न ही कांग्रेस की सरकार में कोई सुनवाई हुई, जो कि पूज्य बापू के नाम पर लगातार सत्ता में बनी रही, उसने भी नहीं सोचा, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने सोचा है। उनकी प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में श्री विश्वनाथ धाम भव्य रूप में आकार ले चुका है। मुझे यह कहने में गौरव होता है और इनको भी पता करना चाहिए, थोड़ा सा अनुभव और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। उस काशी में जहां पर 10-20 हजार लोग आते थे, विशेष तिथियों पर एक लाख से डेढ़ लाख लोग आते थे। अब रोज एक से डेढ़ लाख लोग आते हैं। जीएसटी विभाग की रिपोर्ट पता कर लेना कि साल भर में एक साल में श्री विश्वनाथ धाम के कारण काशी की जीएसटी में 35 प्रतिशत की ग्रोथ हो गयी है। वहां पर होटल के कमरे नहीं मिलते हैं। यह जायेंगे, इनको भी नहीं मिलेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये।

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस दो मिनट और लूंगा वहां पर जिन नाविकों की हम चर्चा करते हैं, उस काशी में उन नाविकों को सीएनजी इंजन मिला है। इन्होंने देखा नहीं होगा, जाकर देखना चाहिए। वहां पर 1800 नाविक हैं, उन सभी 1800 नाविकों को सीएनजी इंजन मिल गया है और वह अपना काम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

देखे होंगे तभी जीएसटी बढ़ा है।

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे याद है कि जब वर्ष 2017 में सरकार बनी थी तब अयोध्या धाम में माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में वहां पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा था। हम सभी लोग गये थे। सड़कों पर नाबदान बह रहे थे। गलियों में पनडोहा बह रहा था। गन्दगी की व्याख्या नहीं की जा सकती है, उस स्थिति को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे सन्त समाज के लोगों ने आकर मैं स्वयं गया था, चूंकि अपनी व्यथा बतायी, विकास से वंचित कर दिया था। आज श्री अयोध्या धाम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ट्रस्ट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सही प्रयास से, गृह मंत्री जी के प्रयास से, आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भव्य राम मन्दिर तो बन ही रहा है साथ ही साथ एक चीज और इनकी जानकारी में होनी चाहिए कि अयोध्या के लिए विजन डाक्यूमेन्ट भी तैयार हुआ है। अयोध्या को विश्व की सबसे सुन्दरतम नगरी बनाने को लेकर काम भी चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

चलिये हो गया।

डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस अयोध्या भूमि का भी जी0एस0टी0 बढ़ गया है, इनको पता करना पड़ेगा। विन्ध्य धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गयी है। कुम्भ में जहां पर चोरी, डकैती, भगदड़ होती थी, गन्दगी होती थी, मुझे याद है, क्योंकि मेरी भी उसमें भूमिका थी, जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन काशी में हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रवासियों से कहा कि प्रयाग कुम्भ में चलना है तो चलिए, प्रयाग कुम्भ का नाम सुन करके बहुत लोग तैयार नहीं हुए। उन्होंने फिर रास्ते में व्याख्या किया कि क्या स्थिति थी इनके सरकार के समय जो कुम्भ हुआ था। जब वह वहां पर गए तब उन्होंने माँ गंगा का संगम का स्वरूप देखा, सफाई देखी और वहाँ की व्यवस्थाएं देखीं तो स्नान भी किए, आचमन भी किए एवं त्रिवेणी का जल भर कर भी अपने साथ ले गए। जब मैं पहली बार चित्रकूट धाम गया था इनकी सरकार के उत्तर प्रदेश के बाद तब उस मन्दाकिनी नदी उत्तर प्रदेश के किनारे पर भूत बंगला टाइप का था। उस पार मध्य प्रदेश वाले हिस्से में गुलजार होता था, लेकिन आज माननीय अधिष्ठाता महोदय अद्भुत स्वरूप दिखाई देता है। नैमिषारण्य में भी यही व्यवस्था है, शुकतीर्थ में भी यही व्यवस्था है, ब्रज क्षेत्र 2016 आध्यात्मिक स्थलों का विकास किया गया है। जिसमें इनको पता नहीं अच्छा लगे कि नहीं, कभी गए हैं कि नहीं, रसखान की समाधि और ताज बीबी का मकबरा भी बना है, जो कृष्ण भक्त थे इनको जा करके वह जरूर देखना चाहिए अगर यह देखेंगे तो इनको आनन्द की अनुभूति होगी। साथ ही साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। ग्रोथ ईंधन स्थापित हो रहा है। इस सभी चीजों का विज़न, इन सभी चीजों के मार्ग प्रशस्त करने का भाव मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण में मौजूद है। मैं पुनः उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव पर बल प्रदान करने का सदन से आग्रह करता हूँ।

डॉ0 नीरज बोरा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज आप सबके बीच में दिनांक 20 फरवरी, 2023 को राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा दिए गए भाषण के प्रति डॉ0 नीलकण्ठ तिवारी जी माननीय सदस्य के द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने मौका दिया इसके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि उस दिन उस सम्बोधन के समय पर एक बड़ा दुख भरा दृष्य देखने को मिला, जब इस सत्र का शुभारम्भ हुआ तो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण जो आचरण और व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे थे, उसको भारत ही नहीं दुनिया के बाहर के लोग भी देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश जो सर्वोत्तम प्रदेश बनने के राह पर है वहां पर यह क्या हो रहा है। विधान सभा के बाहर निकलते ही हर गली, चौराहे पर यह चर्चा थी कि आज तो विधान सभा में हंगामा हो रहा था। निश्चित रूप से इस हंगामे से एक उस छवि का हम प्रस्तुतीकरण करते हैं

दुनिया के सामने जहां पर आज उत्तर प्रदेश की पहचान बिलकुल बदल चुकी है। लोग आज भारत के दूसरे प्रदेशों के लोग भी उत्तर प्रदेश को बड़े सम्मान की निगाह से देखते हैं। लेकिन यह सब हुआ और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने यह किया वह स्वाभाविक भी था। क्योंकि हमने देखा है कि उसमें से कुछ लोग हिन्दू धर्म के महानतम ग्रंथ राम चरित मानस की प्रतियाँ फाड़ने का काम भी कर रहे थे, का काम भी कर रहे थे, उसका समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन उसी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जो इस आचरण को स्वीकार भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भी मालूम है। धरा का यह सत्य है कि प्राणी अपनी अन्तिम यात्रा करता है तो उस दिन श्री मुख से सिर्फ राम नाम सत्य ही निकलता है। राम तो सत्य है और राम सत्य रहेगा। जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया है उन्हीं के ऐसे संस्कार थे कि उस दिन अभिभाषण के दौरान उन्होंने वह भी कृत्य दिखाया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और कठोर शब्द में इसकी निन्दा करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सदन में श्री राज्यपाल महोदया द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण आजादी के अमृतकाल को लेकर भारत के मा0 प्रधानमंत्री जी की सोच को मूर्त रूप देने वाला ऐतिहासिक भाषण है। इसमें उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का सतत् और समावेशी विकास का जीवन्त चित्रण है, इसमें मानवीय संवेदनायें हैं, समाज के अन्तिम सिरे पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाने का उदार भाव है, उस संकल्प को मजबूती देते शब्द पुष्प हैं जिसका स्वप्न देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले क्रांतिकारियों ने देखे थे। आज उत्तर प्रदेश सुशासन, सुरक्षा और विकास की डगर पर आगे बढ़ चुका है। यह वही डगर है जिसे कभी भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई जी ने अपनी रचनाओं के झरोखों से देखा था और कहा था कि 'टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात प्राची में अरूणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ'।

मान्यवर, माननीया श्री राज्यपाल महोदया ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को सामने रख कर अपनी बात शुरू की है। जहां सभी वर्गों के हितों का संरक्षण है, सामूहिकता की भावना है, ऐसी सामूहिकता जिसे यजुर्वेद में गाया गया है और वह हमारे विद्यालयों में प्रार्थना के साथ पढ़ा भी जाता है। 'ओम सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवाव है, तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषाव है, ओम शान्तिः, शान्तिः शान्तिः अर्थात् हे परमेश्वर हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ-साथ पोषण करें, हम दोनों साथ मिलकर महान पूजा और शक्ति के साथ कार्य करें, विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारी बुद्धि तेज हो, हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सुल्तानपुर के एक महान राष्ट्रवादी शायर हुए हैं, जनाब अजमल सुल्तानपुरी साहब उनके पास पाकिस्तान से कवि सम्मेलन का आफर आया था, लेकिन उन्होंने यह कह कर ठुकरा दिया था कि जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया है तो मैं कैसे वहां जा सकता हूँ ? उनकी सबसे चर्चित रचना की चन्द पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ''मुझे है वो लीडर तस्लीम

जो दे यक-जेहती की तालीम मिटा कर कुम्बों की तक्सीम जो कर दे हर कालिब इक जान मैं उसको ढूँढ रहा हूँ, कहां है मेरा हिन्दुस्तान।'' आज अजमल साहब जीवित होते तो अपने देश और प्रदेश की तस्वीर देख लेते, उन्हें चैन मिलता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शान्ति और सद्भाव का जो वातावरण मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कायम किया है वह अद्भुत है, अद्वितीय है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया हर घर तिरंगा पहुँचा, चौरी-चौरा शताब्दी समारोह धूमधाम से मना, देश भक्ति का एक ऐसा वातावरण बना कि चारो ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे गूँजे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर की व्याख्या की है।

जहां यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जो अभी हाल ही में लखनऊ में आयोजित हुई। निश्चित रूप से यह निवेश का एक महाकुम्भ था जहां 40 से अधिक देश शामिल हुए। मुझे भी सौभाग्य मिला। लखनऊ की सरजमीं पर यह निवेश कुम्भ हुआ। जिसमें तैंतीस लाख पचास हजार करोड़ से भी अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और एम0ओ0यू0 साइन हुए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी भारत को 5 ट्रिलियन डालर एकोनॉमी बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह सपना पूरा होगा, क्योंकि आज दुनिया के अन्दर भारत उन 5 अग्रणी राष्ट्रों में आ गया है। आर्थिक रूप से उन पांच देशों में उसकी संख्या गिनी जाती है। बहुत शीघ्र ही हम यह मानकर चलते हैं कि भारत विश्व के तीन महानतम देशों में होगा जहां पर हम 5 ट्रिलियन डालर एकोनॉमी बनाने में कामयाब होंगे। देश इसकी ओर अग्रसर है।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री जी को यह वायदा किया है कि वह उत्तर प्रदेश से 1 ट्रिलियन डालर एकोनॉमी का सहयोग देने का काम करेंगे। आज उसी की श्रृंखला में जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में हुआ और इतने बड़े निवेश का कुम्भ लगा। एम0ओ0यू0 हुए। यहां पर भारत के अन्य प्रान्तों से लोग आये। विदेशों से लोग आये। मुझे भी उनसे मिलने का, बात करने का सौभाग्य मिला। मैं देख रहा था कि जो दूसरे प्रान्तों से लोग आये, वे बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। उत्तर प्रदेश को बड़े सम्मान की निगाह से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था आज देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। निश्चित रूप से यहां पर जीरो टॉलरेन्स और कानून व्यवस्था के ऊपर जो अंकुश लगाने का काम किया है। मित्रों मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर योगी जी ने गुण्डों और माफियाओं के ऊपर बुल्डोजर चलाने का काम किया। उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने का काम किया। इसका परसेप्शन दुनिया के समस्त राष्ट्रों में गया, सन्देश गया। देश की बहुत बड़ी एक प्रौद्योगिकी की कम्पनी है उसके सी0ई0ओ0 से मिलने का मुझे अवसर मिला। उन्होंने कहा कि हमने नोएडा में 20 साल पहले जमीन खरीदी

थी, पर अपना प्रोजेक्ट लगाने का इरादा छोड़ दिया था। माननीय योगी जी ने इस उत्तर प्रदेश का ढांचा बदलने का काम किया है।

उत्तर प्रदेश के स्वरूप को बदलने का काम किया है। हमने अब तय किया है कि नोएडा में इस कारोबार को बढ़ाने का काम करेंगे। निवेश करने का काम करेंगे। ऐसा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अवश्य बदला है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और उनका चित्र दुनिया की बहुत पापुलर एक न्यूज मैगजीन जो न्यूयार्क से प्रकाशित होती है, उसके प्रमुख पृष्ठ पर छपता है। इसलिए छपता है, क्योंकि वह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश अब बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब आगे जा रहा है। आज इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो चहुमुखी विकास हो रहा है, उससे कोई अछूता नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत को जी-20 की अध्यक्षता भी मिली है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वर्ष के लिए भारत उन 20 राष्ट्रों के समूहों का नेतृत्व करेगा।

उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां के चार जनपदों में ऐसी मीटिंग्स होंगी, जो आगरा और लखनऊ में भी आयोजित हुई थीं। वहां के डेलीगेट्स आये थे और यहां पर आने के बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उन विदेशी मेहमानों ने यह स्वीकार किया कि लखनऊ भी बदल चुका है। यह उत्तर प्रदेश भी बदल चुका है। मुझे यह सौभाग्य मिला था कि वे डेलीगेशन हमारे लखनऊ, हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी आये थे। हमने उनका स्वागत किया था। इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के साथ-साथ आज मैं आपके सामने इस विषय को भी रखना चाहता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भी वृद्धि की गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़े पैमाने पर इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन यह संकल्प लिया था कि हम इस कार्य में जुटें।

मान्यवर, हमारी सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों का एक सन्देश भी होता है और मैंने तो देखा है गांधी जी चाहते थे कि स्वच्छता के काम में हम आगे काम बढ़ायें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वह स्वयं इस काम को आगे बढ़-चढ़कर करते थे। मा0 प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आज इस सरकार के जनप्रतिनिधि सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में सहयोग देकर जनता के बीच में एक सन्देश देने का काम करते हैं कि हमें स्वच्छता में पूरी कमर कसनी है और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी पूज्य बापू जी के चरणों में, कौशल विकास के क्षेत्र में अब तक पांच लाख युवाओं को सेवायोजित किया जा चुका है और बड़े पैमाने पर हर हाथ को हुनर मिले यह कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी वो आज उत्तर प्रदेश की सरकार उसे पूरा करने में लगी है। कौशल डेवलपमेट के अन्तर्गत, स्किल के अन्तर्गत हमारा यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रत्येक नौजवान के हाथ में हुनर हो और हम नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, पहले की तरह हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहते हैं। हम उन्हें रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर

52 नए पॉलीटेक्निक कालेज और 4 नए इंजीनियरिंग कालेज और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है और उस योजना के अन्तर्गत एक सप्ताह की ट्रेनिंग के उपरान्त हम उस व्यक्ति को टूल किट प्रदान करते हैं, चाहे वो व्यक्ति स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दक्ष हो जाए और अपना कार्य प्रारम्भ कर सकता है, स्किल मिल जाती है अपना रोजगार चालू कर सकता है और कहीं नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है।

ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम व सरकारी पालिसी के तहत् 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसी योजना इस सरकार की है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां एक ओर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण हुआ और उसी के साथ डिफेंस कॉरिडोर प्रदेश में दो स्थानों पर बन रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से बहुत सारे डिफेंस के उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे और यह तो प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार और भारत सरकार के रक्षा मंत्री इस बात के लिए कहते हैं कि आने वाले समय में अब रक्षा के उपकरणों में 75 प्रतिशत भागीदारी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की होगी और यह डिफेंस कॉरिडोर बहुत बड़ी सफलता की ओर कदम है और इसके साथ ही साथ लखनऊ जो अपनी नजाकत के, नफासत के नाम से जाना जाता है, तहजीब और तरन्नुम के लिए जाना जाता है, वह लखनऊ आने वाले समय में ब्रहमोस मिसाइल बनाने वाला लखनऊ भी जाना जायेगा। जेवर में फिल्म सिटी का निर्माण होने वाला है और अभी बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आये हुए थे। उन्होंने स्वयं इस बात की घोषणा की कि आज उत्तर प्रदेश में सुन्दर वातावरण बन चुका है, अब हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे माकूल स्थान है और वह कार्य करने के लिए हमारी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है।

इसके साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेस-वे जो अभी बन रहा है और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे व मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे और जिला मुख्यालयों को चार लेन से तथा तहसील और ब्लाक को दो लेन से जोड़ने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। इन्फ्रास्ट्रकचर के क्षेत्र में जब यह कार्य सम्पन्न होगा तो निश्चित रूप से वातावरण बनेगा और बड़े पैमाने पर लोग यहां पर निवेश के लिए उत्सुक होंगे। उत्तर प्रदेश के अन्दर वर्तमान में 9 एयरपोर्ट चालू हैं और 10वां बन रहा है और पांच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहां पर निर्माणाधीन हैं, आने वाले समय में 21 एयरपोर्ट बन जायेंगे और हम भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाले राज्य के रूप में स्थापित होंगे और साथ ही साथ तैयारी इस बात की है लखनऊ अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि यह माना गया है कि काशी कॉरिडोर बन जाने के बाद काशी में आने-जाने वाले पर्यटकों की संख्या, तीर्थ यात्रियों की संख्या आज इतनी ज्यादा बढ़ गयी है। यात्रियों की संख्या आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि काशी के अन्दर एक भी धर्मशाला या होटल के अन्दर जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। यह

मानकर चला जा रहा है कि आने वाले समय में अयोध्या के राम मन्दिर में जब भगवान श्री रामलला विराजमान होंगे तो उस दिन एक करोड़ से अधिक तीर्थयात्री सारी दुनिया से अयोध्या आयेंगे। हम उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब लॉस एंजिल्स और न्यूयार्क से लोग फ्लाइट से आयें तो हम उनको लखनऊ और अयोध्या में उतार सकें। माननीय अधिष्ठाता जी, पच्चीस करोड़ की आबादी वाले इस प्रान्त में पन्द्रह करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राशन देने का काम किया गया है। शायद वही कारण था कि हम कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश में बेखौफ बैठे रहे और निडर होकर बैठे रहे और हम कोविड जैसे गम्भीर चुनौती का सामना कर सके। जहां हमने 40 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने का काम किया, वहीं हमने पन्द्रह करोड़ लोगों को खाद्यान्न बांटने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी और माननीय मुख्य मंत्री जी का संकल्प था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिये। हम कोविड की चुनौती का सामना करने को तैयार थे। स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्भुत और अद्वितीय काम हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ढाई करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का कार्य सम्पन्न किया गया है। 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कालेज' के तहत् आज 45 मेडिकल कालेज चालू हो चुके हैं और 14 नये मेडिकल कालेज बन रहे हैं। हमारी प्रतिज्ञा है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कालेज बनेगा जिससे निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं में इसलिये सुधार होगा, क्योंकि जब कोई मेडिकल कालेज बनता है और उसमें डिपार्टमेण्ट बनते हैं तो वहां पर विशेषज्ञ आते हैं, जिस कारण से छोटे जनपदों से लोगों का बड़े जनपदों की ओर आना कम हो जाता है और उन्हें वहीं पर इलाज मुहैया हो जायेगा। हमारी सरकार की ऐसी कल्पना और ऐसा विचार है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम हुये हैं। हमने जनपद मुख्यालय के अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा देने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गाय पशुधन संरक्षण और नमामी गंगे योजना के अन्तर्गत 52 एस0टी0पी0 में से 28 एस0टी0पी0 पूरे कर दिये गये हैं और शेष में काम चल रहा है। काशी में शिव का डमरू डोल रहा है तो वृन्दावन में राधे-राधे हो रहा है, बांसुरी बज रही है और रंगोत्सव का आयोजन हो रहा है और क्यों न हो, क्योंकि वहां पर बृज विकास परिषद् बन गई है, क्यों न हो, क्योंकि विन्ध्यवासिनी धाम परिषद् बन गई है, नैमिषारण्य धाम परिषद् बन गई है। हमने सैकड़ों वर्ष प्रतीक्षा की है कि हमारे यह धार्मिक स्थल सौन्दर्यपूर्ण हों और आगे बढ़ें। प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुम्भ होने वाला है जिसकी तैयारी हो रही है। जब पिछली बार कुम्भ हुआ था तो यूनेस्को ने कहा था कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है तो वह भारत का कुम्भ है जहां एक दिन में करोड़ों लोग डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट शहर योजना, हर घर नल की योजना से निश्चित रूप से हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ

और विधान सभा क्षेत्र उत्तरी, लखनऊ से चुनकर यहां आता हूँ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने गोमती नदी के दोनों तट पर लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर जैसी एक बड़ी योजना की घोषणा की है और बहुत शीघ्र उसका निर्माण प्रारम्भ होगा। इसमें आई0आई0एम0 रोड से इकाना क्रिकेट स्टेडियम तक छह लेन की रोड दोनों बन्धों पर बनेगी जो लखनऊ के लिए लाइफ लाइन सिद्ध होगी और पूरा लखनऊ इस पर आवागमन करेगा। लखनऊ में फैजुल्लागंज में एक नया अस्पताल बनाने की घोषणा हुई है, जो बहुत जल्दी बनेगा। हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 कालेज का भी शीघ्र शिलान्यास होकर निर्माण शुरू होगा।

वाटर वर्क्स की स्थापना होनी है और मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार जल्द ही कुर्सी रोड पर वाटर वर्क्स की स्थापना करेगी। एक एस0टी0पी0 फैजुल्लागंज में प्रतीक्षारत् है शीघ्र ही उसको भी प्रारम्भ करने की योजना बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने शहरी विकास मंत्री जी को जिन्होंने एक दिन में भ्रमण किया और फैजुल्लागंज की जल निकासी की समस्या जो बहुत दिनों से लम्बित थी लगभग साढ़े आठ किमी0 का नाला जिसकी लागत 45 करोड़ आनी थी हमारे नगर विकास मंत्री जी वहाँ पर जाते हैं और उसी दिन वह 45 करोड़ की संस्तुति उस नाले को बनाने के लिए देते हैं और साथ में जहाँ पर जलभराव था वहाँ पर पम्प हाउस लगाने के लिए उन्होंने पांच करोड़ देने का काम किया। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कार्य हुआ है। मैं फैजुल्लागंज में सीवर के लिए अमृत-2 योजना के अन्तर्गत और जानकीपुरम क्षेत्र में अमृत योजना के तहत् सीवर योजना का काम होना है, जिसके लिए मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा। लखनऊ में गऊघाट पर वर्षों पुराना पीपे वाला पुल है जिससे अभी भी लोग आते-जाते हैं, सरकार के यहाँ विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि उस पीपे वाले पुल को भी जल्दी पक्का पुल में निर्मित किया जाये। लाल वाला ऐतिहासिक पुल जिसे हार्डिंग ब्रिज कहा जाता है। उस हार्डिंग ब्रिज के लिए आई0आई0टी0 रुड़की ने कहा है कि उसके स्थान पर अब नया पुल बनना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार उसको भी शीघ्र ही गम्भीरता से लेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम, जय श्री राम।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, कई वक्ताओं ने अपने भाषण में शायरी कही है। मैं भी शायरी से शुरुआत कर रहा हूँ- तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ो को बहार कह दो, अभी यहां तुम सत्ता में हो, तुम चाहो तो चोरों को साहूकार कह दो और तुम चाहो तो [x x x] को सरकार कह दो। मान्यवर, 20 फरवरी को सत्र शुरू हुआ।

नोट :-[x x x] कोष्ठक के अन्दर का अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

[x x x] असंसदीय है निकाल दिया जाए ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अधिष्ठाता जी, एक आग्रह है। इसको देख लें अगर कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसको निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अगर कोई असंसदीय शब्द होगा तो वह रिकार्ड में नहीं आयेगा। उसको निकाल देंगे।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, 20 फरवरी को विधान भवन में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा है और यहाँ पर यह परम्परा है कि जब सत्र शुरू होता है तो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। हम लोग 20 तारीख को वहाँ जब समाजवादी धरना देने जा रहे थे तो पुलिस ने वहाँ हम लोगों पर बल प्रयोग किया। धक्का-मुक्की की गयी और इतना बल प्रयोग किया कि कई साथियों को चोटें आयीं और उनको वहां पर जाने नहीं दिया गया। मान्यवर, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वह उस घटना की जब फोटो खींच रहे थे तो उन पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको घसीटा गया और उनको फोटो नहीं खींचने दिया गया। जब विधान सभा के अन्दर विधायकों के साथ, पत्रकारों के साथ ऐसी घटनायें हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में और जनता के साथ कितना जुल्म और अन्याय हो रहा होगा। जब जनता अपने मुद्दों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर प्रदेश में कहीं पर भी आन्दोलन कर रही है। उस पर दमन हो रहा है।

मान्यवर, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का काम हो रहा है। दमन और जुल्म से जनता की आवाज दबाई जा रही है। आज से 48 वर्ष पहले 25, 26 जून को देश में आपातकाल लगा था, हम आपातकाल में 20 महीने जेल में बन्द रहे थे। आपातकाल के समय में जो जुल्म, अत्याचार एवं अन्याय हो रहा था। मान्यवर, आप उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। 48 वर्ष पहले आपातकाल में जो जुल्म हो रहा था उससे भी अधिक जुल्म, अन्याय एवं अत्याचार जन आन्दोलनों को दबाने के लिये इस समय हो रहा है। पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, अपनी बात कहने का किसी को अधिकार नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदया यहां पर असत्य भाषण कर रही हैं और वह सारा भाषण झूठा है, असत्य है तो हम लोग उसके खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे और जब उन्होंने मा0 मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कहा तो आप दिखवा लीजिएगा कि हम सभी मा0 सदस्य शान्त हो गये थे और जब उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की जा रही थी तो उस समय नारेबाजी नहीं हो रही थी।

नोट :-[x x x] कोष्ठक के अन्दर का अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

मान्यवर, कहना है कि कानपुर देहात में 13 फरवरी, 2023 को, बुल्डोजर का पूरे प्रदेश में इतना आतंक है कि गरीब, बेबस, लाचार, कमजोर एवं असहाय लोगों की झुग्गी-झोपड़ी, मलिन बस्तियों एवं मकान को गिराये जाने का काम हो रहा है। मां-बेटी श्रीमती प्रमिला दीक्षित एवं नेहा दीक्षित दोनों लोग कानपुर की डी0एम0 के पास गयी और उनसे गुहार लगाई, लेकिन डी0एम0 ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और बाद में 13 फरवरी, 2023 को उन दोनों मां-बेटी को आग से जला दिया गया और वह जलती रहीं, उनके मकान को बुल्डोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। यह कौन सा शासन है, यह कौन-सा न्याय है कि एक गरीब, बेबस एवं लाचार मां-बेटी को जिन्दा जलाकर मार दिया जाए और उनके मकान को आग लगा दी जाए। अगर हम सदन में विरोध करने का काम करते हैं, सदन में कहने का काम करते हैं तो हमारे ऊपर दमन एवं जुल्म करने का काम किया जाता है। जो लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उनको रोक लिया गया, उनको पीड़ित परिवार के घर तक जाने नहीं दिया गया। इस तरीके से पूरे प्रदेश में दमन, जुल्म एवं आतंक के सहारे सरकार चलाई जा रही है।

आज जनता महंगाई से परेशान है, महंगाई क्यों है ? डीजल एवं पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और उसमें चालीस रुपये साठ पैसे सरकार का टैक्स लग रहा है, खाद्यान्न पर जी0एस0टी0 ली जा रही है। आपने गेहूं, दाल, चावल, दूध एवं पनीर पर जी0एस0टी0 लगा दी है। जो खाद्यान्न गरीब जनता खाती है, आज आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। जाकर देखिए कि उनके क्या हालात हैं, लोग गरीबी एवं भुखमरी से मर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 21 एयरपोर्ट बना रहे हैं, यह 21 एयरपोर्ट हम दावे के साथ कह रहे हैं कि यह गरीब जनता का पैसा है जो लोग नाले पर रहते हैं उनका पैसा है। यह दाल, चावल, दूध एवं पनीर पर जी0एस0टी0 लगा दी है। जो खाद्यान्न गरीब जनता खाती है, आज आप जाकर देखिए कि उनके क्या हालात हैं, लोग गरीबी एवं भुखमरी से मर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 21 एयरपोर्ट बना रहे हैं, यह 21 एयरपोर्ट हम दावे के साथ कह रहे हैं कि यह गरीब जनता का पैसा है, जो लोग नाले पर रहते हैं उनका पैसा है और इससे क्या हो रहा है, यह एयरपोर्ट अडानी के लिए बन रहे हैं और आप देख लीजिएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिए कि यह सारे एयरपोर्ट गरीब जनता के पैसे से बनेंगे, सरकार उन एयरपोर्ट को बनवाएगी और उन सभी एयरपोर्ट को अडानी को दे देगी, लखनऊ एयरपोर्ट इसका एक उदाहरण है। लखनऊ का एयरपोर्ट बहुत शानदार बना हुआ है, लेकिन लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी का हो गया है। हम लोग जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां कहते हैं कि अडानी के एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है।

लखनऊ शहर एक क्रांतिकारी शहर है। यहां पर ट्रेन डकैती काण्ड काकोरी में चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी हुकूमत की ट्रेन को लूटकर पूरे देश में क्रांति करने का काम किया था। यहां पर वर्ष 1857 में चांद बीबी एवं हजरत महल ने संघर्ष की शुरुआत की थी। यह क्रांतिकारियों का शहर है, इस क्रांतिकारी शहर के एयरपोर्ट को अडानी के हाथ बेच दिया गया। गरीब जनता के पैसे से एयरपोर्ट बनाया

जा रहा है, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। मान्यवर, मुझे आपसे कहना है कि आज युवा लगातार बेरोजगारी से परेशान है।

नौजवानों पर दमन और जुल्म हो रहा है और मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि-

शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम।

आंधियों से कह दो औकात में रहें।।

हम सरकार के किसी भी दमन व जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। आज सरकार बुलडोजर के माध्यम से फर्जी मुकदमें लगा रही है। आप मालूम कर लीजिये, हम लोग कितनी बार जेलों में गये हैं। 250 बार गिरफ्तार हुए हैं 20-20 महीने जेल में बन्द रहे हैं, कभी लाठी और गोली, दमन और जेल डरने वाले नहीं हैं। जनता के मुद्दों को ले करके हमने हमेशा संघर्ष किया है और जुल्म तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गयी हैं। अभी स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे आप मालूम करिए दिनांक 20 मई, 2022 को लखनऊ के ट्रान्सपोर्ट नगर में मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन का एक गोदाम है, उस गोदाम पर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी ने छापा डाला और छापे में 16 करोड़ 40 लाख रुपये की वे दवाएं पकड़ी गयीं जो एक्सपायरी हो गयी थीं और मान्यवर, वे दवाएं कौन-सी थीं, वे दवाएं कोरोना पीड़ितों के इलाज की थीं। इंजेक्शन आया था रेमेडिसीवर, वही इंजेक्शन था।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अब आप समाप्त करिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, जो इंजेक्शन बाहर ब्लैक में मिल रहा था, वह जनता को नहीं मिला लेकिन वहां पर दवाएं एक्सपायरी निकल गयीं।

श्री अधिष्ठाता-

रविदास जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, आपने उनको 30-40 मिनट दिया है, थोड़ा 10-20 मिनट हमें भी दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आगे कोई भी मा0 सदस्य हो, सभी को ऐसे ही 6-7 मिनट का समय दिया जाएगा। आप एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि ये जो फर्जीवाड़े का बजट पेश किया है, पहले यह बताना चाहिए कि जो बजट पहले पेश किया गया था उसका कितना पैसा खर्च किया गया है, उसका 50 प्रतिशत भी सरकार ने खर्च नहीं किया है और फिर एक लम्बा बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट का पैसा कहा गया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे पहले तीन इन्वेस्टर मीट उसका क्या परिणाम निकला जो गरीब बस्तियां एवं नाले हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, यह क्या बताया जाए कि आपके बजट में किस झोपड़ी और किस मलिन बस्ती के अन्दर काम हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

जब बजट पर चर्चा होगी तब उस पर बात करेंगे।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस अभिभाषण के अन्दर सरकार की झूठी तारीफ की गयी है। उस पूरे अभिभाषण में कहीं किसी गरीब की झोपड़ी, किसी गरीब के कच्चे मकान, किसी नाले को ढकने की बात नहीं कही गयी है, यहां पर तमाम नाले खुले हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद, आदरणीय रविदास जी। दस मिनट समय हो गया है और अब सभी लोग चर्चा में अपना भाषण 6 से 7 मिनट में समाप्त करेंगे। आगे श्री धीरेन्द्र जी बोलेंगे।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, सिर्फ एक शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

चलिए ठीक है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

जो ये सारा अभिभाषण पेश किया गया है उसी पर दो लाइन है,

तुम्हारी फाइलों में गांवों का तो मौसम गुलाबी है।
मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये वादे किताबी है।।

श्री अधिष्ठाता-

श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सभी लोग 6-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री धीरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और सदन में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को यथायोग्य अभिवादन के साथ, अमृतकाल में राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही

चर्चा में मुझे शामिल होने का मौका मिला उसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ और आज मैं फक्र महसूस करता हूँ कि जी-20 की जो अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री को मिली है, उसके लोगों पर वसुधैव कुटुम्बकम् भी शामिल है। वह वसुधैव कुटुम्बकम् जो दुनिया को शांति का सन्देश देता है। आपने देखा होगा यह हिंदुस्तान की संस्कृति का वह मूल तत्व है जिसे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने सिद्ध किया है। मैं उस तुर्की और सीरिया की बात करना चाहता हूँ, जब कश्मीर से धारा-370 हटायी गयी थी तो उसमें सबसे पहले तुर्की ने भारत का विरोध किया था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया ? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपदा के समय मानवीयता का परिचय देते हुए, उस तुर्की और सीरिया में सबसे पहले सेवा करने के लिए हिन्दुस्तान की टीमों को भेजा। आज उन दोनों मुल्कों के लोग हिन्दुस्तान और यहाँ के प्रधानमंत्री की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं और जी-20 का जो दूसरा लोगो है, वह है कमल की 07 पंखुड़ियाँ। कमल की वह 07 पंखुड़ियाँ सन्देश देती हैं, इस ब्रह्माण्ड के उन 07 महाद्वीपों का और उन 07 स्वरों का जो ब्रह्माण्ड में सबसे पहले अवतरित हुए और जिन्होंने आध्यात्म और शान्ति का सन्देश देते हुए, मानव सभ्यता के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का दौर है। हम एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की स्थापना करते हैं, इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तो दूसरी तरफ हम डिफेन्स कॉरीडोर के माध्यम से इस प्रदेश की आर्थिक तरक्की का भी रास्ता बना रहे हैं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, वह है जेवर विधान सभा, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया उस जेवर से होकर आयेगा, जहाँ की जनता ने मुझे चुना है। यह वह जेवर है, जहाँ 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश से फिल्म सिटी की स्थापना होने जा रही है और यह वह जेवर है, जहाँ देश में बनने वाले 05 मेडिकल डिवाइस पार्कों में से 01 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना वहाँ होने जा रही है। टेक्सटाइल और गारमेंट पालिसी जो हमारी गवर्नमेण्ट ने बनायी है, उसमें 40 हजार रोजगारों का सृजन होना है, जिसमें से 25 हजार रोजगार वहाँ लगने वाले पार्क के माध्यम से जेवर के लोगों को उपलब्ध होंगे और सबसे खुशी की बात यह है कि उसमें से 70 फीसदी रोजगार महिलाओं को मिलेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, यह मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं उस जनपद का रहने वाला हूँ, जहाँ आज किसानों से वार्ता के माध्यम से विकास की एक नई इबारत लिखी जाती है। हम अगर याद करें 2017 से पहले का समय, जहाँ 02 इंच जमीन के लिए गोलियाँ चलती थीं और जहाँ किसान अपना हक माँगता था तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाती थीं। आज वहाँ प्रदेश के मुखिया किसानों से स्वयं वार्ता कर इस प्रदेश की उस 25 करोड़ अवाम की तरक्की के लिए एक रास्ता बना रहे हैं, जिसका सपना कभी महात्मा गाँधी ने देखा था। आज सही मायने में इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले उन असंख्य क्रान्तिकारियों का देखा गया वह सपना पूरा हो रहा है, जिन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो दुनिया में विश्व गुरू हो और

जहाँ लोगों को सुख-सुविधा के पर्याप्त साधन मिल सकें। मैं इसके साथ-साथ यह भी अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो भी निवेश के प्रस्ताव आए हैं, वह सबसे ज्यादा गौतमबुद्धनगर के लिए आए हैं और उनमें सबसे ज्यादा जेवर विधान सभा के लिए आए हैं। मेरा अपनी सरकार से निवेदन है कि मेरे स्थानीय नौजवान भाइयों के लिए 100 फीसदी रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए और दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने बायर्स की समस्या को हल करने के लिए रेरा का गठन किया था, उसे और मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है। चूँकि बायर्स के खून-पसीने की कमाई जिसे बिल्डर हड़प कर गए, उस राशि को वसूलने के लिए रेरा को और अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए, मैं इसके लिए अपनी सरकार से निवेदन करता हूँ।

दूसरा यू0पी0 अपार्टमेण्ट एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता है जिससे उन लोगों को उनका हक मिल सके जो कि कानून की इस कमजोरी की वजह से अपने हक को नहीं पाते हैं। स्थानीय तौर पर मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जनपद में तीन विकास प्राधिकरण उन विकास प्राधिकरणों में जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए जिससे विकास की योजनाओं को हम और तरक्की दे सकें। देश के प्रधानमंत्री ने जिस विजन को लेकर इस मुल्क की तरक्की का रास्ता देखा है उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश के मुख्य मंत्री इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली की इबारत लिख रहे हैं, जिसका सपना पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने देखा था। आज अनेकों सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के उस आखिरी छोर तक पहुंच रहा है, जहां उसे पहुंचना चाहिए था। मान्यवर समय की पाबंदी है और मैं सात मिनट बोल चुका हूं इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ''कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा'' यह हमारी संस्कृति है और वह संस्कृति है जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाती है। अभी मेरे साथियों ने बताया कि मेरी सरकार में इनके साथ बदसलूकी हो रही है मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्व की सरकारों के जो खनन मंत्री थे उनकी तिजोरियों में क्या मिला। मथुरा की सड़कों पर किस तरीके से गुण्डागर्दी होती थी और किसानों पर बेतरतीब तरीके से कैसे लाठियां बरसाई जाती थीं उसे भी हमारे साथियों को याद रखना होगा। मैं धन्यवाद करते हुए अपने प्रदेश के कर्मठ मुख्य मंत्री जी का और पूरे सदन का आभारी हूं कि मुझे इस परिचर्चा में शामिल होने का मौका मिला। जय हिन्द।

श्री संजय कुमार शर्मा-

श्री अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मैं अपने आपको श्री नीलकंठ तिवारी जी द्वारा इस प्रस्ताव पर और श्री नीरज बोरा जी द्वारा दिए गए वक्तव्य से सम्बद्ध कर अपनी बात को आगे जारी रखता हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था वह एक तस्वीर प्रस्तुत करता है कि किस तरह से हमारी सरकार ने इस

प्रदेश के कल्याण के लिए काम किया है और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हमने क्या-क्या किया है। और हमने राम राज्य की परिकल्पना के भी बारे में भी सुना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकारें इससे पहले हुईं और जो इससे पहले सरकारें आई उन्होंने उस परिकल्पना के आस-पास भी पहुंचने का काम नहीं किया और सच पूछे तो उस परिकल्पना को ध्वस्त करने का काम किया। विष्णु धर्म सूत्र में एक श्लोक है-

प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्म प्रियम हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

अर्थात् प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है और राजा के हित में प्रजा का हित होता है और राजा एक पुत्रवत् अपनी सरकार की सेवा करता है और प्रजा भी राजा को पित्रवत् मानते हुए सारे अधिकार उसको सौप देती है। मैंने यह श्लोक इसलिये पढ़ा, क्योंकि इस प्रदेश में प्रजा के साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमारी सरकार ने पहले इस प्रदेश में जो अन्याय हुआ जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ जनता के साथ वहीं किसी से छिपा नहीं है। इस प्रदेश में सिर्फ पांच जिले हुआ करते थे। बिजली मिलेगी तो इन पांच जिलों को मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी तो उन पाँच जिलों को मिलेगी और जो भी सुविधाएँ मिलेंगी उन्हीं पाँच जिलों को मिलेंगी। सैफई में एम्स बनेगा और तो और सरकार के पैसे पर कलाकारों को लाकर जो नृत्य के कार्यक्रम होंगे, वे भी सैफई और उन्हीं पाँच जिलों में होंगे। यह जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार एवं पक्षपातपूर्ण काम इस प्रदेश की जनता के साथ हुआ, उस समय यह प्रचलन में था कि-

मैं और मेरा भाई हज्जाम, खलीफा, नाई
पूरे प्रदेश की सारी दौलत हम सबके घर में आई।

वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक का जो काल खण्ड है, वह इस प्रदेश में ब्लैक पीरियड के नाम से जाना चाहिए। आज हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं लेकिन वह समय ऐसा था कि पूरा देश तो मा0 मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठा रहा था, लेकिन हमारे प्रदेश में उन योजनाओं को ध्वस्त किया जा रहा था। वह लाभ जो इस प्रदेश की जनता के पास आना चाहिए था, राजनैतिक कारणों से इस प्रदेश को उस लाभ से वंचित किया गया। इसीलिए आज 50 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया कि इस प्रदेश में किसी मुख्य मंत्री को जनता ने रिपीट किया है। इसीलिए विपक्ष की इन पार्टियों को यह सबक सीखना चाहिए कि आपको यह जनता जो पाँच वर्ष के लिए जनादेश देती है, आपको जो पितृवत् सम्मान देती है, अगर आप पुत्रवत् उस जनता की सेवा नहीं करेंगे तो वह जनता आपको नकारने का अधिकार भी रखती है।

महोदय, आज जो हमारी सरकार है, वह सुरक्षा, सुशासन और विकास की राजनीति करती है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के साथ काम करते हैं। आज हमारे प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अभी जो अपराध के आंकड़े दिए गए हैं हमारी मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण में वे पूरी पिक्चर प्रस्तुत नहीं करते क्योंकि उन अपराधों में वे अपराध शामिल नहीं थे जब इनके

कार्यकाल में एक लाला के सामने सामान खरीदा जाता था और उसको बन्दूक या कट्टा दिखा करके कहा जाता था कि तू पैसे भी लेगा क्या ? जब उस समय एक बेटी विद्यालय जा रही होती थी, लोग उसको छेड़ते थे तो वह स्कूल जाना बन्द कर देती थी। वह अपराध कहीं एफ0आई0आर0 में दर्ज नहीं है। इस प्रदेश में एक नया इण्डेक्स लागू होना चाहिए, वह है हैप्पीनेस का इण्डेक्स। आज इस प्रदेश का एक-एक व्यक्ति खुशी का अनुभव करता है लेकिन जिसका कोई रिकार्ड नहीं है, जिसका हम कोई आकड़ों में कम्पैरिजन नहीं कर सकते। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो हमारे प्रदेश में विकास की नई धारा बही है, उसका कारण क्या है कि अब फोकस्ड ग्रोथ हो रही है, आज हमारे मुख्य मंत्री जी पाँच जिलों तक ही विकास को सीमित नहीं रख रहे है। आज वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यानी कि पूरे प्रदेश के हर जिले के अन्दर जो क्षमता है, उसके अन्दर जो पोटेंशियल है, हम उसका कैसे उपयोग करें ? आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज की भी बात होती है। यानी कि केवल कुछ जिलों में ही मेडिकल कालेज न बनें बल्कि हर जिले में मेडिकल कालेज बनना चाहिए।

मैं बुलन्दशहर जनपद से आता हूँ, जो एन0सी0आर0 के पास है। हमारे वहाँ पहले जब कोई मरीज बीमार होता था तो उसे दिल्ली या नोएडा के लिए रेफर करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे बुलन्दशहर में श्रद्धेय नेता बाबू जी कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कालेज बनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में एक मण्डल एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज, वन मण्डल वन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। आज पूरे प्रदेश के कोने-कोने में विकास की धारा को बहाया जा रहा है। आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जो काम किया है, वह यह दिखाता है कि हम अगर मेहनत करें तो पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है। आज मैं अपने मुख्य मंत्री जी के लिए कहूँगा, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि-

''उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।

आप मेहनत करिए, जनता आपको स्वीकार करेगी और प्रदेश का विकास होगा। आज मुख्य मंत्री जी के विशेष प्रयास के कारण यू0पी0 देश के ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप हो रहा है। आज पूरे देश की जी0डी0पी0 का 16 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से आता है। महोदय, जब हम पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें से एक ट्रिलियन डॉलर हम अपने उत्तर प्रदेश से कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यह इसीलिए सम्भव हो पाया है कि आज मुख्य मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने अथक मेहनत करके उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टर फ्रेण्डली बनाया है। आज हमारी 25 पॉलिसीज को ट्रांसफार्म किया गया है, उनको इको फ्रेण्डली बनाया गया है, उनको यूजर फेण्डली बनाया गया है, उनको इन्वेस्टर फ्रेण्डली बनाया गया है और इस सबसे बढ़कर उनको यू0पी0 फ्रेण्डली बनाया गया है। महोदय, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ, जब हम सरकार में आए थे तो वर्ष 2018 में इन्वेस्टर्स समिट हुआ तो उसमें 4,28,000 करोड़ रुपये

के एम0ओ0यू0 साइन हुए थे और मुझे याद है कि उस साल हमारा बजट भी 4,28,000 करोड़ रुपये का था। उस समय हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा था कि जितना हमारा बजट है, उतना ही इन्वेस्टमेण्ट भी हमारे पास आ रहा है। इस बार हमारा बजट 6,90,000 करोड़ रुपये का है जो आज हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका पाँच गुना 33.50 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेण्ट आने का मतलब है कि आज प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी आज उत्तर प्रदेश में आने और इन्वेस्ट करने को लालायित हैं। यह जो स्थिति आज हमारे प्रदेश में पैदा हुई है वह हमारी सरकार की नीतियों का परिणाम है।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद, संजय जी। अब समाप्त करें। समय पर सभी लोग अपनी बात समाप्त करें।

श्री संजय कुमार शर्मा-

महोदय मैं दो मिनट और लूंगा। अधिष्ठाता महोदय, डिफेंस कोरिडोर में पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय 6 नोड्स में एक सिंगल पीस आफ लैण्ड उपलब्ध नहीं है। सब आवंटित हो चुकी है और उसमें कोई भी लैण्ड किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी गई है जो डिफेन्स के क्षेत्र में काम न करता हो। यह इस बात का परिचायक है कि आज उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। समय चूँकि आपने हमें बहुत कम दिया है आज आपने हमें अवसर दिया है मैं अपने क्षेत्र के भी दो-तीन विषयों को भी यहाँ पर रखना चाहूँगा। महोदय मेरे क्षेत्र में एक चीनी मिल है जो कि लगभग 45 वर्ष पुरानी है और इस बार कोआपरेटिव शुगर मिल में वह पहले नम्बर पर काम कर रही है। एक इतनी पुरानी चीनी मिल है जिसने रिकवरी तथा अन्य के सारे रिकार्ड तोड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस चीनी मिल की क्षमता वृद्धि की जाए। दूसरा मेरे यहाँ अहार में गंगा नदी पर पुल की बहुत आवश्यकता है। अहार बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है और वहाँ आये दिन गंगा नदी में डूबने के कारण दुर्घटनायें होती हैं। वहाँ कच्चा पीपों का पुल है जो लगभग 40 वर्षों से बनता आ रहा है लेकिन वहाँ एक पक्के पुल के निर्माण की भी आवश्यकता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र में एक लखावटी ब्लाक है, उसके करीब 50 गाँव ऐसे हैं जिनको 40 से 50 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। वहाँ एक नहर की पटरी है जिसको बना दिया जाए तो 10 किलोमीटर के अन्दर ही वह अपने ब्लाक में पहुँच सकते हैं जो बहुत बड़ी सुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए होगी। मैं आज आपके माध्यम से अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्य मंत्री जी को और हमारी सरकार को बधाई देता हूँ और महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी सरकार के बारे में चित्र प्रस्तुत किया है उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक सूर्य की तरह हैं जैसे सूर्य सभी ग्रहों को ऊर्जा देता है वह सारे प्रदेशों को ऊर्जा देकर जिस तरह से हमारे

देश को आगे लेकर जा रहे हैं मैं उनको भी कोटि-कोटि बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हेतु मा0 सदस्यों के लिये समय निर्धारण

श्री अधिष्ठाता-

मेरा आग्रह है कि आगे से सभी लोग 5 से 6 मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त करें क्योंकि बार-बार यहाँ से आपकी बात को रोकना अच्छा नहीं लगता है तो मेरा आग्रह है कि अपने आप समय-सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात को 5 से 6 मिनट में समाप्त करें।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री इन्द्रजीत सरोज-

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, श्री रविदास मेहरोत्रा जी के द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, श्री राज्यपाल जी के द्वारा जो यहाँ पर अभिभाषण दिया गया मुझे लगता है कि वह सरकार के द्वारा लिखित एक दस्तावेज को पढ़ने का काम किया गया है। अगर वह अपने विवेक से यहाँ पर अपना भाषण रखती तो अभिभाषण में कुछ और ही बातें होतीं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। चाहे हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, छिनैती हो, डकैती हो, फिरौती हो ये तमाम घटनायें रोज उत्तर प्रदेश में घटती हैं। मुझे लगता है कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में अभी एक सप्ताह के अन्दर एक दलित की हत्या हो गई। रायबरेली के अन्दर दो घटनायें हुई जिसमें कुछ सामंतवादी लोगों ने दलित बच्चों से अपने जूते चटवाने का काम किया। यहीं कानपुर में ब्राह्मण बेटी और उसकी माँ को जिस तरह से सरकार के इशारे पर, प्रशासन के इशारे पर उसकी ही झोपड़ी में जिंदा जलाने का काम किया गया। यह मुझे लगता है कि कानून-व्यवस्था में शायद नहीं आता है, इसीलिए आप लोग यह बात कह रहे हैं और हंस रहे हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में रोजाना ऐसी घटनायें घट रही हैं। मान्यवर, आज अमृत काल की बात हो रही है। मुझे तो याद आता है कि एक पुराने समय में आदिकाल में अमृत काल आया था। उस अमृत काल के समय में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अमृत नहीं मिला था, बल्कि विषपान करना पड़ा था। कुछ लोगों को अमृत चखना पड़ा था और इन दलित, पिछड़े आदिवासी अन्य तत्कालीन शूद्र समाज के लोगों को विषपान करना पड़ा था। वही अमृत काल आज चालू है। इस अमृत काल में क्या हो रहा है ? हमारे लोगों को बकरी पालन का लोन, सुअर पालने का लोन, भेड़ पालने का लोन, मुर्गी पालने का लोन दिया जाता है। एक तरफ अडानी और अम्बानी को हमारी जनता की गाढ़ी कमाई का, बैंकों का पैसा कई लाखों-करोड़ों में लुटाने का काम किया जाता है। यह वही अमृत काल मुझे नजर आता है। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उसी तरफ काम कर रही है। पुराने

समय में किसी ने कहा था कि 'जाको धर्म, धरती हरी, ताहि न लीजै संग, ओ संग राखै ही बनै, तो करि राखु अपंग' आज अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि नीलकण्ठ तिवारी जी अभी अपनी बात को रख रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने राम चरित मानस का अपमान नहीं किया। अधिष्ठाता महोदया, गोस्वामी तुलसीदास जी को हमसे ज्यादा कौन मानेगा, हमारे विधान सभा क्षेत्र में तो उनकी ससुराल थी। हमारे विधान सभा क्षेत्र महेवा घाट में उनकी ससुराल थी। रत्नावली जी उनकी पत्नी थी। अब उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। कुछ चौपाइयों में उन्होंने विरोध करने का काम किया है। मैं तो बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत का संविधान देने का काम किया। इतना ही नहीं, पुराने समय में जो कहा जाता था कि स्त्री, शूद्रो न ध्येताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को भी अधिकार देने का काम किया। दलित-पिछड़े आदिवासियों को भी सम्मान देने का काम किया। अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में राजा और रानी को वोट का अधिकार होगा तो गांव में रहने वाली मेहतरानी को भी वोट का अधिकार होगा। आज कानून व्यवस्था पर क्या हो रहा है ? केवल आप उसको ढकना चाहते हैं ? हकीकत में जाइये।

बेरोजगार नौजवान आज सड़कों पर घूम रहा है। आज जहां उसे नौकरियां मिलनी चाहिए, वहीं आप नौकरियों को आउटसोर्स से कर रहे हैं। वह लोग प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भरे जा रहे हैं। जिसमें 10 हजार की नौकरी करने के लिए वह मजबूर है। जहां 40 हजार न्यूनतम वेतन पाना चाहिए, वहीं आज 10 हजार में नौकरी करने के लिए नौजवान मजबूर है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी दस्तावेज को पढ़ने का काम श्री राज्यपाल जी ने किया है। हम सभी लोग किसान हैं, हम लोग देहातों से चलकर आते है। लोग परेशान हैं। नीलकण्ठ तिवारी जी अभी खनन के बारे में कह रहे थे। मेरे साथ नीलकण्ठ तिवारी जी चलिए। एक दिन माननीय मुख्य मंत्री जी को आग्रह करिए और जालौन से हेलीकाप्टर पर बैठते है, हमें भी बैठा लीजिए, चाहे ऊपर से ढकेल ही दीजिएगा। हम आपको दिखायेंगे कि अवैध खनन कहाँ हो रहा है। आपके सोनभद्र तक दिखायेंगे कि अवैध खनन कितना हो रहा है। आपको यह पता चल जायेगा कि कितना अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन में वसूली के कारण तो आपके मंत्री को ही पिछली बार हटा दिया गया था, यह भी तो हुआ था। जो महीने में वसूली करने जाते थे। मान्यवर, आज किसान परेशान है। मुझे एम0एस0पी0 का रेट नहीं मिल पा रहा। धान की खरीद के समय में किसान बिचौलिए का शिकार होता है। मिल मालिक धान को औने-पौने दाम पर किसानों से खरीदता है और उसको सरकारी केन्द्र में दिखा करके सरकारी रेट ले लेता है। आपके अधिकारी और बिचौलिए मिलकर बाँटने का काम करते हैं। आलू किसान कितना परेशान है, मारा-मारा फिर रहा है। मुझे लगता है कि आज 6 रुपये किलो भी आलू न बिकता होगा।

आज आलू किसान परेशान है। महंगाई चरम पर है। आपने चुनाव के वक्त कहा था कि हम होली और दीवाली में गैस सिलेण्डर देंगे परन्तु उसका महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा कोई जिक्र नहीं किया गया। आज तक आपने सिलेण्डर बाँटने का काम नहीं किया, चूंकि 1 साल की सरकार होने जा रही है। आप कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत हमने महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम किया। मैं गारण्टी से कहता हूँ मैं गांव से चलकर आता हूँ, गरीबी रेखा के नीचे जिन महिलाओं को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिये गये है, वह महिलाएं आज गैस सिलेण्डर नहीं भरा पा रही हैं क्योंकि गैस का सिलेण्डर रु0 1150 का हो गया है। वह आज लकड़ी और कण्डे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। असली तस्वीर यह है, इसे आप देखिए। इस सरकार ने विधायकों को गूंगा, बहरा बना दिया है, पावर छीन ली, वह अधिकारी से बात नहीं कर सकते, काम नहीं करा सकते।

(इसी मध्य सायं 05 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुई)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सरोज जी, आपको 7:30 मिनट हो गये हैं। जल्दी समराइज कर लीजिये।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। हमारे जिले के डी0एम0 रु0 1.00 लाख से लेकर रु0 1.50 लाख तक में शस्त्र लाईसेंस करने का काम करते हैं। मैं गारण्टी के साथ कह रहा हूं कि आपका अधिकारियों पर से नियंत्रण खत्म हो गया है। अरे कुछ तो पावर दीजिये विधायकों को, मंत्रियों को कुछ तो पावर दीजिये। माननीय जितिन प्रसाद जी बताईये माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो साल पहले घोषणा की थी और हाई कोर्ट के जजों द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि प्रयागराज से ले करके एयरपोर्ट होते हुए कौशाम्बी पर्यटन स्थल तक 04 लेन की सड़क बनेगी। प्रमुख सचिव बार-बार किसानों के मुआवजे की फाईल वापस कर देते हैं। वह मुआवजा नहीं दे रहे हैं जिस कारण से रोड नहीं बन पा रही है। मुख्य मंत्री की घोषणा नहीं पूरी हो पा रही है तो मंत्रियों की क्या स्थिति होगी वह 30 प्रतिशत भी सड़कें नहीं एलाट करा पाये हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपके विभाग के लोगों का तो क्या कहना है, वह जाते हैं और कच्ची स्लिप लोगों को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मीटर इतना है, तुम गलत लगाये हो और फिर उसको टेलीफोन करके बुलाते और कहते हैं कि लाओ तुम्हारा विल संशोधित कर देता हूं मुझे इतना पैसा दे दो। इस पर तो रोक लगाने का काम कीजिये। आज ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। खुले आम डी0पी0आर0ओ0 और सी0डी0ओ0 साहब 20,000 रुपये प्रति आवास घूस मांगने का काम कर रहे हैं। यह जमीनी हकीकत है, इस पर रोक लगाने का काम करिये। मनरेगा के तहत जो कार्य होता है उसकी तो बंदरबाट है, कमीशन बंधा है कि इतने प्रतिशत आप कमीशन देंगे तो आपका धका-धक पेमेण्ट होगा और जो कमीशन नहीं देगा उसका पेमेण्ट नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप आधे मिनट में समराइज कर लीजिये। 10 मिनट से ज्यादा हो गये हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मैं गरीब बच्चों के हित में यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति के गरीब बच्चे आश्रम पद्धति विद्यालयों में पढ़ते हैं। इस सरकार के 5 साल पहले पूरे हो गये और अब एक साल पूरा होने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उनके खान-पान मद में महंगाई को देखते हुए बढ़ोत्तरी की गयी थी लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ोत्तरी करने का काम नहीं किया है। इस पर भी कुछ चर्चा महामहिम राज्यपाल जी को करनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश में जो छुट्टा सांड़ हैं उन पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिए। एक बार डिप्टी सी0एम0 साहब से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप छुट्टा साड़ों से कैसे निपटेंगे ? तो उन्होंने कहा कि पूरी कड़ाई से उनके साथ निपटने का काम करेंगे। अरे कड़ाई की क्या जरूरत है ? उनके रहने का बंदोबस्त तो करिये। लोग आज मण्डली बना-बना करके जमुना के किनारे खेतों में टार्च लिये रातों-दिन पड़े रहते हैं। उनके खेत चरे जा रहे हैं। पहले वह नील गाय से परेशान थे अब छुट्टा पशुओं से परेशान हैं। हमारी विधान सभा क्षेत्र जमुना के इस पार और इनकी विधान सभा क्षेत्र जमुना के उस पार है ये हमारे चित्रकूट से कवएँ से चलकर आते हैं, ये बुन्देलखण्ड के जानवर जमुना से हमारी तरफ उतार देते हैं और हम इनकी तरफ उतार देते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय काफी ज्यादा हो गया है। अब श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी बोलें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, बस एक मिनट दे दीजिए। मैं अंत में यह कहना चाहूँगा कि छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए सरकार को ठोस उपाय करना चाहिए और जो गौशालाओं में गाय बाँधी हैं, उनके लिए समुचित चारा, भूसा का प्रबन्धन करना चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, इस सम्मानित सदन में अभी 20 फरवरी को मा0 राज्यपाल महोदया के द्वारा समवेत सदन को सम्बोधित करते हुए अभिभाषण प्रस्तुत किया गया। जिनके धन्यवाद प्रस्ताव में विधायक मा0 नीलकण्ड तिवारी जी और उसके समर्थन में डॉ0 नीरज बोरा जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने आपको संबद्ध करता हूँ और उस पर बल देता हूँ। अभी माननीय इन्द्रजीत सरोज जी बोल रहे थे। सूपा हँसै तो हँसै, चलनी का हँसै, जिकरे खुदै बहत्तर छेद। महोदया, हमने 2007 से 2012 भी देखा है, 2012 से 2017 भी देखा

है और 2017 से 2022 भी देखा है। मुझे कई बार इस सदन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और सभी पार्टियों को देखा है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। यह अमृत महोत्सवकाल चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस देश की 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करने के लिए जो संकल्प लिया है, उसको बल देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उस 5 ट्रिलियन डॉलर को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश से 1 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था करने के लिए अपनी सरकार के मंत्रियों को प्रदेश के कोने-कोने, देश के कोने-कोने, दुनिया के तमाम देशों में भेज करके इन्वेस्टर्स से वार्ता की है। अभी हम लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर, इन चार जगहों पर इन्वेस्टर्स समिट हुआ और लखनऊ में 13, 14, 15 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट हुआ, उसमें दुनिया के 40 देशों से अधिक इन्वेस्टर्स हमारे देश में आये। अभी सपा और बसपा के नेता अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। पहले भी इन्वेस्टर्स समिट होता था और पहले की सरकारें भी इन्वेस्टर्स समिट करती थीं। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में नहीं होता था। सपा और बसपा का इन्वेस्टर्स समिट बाम्बे में होता था, प्रदेश से बाहर होता था। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट कर ने से पहले उस स्थान की समीक्षा करते हैं कि वह वहाँ पर कैसे जायेगा, कब जायेगा और क्यों जायेगा। 2007 से 2012 की सरकार का जो कार्यकाल रहा है। उस समय कानून-व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उस समय भ्रष्टाचार व्याप्त था, चारों तरफ जंगलराज, गुण्डागर्दी, चोरी, डकैती, लूट थी और 2007 से 2012 में 367 छोटे-बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। उससे भी आगे बढ़ करके 2012 से 2017 के बीच में 700 से अधिक छोटे-बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। उद्योगपति और इन्वेस्टर्स एम0ओ0यू0 करने के लिए, अपनी पूँजी लगाने के लिए इन सारी बातों की समीक्षा करता है। पहले कानून का राज नहीं था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। उन्होंने पहला काम किया कि उत्तर प्रदेश को कानून-व्यवस्था का राज दिया। हमने इसी सदन में 1991 में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और उस समय के मुख्य मंत्री स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल को भी हमने देखा था, उस समय भी उत्तर प्रदेश में कानून का राज था और इस समय भी उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इसी कारण आज एम0ओ0यू0 हो रहा है। महोदया, 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का एम0ओ0यू0 अभी लखनऊ में हुआ है, यह अपने आप में प्रदर्शित करता है इससे 94 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिये रोजगार सृजित होने वाला है। मैं जानता हूँ, चूँकि आप समय कम देंगी।

मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास, मुख्य मंत्री आवास सरकार की जिम्मेदारी तो होती है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों को भी देखा गया। वह भी आवास बनाने के लिए पैसा देते थे लेकिन हमारी सरकार जब केन्द्र में वर्ष 2014 में और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में भारतीय जनता

पार्टी की सरकार आई है तब जो प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्य मंत्री आवास के लिए पात्र व्यक्ति है या जो छत विहीन व्यक्ति या गरीब व्यक्ति हैं उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उनको केवल घर ही नहीं दिया गया, उस घर में नल और पानी की भी व्यवस्था कराई गई है। उस घर में शौचालय बनवाया गया है, उस घर में बिजली का बल्ब जलाया गया है, उस घर में खाद्यान्न राशन दिया गया है, उस राशन को भोजन बनाने के लिए गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। एक गरीब व्यक्ति की सुख सुविधा के लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराया गया है। पहले की तुलना में और आज की तुलना में हम महसूस कर सकते हैं कि गरीब को इतना अगर मिलता है तो उसका जीवनयापन आसान हो सकता है। जल संरक्षण की बात आती है। जल संरक्षण हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी बाजपेई जी के शासन काल से ही नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इस नदी को उस नदी से, इस छोर से उस छोर तक जोड़ने के लिए काम चल रहा है। उसका विस्तारीकरण करके हमारी वर्तमान केन्द्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव काल में जो जल संचय के लिए तालाबों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल संचय एक बहुत बड़ी समस्या है। हमको स्व0 अटल बिहारी बाजपेई जी का एक शब्द याद है उन्होंने किसी भाषण में कहा था कि आने वाले समय में दुनिया में विश्व युद्ध जल के लिए होगा। ऐसा मेरे कानों मे शब्द आया था। तो जल के लिए हमारी केन्द्र की सरकार प्रदेश की सरकार उस पर काम कर रही है। नदियों को जोड़ने के लिए तालाब में जल संचय बढ़ाने के लिए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ जो तालाबों की खुदाई हो रही है उसमें उनकी गहराई नहीं बन पा रही है क्योंकि मनरेगा के द्वारा काम हो रहा है और जब तक उसकी गहराई 10 फिट, 15 फिट नहीं होगी उस तालाब की गहराई पानी के स्टेटा तक नही होगी तब तक पानी नीचे से ऊपर नहीं आयेगा और जब नीचे से ऊपर नहीं आयेगा तो मार्च, अप्रैल में पानी तालाबों का सूख जाता है। हमारी यह अपेक्षा है कि हमको प्रदेश और केन्द्र को मिल करके एक बार इसकी समीक्षा की जाये कुछ संशोधन हो तो अच्छा रहेगा। अभी बिजली की बात हो रही थी हमने बसपा और सपा के शासन काल में भी देखा है। माननीय वर्मा जी भी वरिष्ठ नेता हैं। प्रदेश में बिजली कब आती थी कब जाती थी यह हम लोग नहीं जान पाते थे। सोने के बाद बिजली आती थी जागने के पहले चली जाती थी। पूर्व की सरकारों में वी0आई0पी0 जिला हुआ करता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी वी0आई0पी0 कारो जिला नहीं है। गोरखपुर के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। आज वहाँ पर 24 घंटे बिजली दी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ बराबर पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जिला मुख्यालय को 24 घंटा, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे से 22 घंटा, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा बिजली जनता को मिल रही है। हम लोगों ने पहले के प्राथमिक विद्यालय को देखा है। इन लोगों के शासनकाल के भी प्राथमिक विद्यालय को देखा है। उन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रेस कोड को हम लोगों ने देखा है। लगता था बच्चे और बच्चियों को इन लोगों ने होमगार्ड बना दिया है। होमगार्ड का ड्रेस इन लोगों ने

पहना दिया था। आज अगर विद्यालयों में सत्तापक्ष-विपक्ष का कोई भी सदस्य किसी भी कार्य से जाते होंगे तो देखते होंगे कि विद्यालय की साज-सज्जा, दीवालों का रंगाई-पुताई,कायाकल्प के माध्यम से टाइल्स लगे हुए हैं, शौचालय बने हुए हैं, बाउण्ड्रीवाल ठीक-ठाक है, कुर्सी-मेज है। आप भी देखते होंगे, कायाकल्प के माध्यम से कोई विद्यालय वंचित नहीं है। अध्यापकों की व्यवस्था है। इनके समय में भी हम लोगों ने देखा था। हमारी सरकार में बारह सौ रुपये प्रति बच्चे उनके अभिभावकों के खाते में पैसा दिया जाता है। महोदया, एक भी पैसे का कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आधे मिनट में अपनी बात खत्म करिये।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गोरखपुर के मानवेला से किसान सम्मान निधि का पहला किस्त जारी किया था। गोरखपुर के मानवेला के रैली में उन्होंने बटन दबाया, पैसा गांव में गया, राम के खाते में गया, श्याम के खाते में गया। सभी लोगों ने सुना होगा कि स्व0 राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं, तो गांवों में 15 पैसे पहुंचता है। पैसा कहां अटकता, कहां लटकता, कहां भटकता रहता है ? मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली से रु0 2000/- के लिये बटन दबाया, तो रु0 1999/- नहीं हुआ। पूरे रु0 2000/- किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने सितम्बर महीने में गोरखपुर मण्डल का वर्चुअल बैठक किया था, तो उन्होंने घोषणा की थी, वह कार्यरूप में भी है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक जर्दी डोमरा बंधा है, उस पर सिंचाई विभाग के द्वारा निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आधे मिनट में अपने लोकल प्राब्लम बता दीजिये।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में परतावल और पनियरा के मध्य एक तहसील की अपेक्षा की गई है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मा0 राज्यपाल महोदया जी के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

मा0 अधिष्ठाता-

श्री महबूब अली जी। शायद सदन में नहीं हैं। श्री प्रसन्न कुमार जी, शायद ये भी उपस्थित नहीं है। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, शायद ये भी उपस्थित नहीं है। श्री शलभ मणि त्रिपाठी जी।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी-

मा0 अधिष्ठाता जी। मा0 राज्यपाल जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के सन्दर्भ में हो रही चर्चा पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे वरिष्ठ साथी डा0 नीलकंठ तिवारी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अभी हाल ही में जो एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के भीतर लखनऊ में हुआ है, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। मैं बहुत देर से देख रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी थोड़ा बौखलाए हुए हैं, थोड़ा परेशान हैं, हताश हैं। अधिष्ठाता महोदय, मुझे उनकी हताशा समझ में आती है। विपक्ष की बौखलाहट समझ में आती है। उसका एक बहुत कारण है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर एक कार्यक्रम हुआ, इन्वेस्टर्स समिट हुआ। उसमें देश और दुनिया के तमाम सारे निवेशकों ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी रुचि दिखाई। निवेशकों के भीतर जिस तरह का उमंग/ उल्लास देखने को मिला, उससे विपक्ष के हमारे साथियों में निराशा/हताशा होना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश को कहाँ पर लाकर खड़ा किया था, ये किसी से छिपा नहीं है ? चाहें वह सड़क का क्षेत्र रहा हो, बिजली का क्षेत्र रहा हो, पानी का क्षेत्र रहा हो, चाहें वह कानून-व्यवस्था का क्षेत्र रहा हो।

हम सब इसी उत्तर प्रदेश में रहते है और मैं पेशे से टेलीविजन पत्रकार रहा हूँ। हम सबने वर्ष 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी थी, मुझे लगता है कि कोई उसको भूल नहीं सकता है। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ निकलती थीं, उसके शीशे खुले हुए होते थे और बंदूक की नालें बाहर झांकती थीं। तमाम सारे माफिया उत्तर प्रदेश की सरकारों पर काबिज हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से तमाम कंपनियां कलस्टर में बांट दी हैं, वर्ष 2017 के पहले इन माफियाओं ने अपने-अपने कलस्टर में बांट रखा था।

प्रयागराज कोई और हैडल करता था, पूर्वांचल कोई और लूटता पश्चिमांचल में किसी और डान का कारोबार चलता था। व्यवस्था वही है, पुलिस वही है, प्रशासनिक मशीन भी वही है लेकिन साल 2017 में मा0 योगी जी सरकार की जो कार्यशैली थी उसी का परिणाम था कि गाड़ियों से झांकने वाली बंदूकों की नालियां भी गायब हो गयीं और गुण्डों और माफियाओं का भी सफाया हो गया। हम सबने वह दिन देखे थे जब उत्तर प्रदेश पुलिस पर अपराधी गोली चलाता था, 2017 के पहले की मुझे एक घटना याद है, प्रतापगढ़ में एक घटना हुयी थी, एक सरकार थी जब पुलिस के लोग गोली खा रहे थे, पुलिस के लोगों पर लाठियां बरस रहीं थीं, पुलिस पर हमले हो रहे थे और पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों से पूछते थे कि साहब हम जान बचाने के लिए क्या करें, अपराधी सामने से गोली चला रहे हैं हम गोली चलाएं कि न चलाएं, तब अधिकारी कहते थे कि हम लखनऊ फोन करके पूछते हैं और 2017 से पहले इस तरह की स्थिति थी कि प्रतापगढ़ के कुण्डा में एक काण्ड हुआ था वहां अधिकारी मारे जाते रहे,

पुलिस पर गोलियां चलती रहीं, पुलिस पर हमले होते रहे लेकिन जो सरकार थी उसने पुलिस को मुकाबला करने का अधिकार नहीं दिया था। यही कारण था कि हमारे दो वीर अधिकारी शहीद हो गए थे, लेकिन आज कोई अपराधी अगर पुलिस की तरफ गोली चलाता है तो उसको पता है अगर वह पुलिस पर गोली चलाएगा तो आज जो सरकार है उसने इतनी छूट दे रखी है कि पुलिस पर गोली चलाने वाला पुलिस की गोली खायेगा भी और शिकार भी होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थितियां बदली हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और मा0 नीलकण्ठ जी नोएडा का जिक्र कर रहे थे परन्तु मुझे तो अयोध्या नजर आती है जिसको साल 2017 के पहले फैजाबाद बनाकर रखा था और मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि हम सब दीपावली क्यों मनाते हैं, हम सब दीपावली प्रभु राम जी की विजय की याद में मनाते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि साल 2017 के पहले प्रभु राम को किन परिस्थितियों में रखा जाता था, एक फटा हुआ टेंट हुआ करता था, बारिश में टपकता हुआ पानी हुआ करता था, टेंट बदलने तक की इजाजत नहीं हुआ करती थी। हमारे प्रभु रामलला टेंट में रहते थे और सरकारों की उपेक्षा की स्थिति यह थी कि पूरी दीपावली प्रभु राम की विजय में दीपोत्सव करती थी, लेकिन जो प्रभु राम का जो आंगन होता था वहां अंधेरा होता था।

पूरी दुनिया दीपावली मनाती थी लेकिन प्रभु राम के घर में एक दीपक नहीं होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो सर्मथन दिया, प्रभु राम के इस अपमान का जो बदला लिया, हम गर्व से कहते हैं कि परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से उस आंगन में अब इतने दीपक जलते हैं कि हर साल रिकार्ड बनता है। आपने काशी की क्या स्थिति कर रखी थी जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, आपने किस तरह की उपेक्षा कर रखी थी, महादेव की नगरी में जो जाता था चारों तरफ गंदगी होती थी, चारो तरफ दुर्व्यवस्था होती थी। वाराणसी में आपने मां गंगा का क्या हाल कर रखा था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अपने विपक्ष के साथियों से कि आपको जाकर देखना चाहिए कि मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आज महादेव की नगरी किस तरह सुंदर सी निखर के आयी है किस तरह महादेव की नगरी का कायाकल्प हुआ है। मैं देख रहा था जब इनवेस्टर समिट के दौरान पूरा लखनऊ सजा हुआ था, तब हमारे विपक्ष के नेता हमें बाहर मिल गए, उनका पूरा परिवार उनके साथ था उनके बच्चे तस्वीर क्लिक करा रहे थे। तब हमारे विपक्ष के नेता से मैंने कहा कि मैं आपकी फोटो क्लिक कर देता हूं तब उन्होंने कहा कि बच्चे मान नहीं रहे हैं परन्तु मैंने अगर फोटो क्लिक करायी तो इसका सन्देश अच्छा नहीं जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आपका भी है इस उत्तर प्रदेश पर आप गर्व कीजिए।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से हमारे विपक्ष के साथी होंगे जो चुपके-चुपके ये जो उपलब्धियाँ हुई है उसकी तस्वीर खिंचाते जरूर होंगे, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर न डालना उनकी मजबूरी हो सकती है। मैं कहूँगा कि आपके लिए भी उपलब्धि है

कि आप उत्तर प्रदेश के हैं। आप अपने रिश्तेदारों, नातेदारों जो उत्तर प्रदेश में बाहर से आते हैं, जरा उनसे पूछिये कि उत्तर प्रदेश के बारे में उनका परसेप्शन कैसे बदला है। वह इसलिए बदला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक कर्मयोगी उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। 18, 20, 22 घण्टे उन्होंने काम किया है। हम सबने कोविड-19 काल में देखा है, जब कोविड-19 काल में ऐसी स्थिति आयी कि लाकडाउन लगा और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रवासी बार्डर पर फँसे हुए थे तो मुख्य मंत्री जी ने 24-24, 48-48 घण्टे बैठकर काम करते हुए प्रवासी भाईयों को सम्मान से अपने प्रदेश में लाने का काम किया, उनकी सेवा की।

मा0 अधिष्ठाता-

त्रिपाठी जी, संक्षेप कर लीजिए, 07 मिनट हो गये हैं।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी-

एक गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति यह बात समझ सकता है कि जब लाकडाउन लगा हो, जब काम धन्धे बन्द हों तो हमारी माताओं-बहिनों के सामने किस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती होंगी कि घर में राशन, नमक, दाल है कि नहीं है। इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मा0 योगी जी की सरकार थी जिसने इस बात की चिंता की कि घर के किचेन में माताओं, बहिनों के पास न तो नमक का संकट आयेगा, न दाल का संकट आयेगा, न राशन का संकट आयेगा और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया जिस तरह से देश की तरक्की में योगदान दे रही है। अधिष्ठाता महोदय, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आज पूरी दुनिया टकटकी लगाये भारत की तरफ देख रही है। आज एक महानायक के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत महानायक बन करके उभरा है। आपने देखा होगा जब अफगानिस्तान के भीतर तालिबान तख्ता पलट कर रहा था, तब भारत के नागरिकों को कितने सम्मानपूर्वक तालिबान के लोग वहाँ से भारत के लिए भेज रहे थे और सबसे गौरव का क्षण वह था कि जब पाकिस्तान के छात्र भी तिरंगा ओढ़कर निकले, भारत माता की जय बोल कर निकले, ये बोलकर निकले कि हम भारत के नागरिक है तो तालिबान ने सकुशल उनको अफगानिस्तान से बाहर भेजने का काम किया। ये गौरव के क्षण हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की तरफ टकटकी लगाकर देखती है कि भारत उसमें हस्तक्षेप करेगा। यह गौरव का क्षण है कि टर्की जैसा देश जब किसी मुसीबत में फँसता है, किसी समस्या में फँसता है तो सबसे पहले कोई अगर मदद लेकर पहुँचता है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूत वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर मदद करते हैं। टर्की में जितनी सुविधायें हो सकती हैं, जितने संसाधन है, वह उपलब्ध कराते हैं और निश्चित तौर पर मैं यह विपक्ष के साथियों से कहना चाहूँगा कि यह आपके लिए भी गौरव की बात है कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। आपको इस बात से गर्व होना चाहिए कि आज 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश है, आप यह कह सकते हैं कि हमारा राज्य तरक्की की तरफ, विकास की तरफ बढ़ा है।

मा0 अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करिये।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इतना समय दिया आधे मिनट का समय और लूँगा। मैं देवरिया से आता हूँ। देवरिया की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके भेजा है। हमारा क्षेत्र चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी मिलें होती थीं, लेकिन 2017 के पहले जो सरकारें आयीं उन्होंने हमारी चीनी मिलें लूट लीं और औने-पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया। यह सिर्फ हमारे क्षेत्र देवरिया में नहीं हुआ, यह पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। आप सब इस बात को जानते हैं कि चीनी मिलें लूटी गयीं, औने-पौने दाम पर बेची गयीं। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रयास है कि चीनी मिलें खुलें और लगातार चीनी मिलें खुल रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी जिस चीनी मिल को 2017 के पहले लूटा गया था, वह हमें वापस कर दी जायें और देवरिया में एक चीनी मिल की स्थापना की जाये। मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे साथ जो भेद-भाव हुआ है, 2017 के पहले की जो सरकार थी जिस तरह का भेद-भाव गोरखपुर, देवरिया के साथ में हुआ है। माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने इनसे अनुरोध किया था कि हमारा देवरिया भी जगमगाना चाहिए जैसे लखनऊ जगमगाता है और नगर विकास मंत्री जी की कृपा से, मुख्य मंत्री जी की कृपा से वहाँ पर काम पहुँचा है। लेकिन 2017 के पहले जो उपेक्षा हुई है, हम यह उम्मीद करते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार जिस तरह से सबके लिए काम कर रही है, हमारा देवरिया भी लखनऊ जैसा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमको यह समझ में आया कि कम से कम लोकतंत्र का यह सबसे खूबसूरत मन्दिर है, कुछ न कुछ तो सही बोलेंगे ही, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं तो ऐसी बातें बोल रहे है जैसे लगता है कि सत्य से छुआछूत ही नहीं है। अभी हमारे साथियों ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि 40 देशों के लोग आये थे, कई देशों के पूंजीपति आये थे, विदेशों से लोग आये थे और तो और इन लोगों ने रैली कोई निकाली थी। यह 16 देश के महानगरों में गये, क्या कोई सम्मेलन था, कोई भाषण देना था या रोड शो कर रहे थे ? क्या पूंजीपति रोड पर घूम रहे हैं ? यह किताब बहुत अच्छी है, पढ़ने वाली भी अच्छी है, लेकिन जो लिखवाया गया है, वह बहुत गड़बड़ है, अभूतपूर्व गड़बड़ है। इसमें जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वह सत्य से परे है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि फरवरी, 2018 को इन्वस्टर्स समिट हुआ था, उसमें 5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है और आपकी

किताब में 4 लाख करोड़ लिखा गया है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हम कुछ बोलें तो इतना ज्ञान रहे कि जितने लोग बैठे हैं, वह भी थोड़ा बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान का भण्डार, ज्ञान का कटोरा, ज्ञान की खूबसूरती सब इन्हीं लोगों के पास है। वर्ष 2017 से पहले ही देश लूटा जा रहा था और 2017 के बाद से ऐसा लगता है कि राम राज्य आ गया है। सब कुछ यहीं हो रहा है और दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है।

महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को पढ़ने के बाद हम विपक्ष के लोग हैं, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपका गुणगान करेंगे ? जब हम लोग छोटे थे तो एक फिल्म में एक गाना था कि बिना बाप का बच्चा हां जी, तुमने देखा हां जी, हमने देखा हां जी, सबने देखा हां जी। यह हां जी की जो परम्परा चली है, यह ऐसा बोल रहे हैं यह 6 वर्ष का देश है, यह 6 हजार वर्ष का देश है। यह 14 के बाद ही देश नहीं बना है, उससे पहले भी यह देश रहा है। ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि बेरोजगारी समाप्त हो गयी है, अब किसी के घर में कोई बेरोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार तो दूरबीन से भी खोजने पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। थानों की क्या हालत है आप जरा पता कर लीजिए। तहसील में लेखपाल किसी गरीब की, किसी किसान की जमीन नापने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर जब लोग बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि या तो हम ही लोग गड़बड़ हैं या तो यह लोग खुद गड़बड़ हो गये हैं और यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बोलना है। कम से कम सही बात तो बोलें। कहीं न कहीं तो ईमान धर्म होना चाहिए। राजनीति में ऐसा तो नहीं है कि हम बिना बाप के बच्चा हां जी, सबने देखा हां जी, कहो वाह-वाह, कहो वाह-वाह हम राजनीति में इसलिए थोड़ी न आये हैं। राजनीति कोई धन्धा नहीं है कि एक लगाओ तेरह पाओ, राजनीति सेवाभाव है। जहां इन्सान दूसरे के लिए काम करता है और पहचान अपनी बनती है, वह राजनीति है। राजनीति में व्यक्ति काम दूसरे के लिए करता है और पहचान उस व्यक्ति की बनती है, हम लोग राजनीति में बहुत कम उम्र में आ गये थे। 25 साल में हम एम0एल0ए0 हो गये थे। सातवीं-आठवीं बार विधायक हूं, सांसद बनने का सौभाग्य मिला, मंत्री रहने का भी सौभाग्य मिला था। हमें राजनीति में गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। क्या हम वाह-वाह के लिए पैदा हुए हैं ? अभी नीलकण्ठ जी प्रस्ताव रख रहे थे तो वह तो ऐसा बोल रहे थे कि जैसे काशी में हम न तो पढ़े हैं, न बढ़े हैं, न देखे हैं। काशी में हम भी पले-बढ़े हैं। अभी मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि गंगा बहुत सुन्दर हो गयी है, किस दूरबीन से देखते हो, वह दूरबीन हमें तो बता दो ?

मान्यवर, गंगा कहाँ साफ हो गई। 51 लोग गंगा में अभी क्रूज पर 31 दिन में कलकत्ता पहुंचे हैं। मैडम देश में इतना कौन खाली है कि क्रूज से 31 दिन में कलकत्ता पहुंचेगा और डी0एम0, एस0पी0 तबला बजा रहे हैं। अगर यही विकास है तो ऐसा विकास मुबारक हो। लेकिन आगे-आगे देखो होता है क्या। ऐसा नहीं कि झूठ की कुतुब मीनार बन के आप दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सच्चाई कहीं न कहीं खुलेगी। सच्चाई कहीं न कहीं जमीन पर

दिखाई देगी और इसकी जरूरत भी है, इस व्यवस्था में महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी है, थाली से दाल गायब हो गया है, सब्जी की स्थिति यह है कि चावल, दाल, सब्जी, रोटी कोई खा नहीं पा रहा है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, मजदूर, किसान, आपने कहा कि इतने धान की खरीददारी हो गई, लेकिन खेतिहर मजदूर की खेती कितनी महंगी हुई। हम इस पर क्यों नहीं बहस करते है कि आज हर आदमी परेशान है लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नही है। ऐसा नहीं है हम लोग भी राजनीति में बहुत कुछ सोच समझ कर आए थे, हम लोग कम उमर में संघर्ष करके पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है हम लोग कांग्रेस के भी समर्थक रहे हैं जब गैर कांग्रेस वाद का नारा था तब हम सब लोग मिल कर उस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किए हैं जिस कांग्रेस का ईस्ट इंडिया कम्पनी के बाद हिंदुस्तान से उखड़ना नामुमकिन सा था तो यह मत भूलिए आप भी कि नहीं चले जाओगे, आपका भी जाना तय है, हां कुछ समय का तकाजा है।

बिजली विभाग में हमारे माननीय बिजली मंत्री जी बैठे हैं आज का बिजली विभाग का जो जे0ई0 है वह क्या कर रहा है क्या आपको मालूम है। जितना अंग्रेज नहीं लूटे हैं उतना अधिया पर जे0ई0 लूट रहा है। यह आप ही पर कह रहा हूं कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि हवा में महल बनाओ तो बीरबल ने कहा कि हुजूर हवा में महल कैसे बनेगा, अकबर ने कहा कि अगर नहीं बनाओगे तो सर कलम कर दूंगा। उसने सोचा कि जान बचाना जरूरी है तो कहा कि हुजूर प्रयास करूंगा, अकबर ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं आकाश में हवा में महल बनाओ, उसने तोता पैदा किया और उसको पढ़ाया लिखाया और कहा कि जब बादशाह के शक्ल का इंसान निकले तो तुम एक ही बात कहना कि चले गारा, चले माटी, चले ईंटा, जब निकला तो बादशाह ने पूछा कि बीरबल पशु-पक्षी क्या नारा लगा रहे हैं। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर काम धुआँधार, लगातार, शानदार चल रहा है। इसलिए पशु-पक्षी को भी बरदाश्त नहीं हो रहा है वह भी नारा लगा रहे हैं चले गारा, चले माटी, चले ईंटा। अकबर ने पूछा बीरबल से कि यह महल कब तक तैयार हो जाएगा तो बीरबल ने कहा कि हुजूर यही तय नहीं है कि महल कब तक तैयार हो जाएगा। काम लगातार चालू है। आप लोग जो कर रहे हो कि लगातार चालू है धुंआधार चालू है, लेकिन क्या ट्रांसमिशन लाइन पर हम लोगों ने काम नहीं किया है, सिस्टम इम्प्रूवमेंट पर हम लोगों ने काम नहीं किया है, क्या साल भर में आपने कोई ट्रांसफार्मर बदला है, आप माननीय मंत्री जी नौकरी करके राजनीति में आए हैं। हम संघर्ष से आये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य जी, सवा नौ मिनट हो गया है जल्दी करिए। सभी ने सात से दस मिनट बोला है, आप एक मिनट और बोल दीजिए।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर सही बात बोलें, अच्छी बात बोले। हमारे जो प्रस्तावक हैं आज बनारस की क्या हालत है ? मा0 मंत्री जी आप कचहरी जाते हैं, कचहरी में मोटरसाईकल कहां खड़ी होती है ? मैं बताता हूँ रोड पर खड़ी होती है। देश के प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। आप जेल को कचहरी क्यों नहीं बनवा देते हैं और जितने भी गन्दे या गड़बड़ लोग हैं उनके लिए पिड़रा में क्यों नहीं जेल बनवा देते हैं ? आप बनारस के विकास की बात करते हैं। विश्वनाथ मन्दिर के बारे में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमने शुरू किया है यह पाँच भवन हम लोगों ने नहीं खरीदे थे तो क्या आपने खरीदे थे ? उस समय तो आप प्रौढ़ अवस्था में भी नहीं थे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 ओम प्रकाश जी 10 मिनट हो गए हैं आप 1 मिनट में अपनी बात खतम कर लीजिए।

श्री ओम प्रकाश-

ठीक है मा0 अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ इतना ही कहकर आपसे निवेदन करेंगे कि हम राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में इस बात को बताना चाहते हैं कि हम विपक्ष के लोग हैं, हम लोग भी संघर्ष करके यहां पर आए हैं ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ गुनाह ही किया है, हम लोगों ने भी अच्छे काम किए हैं और उसी अच्छे काम का नतीजा है बिजली मंत्री जी कि ट्रांसमिशन लाइन में, आप पता कर लीजिएगा, 6 साल हो गये हैं, लेकिन आज तक भदौरा में 220 के0वी0ए0 सब-स्टेशन चालू नहीं हो पाया है। वह अखिलेश जी का ही 220 के0वी0ए0, 132 के0वी0ए0 और 33 के0वी0ए0 वाला बिल पास हुआ था, यह आप नहीं पास किये हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 डी0सी0 वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मा0 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव डा0 नीलकंठ तिवारी जी ने रखा है उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, राज्यपाल महोदय द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो खाका प्रस्तुत किया उसे निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का विकास होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि जिस समय राज्यपाल महोदय बोल रही थीं उस समय विपक्ष के लोग लॉबी में आकर नारेबाजी कर रहे थे अच्छा यह होता कि वह लोग ध्यान से, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश की पूरी जनता के कल्याण के लिए अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया था। मेरी सरकार जनआकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सभी वर्गों की

उन्नति व कल्याण के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है। हमारी सरकार रामराज्य की परिकल्पना के आधार पर भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त समाज के सभी वर्गों के हित के लिए कार्य कर रही है। इस अमृतकाल वर्ष में 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 तक जी-20 देशों की अध्यक्षता करने का हमारे देश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह हमारे आदरणीय मोदी जी के कारण हुआ है। आप सभी लोगों को मा0 मोदी जी की इसलिए प्रसंशा करनी चाहिए, क्योंकि आज वह इण्टरनेशनल लेवल पर एक नेता के रूप में उभर कर आए हैं और हमारे देश को आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारा भारत 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है और उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर इसलिए जाता है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी उत्तर प्रदेश भी बनने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया उससे साढ़े 35 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उससे हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है और इससे निश्चित तौर पर हमारा उत्तर प्रदे आज आगे बढ़ रहा है इससे पहले जितने भी इन्वेस्टर समिट इस उत्तर प्रदेश में होते थे वह केवल कागजों में लिख दिए जाते थे और मीटिंगों का आयोजन या तो मुम्बई होता था या तो दिल्ली में होता था और उसका धरातल पर कहीं कोई अनुसरण नहीं होता था। हमारी पिछली सरकार में 4 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे और उससे बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को नौकरी देने का काम हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो राशन माफिया थे वह हावी हुआ करते थे मैं तो उस समय मीरगंज में पशुचिकित्सा अधिकारी हुआ करता था तब सुनता था कि आधा राशन बटता है, 12 महीने में 6 महीने का बटंता था और 6 महीने का गोदामों से ही बिक जाया करता था।

(इसी मध्य सायं 06 बजकर 39 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जय प्रताप सिंह पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह बहुत दुःखद था। आज पूरा देश यू0एन0 जो सस्टेनेबल डेवलेपमेन्ट गोल्स की बात करता है। उस पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले विधान सभा सत्र को 36 घण्टे चलाने का काम किया था। आज यू0एन0 भी हमारे देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश इण्ड आफ उत्तर प्रदेश की तारीफ करता है, क्योंकि आफ पावरटी और इण्ड आफ हंगर पर काम कर रहा है। इण्ड आफ हंगर पर इतना ज्यादा काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि इस पर दो लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 35 किलो राशन मुफ्त देने का काम कर रहा है। इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम कर रहे हैं। जहां पहले 12 महीने में 6 बार राशन बंटता था सामने वालों की सरकार में। आज हमारी सरकार 12 महीने में 24 बार राशन देने का काम कर रही है। भाइयों यही इन्साफ है। भाइयों निश्चित तौर पर आज हमारा भारत वर्ष दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कन्ट्री में

से एक है। दुनिया का सबसे ज्यादा अर्थ व्यवस्था बनने जा रहा है। आज हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में पांचवें नम्बर पर आ गये हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी प्रकार हमारा उत्तर प्रदेश वाटरवेज, रोडवेज और हाईवेज, एयरवेज दोनों, तीनों तरीके के आलवेज हमारे यहां हो गये है। इसीलिए दुनिया के 40 देशों के उद्योगपति इन्वेस्टर्स समिट में आये, क्योंकि आज हम सभी सुविधायें उत्तर प्रदेश को देने का काम कर रहे हैं। पहले यहां केवल गुण्डाराज हुआ करता था। हमारा जनपद बरेली बिल्कुल शान्तिप्रिय जिला होने के बावजूद उसमें 2013 में 2-2 महीने का कर्फ्यू लगाने का काम सामने वालों ने किया था। हमारे बरेली जनपद में भी कर्फ्यू लगा था। 2012 से 2017 तक के समय हमारी बेटियां स्कूलों में पढ़ने नहीं जाती थीं। स्कूलों के सामने शोहदे खड़े रहते थे। हमारी बालिकाओं को रोकने का काम करते थे। किसान भाइयों की आप बात करते हैं। किसान भाई जब पानी लगाता था तो शाम को अपना पम्पसेट खींच कर वापस लाने का काम करता था, क्योंकि चोर घूमते रहते थे। तुरन्त इंजन खोल कर उठा ले जाते थे नहीं तो उनका पिलन्जर नोजल खोल ले जाते थे। वह अपनी बोरिंग में एक फ्लेन्ज बांध आता था उसको भी तोड़ कर चोर ले जाने का काम करते थे। भाइयों उस समय यह दुर्गति थी। जब किसान भाई सुरक्षित नहीं थे, हमारी बहन-बेटी सुरक्षित नहीं थी इसीलिये जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया। जब इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो 2014 भी हम जीते, 2017 भी हम जीते, 2019 में भी हम जीते, 2022 में भी हम जीते और 2024 में 80 की 80 सीटें जीतने का हम काम करेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे। आपके समय तक केवल 2 हवाई अड्डे काम करते थे। आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और 10 पर काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ 21 एयरपोर्ट होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पूरे देश में नम्बर 1 पर हो गया है। इसी के साथ ही पहले हमारे बच्चों की ड्रेस क्या हुआ करती थी ? प्राइमरी के बच्चों की ड्रेस पहले देखने में भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसी खराब ड्रेस वितरित होती थी। आज हम ड्रेस के लिये 1200 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से देने का काम कर रहे हैं। विद्यालयों में कायाकल्प के माध्यम से आज हमारे प्राइमरी विद्यालयों को कान्वेन्ट विद्यालय जैसा बनाने का काम किया है। यह हमारी सरकार है। बड़ी संख्या में बच्चे आज प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। कान्वेन्ट से अच्छे प्राइमरी विद्यालय हो गये हैं। जो कान्वेन्ट में टीचर पढ़ाते हैं उनका जब शिक्षक में चयन हो जाता है तो वे भी बेसिक में पढ़ाने का काम करते हैं। मेरे क्षेत्र में मीरगंज विधान सभा में 2 पुलों की आवश्यकता है। इससे पहले भी सरकार ने हमें 9 पुल देने का काम किया। मीरगंज विधान सभा क्षेत्र को 9 इण्टर कालेज भी देने का काम किया है इसके लिये मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने बहुत कुछ देने का काम किया। हमारे क्षेत्र में दो पुल हैं एक फतेहगंज पश्चिमी व दिबना के बीच में दिजोड़ा नदी है उस पर एक पुल की हम मांग करते हैं।

मान्यवर, मेरे यहां नरखेड़ा और सिंधौली के बीच में जो भाखड़ा नदी है उस पर भी एक पुल की मांग करता हूँ। हमारी तहसील मीरगंज में एक मण्डी, एक मुंसिफ कोर्ट व अग्निशमन केंद्र और क्षेत्राधिकारी कार्यालय आवास की मांग करता हूँ। जनपद बरेली, दिल्ली व लखनऊ के बीच में पड़ता है 250 किलोमीटर दूरी पड़ती है। गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक कोई एम्स नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बरेली में एक एम्स अस्पताल देने का काम करें। जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोगों को सुविधा मिल सके। हमारे यहां रामगंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर एक बड़ा मेला लगता है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां पर एक घाट बनाया जाए। हमारे यहां बरेली में जो एयर टर्मिनल बना है वहां से मुम्बई, बैंगलौर, दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो गयी है मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि लखनऊ की भी फ्लाइट शुरू की जाए और उस एयर ट्रमिनल का नाम बरेली एयर टर्मिनल से बदलकर नाथ नगरी एयर टर्मिनल रखने की कृपा की जाए। मान्यवर, तहसील मीरगंज में बहरौली, कफूरपूर, हल्दीकलां में एक राजकीय इण्टर कालेज देने का काम किया जाए। मान्यवर, मैं पीलीभीत जनपद का रहने वाला हूं वहां तहसील बीसलपुर में गांव अमखिरिया, तालू के पगार में भी राजकीय इण्टर कालेज देने की कृपा करें धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

मान्यवर, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के राज्य विधान मण्डल के एक साथ दोनों सदनों के समक्ष 20 फरवरी को दिये गये अभिभाषण पर मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार सभी वर्गों के उन्नति व सर्वांगीण विकास के लिए कृतज्ञ व संकल्पित है। अपराध व भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉरलेंस नीति के साथ शांति व सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है। जी-20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण अवसर है। भारत का विकास करने व देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है। वर्ष 2022 व 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार नियोजित प्रयास कर रही है। सरकार एक्शन प्लान, सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से 400 से अधिक आनलाइन सेवा प्रदान की जा रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने से निवेश के महाकुम्भ का प्रस्ताव प्रदान किया है। फलस्वरूप तैंतीस लाख पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव व उन्नीस हजार अट्ठावन निवेश आशय प्राप्त किये हैं। जिनमें 94 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होने की सम्भावना है। मेरठ से प्रायगराज एक्सप्रेस-वे का काम गतिमान है। एक हजार हेक्टेयर भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के टेंडर की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनाये जाने के उपाय लागू किये गये हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर गरीबों को राहत दी है। किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत कार्ड और डबल राशन की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2017 से

मा0 योगी जी की सरकार चल रही है तबसे लगातार जन-कल्याण की योजनाओं से गांव-गांव तक अन्तिम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। विकास के कार्य हो रहे हैं और अपराध बहुत घट गया और जीरो टॉलरेन्स के रूप में हमारी सरकार चल रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूँगा जो हमारे देश को दुनिया में सबसे आगे ले जा रहे हैं। जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनमें जमकर भ्रष्टाचार होता था और उनमें न्याय नहीं मिलता था। प्रदेश में वर्ष 2012 से 2017 के बीच में गुण्डाराज व्याप्त था, जनता में आक्रोश था, जनता पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति दुखी थी, इस कारण से वर्ष 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और वर्ष 2022 में हमारी सरकार पुनः जीत करके आई है। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जिनके नेतृत्व में आज हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर विकास कर रहा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार में बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हो रहा है। हमारे जनपद फतेहपुर में मेडिकल कालेज दिया गया है जिसके लिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में विगत 25 वर्षों से यमुना नदी पर पीपे का पुल हर वर्ष बनता है और टूट जाता है, इसलिये वहां पर पक्का पुल बनाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय नहीं है, इसलिये वहां पर महिला महाविद्यालय भी बनाया जाये। घाटमपुर-कोड़ा-जहानाबाद रजबहा में पिछले 32 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है, इसलिये किसानों की सिंचाई के लिए उस रजबहे में पानी की सप्लाई की जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया अभिभाषण केवल और केवल झूठ का पुलिन्दा साबित होता है जिसमें किसानों के हित की कोई बात नहीं हुई, बल्कि उसमें किसानों के साथ धोखे की बात है, इसमें नौजवान भाइयों को छला गया है और इसमें मजदूर भाइयों को छला गया है। सबसे पहले मैं किसान की बात कर लेता हूँ। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी कई मंचों पर कहते हैं कि हमने किसान की आय को दोगुना कर दिया है, लेकिन यदि तर्कों से बात करें तो किसान की आय केवल एक चौथाई बची है। सदन के सभी सदस्य भी समझते होंगे कि जब महंगाई बढ़ती है तो सरकारी विभागों और प्राइवेट संस्थानों में महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन क्या बात है कि महंगाई बढ़ने पर किसान को अलग से कोई राहत क्यों नहीं दी जाती है। हम गन्ना किसान की बात करते हैं। वर्ष 2017 और 2022 के बीच में पांच साल के अन्दर सरकार ने केवल 35 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, जबकि डीजल का मूल्य 30 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। गन्ने का उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है चाहे वह उर्वरक हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे मजदूरी हो वह सब बहुत अधिक बढ़ी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि वर्ष

2017 में राउण्डअप पेस्टीसाइड आती थी, जिसकी कीमत 100 रुपये थी, लेकिन अब उसकी कीमत 750 रुपये है। सदन के सदस्य बता सकते हैं कि उस दवाई का रेट सात गुना बढ़ गया है, लेकिन गन्ना मूल्य में किया गया इजाफा एक गुना भी नहीं है। सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने की बजाय नौकरी छीनने का काम किया है। यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात जोर-शोर से होती है और कहा जाता है कि लगभग 95 लाख युवाओं को नौकरी दी जायेगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इन नौजवानों को कितने रुपये का पैकेज दिया जायेगा। कहीं ऐसा न हो यह भी अग्निपथ योजना की तरह भेंट चढ़ जाये जहां पर 20-20 हजार रुपये की नौकरी दी जा रही है और वह भी केवल चार साल के लिए।

मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी-बड़ी बात होती है कहीं कहा जाता है कि यह भारत विश्व गुरू बनेगा। लेकिन अगर देखें तो विश्व की दो सौ यूनिवर्सिटी में भी भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता तो यह विश्व गुरू कैसे बनेगा। अमृत काल की बात होती है, लेकिन उस अमृत पीढ़ियों को अग्निपथ में घुसा दिया जाता है। जो सरकारी नौकरी थी, जहाँ फौज में 40-50 हजार सैलरी थी, जिसकी 20 साल की नौकरी थी वह चार साल की कर दी जाती है। साथियों, मेडिकल के बारे में बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। मैं भी मानता हूँ कि मेडिकल की बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हैं। लेकिन वह भूत बंगले साबित हो रहे हैं। न तो उनमें डाक्टर हैं न तो उनके अन्दर दवाई है। मैं अपने जिले शामली की बात कर लेता हूँ। सरकार की तरफ से 84 पोस्ट हैं, लेकिन वहाँ केवल 27 डाक्टर हैं। आज तक मोतियाबिन्द का डाक्टर उस जिले में नहीं है। बर्न यूनिट जो 6-7 महीने पहले बनकर तैयार हुयी थी, लेकिन उस डिपार्टमेंट में धूल चढ़ी हुयी है। मान्यवर, यह जितनी भी बिल्डिंग इन मेडिकल के लिए बनायी गयी हैं सारी की सारी भूत बंगला साबित हो रही हैं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा की बात होती है। यह कहते हैं कि हमने माध्यमिक शिक्षा को बड़ा अच्छा कर दिया। मैं शामली जिले के एक स्कूल की बात कर लेता हूँ। एक गाँव कमालपुर है वहाँ केवल एक टीचर है। कुछ सरकारी माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी अध्यापक नहीं है। मान्यवर, बात होती है कि रोडवेज बस स्टैण्ड पी0पी0पी0 मॉडल पर बनेंगे। लेकिन शामली जिले का रोडवेज बस स्टैण्ड ऐसा है कि वहाँ पर लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर होते हैं।

जबकि हमारा जिला और प्रदेश ओ0डी0एफ0 है। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। महिला सशक्तीकरण की बात होती है। लेकिन आपको हाथरस की घटना याद होगी। मान्यवर, कानपुर की घटना याद होगी जिसमें दो महिलाओं को सरेआम सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जला दिया जाता है। यह है महिला सशक्तीकरण। मान्यवर, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहने वाली सरकार ने किसानों की आय एक चौथाई कर दी। लेकिन गन्ने का मूल्य बढ़ाने का उनके पास कोई साधन नहीं है। मैं साधन बता देता हूँ। एथेनाल की बात होती है। पेट्रोल में एथेनाल डालने की बात होती है जो गन्ना से पैदा होता है। मैं आदरणीय चौधरी अजीत सिंह

जी का नाम लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पेट्रोल के अन्दर एथेनाल डालने का काम किया था। आज हमें चौधरी अजीत सिंह याद आ रहे हैं क्योंकि एथेनाल से जो पेट्रोल बनता है वह 60 रुपये की कीमत का होता है और किसान से 90 रुपये कीमत ली जाती है। यदि सरकार की मानसिकता और नीति तथा नीयत ठीक हो तो किसान को सब्सिडी देकर गन्ने का मूल्य बढ़ाया जा सकता था। अन्त में मैं सरकार की गड्ढामुक्त योजना की बात करना चाहता हूँ। आज मेरा प्रश्न भी था लेकिन वह लग नहीं पाया। गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है। एक गन्ना सोसायटी होती है। एक तरफ गन्ना मिल, फिर सोसायटी फिर किसान। मिल मालिक उस सोसायटी को चार प्रतिशत गन्ने का मूल्य देता है, जो सोसायटी की सम्पत्ति बनती है और उस सम्पत्ति में से वह सड़कें, खड़न्जे बनाता है, लेकिन शामली की जो सोसायटी है उसमें लगभग 73 करोड़ रुपये जमा है और वहाँ की जो गन्ना मिल की सड़कें हैं वह पाताल लोक में चली गयी हैं। उनको बनाने वाला कोई नहीं है। यह है इनकी गड्ढामुक्त सड़क योजना।

मान्यवर, यह किसान अभागा है, क्योंकि चौबीस घण्टे एवं एक साल अपने खेत की रक्षा भी करता है और पता चलता है कि आवारा पशु उसके खेत को खा जाते हैं। अगर किसान खेतों में बाड़ लगाता है तो उस पर सरकार मुकदमा करती है। यदि किसान अपने ट्रैक्टर-ट्राली में दस लोगों को बिठाकर खेत पर जाता है तो उस पर सरकार मुकदमा करने का प्रयास करती है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है। अन्त में, अपनी वाणी को विराम देते हुए और इस आशा के साथ कि वर्तमान सरकार अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान न करके अपनी कमियों को भी देखे और जनता की सेवा में लगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशरफ अली खान-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मैंने आदरणीय, राज्यपाल महोदया के 47 पेज के लम्बे अभिभाषण को पढ़ा पढ़कर मन तब दुखी होता है जब हमारे अन्नदाता किसान की पूरी तरह अनदेखी की जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वादा करती थी कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जायेगी, क्या यह घोषणा धरातल पर उतरी है ? सरकार आज तक किसानों का लाभकारी एम0एस0पी0 उचित मूल्य की घोषण का वादा पूरा नहीं कर पायी है। गन्ना मंत्री जी बैठे हैं, हमारे प्रदेश में 46 लाख गन्ना किसान हैं और आज जब मा0 सदस्य श्री पंकज मलिक जी पूछ रहे थे तो मा0 मंत्री जी ने वर्ष 2012 से 2017 तक जो पेमेण्ट हुआ था। वर्ष 2017 से 2022 तक जो पेमेण्ट हुआ था उसका उल्लेख किया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा छोटा सा जिला शामली है और वहां पर तीन शुगर मिल हैं और पिछले साल का छत्तीस करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है और इस साल का छः सौ ग्यारह करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। आप बताएं कि किसान कहां जाए

और वह किस तरह से अपने बच्चों की शादियां करेगा ? वह कार्ड लेकर शुगर मिल के अधिकारियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची की शादी है, आप मेरे गन्ने का पेमेण्ट कर दीजिए, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है। बच्चों की सही तरह से फीस जमा नहीं हो पाती है। डाई का कट्टा वर्ष 2014 में ग्यारह सौ रुपये का मिलता था लेकिन आज वह बढ़कर साढ़े चौदह सौ रुपये का हो गया है। पिछले पांच साल में सिर्फ 25 रुपये गन्ना मूल्य बढ़ाया गया है, वह तकरीबन 7 से 8 फीसद बैठता है और चाहे फर्टीलाइजर, हो, चाहे पेस्टीसाइडस् हों एवं चाहे खाद हो, उनकी कीमत दोगुनी हो गयी है।

यह सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करती थी वह कहीं भी धरातल पर नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि किसान कहां जाए। डीजल वर्ष 2014 में 60 रुपये प्रति लीटर मिलता था लेकिन आज 90 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। आज किसान बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत महसूस करता है। आवारा पशुओं से रोज एक्सीडेंट होने के कारण लोगों की जान चली जाती है। हमारे यहां पर 10-10 एवं 12-12 बीघे के छोटे-छोटे खेत है। किसान दिन में अपने खेत की रखवाली करता है लेकिन जब वह सुबह अपने खेत देखने जाते हैं तो आवारा पशुओं द्वारा फसल के नुकसान को जब किसान देखता है तो उनके चेहरे मायूसी में डूब जाते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, किसान के बहुत बुरे हाल है। किसान को आलू पैदा करने में तकरीबन 7 रुपये प्रति किलो का खर्चा आता है। आज आलू का 50 किलो का बैग मण्डियों में दो सौ रुपये में बिक रहा है। किसानों को आलू के चार रुपये प्रति किलो भी नही मिल रहा है। अगर किसान आलू को कोल्ड स्टोर में लेकर जाए तो यही लागत सात रुपये प्रति किलो से बढ़कर दस रुपये प्रति किलो हो जाती है।

मगर सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि आलू के लिए कोई नये प्रोसेसिंग प्लांट लगाती, आलू के क्रय केंद्र खोलती। जब वर्ष 2017 में माननीय योगी जी मुख्य मंत्री बने थे, भाजपा की सरकार आई थी कि आलू बहुत बुरे तरीके से पिट रहा था, उस वक्त घोषणा की गयी थी आलू की खरीददारी सरकार करेगी और एक मूल्य भी घोषित किया गया था। मगर किसान सोसाइटी के चक्कर काट-काट कर थक गये क्योंकि यह डिक्लेयर हुआ था कि सोसाइटी में कांटे लगेंगे और सरकार आलू खरीदेगी लेकिन एक आलू सरकार ने खरीदने की कोई जहमत गंवारा नहीं की। यह हालात है, मैं समझता हूं कि किसान जितना दुःखी है जो कि इस देश और प्रदेश की रीढ़ कहलाता है, मैं समझता हूं कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक हमारा देश तरक्की नही कर सकता। जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, जब वह टाइम से अपने खेत में काम कर रहे मज़दूरों को मजदूरी नहीं दे पाएगा, कहीं भी रौनक नहीं आ सकती। बाजार भी सूने रहेंगे, उसकी बच्चियों की शादी नहीं हो पाती, बच्चों को एजुकेशन सही से नहीं दिला पाता, जो हालात आज यहां इस प्रदेश में है। हमारे बिजली मंत्री जी बैठे हुए होंगे, अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे, वह सच्चाई है, मैं समझता हूं कि जितना इनके जे0ई0 और एस0डी0ओ0 लूटने का काम करते हैं, जो गरीब लोगों को जाकर डराकर धमकाकर कि तुम्हारे केबिल में कट है और फिर बिजलीघर में जाकर

बैठ जाते हैं, वहां पर छोटे-छोटे गरीब लोगों से जो बेचारे बिल भी सही तरीके से पे नहीं कर सकते, उनसे बड़ी मोटी रिश्वत बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की मांग की जाती है। यह आम बात है, आप देखिए जो उनका दुःख एवं दर्द है क्योंकि हम उन लोगों के बीच रहते हैं, हम उसको देखते हैं। चालीस मीटर से ऊपर का कोई कनेक्शन देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, अगर कोई नई आबादी है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई नई कालोनी कट रही है उसमें कालोनी वाले ने ट्रांसफार्मर एवं खंभे नहीं दिये हैं, मैं सिर्फ उस आबादी की बात कह रहा हूं जो छोटे-छोटे गांव में बढ़ती जा रही है, खंभा उससे 40 मीटर दूर है, 40 मीटर से अगर वह 42 एवं 45 मीटर भी होता है तो इनका जे0ई0 उसको कनेक्शन देने का काम नहीं करता है। उसका पचास-पचास साठ-साठ हजार रुपये का इस्टीमेट बनाकर उसके हाथ में दिया जाता है और जितने ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, सब इनके कर्मचारी चाहे जे0ई0 हो, एस0डी0ओ0 हो, एक्सीयन हो, सब कहते है कि विधायक जी के पास चले जाओ, उसकी क्षमता की वृद्धि हो जायेगी। यह हालात है, कोई सुनने वाला कोई देखने वाला नहीं है और अपना ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने यह कर दिया है, वह कर दिया है। मैं समझता हूं कि इससे बुरे हालात नहीं हो सकते हैं। मैं अपने एस0सी0 समाज के बारे में भी यहां इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमारा छोटा सा जिला शामली है, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट जब खत्म किया गया था तो पूरे हिंदुस्तान में एस0सी0/एस0टी0 के संगठनों ने पूरे हिंदुस्तान में भारत बन्द का ऐलान किया था। हमारे शामली में भी उन्होंने बन्द कराया। कोई हिंसा नहीं हुई, मगर वहां के 105 नौजवानों पर जो कहीं किसी हिंसा में शामिल नहीं थे उनके ऊपर गम्भीर धाराओं पर मुकदमें कायम हैं। वे नौकरी से वंचित है, जिनके वैरीफिकेशन नहीं हो पाते, जिनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाते, मैं सरकार से चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दे। उन नौजवानों पर ध्यान दे जिन्होंने कुछ किया नहीं है, डेमोक्रेसी है, हम जाकर खड़े होकर अपने दुःख-दर्द के लिए कह सकते हैं। आप देखा लीजिए, शामली में कोई हिंसा या कोई बात हुई हो, मगर 105 नौजवान बेचारे जिस तरह से परेशान है और भटक रहे हैं, उनका कोई वैरीफिकेशन नहीं है। वे अपनी नौकरियों पर कोशिश करके भी नहीं जा सकते है, वैसे नौकरी मिलती भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं नौकरी मिलने की संभावना भी होती है तो उनके वैरीफिकेशन नहीं हो पाते। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे नौजवानों पर जो मुकदमें कायम हुए उन्हें जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, लगभग 8 मिनट हो गया है, आप अपनी बात समाप्त करिए, और भी सदस्यों को बोलना है।

श्री अशरफ अली खान-

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में गंगा-जमुना का संगम है, गंदेवडा में वह संगम हुआ है, अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ एक मिनट लूंगा। अगर वह पटरी जो हरिद्वार से गंदेवड़ी तक आई है, वह बहुत जर्जर हालत में है। मेरे ख्याल से जब अजीत सिंह जी ने कोशिश करके, जब

आज से 15-16 साल पहले वह संगम हुआ था, तब वह सड़क बनी थी, अगर आज वह सड़क बन जाये तो जो श्रद्धालु हैं उनको बहुत आसानी होगी क्योंकि हरिद्वार की कनेक्टिविटी बहुत करीब हो जाएगी। मैं यह चाहता हूँ क्योंकि जहाँ हमारा संगम है, वहाँ से जो गढ़ीमुख्ता थाना पड़ता है, उसकी दूरी तकरीबन 20 किमी0 है और जो पुलिस चौकी गढ़ी अब्दुल्ला है, उसकी दूरी 12 किमी0 है। क्योंकि वहाँ पर स्नान के वक्त बड़ी भीड़ होती है, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ और सरकार से हमारी यह माँग है कि वहाँ पर कानून-व्यवस्था को दुरूस्त रखने के लिए एक पुलिस चौकी का निर्माण जरूरी है। अधिष्ठाता जी, वहाँ पुल बहुत संकरा है, वहाँ से सिंगल लाइन ही निकलती है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी मिला था और निवेदन किया था कि संगम पर एक नए पुल का निर्माण करा दिया जाए। मैं चाहता हूँ वहाँ पर नए पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी हो। इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब 20 तारीख को महामहिम जी बोल रही थी तो विपक्ष के लोग जिस तरीके से पेश आ रहे थे, वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा प्रदेश आज विकास की ओर अग्रसर है, उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ हमारी सरकार गाँव, गरीब की बात कर रही है, जहाँ आज तक कभी बिजली नहीं पहुँची थी, वहाँ पर हमारी सरकार बिजली पहुँचा रही है। जहाँ सामूहिक विवाह के माध्यम से हमारी सरकार निर्धन बच्चियों की शादी करा रही है, वहीं सरकार ने चुनाव के समय अपने संकल्प पत्र में किसानों के बिजली बिल माफ करने की जो बात कही थी, बिजली में छूट करने की बात कही थी, हमारी सरकार निजी नलकूपों को 100 प्रतिशत जो छूट देने जा रही है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को हृदय से कोटिशः बधाई देता हूँ। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ है, उससे पूरी दुनिया भर के लोग भारत में निवेश करने आ रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन होगा, उद्योग लगेंगे, इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक हुन्दू ब्लाक का सृजन होना है, जिसके लिए 2011 में 71 दिन तक आन्दोलन चला था। उस आन्दोलन में हम लोग सहभागी रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के जीत कर आने के बाद वहाँ के लोगों को उम्मीद जगी कि उस ब्लाक का सृजन हो जायेगा। जब पहली बार हम लोग जीत कर आए तो 26 मई, 2022 को इसी सदन में हम लोगों ने उस ब्लाक के सृजन की बात उठायी थी। मैं फिर आज आपके माध्यम से यह चाहता हूँ, उस ब्लाक की सारी औपचारिताएँ पूरी हो चुकी हैं तो उस ब्लाक का सृजन कर वहाँ पर बी0डी0ओ0 की तत्काल तैनाती कर दी जाए। दूसरी हमारी माँग है कि

खुखुंदू और नूनखार भटनी तक का एक प्रमुख मार्ग है, जिस पर बहुत यातायात है, उस सड़क से 60-70 गाँवों का आवागमन है। उस सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण बहुत आवश्यक है, उसे बनाया जाना बहुत जरूरी है। अभी आदरणीय शलभ जी जो बोल रहे थे कि देवरिया कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की खराब नीतियों की वजह से वह सभी चीनी मिल बन्द हो गए तो हमारी माँग है कि देवरिया में एक नयी चीनी मिल की स्थापना की जाए।

दूसरा विद्युत के क्षेत्र में, हमारे यहाँ एक बरियारपुर विद्युत सब-स्टेशन है, वहाँ की क्षमता बढ़ायी जाए और गुदरीजोर और बैकुण्ठपुर में एक नया विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाए। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कोई राजकीय आईटीआई कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय आईटीआई कालेज और एक राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कराया जाना बहुत ही जरूरी है। भटनी जो हमारे विधान सभा क्षेत्र का ब्लाक भी है और नगर भी है, वह शहर मुख्यालय से 30 किमी0 की दूरी पर है। जब गर्मी के दिनों में कभी आग लग जाती है तो वहाँ पर फायर स्टेशन की गाड़ियाँ पहुँचते-पहुँचते बहुत देर हो जाती है तो हमारी आपके माध्यम से यह माँग है कि वहाँ पर एक फायर स्टेशन बनाया जाए। अधिष्ठाता जी, हम आपके माध्यम से एक माँग रेल मंत्रालय को भिजवाना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक नूनखार रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर कृषक एक्सप्रेस हमेशा रुकती थी और हमारी विधान सभा क्षेत्र के लोग आसानी से लखनऊ आ जाते थे। तो कृषकएक्सप्रेस का ठहराव नूनखार स्टेशन पर कराया जाए। इन्हीं माँगों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री जगदीश नारायण-

अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सी बातें कहीं है तो इन बातों में मुझे कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है जो बहुत जरूरी हो। हम लोग भी उत्तर प्रदेश से आते हैं हमारा वाराणसी, काशी सबसे पुरानी धार्मिक नगरी है और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है। एक्सप्रेस-वे को सबसे जोड़ा गया, लेकिन आज तक वाराणसी को जोड़ने का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना। वाराणसी में एक एयरपोर्ट भी है महामहिम के अभिभाषण में कहा गया कि एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। वाराणसी इंटरनेशल एयरपोर्ट सबसे पहले बना वहां पर कार्गो भी घोषित हो चुका है, लेकिन आज तक कार्गो को चालू करने का काम नहीं किया गया है अगर कार्गो को चालू कर दिया गया होता तो अगल-बगल के हमारे जो जिले हैं जैसे- जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर इन सभी जिलों को लाभ मिलता और लोग किसानों के उत्पाद को विदेश तक ले जाने के लिए तैयार होते और काफी तरक्की होती, लेकिन उसके लिए अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। हमारी चिकित्सा व्यवस्था

पर भी महामहिम राज्यपाल ने प्रकाश डाला है वह ठीक है, लेकिन मेडिकल कालेज की बात आ रही है मेरे जनपद जौनपुर में मेडिकल कालेज लंबे समय से स्वीकृत पूर्व सरकार के जमाने में स्वीकृत हुआ वह पांच सौ बेड का था, लेकिन अब पता चल रहा है कि पांच सौ बेड से कमकर के तीन सौ बेड आ गया इसलिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वह बेकार हो जाएगा और तीन सौ बेड भी नहीं चल रहा है अगर वह बन जाता तो मेरे जौनपुर जनपद के साथ अगल-बगल के जनपदों को भी बड़ा लाभ होता और इस अभिभाषण में महामहिम ने इसको छोड़ा है तो इसको जोड़ने की बात मैं करना चाहता हूँ। तत्कालीन मंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल जी थे उस समय मिनिस्टर थे विधान सभा में बहुत पहले इन्होंने अयोध्या और वाराणसी के परिपथ की बात की थी और आज करीब-करीब हम समझते हैं कि बीस-पच्चीस वर्ष हो गए हैं, लेकिन अयोध्या और वाराणसी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है यह तो सरकार की प्राथमिकता भी है कि धार्मिक नगरों को जोड़ा जाए। ओवर ब्रिज की बात महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में किया है। मेरे जनपद जौनपुर में कई जगह ऐसी हैं जो चारों तरफ रेलवे लाईन से आच्छादित हैं वहां पर बहुत सी ट्रेनें जाती है उन पर ओवर ब्रिज बनना अति आवश्यक है और वहां पर घण्टों-घण्टों जाम लगा रहता है।

राज्य सरकार को उसमें अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन हैं हमारे यहां जफराबाद जहां सौ ट्रेनें रोज गुजरती हैं जब फाटक बन्द हो जाता है तो हम लोग डेढ़-डेढ़ घण्टे तक इंतजार करते हैं और कई बार हमारे सांसद लोग भी पार्लियामेण्ट में इस विषय को उठाए हैं और वहां से एक पत्र आया हुआ है यहां उत्तर प्रदेश सरकार को रेल मंत्री जी ने भेजा है यहां से हमको एन0ओ0सी0 भेजना है मैं अनुरोध करूंगा सरकार को कि शीघ्र से शीघ्र अगर एन0ओ0सी0 चली जाए तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पी0डब्ल्यू0डी0 में टेण्डर प्रक्रिया में ऐप लगा रहे हैं जिसमें बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है यह मैं मान रहा हूं, लेकिन उसमें जो दबंग लोग हैं वह मैनेज कर रहे है वह ठेकेदारों को मैनेज करके डरा-धमाकर मनमाने काम करते हैं और काम भी ठीक नहीं होता है इस स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए और उस पर अंकुश लगाया जाए। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि पर आधारित है वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हमारे गन्ना मंत्री जी बैठे हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात तो बहुत अच्छी है वहां गन्ना काफी हुआ है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलें चल रही थीं वह बन्द हो चुकी हैं। हम लोग किसान हैं और किसान परिवार से आते हैं यह गन्ना की बोआई नहीं कर पा रहे है तो यह गन्ना बेचे कहाँ, क्योंकि कोई मिल चल नहीं रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने मिल चलाया, लेकिन उसकी भी क्षमता वृद्धि नहीं की जा रही है। मिल मऊ में लगी हुई है, छठियांव चीनी मिल आजमगढ़ में लगी हुई है गाजीपुर में बन्द हो गई है और औराई में बन्द हो गई है। जिससे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने का जो संकल्प है वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और गन्ना मंत्री जी से मैं

अनुरोध करूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कृपा करें क्योंकि गन्ना की क्रान्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई थी। देवरिया की बात अभी हमारे कुछ साथियों ने की, सही की है। देवरिया के तत्कालीन मंत्री स्व0 गेन्दा सिंह जी, हालांकि वे पढ़े-लिखे नहीं थे लेकिन वे इस सदन में मंत्री थे। उन्होंने गन्ना क्रान्ति की शुरुआत की और पूरे प्रदेश में गन्ना का उत्पादन बढ़ा जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तार हुआ। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ से यह शुरू हुआ, वहीं आज अब यह खत्म है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, अभी बहुत से वक्ताओं ने कहा कि किसानों को मिल रही है, पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता लाने की जरूरत है। हम लोग अपने क्षेत्रों में देखते हैं कि सही किसान उसका लाभ नहीं पा रहे हैं, उसमें कुछ रैकेट लगे हुए हैं जो गलत काम करते हैं और गलत लोगों के नाम से सम्मान निधि निकाली जा रही है। उसका लाभ सही लोगों को नहीं मिल रहा है। इसकी जाँच भी होनी चाहिए और इसकी पारदर्शिता पर कोई सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग कृषि प्रधान देश के भी है और कृषि प्रधान प्रदेश के भी हैं। कृषि के शोध पर ध्यान देने की जरूरत है। किसानों के लिए नया बीज पहले पन्तनगर से उपलब्ध हो जाता था लेकिन वह उत्तराखण्ड में चला गया। हम लोग आज केवल बी0एच0यू0 के सहारे हैं लेकिन बी0एच0यू0 उतना बीज नहीं दे पाता। इसलिए कृषि पर शोध बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को और मजबूत करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों को और ज्यादा व्यवस्थाएँ देनी चाहिए जिससे कृषि पर ज्यादा से ज्यादा शोध हो सके। किसानों के जो कृषि उपकरण और औजार होते हैं, उस पर छूट के लिए काम करना चाहिए। आज जब बड़े-बड़े समिट हो रहे हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था कृषि आधारित भी होनी चाहिए जिसमें अगर कोई पूंजीपति पैसा लगाना चाहता हो तो यह उसे बताया जाए क्योंकि अगर कृषि प्रधान देश में किसानों को कृषि आधारित व्यवस्था नहीं मिलेगी तो कैसे किसानों की तरक्की होगी, कैसे हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी, कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी ? हम लोग किसान परिवार से आते है, सभी लोग देखते होंगे कि किसान की आय तब ही दोगुनी होगी, जब उसकी कृषि में लागत कम होगी या सरकार से उसको सब्सिडी मिलेगी। जब उसकी लागत कम होगी, उसको सब्सिडी भी मिलेगी तो किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आज किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत अपना माल बेचने में आ रही है। हम किसान व्यापारियों के सहारे रहते हैं, जब किसान अपनी फसल जैसे आलू, मटर और सब्जी तैयार करते हैं तो वे मनमाने भाव पर उसको लेना चाहते हैं। क्योंकि आज उसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उसको सुरक्षित रख सकें, उसकी अच्छी मार्केटिंग कर सकें। इसीलिए हमारे जो नौजवान किसान लोग हैं, वे भी बहुत परेशान है कि जिनके पास खेती है। आज सबके पास कुछ न कुछ खेती है लेकिन वह प्रॉफिटेबुल नहीं हो रही है, उसको खेती से अच्छी आय नहीं हो रही है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य समाप्त करें, आपका सात मिनट हो गया।

श्री जगदीश नारायण-

सरकार सोलर पम्प दे रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए कृषि विभाग में आवेदन किया जाता है लेकिन उसमें हो क्या रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है कि किसानों के लिए सोलर पम्प जाता है लेकिन वह साल-साल भर लगता नहीं है। मेरा अनुरोध है कि अगर उस पर किसानों को सब्सिडी दे दी जाए, किसान अपना सोलर पम्प लगा लें। इसलिए अगर उस पर किसानों को सब्सिडी मिले तो शायद यह किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ऐसे ही दुग्ध विकास की बात है। हमारे जनपद जौनपुर में सबसे बढ़िया डेरी पूर्वांचल की थी लेकिन आज वह बन्द पड़ी है। मैंने इस सदन में कई बार इस चीज को उठाया। हम लोग जब सरकार में भी थे तो इसके लिए प्रयास किया था। हमने उसको थोड़ा-बहुत चलवाया था। लेकिन आज तक वह ठीक से चली नहीं तो मेरा यह अनुरोध है कि उसको भी चलाने का काम किया जाए। धन्यवाद।

श्री मोहन वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने महामहिम श्री राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मुझे समय दिया। मैं अपने आपको इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य डा0 नीलकंठ तिवारी जी के प्रस्ताव से जोड़ते हुए और माननीय डा0 नीरज बोरा जी की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। मैं स्वर्णकार समाज से आता हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र हाटा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का मिलान बिहार के बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर से करता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की चिन्ता करने वाली सरकार की नीति, रीति और सिद्धान्त स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आदरणीय पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की अगुवाई वाली सरकार जनआकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सामूहिक प्रयास और सबका विश्वास हासिल करने के लिए सभी वर्गों मसलन गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, मुसहर, आदिवासी निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के उत्थान और उन्नति के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से स्पष्ट है कि चाहे प्रदेश का युवा वर्ग हो या व्यापारी वर्ग, किसान भाइयों बहनों एवं महिलाओं के लिए शीर्ष प्राथमिकता पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की नीति को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। आदरणीय अधिष्ठाता जी, हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश को रिकार्ड 33.52 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह निवेश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश उद्योगपतियों एवं निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। मा0 अधिष्ठाता

जी, मेरा जिला छोटा जिला होने के बावजूद भी 3300 करोड़ का छोटे उद्योगपतियों ने इसमें निवेश किया। आदरणीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में गरीबों के प्रति सरकार की चिंता इस बात की स्पष्ट ताकीद करती है कि केवल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुये जिसमें 39.66 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। जिसमें समूचे देश भर में उत्तर प्रदेश का नाम प्रथम पायदान पर है यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। आदरणीय अधिष्ठाता जी, जिस उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक मात्र 2 एयरपोर्ट ही पूर्ण रूप से कार्यरत थे तथा दो एयरपोर्ट आंशिक रूप से कार्यरत थे। आज वहीं समूचे उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं तथा 10 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। मेरे गृह जनपद कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सरकार की उपलब्धियों में से एक है।

आदरणीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश ने पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई वाली सरकार में बेहतर प्रयास के चलते अपराधियों से मुक्त समाज के निर्माण में अहम योगदान दिया था। अपराध, लूट, हत्या, बलवा, फिरौती, अपहरण, बलात्कार के मामलों में निरन्तर कमी आई है। पूजनीय योगी जी की सरकार 25 करोड़ जनता की रक्षा, सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी विधान सभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अधिष्ठाता जी, सदन के माध्यम से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर के नितांत जनहित के मामले को बजट में शामिल करने का अनुरोध करता हूँ। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर जोकि सीमावर्ती प्रान्त बिहार राज्य से जुड़ा है। जहाँ हजारों की तादाद में मुसाफिर विभिन्न शहरों से आने-जाने के लिए बसों का प्रयोग करते है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के किनारे खड़े होकर वह घंटों वाहनों का इंतजार करते हैं। कई बार सड़क दुर्घटना हो जाने के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि तहसील मुख्यालय हाटा में कोई बस स्टेशन नहीं है, न ही यात्रिओं की सुविधा के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए जनहित में नगर पालिका परिषद् हाटा के द्वारा दी गई जमीन पर मिनी बस अड्डे का निर्माण कराया जाए एवं गोरखपुर से अन्तर्राष्ट्रीय जगह कुशीनगर तक सिटी बस चलाने की भी कृपा प्रदान की जाए। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर में गर्मी के दिनों में बिजली के जर्जर हो चुके तार एवं खंभों के गिरने से कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है जिसमें जान-माल का नुकसान होता आपके माध्यम से मेरी माँग है कि नगरीय क्षेत्र में केबिलयुक्त बिजली के तार एवं ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर हो चुके बिजली के तार और खंभों को बदलकर विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद कुशीनगर में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति दयनीय है जर्जर हो चुकी सड़कों का नवनिर्माण कराये जाने की माँग, मैं करता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता जी, मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा की मुख्य बाजार अहिरौली बाजार है, यह 20 हजार की जनसंख्या को पूरा करती है मानकों को पूरा करती है तथा सभी मानकों को पूरा करने की वजह से नगर विकास विभाग से नगर पंचायत बनाने के लिए नोटिफिकेशन भी हो चुका है केवल मात्र कुछ औपचारिकतायें पूर्ण करनी है और कैबिनेट में इसे पारित कराना है। ऐसे में अहिरौली बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की कृपा प्रदान करें। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा, जनपद कुशीनगर के मोतीचक ब्लाक में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज और राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना करायी जाए, क्योंकि इण्टरमीडिएट और डिग्री कालेज न होने के चलते छात्रों को कोसों दूर जाना पड़ता है, जिससे कई बार अत्यधिक दूरी के चलते छात्रों की पढ़ाई बीच में बाधित हो जाती है। मेरी विधान सभा क्षेत्र से गण्डक नदी निकली हुई है। जिसमें गड़ेरी पट्टी और डुमरी सवांगी पट्टी में पुल निर्माण कराने की मैं मांग रखता हूँ। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मै आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के दिये गये जितने भी पत्रक हैं, वह मैं आपको प्रस्तुत करा दूँगा और जितने भी पत्र मैंने दिये हैं, उनके हिसाब से मेरी विधान सभा क्षेत्र का विकास कराया जाये जिससे मेरी विधान सभा क्षेत्र का विकास हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, वन्दे मातरम्, जय श्री राम।

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं नीलकण्ठ तिवारी जी व अन्य सभी सदस्यों के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। वास्तव में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर कार्य कर रही है। इस सरकार बगैर भेदभाव के सब काम हो रहे हैं। यह बात हमारे सम्माननीय भाई लोग भी जानते हैं कि वास्तव में इस सरकार में जिस प्रकार से पक्के मकान, पक्का शौचालय आदि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, वह बिना भेदभाव के हो रहे हैं। अब हमारी इस सरकार में जिस प्रकार से सुख है, शांति है, समृद्धि है, यह हमारी सरकार में ही है चूंकि इससे पहले जो सरकार थी, माननीय योगी जी से पहले जो सरकार थी, वहां किस प्रकार से भेदभाव होता था, किस प्रकार से वहां गुण्डागर्दी होती थी, लूट होती थी, राहजनी होती थी, हत्या होती थी, डकैतियाँ होती थी, तो क्या अब कभी ऐसा लगता है कि डकैती कभी होती थी, लूट कभी होती थी, राहजनी कभी होती थी। इस तरह की सिर्फ बातें लगती हैं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर सुख और शान्ति है। मैं देखता था कि जब रात होती थी तो 20-20, 30-30 गाड़ियों की काफिला लगता था, पुलिस उनको ले जाती थी, कितना डर था। बाजार में जब लोग जाते थे और जैसे ही शाम होती थी, झुटपुटा होता था तो बुजुर्ग कहते थे कि लल्ला चलो, नहीं तो रास्ते में लूट लिया जायेगा। ऐसी वह सरकार थी और ऐसा वह भाव था। आज हमारी इस सरकार में जिस प्रकार की शान्ति का भाव है, मैं कह

सकता हूँ कि आज अपराध में जिस प्रकार का नियंत्रण हुआ है, उस सम्बन्ध में यहीं नहीं, विदेशों में भी इसकी तारीफ होती है।

हमारे देश के दूसरे राज्यों में भी हमारे प्रदेश की तारीफ होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी पीछे माउण्ट आबू, राजस्थान गया था। जब राजस्थान गया तो मुझे वहां बोलने के लिए कुछ समय दिया गया। जब मैं बोला तो उसके बाद वहां कुछ लोग आये। वहां बिहार के कुछ लोग आये, जो मेरे पास आये। राजस्थान के लोग मेरे पास आये, बंगाल के लोग थे, छत्तीसगढ़ के लोग मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश के जैसे मुख्य मंत्री हैं, ऐसे मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश को भी मिल जाये तो हमारा प्रदेश सुधर जाये। हमें कितना गर्व होता है कि विश्व के लोग यह कहने लगे कि हाँ, भारत में कोई प्रदेश है तो वह उत्तर प्रदेश है। उस उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आस्ट्रेलिया के सांसद कहते हैं कि ऐसे मुख्य मंत्री यदि हमारे देश को मिल जाये तो हमारा देश सुधर जाये। इस बात पर हमें गर्व होता है। मैं कहना चाहूंगा कि आज अभी हमारे भाई लोग इन्वेस्टर्स समिट के बारे में कह रहे थे कि यह क्या हो गया? मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 2017 से पहले जो आपकी सरकार थी, उस सरकार में भी उद्योगपतियों से कहा गया था कि आप हमारे प्रदेश में उद्योग लगाओ। उस समय उन उद्योगपतियों ने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम इस प्रदेश में उद्योग नहीं लगाएँगे क्योंकि हमें यहाँ गुण्डा टैक्स देना पड़ेगा, हमारे माथे पर सिलवटें रहेंगी, हमको चैन नहीं होगा, हर समय हमारे लिए टेंशन रहेगी, हम उद्योग नहीं लगाएंगे परन्तु आज कितना अन्तर आ गया है, मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 2018 में हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने फिर वही उद्योगपति बुलाए और एक बैठक हुई। उस बैठक में उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रदेश में उद्योग लगाइये। हमारे प्रदेश में आपकी पूरी सुरक्षा होगी। उस समय उन्हीं उद्योगपतियों ने कहा कि हाँ, हम इस उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएंगे क्योंकि यह भगवान राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश है और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है। ऐसा उत्तर प्रदेश है। अब कितना अन्तर है। पहले जब उन्होंने सरकार में कहा था कि यहां उद्योग लगाइये तो उद्योगपति ने कहा कि हम यहां उद्योग क्यों लगायें ? जहां बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते हैं और पुलिस असहाय हो जाती है और इस उत्तर प्रदेश में अगर बदमाश पुलिस पर, किसी व्यापारी पर या किसी किसान पर आक्रमण करते हैं तो पुलिस उनको ढेर कर देती है। पहले और इस जमाने में कितना अन्तर है, इसका भाव मैं कह सकता हूँ। एक जमाना था जब किसान का छप्पर का मकान होता था लेकिन आज परिस्थितियां बदल गयी हैं। आज हम कह सकते हैं सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। जितने गुण्डे माफिया थे सब अन्दर चले गये हैं। अब व्यापारी बेफिक्र होकर उद्योग लगा रहे हैं। कितना गर्व होता है कि 40 देशों के लोग आज इस उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं अपने भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि जब आप इस उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते थे और कोई आपसे यह पूछता था कि आप कौन से प्रदेश के हो ? तो मेरे भाइयों आप भी यह बताने से बचते थे,

आप नहीं बताते थे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश का नाम लेते तो दूसरे प्रदेश के लोग कहते कि वह उत्तर प्रदेश जहां गुण्डागर्दी होती है, जहां राहगिरी होती है, जहां डकैती होती है, जहां अपहरण होते हैं इसलिए आप चुप रहते थे। आज आप उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अभी गुजरात चुनाव में गया था। वहां मैंने देखा कि वहां हर दलों की सभाएं लगती हैं, लेकिन जिस दिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री किसी सभा में पहुंचते थे तो दूसरे दलों के लोग भी उस मीटिंग में आते थे और वह यह कहते थे कि आज हम उस मीटिंग में जा रहे हैं जहां यू0पी0 का शेर आ रहा है। इससे हमारा और आपका मस्तक चौड़ा होता है कि नहीं होता है ? हमारा मस्तक ऊँचा होता है, सीना चौड़ा होता है। आज हमें ऐसे मुख्य मंत्री पर गर्व हैं, यहां प्रदेश में आज हमारी सरकार है। आज किसानों का सम्मान है। पहले क्या होता था, किसान बेचारा जब मेला जाता था वह अपने लल्ला से कहता था कि लल्ला मेला जा रहा हूं कुछ रुपया दे दो, तो वह कहता था कि चच्चा रुपया है ही नहीं। आज जब उसके खाते में रु0 2,000 एक बार में पहुंचते हैं तो वह मेला बड़े शौक से देखता है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि की सुविधा है। आज किसान रात में खेतों में पानी लगाने नहीं जाता दिन में ही खेतों में पानी भर जाता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि थाली से दाल गायब है। आज गरीब किसान को फ्री में राशन मिल रहा है, गारण्टी का इतना बढ़िया अनाज, इतनी बढ़िया हर चीज, तेल मिल रहा है। एक बात और भी है, यह बात सही है और इसमें सच्चाई है कि हमारे भाई लोग भी अन्दर से हमारे माननीय योगी जी की तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं और कहते हैं कि आज हमारा प्रदेश सुधर गया है। मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधर गयी है। एक जमाना था जब एक बच्चा कॉनवेंट स्कूल में जाता था और पड़ोस का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता था। हमारी योगी सरकार से पहले प्राइमरी स्कूल का बच्चा देखता था कि कॉनवेंट स्कूल के बच्चे की ड्रेस बढ़िया है, उसका स्कूल बढ़िया है और जब प्राइमरी स्कूल का बच्चा प्राइमरी स्कूल जाता था तो देखता था कि न तो स्कूल की बाउण्ड्रीवाल है, फटे हुए फर्श है, पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, वह गया और चला आया। आज वही बच्चा जब प्राइमरी विद्यालय में पहुंचता है तो देखता है कि उस विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है, उसके बाहर छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चन्द्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक उल्ला का चित्र है तो उसके अन्दर राष्ट्रभक्ति आ जाती है। कितना अन्तर आ गया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आप संक्षेप में कर लीजिये। आपका 8 मिनट हो गया है। सभी लोग 7-9 मिनट के अन्दर बोल रहे हैं। आप भी 9 मिनट बोल लीजिये।

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

अब बच्चा प्राइमरी स्कूल के अन्दर पैण्ट और गुलाबी शर्ट पहनकर पहुंचता है और वह कुर्सी पर स्वाभिमान के साथ बैठता है। बच्चों में बड़ी ऊर्जा है, ताकत है और मैं यह कह सकता हूं कि वास्तव में आज मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने हमारे प्रदेश को बदल दिया है। हम जो बोलते हैं वह ब्रह्माण्ड में गूंजता है। आज हर कोई मोदी की जय बोल रहा है, योगी की जय बोल रहा है। विश्व का सर्वे होता है तो दुनिया के सर्वे में मोदी नं0-1, योगी हमारे नं0-1, आज हमको गर्व है कि आज विश्व के नेता कहते हैं कि विश्व में एक सूर्य है, विश्व में एक धरती है और विश्व में कोई एक नेता है तो वह मोदी है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य जी, आप संक्षेप कर दीजिये। आपके 10 मिनट हो गये हैं। जल्दी बोल दीजिये, क्योंकि और लोगों को भी बोलना है।

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

मान्यवर, हमें अपने क्षेत्र के बारे में बोलना है। हमारे वहां वर्ष 1977 में चीनी मिल बनी थी। वह वर्ष 1977 की चीनी मिल बनी हुई है हम चाहते हैं कि उसे 46 वर्ष हो गये हैं तो उसमें क्षमता वृद्धि वगैरह हो जाये।

श्री अधिष्ठाता-

आप लिख कर दे दीजियेगा, हो जायेगा। धन्यवाद।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। जब महामहिम राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रही थीं तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश की नजर उत्तर प्रदेश की विधान सभा पर टिकी हुई थी। देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, जो पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, जो आदिवासी हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, दलित समाज के लोग है, उन्हें उम्मीद थी कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में जातिवार जनगणना की बात होगी, जो आज देश की बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। देश के अधिकाँश राज्य आज जातिवार जनगणना की माँग को लेकर आन्दोलित हैं। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार अपने संसाधनों पर जातिवार जनगणना करा रहा है। मान्यवर, इसी विधान सभा में एक सेमिनार हुआ था और राज्य सभा के बाबू हरिवंश जी उसमें आये थे। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई डाटा नहीं होगा, तब तक बजट बनाते वक्त हम यह नहीं तय कर पायेंगे कि अमुक को कितना बजट दिया जाये, उसके विकास में कितना धन लगाया जाये। आज पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। दबाव में जातिवार जनगणना हुई, लेकिन आज तक उसके

डेटा बाहर नहीं लाये गये। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अखिलेश यादव, नेता विरोधी दल लगातार प्रेस, मीडिया के माध्यम से, रैलियों में, विधान सभा में जातिवार जनगणना की माँग को पुरजोर तरीके से उठाने का काम करते हैं। मान्यवर, विधान सभा में गरीबी पर चर्चा होती है। आज इतनी महँगी दवाइयाँ हैं, मैं भी कुछ दिन पहले बीमार था और शहर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था। मैं रिसेप्शन पर बैठ करके देखता था कि आज गरीब रो रहा है, जब डॉक्टर कहता है कि आपके मरीज को तो मैं ठीक कर दूँगा, लेकिन अमुक इलाज में इतना पैसा लगेगा तो मान्यवर, उसके पास पैसा नहीं होता है। बेटा, बाप की तरफ देखता है, बाप अपनी पत्नी की तरफ देखता है। न जाने कितना धन गिरवी रखकर, खेती गिरवी रख करके इलाज कराता है। अरे, आपकी सरकार पर लानत है, आप सस्ते इलाज के बारे में चर्चा करते हैं, आप कहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार ने क्या किया ? आपकी इन्वेस्टर्स समिट हुई, आपने 40 देशों के लोगों का क्या दिखाया आपने वही दिखाया कि अवध शिल्पग्राम है, इसको माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। खेल मंत्री जी, यही इकाना स्टेडियम है, जहाँ अभी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मैच हुआ। इसको माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। आप गमला और फूल माला सजा करके शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क के रास्ते अपने अतिथियों को ले जा रहे थे, उस मार्ग को अखिलेश यादव जी ने बनाया था। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब आपके सामने लोक भवन में भाषण दे रही थीं तो उस लोक भवन को किसने बनाया, उसको भी माननीय अखिलेश यादव जी ने ही बनाया। आपने इमामबाड़ा दिखाया, भूलभुलैया दिखाया, लेकिन आप कुछ तो अपना बनाकर दिखा दिये होते जिससे लगता कि आपकी भी कोई सोच है। हमने चकगंजरिया में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। मुझसे एक डाक्टर ने कहा कि उसमें 18 आपरेशन थियेटर बने हैं। बाबू कल्याण सिंह जी की तस्वीर लगा करके चकगंजरिया का उद्घाटन कर दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आप समीक्षा कर लेते कि क्या चकगंजरिया में डाक्टरों की पोस्टिंग हो पाई है ? क्या कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज हो पा रहा है? क्या उनको समय से इलाज मिल पा रहा है ? आज हमें इलाज पर चर्चा करनी थी। नीलकण्ठ तिवारी जी बताते हैं, जैसे भोलेनाथ की नगरी को उन्होंने बनाया है। जब सावन के महीने में शिव और पार्वती काशी में विराजमान रहते हैं तो सावन के समय में जो उनका पहला जलाभिषेक होता है, वह यादवबन्धु ही करते हैं। आज आप इस सदन को इतना गुमराह करते हैं। यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो मोदी जी ने संकल्प-पत्र में कहा था कि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनायेंगे, जिससे देश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान दुनिया के सामने खड़ा हो करके उत्तर प्रदेश की ताकत का अहसास करा सके।

(इसी मध्य 07 बजकर 51 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, आप कितने अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनायेंगे। टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। स्व0 अटल जी की कविता की पंक्तियों के साथ आप उनको नौवें तल पर ले जा करके लोहिया संस्थान में यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दिया। आप

यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। जब स्व0 अटल बिहारी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने में इतना वक्त लग गया। कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज। खाली दीवारें खड़ी करने से क्या होगा खेल मंत्री जी जौनपुर में मेडिकल कालेज को चला पाये। क्या वहाँ पर कैंसर के डाक्टर हैं, क्या वहाँ पर हार्ट का आपरेशन हो पा रहा है। वहाँ पर आप कौन-सा इलाज कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट में यही लग रहा था कि लखनऊ की गलियों-गलियों में करोड़ों-करोड़ों रुपया बिछा दिया गया है। वर्ष 2018 की इन्वेस्टर्स समिट को हमने देखा है। उसके बाद की इन्वेस्टर्स समिट को देखा है। मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कहना चाहता हूँ अपने वरिष्ठ लोगों के सामने आपके इन्वेस्टर्स समिट के परिणाम क्या हैं। क्या ऐसा कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने का काम किया है। मेदान्ता जाकर देखो, एच0सी0एल0 जाकर देखो, नोएडा के अन्दर जाकर देखो। आप एक भी अस्पताल लखनऊ में नहीं बना पाये। जय प्रकाश नारायण जी ने कहा था आजादी का गीत गाया था कि गुलमिया हम, हम नइखे नहीं बैर। अजादिया हमरा के भावे ला उस जय प्रकाश नारायण के नाम पर जो अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाया है माननीय अखिलेश यादव ने आज वह कैसा है। हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हो। एशिया का सबसे बड़ा पार्क पण्डित जनेश्वर मिश्र के नाम पर माननीय अखिलेश यादव ने बनाया है। वही तो आप अपने इन्वेस्टर्स को दिखा रहे थे। आप अपना बना कर क्या दिखा रहे थे। इसलिए इनकी इन्वेस्टर्स समिट उसी तरह की है जैसे गाँव की गरीब महिला खेती में काम करती थी। जब उसका बेटा दूध के लिए रोता था। मां के स्तन में दूध नहीं होता था, कुपोषण था। तो कहती थी चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया के किनारे आवा बाबू के मुहमा गुटू। आप उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहां सबका साथ ले रहे है। आप अपनी नियुक्तियों में भेद-भाव कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग की आपने सी0बी0आई0 जांच कराई। आज 6 साल बीत गये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसको आपने यादव आयोग लिख दिया था, तबेला आयोग लिख दिया था। उस लोक सेवा आयोग की सी0बी0आई0 जांच हुई। मैं जानना चाहता हूं उस जांच में आज सी0बी0आई0 किस निष्कर्ष पर पहुंची जो उस समय चयनित लोग थे क्या एक भी नियुक्ति को रद्द कर पाये। क्या आयोग किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाया। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल छवि खराब करना जानती है। इनका एक आई0टी0 सेल है वह भोंपू की तरह चिल्लाने लगता है।

मैं इनसे खड़ा हो करके पूछना चाहता हूँ कि लखनऊ की राजधानी सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने मेडिकल कालेज और आजमगढ़ के अन्दर जो मेडिकल कालेज हैं वह मरीज को रेफर करने का काम करते हैं। आज अस्पतालों में लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही है। आप शिक्षा की बात करते हैं। आपरेशन कायाकल्प कर दिया शिवा जी को आपने कह दिया, रानी लक्ष्मीबाई को आपने कह दिया, चन्द्रशेखर आजाद को आपने कह दिया अरे आपरेशन कायाकल्प कर देने से गरीब के बच्चे का कल्याण नहीं हो पायेगा। मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी है, नीट की तैयारी करने में कितना वक्त लगता है, जे0ई0 की पढ़ाई में कितना

पैसा लगता है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे आप छाती पर हाथ रख करके देखेंगे तो आज गरीब के बेटे के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप शिक्षा पर बहस नहीं कराना चाहते हो। आप बेरोजगारी पर बहस नहीं करना चाहते हो। जब आप इन्वेस्टर्स समिट कर रहे थे तो कानपुर देहात में एक मां और बेटी धधक-धधक कर जल रहे थे। आपको शर्म नहीं आती। आप कहते हो आर्थिक कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था के लिए कोई ठोस काम करने के लिए काम किया था तो माननीय अखिलेश यादव ने जो 100 डायल स्थापित किया था। जो पुलिस हेडक्वार्टर बना था दुनिया का सबसे बेहतरीन। आप क्या जवाब दोगे उस मां और बेटी को। सभ्य समाज में जहाँ आपके अधिकारी थे। जिलाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाये।

आप उस एस0डी0एम0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाये, आपने उस जे0सी0बी0 के ड्राइवर को जेल भेज दिया। जहां पर पुलिस व प्रशासनिक अफसर हों वहां एक मां और बेटी धूं-धूं करके जल रही हों, लानत है ऐसी सरकार पर जो उन मां बेटी को बचा नहीं सकी। मान्यवर, इस सदन में जनता से चुने हुए लोग आते हैं आप महंगाई पर बोलिये, बेरोजगारी पर बोलिये, आज केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक भी वाइस चांसलर नहीं है, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज मात्र 2 हैं। आज विश्वविद्यालयों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, आयोगों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है यहां के मंत्रियों को कुछ पता नहीं है कि नीचे कितना बड़ा सौदा हो रहा है। मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दी है कि जो अबकी बार विधान सभा में बातें उठायी जायेंगी उसको विभाग को भेजा जाएगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मा0 अखिलेश यादव जी ने 200 बेड का अस्पताल बनाया, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती में आज मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर ट्रामा सेंटर स्थापित करने का काम करें।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद करता हूं तथा महामहिम राज्यपाल महोदया जी के भाषण पर तथा मा0 सदस्य नीलकण्ठ तिवारी, मा0 सदस्य नीरज बोरा के धन्यवाद प्रस्ताव पर पुरजोर समर्थन करता हूँ। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर विपक्ष ने जो कृत्य किया मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। 2017 से पहले प्रदेश जहां बीमारू एवं गुण्डा, दंगाइयों का बोलबाला था वहीं मा0 योगी आदित्यनाथ जी के बनने के बाद प्रदेश सुशासन, सुरक्षा, विकास, और दंगा मुक्त देश में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जाने लगा। प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे नम्बर पर है और केंद्र सरकार की योजनाओं में पहले नम्बर पर है। मा0 अध्यक्ष जी प्रदेश के लोकप्रिय, जनप्रिय मा0 योगी जी अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण तथा लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जहां पूरे देश

व प्रदेश के उद्यमियों में उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की होड़ लगी है वही प्रदेश में 33.5 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 साइन हुए। यह अपने आप में एक सोच से परे है। भूतो न भविष्यति जहां 2018 में 4 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 साइन हुए थे। वहीं साल 2023 में 33.5 लाख करोड़ एम0ओ0यू0 साइन हुए। जब यह उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थापित हो जाएंगे तब 95 लाख नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र से विधायक हूं, मेरे सभी जनप्रतिनिधिगण जिला बुलन्दशहर के जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह व उनकी टीम ने मेरे बुलन्दशहर में लगभग 80 एम0ओ0यू0 साइन कराये। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं से भी अवगत कराना चाहूंगा, बुलन्दशहर में रिंग रोड का बनना अति आवश्यक है, क्योंकि बुलन्दशहर से अलीगढ़, बदायूं, दिल्ली, नोएडा चारों तरफ का यातायात अधिक होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। आने वाले समय में जहां जेवर में एयरपोर्ट, खुर्जा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दादरी एयरवेज, बुलन्दशहर में बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कालेज, ऐसे लगभग 400 उद्योग स्थापित हो जाएंगे तब जाम की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक हो जाएगी। इसलिए रिंग रोड बनाना बुलन्दशहर के लिए बहुत ही जरूरी है। बुलन्दशहर के व्यापारी व छात्रों का दिल्ली नोएडा प्रतिदिन आना-जाना रहता है इसमें अगर मैट्रो की कनेक्टिविटी बुलन्दशहर तक हो जाए तो आम-जन को इसका बहुत फायता मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, बुलन्दशहर के चारों तरफ महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, अगर इन मूर्तियों में कलरफुल फव्वारे और लाइटिंग लग जाये तो जनता में सकारात्मक सन्देश जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, डी0ए0बी0 फ्लाईओवर से चीरघर तक भयंकर जाम की स्थिति रहती है, अगर यहाँ पर डबल रोड का निर्माण हो जायेगा तो जनमानस को इसका बहुत लाभ मिलेगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र अगौता में मेन मार्केट में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम 250-300 दुकानें हैं, बरसात के समय में मेन रोड पर नालों का पानी भर जाता है, जिससे दुकानदारों को असुविधा होती है। अगर वहाँ दोनों तरफ नाला बन जायेगा तो वहाँ के दुकानदारों को बहुत फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश निरन्तर आगे बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर होंगे। आज मेरे प्रतिपक्ष के साथी सामने से बोल रहे थे, सरकार के बारे में कह रहे थे, अब इनसे पूछिये कोरोना के समय जब हम लोग रात-दिन जनता के बीच में लगे थे, हमारे आदरणीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी चौबीसों घंटे हमारे बीच में थे तब ये लोग ए0सी0 में लेट करके तमाशा देख रहे थे, जनता के बीच में नहीं थे तो ये कैसी जनता की बातें करते है ? जनता ने इन्हें सिखा दिया, अभी बीच में थोड़ी संख्या में थे, 2024 में हम मानते हैं कि जो बची-खुची है, वह भी जनता सिखा देगी। पहले इधर बैठते थे, अब एक कोने में आ गये हैं। जनता

जनार्दन सब समझती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 2014, 2017, 2019 और 2022 का चुनाव जीता और मैं जानता हूँ कि 2024 में इन लोगों का बिल्कुल सफाया हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि स0पा0, ब0स0पा0 के कार्यकाल में जिस मॉल का निर्माण हुआ, मैंने सदन में उठाया उस पर एस0आई0टी0 ने जाँच शुरू कर दी है, इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि आपने लोकतंत्र के मंदिर में मेरी आवाज सुनी और मुझे न्याय मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्रीमती केतकी सिंह, श्री मोहन वर्मा, श्री गणेश चन्द्र जी का नाम पुकारे जाने व उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जिनका आज नाम पुकारा गया और वे अनुपस्थित हैं, फिर उनको अवसर नहीं मिलेगा, बाद में दूसरे लोगों को अवसर मिलेगा।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रखिये। अब अगला मद ले लीजिए। याचिकाओं को प्रस्तुत हुआ मान लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। प्रस्तुत हुआ मान लूँगा, लेकिन हाजिरी तो लूंगा।

मद संख्या-11 में माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

श्री मौ0 फहीम इरफान (उपस्थित), श्री सचिन यादव (उपस्थित), डा0 अमित सिंह चौहान (उपस्थित), डा0 डी0सी0 वर्मा (उपस्थित), डा0 मनोज कुमार प्रजापति (उपस्थित), डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा (उपस्थित), प्रो0 श्याम बिहारी लाल (उपस्थित), श्री अजय सिंह (उपस्थित), श्री अनिल प्रधान (उपस्थित), श्री अनिल सिंह (उपस्थित), श्री अरमान खान (अनुपस्थित), श्री अशरफ अली खान (अनुपस्थित), श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' (उपस्थित), श्री कमाल अख्तर (उपस्थित), श्री गुरू प्रसाद मौर्या (अनुपस्थित), श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) (उपस्थित), श्री चन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित), श्री बाबूलाल (उपस्थित), श्री जवाहर लाल राजपूत (अनुपस्थित)।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी जायेंगी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत तहसील बिलारी के ग्राम नमैनी गद्दी मार्ग से ग्राम डोहरी-सैफपुर होते हुए पालनपुर तक सड़क (लगभग 4 किमी0) निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सलमान खान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत चन्दौसी-सम्भल मार्ग से ग्राम बेहटा सरथल तक (लगभग 1 किमी0) सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री हसनैन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सरथल-बिलारी मार्ग से ग्राम मकनपुर तक (लगभग 2 किमी0) सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री शमीम व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम मो0 सादिकपुर से ग्राम जरगांव तक (लगभग 2 किमी0) सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम उमरागोपालपुर से ग्राम बरौली बुद्धनगर तक (लगभग 1 किमी0) सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री गफ्फार हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की ग्राम पंचायत भगनेर में आंगनबाड़ी केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री निमेश बाबू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम बझेरा बुजुर्ग में पीने हेतु जल के लिये टंकी (क्षमता 2000 लीटर) के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री उम्मेद राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम भामई में बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क की चहारदीवारी व गेट का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम दपामई से ग्राम देवराय के मध्य सैगर नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम बख्तीगिरी में माता के मन्दिर से रामवकील सिंह के घर तक सीसी मार्ग (लम्बाई लगभग 200 मी0) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 अनूप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग सुचित्तागंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या के विकास खण्ड बीकापुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय सरेसर से धना का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

3-जनपद अयोध्या के ब्लाक हरटीनगंज के अन्तर्गत शाहगंज से उमरपुर वाया रूरूखासा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शरद तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सलामतगंज से अजमतगंज तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतराम आर्या व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद बरेली के ब्लाक मीरगंज के अन्तर्गत मीरनगर उर्फ नौगवां से जटपुरा उर्फ मुगलपुर की मढैइया होते हुए सिंगरा तक सड़क एवं पुलिया का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत सेवा ज्वालापुर में हेतराम के घर से सुरेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 प्यारेलाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम मंसूरगंज में जामुनी चौराहे डामर रोड से हिमन्चल के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-आयुष विभाग में पंचकर्म सहायक डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रम का शासनादेश जारी कराने तथा आयुर्वेद औषधियों की मेडिकल प्रतिपूर्ति के साथ ही साथ अन्तरंग चिकित्सा यथा-पंचकर्म, क्षारसूत्र, शल्य व शालाक्य की प्रतिपूर्ति हेतु शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में डा0 कृष्णदेव तिवारी, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका।

डा0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

डा0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हमीरपुर के कस्बा मौदहा में किराये के जर्जर भवन में संचालित प्राथमिक विद्यालयों को नवनिर्मित कराने के सम्बन्ध में अरविन्द शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका तथा

2-जनपद हमीरपुर के कस्बा मौदहा में सिंचौली पुरवा में 10 वर्ष पूर्व निर्मित पानी की टंकी से जल निकासी के सम्बन्ध में आकाश त्रिपाठी एवं अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत बरामई में सरकारी स्कूल से सुरेन्द्र के घर तक का सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में अभय प्रताप एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के हसमत नगर में बाबूउद्धीन के घर से सकील के घर तक का सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में बाबूउद्धीन एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के हसमत नगर में सी0एन0जी0 पम्प से उस्मान शाह के घर तक का सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री सलमान एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम प्रेमपुर पिलुआ मार्ग से धर्मेन्द्र पुत्र श्री सत्यप्रकाश के मकान तक का सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री कल्लू, निवासी जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के आर0के0 कालेज के गेट से एन0एच0-2 की सड़क तक का सी0सी0 निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र भूषण एवं अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित

05 याचिकाएं[†]

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जिला बरेली के 122, फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रसूला चौधरी चौराहे से ग्राम ककरा कलां होते हुए रम्पुरा प्रवीन तक चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जिला बरेली के 122, फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कल्यानपुर से बिलौआ मार्ग पर गोहनिया नाले की पुलिया (60मी0 से कम) का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में चौ0 मलखान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जिला बरेली के 122, फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पचैमी में 32 के0वी0 पावर स्टेशन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जिला बरेली के 122, फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हसनगंज से ग्राम टिसुआ के मध्य कैलाश नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जिला बरेली के 122, फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नगरिया कलां तहसील फरीदपुर से ग्राम सेराखाम जनपद बदायूँ के मध्य रामगंगा नदी पर पुल का

[†] छापी नहीं गईं।

निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गोण्डा, विकास खण्ड करनैलगंज के शाहपुर में 33/11 के0वी0 पावर हाउस स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय करनैलगंज में फायर स्टेशन स्थापना के सम्बन्ध में संजय सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय करनैलगंज में बस स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में अनुज कुमार जयसवाल एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा, विकास खण्ड करनैलगंज के पसका में 33/11 के0वी0 पावर हाउस स्थापना के सम्बन्ध में श्री जंग बहादुर सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा के करनैलगंज में अधूरे पड़े राजकीय पालीटेक्निक व मत्स्य शोध संस्थान संचालित कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज शुक्ला एवं अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोबरिया बुजुर्ग में पतरावल के दरवाजे से पहरिया सम्पर्क मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती प्रभावती व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम लोहदा में श्री बालकेश्वरी माता मेन रोड से चुनकावन सिंह के पुरवा

† छापी नहीं गईं।

तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्वी के ग्राम गढ़ीवा में डामरीकरण एवं नाले पर पुल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम बछरन में नाथूराम चन्देल इण्टर कॉलेज से गोसाईंपुर राजापुर मेन रोड तक सम्पर्क मार्ग (लम्बाई लगभग 02 किमी0) एवं नाली का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

5-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्वी के ग्राम भारतपुर में गजवा धोबी के घर से रमपुरवा यादव के पुरवा तक सड़क (दूरी लगभग 1200 मी0) नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित

05 याचिकाएं[†]

श्री अनिल कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत मौरावां मोहनलालगंज मुख्य मार्ग से चन्दन खेड़ा-बरवाकला क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीशंकर साहू व अन्य निवासी जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्राम दऊ में आरती चौधरी के खेत से चेतन गुप्ता के फार्म होते हुए राधा नगरी तक के जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्धू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के मुख्य मार्ग से ग्राम सभा गोसाई खेड़ा होते हुए ग्राम सभा राधा नगरी तक के क्षतिग्रस्त मार्ग से जंगली कटीले बबूल के पेड़ों को हटवाते हुए मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्धू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के ग्राम करदहा सई नदी तट स्थित सन्दाना पम्प कैनाल को संचालित कराऐ जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के नगर पंचायत मौरावां स्थित 100 बेड के अस्पताल को, 100 बेड का अस्पताल की व्यवस्था एवं सुविधानुसार विधिवत संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरदीप त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित

05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत नई बस्ती गंगा विहार कालोनी पिंक सिटी फेज 2 बुद्धेश्वर लखनऊ में योगेन्द्र प्रताप के घर से विनोद चौरसिया के घर होते हुये रिंग रोड बाई पास तक सड़क व नाली निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत बरौरा में कल्लू चौरसिया के घर से मेवा लाल के दरवाजे के पास तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली एवं कतिपय निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मो0 शाकिर व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत रिंग रोड फरीदीपुर मोड़ से फरीदीपुर चौराहे से आगे दुबग्गा चौराहे को जोड़ने वाली रोड से आगे सरकारी स्कूल तक व कतिपय स्थानों पर आर0सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मो0 वसी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्रीमती शीबा खान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत आदर्श विहार में डी0वी0एल0 लॉन के पीछे प्रेम बहादुर यादव के मकान से बबलू दीक्षित के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण व कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री राशिद अली व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

[†] छापी नहीं गईं।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुई :-

1-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत ग्राम लाडो माजरी में रामधारी के घर से असाढ़ वाली माता तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत दरगाहपुर से ग्राम नोनागली तक सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सरोहा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत गढ़ी पुख्ता से लेकर हसनपुर अंबेहटा खेड़ा भाऊ तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सड़क (लगभग 2 किलोमीटर) की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद राणा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत यात्री रोड पुरमाफी से अंबेहटा रिदान तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

5-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत ग्राम मुंडेट नहर से गढ़ी तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हरदोई, विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत माधौगंज से शेखवापुर होते हुये सुमेरगंज बाईपास तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

---

† छापी नहीं गई।

2-जनपद हरदोई, विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत खैरूद्दीनपुर-बेरिया-नजीरपुर-लोकईयापुरवा तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री मेडेलाल व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

3-जनपद हरदोई, विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत ऐंचामऊ पुल से कटिया भिखारीपुर पुल तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रानू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

4-जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत मटियामऊ-राघवपुर-बेरिया-नजीरपुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रत्नेश सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका तथा

5-जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत गंजमुरादाबाद-सरायसुल्तान-दारूकुईया-नयागांव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अवधेश व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका।

श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 2000 ई0 में नया मुरादाबाद आवासीय योजना हेतु किसानों की भूमि कौड़ियों के दाम में अर्जित करने के सम्बन्ध में श्री जगदीश सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के राजकीय पालीटेक्निक कालेज में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में श्री नजाकत अली एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

3-जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड डिलारी, तह0-कांठ क्षेत्र में 33/11 के0वी0 का बिजली घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री इमरान अली एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित 01 एवं प्रयागराज से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री गुरु प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद भदोही के सुरियावां विकास खण्ड के पूरेसनाथ (सनाथपुर ग्राम) में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में बटेश्वर नाथ पाण्डेय एवं अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड कौड़िहार के ग्राम कुडा में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पंकज सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड होलागढ़ के ग्राम सुफीपुर उर्फ धुरसरपुर मजरा, सुल्तानपुर जैसिंह, में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णा कान्त मिश्रा एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड होलागढ़ के होलागढ़ में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुमन त्रिपाठी एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड होलागढ़ के उमरिया बादल उर्फ गैंदा के मजरा पंडित का पूरा में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चन्द्र मूल दुबे एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 01 एवं जालौन से सम्बन्धित 04 याचिकाएं[†]

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के शाहगंज तहसील के अन्तर्गत भादी नटौली मार्ग पर रामकला राइस मिल के आगे राजाराम के चक से विजय बहादुर के चक के बगल प्लाट रोड होते हुये मान बहादुर के चक व चकमार्ग तक इण्टरलॉकिंग व नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जिला जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम धन्तौली में जहार सिंह कुशवाहा के मकान से गुलाब सिंह परिहार के मकान तक इण्टरलॉकिंग निर्माण लगभग 150 मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृपा शंकर पालीवाल एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जिला जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम कैथ में मनीष हिंगवासिया के मकान से हनुमान मंदिर तक लगभग 100 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री मनीष हिंगवासिया एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जिला जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम धगुवां कला में मोक्षधाम से अशोक पटेल के खेत होते हुए हनुमान मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक पटेल एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गईं।

5-जिला जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम धगुवां कला से सोमई तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में बृजेश निरंजन एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक दानपुर अन्तर्गत दौलतपुर माइनर से गाँव चैगानपुर में पंचायत घर तक सड़क नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री नेमसिंह, निवासी जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत ग्राम ढकनगला में बम्बे की पटरी बेलोन-डिबाई मार्ग तक सड़क नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्रपाल व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई अन्तर्गत डिबाई से नगला भूड़ सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत व मध्य में पड़ने वाले नींम नदी (छोईया) पर पुल (लम्बाई लगभग 1.2 किमी0) का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक दानपुर अन्तर्गत ग्राम डिरौरा विश्वनाथपुर में कुन्दन के मकान से गांव के गेट (गोविन्दपुर-अतरौली स्टेशन लिंक मार्ग) तक सड़क नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री डोरीलाल व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक डिबाई अन्तर्गत गांव बिलौना रूप से बूधऊ माता आश्रम तक सड़क नवनिर्माण के सम्बन्ध में श्री भागीरथ व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम कठवारी ब्लाक अछनेरा में चामड़ माता मन्दिर से नाले तक (लगभग 400 मी0) सड़क व नाली बनाने के सम्बन्ध में श्री विजय प्रधान, निवासी आगरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम सींगारपुर ब्लाक फतेहपुर सीकरी में नरेन्द्र के घर से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 की पुलिया तक (लगभग 500 मी0) सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्रीमती प्रियंका सिसौदिया, निवासी जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम कचोरा ब्लाक अछनेरा में कचोरा जूनियर हाई स्कूल के पास बलराम के मकान से फरह रोड (पं0 दीनदयाल उपाध्याय) लिंक रोड तक सड़क (लगभग 1 किमी0) निर्माण के सम्बन्ध में श्री सत्यवान, निवासी जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम सांधन ब्लाक अछनेरा में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल स्कूल सांधन से बसैया राजपूत तक सड़क (लगभग 600 मी0) निर्माण के सम्बन्ध में श्री जुगेन्द्र सिंह, निवासी जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम अरदया ब्लाक अछनेरा में जूनियर हाई स्कूल से पहाड़ लाइन तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अरब सिंह, निवासी जनपद आगरा की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से 04 एवं उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका (व्यपगत)†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद झांसी में मोंठ मण्डी की उपमण्डी समथर का विस्तार कर बड़ी मण्डी बनायी जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी के ब्लाक गुरसराय के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री लोक नाथ व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी के ब्लाक मोंठ के कतिपय ग्रामों में स्थापित जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद उन्नाव की पुरवा तहसील की ग्राम पंचायत रामाअमरपुर में गाटा संख्या 1229 के पास भू-विनियमन के आधार पर अभिलेखीय नाली को विलोपित कर

† छापी नहीं गईं।

वर्तमान स्थिति के अनुसार अभिलेखों में नाली अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त कुमार वर्मा, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद झांसी के राजकीय महाविद्यालय समथर में कृषि विषय को मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री जियाऊर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुरादाबाद विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी, ब्लॉक मूढा पाण्डे के गोविन्दपुर खुर्द से हमारीपुर मार्ग मरम्मत के सम्बन्ध में श्री मौ0 नईम एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत ग्राम महमूदपुर पर्वाना के गाटा संख्या-1410 से बादशाहपुर तालाब तक कच्चे मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती प्रीति व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत कस्बा बुगरासी के मोहल्ला तकिया वाला में राम लीला ग्राउण्ड के पास तालाब की सफाई कराये के सम्बन्ध में श्री ओमदत्त लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत ग्राम मायापुर में विजय पुत्र कंछिदा के घर से प्राथमिक स्कूल तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत ग्राम पवाना महमूदपुर में पवाना माइनर की पटरी मुर्गा फॉर्म से मोहनलाल के भट्ठा जहाँगीराबाद-औरंगाबाद मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत ग्राम पर्वाना से सूरजपुर टिकरी श्मशान घाट सी0सी0 रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील विश्वकर्मा, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म का कचड़ा/अवशेष आबादी के पास फेकने से रोके जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन सिंह, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम करेहा में सौभाग्य योजना की बिजली सप्लाई के सम्बन्ध में श्री सरतेज सिंह, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

4-जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के एफ0सी0आई0 फ्लाईओवर से सी0ओ0डी0 गेट तक आवासीय क्षेत्र में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील विश्वकर्मा, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम किसौली में जुख के घर से अजीत सिंह के घर तक (लगभग 100 मी0) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री कृष्ण व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम किसौली में बीरम की मढैया में महेन्द्र के घर से पूरब की दिशा में (लगभग 100 मी0) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अट्टा में राजकुमार के घर से जयपाल सिंह के घर तक (लगभग 100 मी0) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अरविन्द व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

4-जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम किसौली में शनिदेव मंदिर से पुलिया तक (लगभग 100 मी0) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री रवि व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम खंगावली में शहीद राजसिंह के घर से चेतन के घर तक (लगभग 100 मी0) सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित

02 याचिकाएं†

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अलीगढ़, विकास खण्ड इगलास के ग्राम बढ़ाकलाँ से सटे तालाब पर विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका तथा

2-जनपद अलीगढ़, विकास खण्ड इगलास के ग्राम पंचायत बढ़ाकलाँ में जलभराव व सीवेज की समस्या से निजात पाने के लिए निकासी हेतु गली व सड़क के मध्य पक्की पटी हुयी नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित

05 याचिकाएं†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर की ग्राम पंचायत घुनाही में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पार्क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवानदीन मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम पंचायत घारीघाट में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम पंचायत घारीघाट में डाक बंगलों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

4-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के ग्राम पंचायत बड़हरा के कबीर मठ का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देव नरायण व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत के सादुल्लानगर बभनान मार्ग घारीघाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेहीलाल मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली में ग्राम भिक्का माजरा नहर के पुल से बहावडी-भिक्का मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीर सिंह मलिक व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली में ग्राम लिसाढ़ से सरनावली मार्ग पर नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के ग्राम भाज्जू में शामली-सिसौली रोड से गय्यूर की दुकान के पास चौराहे तक मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बॉबी प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के मेरठ-करनाल हाई-वे से ग्राम लाँक होते हुए वाया ग्राम खरड से खेडी पट्टी होते हुए ग्राम भाज्जू तक मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र बाबा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

5-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली में मेरठ करनाल हाई-वे स्थित चन्द्रा पैलेस से सिम्भालका अण्डरपास तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बहादुर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर की ग्राम पंचायत नगदही में दुर्गापुरवा उदवतनगर के मध्य लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुपम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर अन्तर्गत सरयू नदी के कैथी घाट पर पीपे के पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 (स्थायी) सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज अन्तर्गत मण्डी समिति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 डी0 तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड बेलसर के अन्तर्गत ग्राम सोनौली मुहम्मदपुर में रग्घू वैश्य पुरवा में नाले पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)[†]

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम पंचायत सलेमपुर में उदन्ती नदी पर बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण आजमगढ़ की याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत मुड़हर-सरायमोहन मार्ग के बगल में ग्राम पंचायत शंकरपुर कनोना में आर0सी0सी0-सड़क (ल0 500 मी0) निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण आजमगढ़ की याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा अकबालपुर (नाउपुर) में श्री सुबाष यादव के घर के सामने से माइनर पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसम्हार यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा मईखरगपुर में सड़क पर हमेशा जलभराव से निजात पाने के लिए 500 मी0 नाला

[†] छापी नहीं गईं।

बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लालबहादुर राम व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा खनियरा के राजभर बस्ती में 500 मी0 सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां के अन्तर्गत ग्राम धामूपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गरीब, निवासी जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां के अन्तर्गत ग्राम दामोदरपुर प्रथम में नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जखनियां के अन्तर्गत ग्राम नारायणपुर में नहर पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रिंस व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के अन्तर्गत ग्राम पहेतिया में नलकूप स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरकेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के अन्तर्गत ग्राम बल्लीपुर (त्रिलोकपुर) में लगे 25 के0वी0 के ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 63 के0वी0 किये जाने के सम्बन्ध में श्री विभूति राजभर व अन्य निवासीगण गाजीपुर की याचिका।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी से गैराहरी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद महोबा के विकास खण्ड चरखारी में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में श्री उदित व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

3-जनपद महोबा के अन्तर्गत नगर पालिका कुलपहाड़ में स्थित 200 वर्ष पुराना किशोर तालाव मंदिरों का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

4-जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत ग्राम दुलारा से गडौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका तथा

5-जनपद महोबा के अन्तर्गत स्पोर्ट्स कालेज का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद सीतापुर, विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत गोमती नदी के किनारे के ग्राम हमीरपुर से राम जानकी मंदिर (तपस्वी दास बाबा धार्मिक स्थल) को जोड़ते हुए ग्राम ककरहा (अहलादपुर) तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

2-जनपद सीतापुर, विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत ग्राम कठवा में प्राचीन ललितेश्वर महादेव मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप शुक्ला एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत विकास खण्ड रोहनियां के ग्राम बड़ा गांव हमीदपुर के गौरी शंकर मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री विनोद शुक्ला, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत किसानों के सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत कुख्यात अपराधी विपुल सिंह उर्फ अंकित सिंह व कतिपय अपराधियों के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही न करके भ्रामक आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार मिश्रा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में जगतपुर ग्राम समूह पेयजल योजना वर्ष 2017-18 में मे0 अवस्थी ट्यूबवेल कम्पनी द्वारा मानक के विपरीत अत्यन्त खराब क्वालिटी का कार्य किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के रतापुर चौराहे पर स्थित सोमू ढाबा को द्वेष भावना से ग्रसित होकर नियमों के विरुद्ध ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अंशुभि, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित

05 याचिकाएं[†]

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत नगर पालिका लौकिहवां में गुड्डू सिंह के मकान से रामानन्द के मकान से होते हुए भृगुवंश मणि यादव के घर तक की सड़क (लम्बाई लगभग 40 मी0) की सड़क व नाली के निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत मोहल्ला कटरा में बद्रे आलम के मकान से बी0 के0 श्रीवास्तव के घर तक सड़क (लम्बाई 72 मी0) के निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री बद्रे आलम व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत ब्लाक बस्ती के ग्राम छितावर में अखिलेश प्रजापति के घर से गजराज के मड़ई तक सड़क (लम्बाई 150 मी0) के निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत ग्राम बरगदवा में श्री कृष्ण मिशन हॉस्पिटल से आगे नाले तक सड़क व नाली के निर्माण के सम्बन्ध में डॉ0 अजीज व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के नगर पालिका के अन्तर्गत मड़वा नगर में सुरेश गौड़ के घर से उदय प्रताप सिंह के घर तक सड़क व नाली (लम्बाई लगभग 100 मी0) के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर, तहसील खुर्जा, ग्राम हिसारा में सिंचाई के लिए मुख्य मंत्री किसान उदय योजनान्तर्गत सोलर पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा गनेशपुर में जोलहिनिया रोड से सम्भे स्थान तक आर0सी0सी0 सड़क (दूरी 250 मी0) निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री निलेश व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा खोट्ठा में रामनगीना मिश्रा के घर से केदार सिंह के घर तक आर0सी0सी0 सड़क (दूरी 90 मी0) निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रामनगीना व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा पट्टन में रामकृपाल सिंह के दरवाजे से राम बसावन शर्मा के घर तक आर0सी0सी0 सड़क (दूरी 50 मी0) निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रामनगीना व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा पिडरा गोपालटोला में रामज्ञानी के घर से रामकिशुन के घर तक आर0सी0सी0 सड़क (दूरी

† छापी नहीं गईं।

400 मी0) निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रामज्ञानी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ग्राम सभा अनन्तपुर में दयाराम प्रजापति के घर से ओमप्रकाश सिंह के घर तक आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाराम प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के अन्तर्गत वार्ड संख्या-03 सरकपुर सरैया नगर पंचायत, बक्शी का तालाब में बने मार्ग का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

2-जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र बक्शी का तालाब के अन्तर्गत वार्ड संख्या-03 सरकपुर सरैया नगर पंचायत, बक्शी का तालाब में बनी रोड की मरम्मत व डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद की ग्राम सभा गोपालपुर में आबिद हुसैन के मकान से मिर्जापुर बार्डर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेराज अहमद व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

2-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद की ग्राम सभा जगदीशपुर उर्फ भटरिया में चकिया रोड से पंचायत भवन तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद की ग्राम सभा कूढ़कला में पुनवासी के घर से होते हुए सियाराम के घर से रेलवे लिंक रोड तक आर0सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

4-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद की ग्राम पंचायत जफरपुर में शिवपूजन के घर से होते हुए कल्लू चौहान, महेन्द्र पटेल के घर से नहर तक इण्टरलॉकिंग व सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामविलास व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका तथा

5-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद की ग्राम सभा अलीनगर, वार्ड 16 नहर के बाएं तरफ हरिजन बस्ती से छलका तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में डायमंड डेयरी कॉलोनी मार्ग व कतिपय अन्य मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत 1090 चौराहे से गाँधी सेतु होते हुये डॉ0 अम्बेडकर चौराहे तक मार्ग पर फुटपाथ के मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में श्री आशीष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य में सड़कों की मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में श्री नजमुद्दीन अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य में जियामाऊ चौराहे से गोमती बैराज वाया बालू अड्डा मार्ग पर लगी टाइल्स का उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री अखनी मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य में कैसरबाग चौराहे से अमीरुद्दौला लाइब्रेरी होते हुये रजा अहमद अली मार्ग पर मरम्मत व चौड़ीकरण का कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री रघुवीर व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

[†] छापी नहीं गईं।

श्री राजीव सिंह पारीक्षा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव सिंह पारीक्षा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनीनगर के ग्राम गहलवारा और ग्राम रेवरी को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की सर्विस रोड स्थित दिवाकर ढाबा से जोड़ने वाले कच्चे मार्ग को जिला पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत के माध्यम से पक्का बनवाने के संबंध में श्री नेक लाल गौतम एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में श्री देवी शंकर पटेल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

2-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत घाटमपुर कोडा में निचली गंगा नहर में पानी न आने से सिंचाई में हो रही दिक्कत के सम्बन्ध में श्री सन्तोष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मथुरा के माँट तहसील के कस्बा नौहझील में मेन रोड के किनारे लोक निर्माण विभाग मथुरा द्वारा सरकारी जमीन को शीघ्र कार्रवाई कर अवैध कब्जाधारियों से कब्जामुक्त कराने के सम्बन्ध में श्री प्रशांत गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

2-जनपद मथुरा के माँट तहसील के अन्तर्गत श्री सरदार पटेल इण्टर कॉलेज देवनगर, माँट की प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये जमीन घोटाले व कतिपय वित्तीय अनियमितताओं की जाँच कराने के सम्बन्ध में श्री बनी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद मथुरा के माँट तहसील की ग्राम पंचायत दिल्लूपट्टी में बाजना मुडलिया रोड पर साईं धाम कालोनी में विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री हरिओम पुजारी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

4-जनपद मथुरा के छाता तहसील की ग्राम पंचायत शेरगढ़ व कतिपय स्थानों की पृथक-पृथक सीमांकन कराने के सम्बन्ध में श्री खेमचन्द पुजारी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

5-जनपद मथुरा के माँट तहसील की ग्राम पंचायत पिहरी में सिंचाई विभाग के नाले के ऊपर कुछ हिस्से में किये गये अवैध कब्जे से कब्जामुक्त कराके नाले को खुदवाने के सम्बन्ध में श्री रनवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कासमपुर, बिल्लौच मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रकिशोर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम नसीरपुर मनसुख से इस्माईलपुर मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम मेवाजर-कुमखिया मार्ग पर मोड़ से शेरपुरा मजरा तक 1.5 किमी0 कच्चा मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम चहलापुर अब्दुल्लानगर डाडा के मध्य 1 किमी0 सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलवर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम पीपलसाना बिजलीघर से कराल-1 होते हुए नसीरपुर मनसुख तक जर्जर विद्युत तार को बदलवाने के सम्बन्ध में श्री नकुल त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

[†] छापी नहीं गईं।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जखौरा के ग्राम हर्षपुर के विभिन्न मजरों में एवं जनजाति मुहल्ला में सी0सी0 रोड व नाली सहित निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मन्नूलाल रैकवार व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

2-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत मुहल्ला रामनगर में हाई-वे से आर0एम0वी0 कॉलेज के पास कांशीराम आवासीय कॉलोनी तक सड़क का निर्माण व कतिपय निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार सोनी व अन्य निवासीगण ललितपुर की याचिका तथा

3-जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत मुहल्ला खिरकापुरा रामनगर में हाई-वे से कांशीराम आवासीय कॉलोनी के पास तक सी0सी0 रोड व कतिपय निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री पुरूषोत्तम कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत ब्लाक कौंधियारा में ग्राम सोढिया व कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण/इण्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में श्री रमापति शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत ब्लाक शंकरगढ़ में ग्राम झंझरा व कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण/इण्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में श्री गोकुल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत ब्लाक जसरा में ग्राम लेवदी व कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण/इण्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में श्री जगत नारायण शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत ब्लाक कौंधियारा में ग्राम पीड़ी व कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण/इण्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में श्री अनिल चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत ब्लाक शंकरगढ़ में ग्राम झझरा चौबे में काली रोड व कतिपय स्थानों पर सड़क निर्माण/इण्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में श्री अनिल चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में ग्राम मकरन्दपुर नहर पुलिया से पलिया तक डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में ग्राम सिमौरी से महमूदपुर उर्फ निजामपुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री कृपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में ग्राम गाजीपुर व पच्चड़ को बहगुल नदी की कटान से रोकने हेतु ठोकरें/पत्थर लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्दे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में ग्राम धूमगढ़ से मड़ैया तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्दे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

5-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज में ग्राम हरदेनी के वैवहा नदी की कटान रोकने हेतु ठोकरें/पत्थर लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा भोगना (ढोढावीर), विकास खण्ड बिरनो में हीरालाल चौहान के घर से रामनवल चौहान के खेत तक इण्टरलॉकिंग कार्य (ल0 लगभग 200 मी0) सी0सी0 सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बिरनो ग्राम सभा बहलोलपुर में बृजनाथ राजभर के घर से करूई दलित बस्ती तक नाली एवं सी0सी0 सड़क (ल0 250 मी0) के निर्माण के सम्बन्ध में श्री बिजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जमानियाँ, ग्राम सभा भगीरथपुर, जिला पंचायत मार्ग से शम्भू यादव के घर तक सी0सी0 कार्य (ल0 350 मी0) कराने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बिरनो, ग्राम सभा हरसरपुर में कोड़री मार्ग से लल्लन यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य (ल0 300 मी0) कराने के सम्बन्ध में श्री रमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बिरनो, ग्राम सभा मलेठी पाहीपर में किताबुद्दीन के घर से उमाशंकर राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य (ल0 300 मी0) कराने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जिलापूर्ति अधिकारी रायबरेली विमल कुमार शुक्ला, सुरेश कुमार सरोज क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक श्रीमती कौमदीपाल, तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक पुनीत कुमार

† छापी नहीं गईं।

शर्मा/अमर सिंह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध त्रिस्तरीय कमेटी मजिस्ट्रेट/सी0बी0सी0 आई0डी0 जांच के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवगढ़/महाराजगंज अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ में संचालित राजकीय विद्यालय हाई स्कूल ओसाह को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम ओसाह तिलेण्डा-हलोर मार्ग चक तिराहे से खरगीखेड़ा तक पक्की सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ के ग्राम ओसाह नेवाजी खेड़ा नहर से राजकुमार पासी के दरवाजे होते हुए पुरबिया तक पक्की सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र खत्रीपुरा रायपुर राजा आंशिक में सरिता जौहरी के घर से स्कन्द प्रताप सिंह के घर होते हुए हुजूरपुर-जेल रोड बाईपास वाली रोड तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप जायसवाल, निवासी जनपद बहराइच की याचिका,

2-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर ग्राम पंचायत बीलगांव सम्पर्क मार्ग से अम्बरपुरवा तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलराज सिंह, जनपद बहराइच की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

3-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र मो0 सलारगंज नरियाघाट से अन्त्येष्टि स्थल को जाने वाले मार्ग पर नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश पाण्डेय, निवासी जनपद बहराइच की याचिका,

4-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र मो0 बक्शीपुरा चान्दमारी बहराइच-गोण्डा रोड सम्पर्क मार्ग सुजुकी एजेन्सी के बगल से नरेन्द्र सिंह के घर से होते हुए बालार्क गैस एजेन्सी तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नरेन्द्र सिंह, निवासी जनपद बहराइच की याचिका तथा

5-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में नगर क्षेत्र मो0 गुलामअलीपुरा वार्ड हमजापुरा में दरगाह पावर हाउस मोहल्ले के अन्दर होते हुए गुल्लावीर वाले मार्ग तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश पाण्डेय, निवासी जनपद बहराइच की याचिका।

श्रीमती पूजा सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्रीमती पूजा सरोज, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत इनवल सम्पर्क मार्ग व कतिपय स्थानों पर मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत पटना अहियाई नोनियान बस्ती सम्पर्क मार्ग व कतिपय स्थानों पर नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा गोपालपुर में सकलदीप के घर के बगल से सहायक खण्ड-23 व कतिपय स्थानों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत मुसवा-जमुवा मार्ग व कतिपय मार्गों पर पुल/पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री आशीर्वाद यादव, निवासी जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गईं।

5-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम अहियाई में राजघाट व कतिपय स्थानों पर विद्युतीकरण/क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में श्री रामनरायन, निवासी जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा एवं एटा से सम्बन्धित 01-01 याचिका†

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा के विकास खण्ड बाह में संचालित सामुदायिक विकास केन्द्र बाह को अपग्रेड कर 100 बेड का चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र सिंह भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

2-जनपद एटा के ब्लॉक आवागढ़ के ग्राम नीमखेड़ा में सड़क का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी जनपद एटा की याचिका।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए एक सी0डब्लू0एस0एन0 विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गौरव व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही में डालमिया चीनी मिल द्वारा क्षेत्र के किसानों को मुफ्त मैली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड-सिधौली के ग्राम डोमरैची गौरिया में प्राथमिक विद्यालय एवं सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजेश एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर की तिलहर विधान सभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को क्षेत्र के चीनी मिल में नौकरी में वरीयता देने के सम्बन्ध में श्री साहित्य एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गईं।

5-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-निगोही के ग्राम पंचायत ढकिया तिवारी से भरतापुर मार्ग में पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री सदुल एवं अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम बिसेंड़ी फौलादपुर में रनवीर सिंह के खेत से अगरई तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम बुटैना में सुरेश के खेत से श्री हरिकेश शर्मा के ट्यूबवेल तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला बड़ौदा में रविन्द्र सोलंकी के मकान से प्राइमरी स्कूल के सामने होते हुए नाले तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री इन्द्र पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम महीपा जागीर में मेन रास्ते से श्री बलजीत के मकान से काली सड़क तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम नया बास में रजवाहे के पुल से खुशहालपुर रजवाहे के पुल तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम कटाहित खास सरोज बस्ती के बगल पी0डब्लू0डी0 सड़क से पतुलकी की तरफ वाया नहर की पूर्वी पटरी होते हुए विजयनाथ बिन्द के घर तक पिच सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम कटाहित खास में ट्रांसमिशन 400 के0वी0 (सब-स्टेशन) के चारों तरफ प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम कुरनी में समाधगंज बाजार से नहर पर दक्षिण तरफ पूर्वी पटरी सुरजा देवी के चक तक पिचरोड का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम अदारी में ट्यूबवेल से बबऊ यादव के घर तक पिच रोड का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री बबऊ यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम-कटाहित खास में नेउरा में लाल बहादुर यादव के खेत से कमलेश यादव के घर के पास तक पिच रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-66, 67 व 68 में कुछ नहीं है। अब मद सं0-69।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधयेक, 2023†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

† दिनांक 09 मार्च, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-22 की उपधारा-1 की श्रेणी-VII (XV) के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के 05 सदस्यों का निर्वाचन करें''।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-22 की उपधारा-1 की श्रेणी-VII (XV) के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के 05 सदस्यों को निर्वाचित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 22 फरवरी, 2023 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। यह सदन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने के लिए 05 सदस्यों का निर्वाचन कराए जाने का प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 22 फरवरी, 2023 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 05 सदस्यों का निर्वाचन कराए जाने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपयुक्त विश्वविद्यालय की सभा में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हों पूर्ति के

लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षा अनुसार विधिवत निर्वाचित समझे जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में कार्य करने के लिए जिन 05 सदस्यों को निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव इस मा0 सदन में दिनांक 22 फरवरी, 2023 जो स्वीकृत हुआ है, उसके सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक कि वह निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 05 सदस्यों का निर्वाचन कराए जाने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए तथा उसके बाद उपयुक्त विश्वविद्यालय के सभा में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम- निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम- निर्देशित सदस्यों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षा अनुसार विधिवत निर्वाचित समझे जाएंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अनुसार ही सदन की कार्यवाही को संचालित कराये जाने का अनुरोध

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारी विधान सभा की नियमावली है और इस नियमावली के नियम 315 में सापेक्ष अग्राह्ता लिखा है कि किस क्रम से यहां पर विषय लिए जाएंगे। सामान्य कार्य के पहले कार्य-स्थगन लिया जाता है और आज किन्हीं कारणों से जो कार्यवाही छपी उसमें कार्य-स्थगन जहाँ पहले आना चाहिए था वह कार्य-स्थगन बाद में नियम-51 के स्थान पर छप गया है। जो सबसे अन्तिम में है। इस तरह से हमारी नियमावली का उल्लंघन हुआ है और यह आपके संज्ञान में है। तो इसलिए मैं यह चाहूंगा कि कार्य-स्थगन इस नियमावली के अनुसार लिए जाएं जब तक सदन पहले से उसके बारे में कोई निर्णय न कर ले। हमारी जो नियमावली है इसमें इसके अनुसार कार्य-सूची छपना चाहिए, बाकी वह आपका अधिकार है कि आप उसको किसी भी समय ले सकते हैं, या कर सकते हैं।

यह सदन की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन छपना इसी के अनुसार चाहिए था। इस तरह से जो आज गलती हुई है, जिसके कारण बहुत महत्वपूर्ण विषय, जिसकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, समय से आना चाहिए था, वह नहीं आ पाया है, जिसके कारण तमाम सदस्य

जिन्होंने इस विषय को लगाया था वह इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो प्रस्ताव हैं उसको आज न लेकर 24 तारीख को ले लिए जाएं, ऐसा आपसे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री लालजी वर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया कि नियम-315 के अन्तर्गत, इस पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी अगर दूसरी लाइन पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि बात होते हुए भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निर्देश के आधीन रहते हुए।

श्री लालजी वर्मा-

हां यह ठीक है, लेकिन कार्यवाही में छपना चाहिए, बाकी आपका विवेक है, आपके नियंत्रण में है। हम लोगों की मांग पर पहले जीरो ऑवर में आप ले लेते हैं, वह अलग बात है, किसी समय टाला भी जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए, आप अति विद्वान सदस्य हैं, मैं आपसे सीखता हूँ। मेरा ख्याल है कि जिस समय मैंने 56 पुकारा उस समय आपने इसे देखा था कि सबेरे ही देख लिया था ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमने सुबह ही इस विषय को देख लिया था।

श्री अध्यक्ष-

तो सुबह ही आपको इसे उठाना चाहिए था ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब मैंने इसे उठाया तब आप निकल गए थे।

श्री अध्यक्ष-

जिस समय यह चर्चा हो रही थी उस समय यह हुआ कि अब महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने उसी समय उठाया था।

(बीच में संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी एक सेकेण्ड, दूसरा निवेदन मा0 लालजी वर्मा जी ने किया है कि जिन सदस्यों ने इसे उठाया था वह उपस्थित नहीं हैं, तो यहां पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय

जी भी उपस्थित हैं, श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी भी उपस्थित हैं, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी भी उपस्थित हैं, श्री उमाशंकर सिंह जी भी उपस्थित हैं और श्री रविदास मेहरोत्रा जी भी उपस्थित हैं, तो जितने सदस्यों ने इस विषय को उठाया था सभी लोग उपस्थित हैं सरकार का जवाब देने के लिए, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, तो सब लोग यहां पर उपस्थित हैं। इसलिए अगर आप इसे विद्ड्रा करना चाहें कि आगे इस विषय को नहीं उठायेंगे तो मैं इसको ड्राप कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको आगे विषय उठाना है, तो मैं इसको ड्राप नहीं कर सकता हूँ, आपको अभी बोलना पड़ेगा, नहीं भी बोलना चाहते हैं, तो आपको अधिकार है आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं पहले श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी को बुलाता हूँ अगर वह अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कहें नहीं तो फिर मैं दूसरे मा0 सदस्य को बुलाऊंगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी एक मिनट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मौका दे दिया ठीक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब चर्चा होती है, तो सामान्यतः नियम-56 लिया ही नहीं जाता है, यह तो आपकी सदासयता है कि आपने उसको ले लिया और जिस समय यह विषय आया था, तो मैंने अपनी तरफ से पूछा था कि वर्मा जी तो बाद में देख रहे थे, मेरे कहने के बाद आप खड़े हुए थे, लेकिन कहा कुछ भी नहीं था, चाहें तो आप देख लीजिए। लेकिन जैसे ही मैं खुद खड़ा हुआ तब तक हमारे तिवारी जी, जिनको प्रस्ताव रखना था वह शुरू हो चुके थे। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सूची से बाहर है, अब सवाल यह है कि आपका यह कहना कि सदस्य नहीं हैं, तो हम तो खासतौर से, यहां पर तीन बजे से हमारे पुलिस विभाग के दोनों अधिकारी मौजूद हैं और मैं स्वयं भी इसी वजह से बैठा हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी आपने एक विषय और उठाया है कि मैं चला गया, मेरे जाने के बाद भी यहां पर विषय उठ सकता है, अधिष्ठाता यहां पर बैठते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह बड़ी ही हृदय विदारक घटना है, और सरकार की कानून व्यवस्था जिसका यह रोज बड़ा गुणगान करते हैं, उस पर एक कलंक है। यहां पुलिस की उपस्थिति में, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक झोपड़ी में महिला और उसकी बेटी जलकर मर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाती है और महज इसलिए कि जिस झोपड़ी को वह हटाना चाहते थे उसमें वह छिप गयी अब पता नहीं कहां से आग लगी उनको यह चाहते तो निकाल भी सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कोई कोशिश ही नहीं की, मान लीजिए कि उस झोपड़ी को यदि हटाना था तो इसके लिए बड़े प्रोसीजर हैं, आप उसके लिए रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत 115-सी एक्ट से उसको बेदखल कर सकते थे। आप सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अन्तर्गत नोटिस देकर उसको हटाने की कार्यवाही कोर्ट द्वारा कर सकते थे। आज यहां कोर्ट का कोई नाम नहीं है। जिधर देखो बुल्डोजर लेकर आपका एस0डी0एम0 और सी0ओ0 दौड़ता रहता है। जरा सा कोई फर्क पड़ता है, तो फट से बुल्डोजर लगा देते हैं। मान्यवर, कितनी गम्भीर घटना हुई है। यही नहीं हर जगह ऐसा ही हो रहा है। घर जलाना सबसे बड़ी बात है, झोपड़ी हटाना नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि इन दो व्यक्तियों की जान को समाप्त कर देना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? ऐसा क्यों हुआ ? वहां एस0डी0एम0 थे, सी0ओ0 रहे होंगे, तहसीलदार रहे होंगे और बुल्डोजर वाला भी रहा होगा। अगर चाहते तो झोपड़ी को हटाने के बजाये उन दोनों को बचा लेता, लेकिन यह कार्यवाही आपकी तरफ से नहीं हुई। जान-बूझ कर प्रताड़ित करने की योजना शासन की तरफ से बनी है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस गैंगेस्टर एक्ट के तहत् आप कार्यवाही करने जा रहे हैं वह गैंगेस्टर एक्ट यहीं पेश हुआ था। मैं उस समय यहीं बैठा था। हमने बड़ा विरोध किया था। गैंगेस्टर के माध्यम से जिस तरह से दर्दनाक घटनायें की जा रही हैं। माफियाओं के साथ करें हमें कोई ऐतराज नहीं है। जो गलत घर बनाये हैं उनके साथ करें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये गांव वाले लोग जो छोटे-छोटे लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है और उनके झगड़े में 323-24 की मार हो जाती है। उसमें भी गैंगेस्टर लगा दिया गया है। जब पूछा कि क्यों लगाया तो कहा गया कि ये जेल में रहेगा तो जमानत नहीं होगी। यह क्या हो रहा है ? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गम्भीर घटना को आप गम्भीरता से लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए जिनकी उपस्थिति में यह घटना हुई है। मान्यवर, वैसे ब्राह्मण दीन हो गया है अब आप इससे दीन न बनायें। उसे बचाने की कोशिश करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय वरिष्ठ सदस्य माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जिस विषय को उठाया मैं उससे सम्बद्ध करते हुए यही कहना चाहती हूं कि इससे वीभत्स और शर्मनाक घटना प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। जहां पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है, राम-राज्य की बात करने वाली सरकार है। क्या यही राम-राज्य है, जहां पर बेटियां जिन्दा जलाई जाती हों। चूंकि काफी विस्तार से आदरणीय माता प्रसाद जी ने इस बात को कहा है। मैं इसमें दो विषय और जोड़ना चाहती हूँ। एक सबसे जरूरी चीज जब बुल्डोजर वहां पहुंचा और मां-बेटी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस झोपड़ी में रजिस्ट करने के लिए गये, क्योंकि उनको यह उम्मीद थी कि अगर वह झोपड़ी के अन्दर अपने घर में रहेंगे तो शायद प्रशासन थोड़ा सा पसीज जाये और उनकी झोपड़ी न गिराई जाये। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे अन्दर भी बैठे रहेंगे तो भी झोपड़ी गिरा दी जायेगी। जो कि हुआ। जैसा कि एस0आई0टी0 का पहला वीडियो आया है, उसमें यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि झोपड़ी में आग लग चुकी है, फिर भी बुल्डोजर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यह वीडियो सार्वजनिक है, सबने देखा है और एस0आई0टी0 इस पर जांच भी कर रही है।

जब आग लग गयी थी तो क्या इतनी संवेदनहीनता थी कि उसके बाद भी जे0सी0बी0 उस झोपड़ी को गिराने के लिए इतना उत्सुक थी, दूसरी बात मैं इसकी ओर भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जब मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंचे और पुलिस फोर्स पहुंची तो जो उस घर के मुखिया थे, जिनका नाम कृष्ण गोपाल है, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हमें कुछ समय दे दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम इस पर से नहीं हटेंगे, उन्होंने समय मांगा था। उन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम किया था कि वह भाग जाते, उसके बाद भी उनको प्रशासन ने समय नहीं दिया और उन्ही की आंखों के सामने उनकी पत्नी और बेटी जिंदा जल गयीं, मैं तो साफ-साफ यह कहूंगी उन्होंने आत्मदाह किया या सरकार और प्रशासन ने उकसाया उनको आत्महत्या करने के लिए, यही बड़ा सवाल है, दूसरी बात प्रशासन की संवेदनहीनता देखिए कि इतना होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी मुरव्वत नहीं की गयी यहां तक कि उनका एक बेटा था उसके ऊपर भी सरकार का एक वीडियो है, उसमें कहा गया है, कि उनको गिरफ्तार करो जो बेटा अपनी मां और बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। यही तो अराजकता है, इसके बाद भी जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने ये आर्डर दिये थे। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गयी। जो मौके पर मौजूद थे उन पर तो कार्रवाई की, लेकिन जिनकी जबावदेही बनती है। आज तक सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार क्यों मौन है। मैं आपसे यही मांग करना चाहती हूं कि इस पूरी घटना की सत्यता की जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच व जूडिशिल इन्क्वायरी होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन अधिकारिओं के खिलाफ जिनकी मौजदूगी में एक बेटी और उसकी मां जिंदा जल गयीं। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार सदन में जो जबाव देगी वह तो संवेदनशील होगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है अभी जो मा0 सदस्यों ने बात कही है मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूँ। जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है वहां पर जो लोग मौजूद थे। इस सदन से ऐसी व्यवस्था भी दी गयी है, जब हम लोग 17वीं विधान सभा में थे तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि कहीं अगर कोई गरीब ग्राम समाज की जमीन में या

बंजर सी भूमि में 25-30 वर्ष से अपना घर बनाकर रह रहा है तो उसे हटाया नहीं जायेगा अगर वह जमीन हमारे यूज में आने वाली हो तो तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक हम उसको दूसरी जगह विस्थापित न करें। यह बहुत ही गम्भीर विषय है उस घटना के समय हमारे एस0डी0एम0 व पुलिस के अधिकारी पूरी प्रापर प्लानिंग के साथ गये होंगे और इनको देख करके वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि मां-बेटी ने पहले तो बहुत विरोध किया। उनके दिल में कहीं न कहीं यह था कि अगर हम इस झोपड़ी के अन्दर जायेंगे तो यह हमारी झोपड़ी को नहीं गिरायेंगे, लेकिन अध्यक्ष जी आग लगती है, लेकिन कहीं सरकार की तरफ से यह जबाव आये कि उन्होंने आग लगा ली या आत्महत्या की, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आग लगा भी लेगा और वह जलता है फिर वो बचने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसी स्थिति आयी कि आग कहां से लगी आग का उनको अन्दाजा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उस सम्वेदना को देखिए कि यह लोग कितने निर्दयी स्वभाव के थे कि आग लगी होने के बावजूद भी बचाने के प्रयास करने की बजाय झोपड़ी के ऊपर जो छत थी उसको जे0सी0बी0 से हटा रहे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानकारी निकली है कि माँ और बेटी आग से तो जली ही थीं, इसके साथ-साथ उन लोगों के ऊपर छत भी बुरी तरह से गिरी है जिससे उनकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में सुसाइड कर ले या गोली मार ले तो सरकार कहती है कि हमको इसकी पहले से जानकारी नहीं हो सकती थी, लेकिन जहां पर पूरा प्रशासन मौजूद हो वहां पर अगर इस तरह की घटना हो जाये तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में इस प्रकार की कठोर सजा देनी चाहिये, ताकि उत्तर प्रदेश में दोबारा कभी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया एक मिनट मुझे भी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप कोई ऐसे नये तथ्य बताना चाहते हैं, जो श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने न बताये हों तो बता दीजिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक और क्रूरता की सारी सीमायें लांघने वाली गम्भीर घटना है, जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। जिस तरीके से वहां पर जुल्म और अत्याचार हुआ है। यह केवल कानपुर देहात में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत जो नोटिस दी गई है, आप उसके बारे में बताइये और जो बात माननीय सदस्य कह चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति मत करिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, माँ और बेटी का नाम नहीं आया है, उनका नाम श्रीमती प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित है। मान्यवर, माँ और बेटी को जिन्दा जला दिया गया है। जब वह जल रही थीं तो अधिकारी बाहर खड़े थे और वहां एक दर्दनाक दृश्य चल रहा था, लेकिन किसी ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं की और कोई प्रयास नहीं किया। वह सारे अधिकारी माँ और बेटी को जिन्दा जलता छोड़कर भाग खड़े हुये। मान्यवर, सरकार पर यह ऐसा कलंक है जो कभी मिटने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश में इस तरीके से घटनायें हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सरकारी अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाया जाये, क्योंकि उन लोगों ने झोपड़ी में आग लगाई और बुल्डोजर से छत को गिरा दिया। माँ और बेटी जलती रहीं और उनके ऊपर पूरी छत गिर गई है। जो सरकारी लोग वहां पर मौजूद थे वह माँ और बेटी की हत्या के जिम्मेदार हैं, इसलिए उनके खिलाफ हत्या करने का मुकदमा कायम कर गिरफ्तार हों और फिर उसकी जांच हो। उनको ऐसा दण्ड दिया जाये कि भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहसिक और क्रूरता करने का दुस्साहस न करने पायें।

***संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जब हमारे गोरखपुर के सदस्य बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि भाई सच बोला करो जिससे सच्चाई जरूर सामने आया करे। मैं उनकी बात को सुन रहा था। यह बिल्कुल सही है कि यह बहुत ज्यादा दुःखद घटना है। श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत अनुभवी हैं और बहुत दिनों से हम लोग साथ भी हैं। इस प्रकरण पर चार लोग बोले, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई या पृष्ठभूमि बता देता तो अच्छा होता। मान्यवर, ग्राम मड़ौली, तहसील मैथा, जनपद कानपुर देहात का गाटा संख्या-1642, रकबा 0.657 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखो में ऊसर दर्ज है, जो ग्राम सभा की सम्पत्ति है, जिस पर श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित, जिनकी पत्नी और बेटी इस घटना में जली हैं व उनके परिवार के लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके बिना अनुमति शिवलिंग भी स्थापित कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में ग्रामवासी गौरव दीक्षित, आर्मी सर्विस मैन जम्मू के परिजन गेंदन लाल दीक्षित, उमाशंकर व विशाल दीक्षित द्वारा एक लिखित शिकायत दिनांक 31-12-2022 को जिलाधिकारी, कानपुर देहात को दी गई, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 30-12-2022 व 06-01-2023 को अतिक्रमणकर्ता को अवैध कब्जा हटाने हेतु नोटिस प्रदान की गई। मान्यवर, यह एक सर्विस मैन था जिसकी पोस्टिंग इण्डियन आर्मी जम्मू में है। उनके परिवार के लोगों ने यह शिकायत की कि इस प्रकार से इन लोगों का नाजायज कब्जा है। इनके पास अपना पक्का मकान भी है और इनके पति श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित के पास अपनी करीब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3.5 बीघा कृषि भूमि भी है। इनके पास एक बाईक तथा पर्याप्त संख्या में गौवंशीय दुधारू पशु आदि भी हैं। इनके पुत्र श्री आशु दीक्षित की मोबाइल की दुकान भी है।

मान्यवर, 30-12-2022 को जिलाधिकारी, कानपुर को एक दर्खास्त दी जाती है उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि इन लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके उस पर एक शिवलिंग स्थापित कर दिया है। 06-01-2023 को अतिक्रमणकर्ता को अवैध कब्जा हटाने हेतु नोटिस प्रदान की गयी। तहसीलदार मैथा के अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश के अनुपालन में 14-01-2023 को राजस्व टीम द्वारा आंशिक कब्जा हटा दिया गया। राजस्व टीम के साथ गाली-गलौज कर धमकी देने व हमलावर होने के सम्बन्ध में लेखपाल श्री अशोक कुमार द्वारा 15-01-2023 को श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित आदि पांच लोगों के विरुद्ध थाना रूरा पर मुकदमा अपराध संख्या-14/23, 447, 253, 504, 506 का अभियोग पंजीकृत कराया गया। दिनांक 14-01-2023 को सायंकाल करीब सात बजे श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित अपने परिवार एवं गायों, बकरियों को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के कक्ष के सामने धरना-प्रदर्शन किया। इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या-24/23, धारा-147, 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 13-01-23 व 27-01-2023 को विशाल दीक्षित, निवासी ग्राम मण्डौली द्वारा पुनः अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया गया। जिन लोगों ने पहले अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, इनकी विरोधी पार्टी विशाल दीक्षित वगैरह उन लोगों ने फिर से कहा कि यह कब्जा नाजायज है, इसको हटा दिया जाये। इस घटना की पृष्ठभूमि मान्यवर, यही है। उसके बाद जो घटना हुयी। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सी बातें इसमें समाचार-पत्र में छपीं।

मान्यवर, जो घटना हुयी वह बहुत ही दुःखद है। मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ। कहा यह जाता है कि जब राजस्व टीम कब्जा हटाने गयी तो अतिक्रमण हटाने के दौरान श्री कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी श्रीमती बिमला दीक्षित और उसकी पुत्री नेहा दीक्षित अपने को जलाने की धमकी देते हुये छप्पर के अन्दर गयीं। तभी छप्पर में आग दिखने लगी। यह पहले से कहकर गयीं तभी छप्पर में आग लगी। अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया और उसके बाद कहा जाता है कि वहाँ पर जे0सी0बी0 बुलायी गयी, ताकि वह छप्पर जल्दी से जल्दी हटा दिया जाये, ताकि वह बच जायें। लेकिन वह छप्पर गिर गया। अब सवाल यह है कि सरकार को अब क्या करना है। सरकार जितनी भी सदाशयता दिखा सकती थी, जो रिपोर्ट दिखाने की बात आदरणीय मेहरोत्रा जी कह रहे थे, आलरेडी धारा-302 के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखायी गयी। यह क्राइम नम्बर-38/23, धारा-302, 307, 436, 429, 323 दफा 34 आई0पी0सी0 थाना रूरा में कानपुर देहात में उसी दिन मुकदमा दर्ज कराया गया और जिसमें नामजद अभियुक्त हैं। मैं आपकी अनुज्ञा से उनके नाम भी पढ़ देता हूँ। श्री अशोक दीक्षित पुत्र सिपाही लाल, श्री अनिल दीक्षित पुत्र सिपाही लाल, श्री निर्मल दीक्षित पुत्र सनेश प्रसाद, विशाल दीक्षित पुत्र गेंदल लाल

दीक्षित, निवासीगण मण्डौली, जे0सी0बी0 ड्राइवर, 10 से 12 सहयोगी नाम-पता अज्ञात, ग्राम रूरा, कानपुर देहात, एस0डी0एम0 मैथा, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, शिवली कानपुर देहात, कानूनगो नाम अज्ञात, रूरा कानपुर देहात, लेखपाल मण्डौली, श्री अशोक सिंह, रूरा, कानपुर देहात, अन्य तीन लेखपाल, नाम-पता अज्ञात, रूरा, कानपुर देहात, एस0ओ0 रूरा, श्री दिनेश कुमार गौतम, थाना-रूरा, कानपुर देहात, महिला व पुरुष पुलिस 12 से 15 अज्ञात।

मान्यवर, इसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। श्री अशोक चौहान पुत्र ब्रजलाल सिंह, निवासी ब्लाक पनकी थाना पनकी, कानपुर नगर एवं श्री शिवबीर संखवार उर्फ सुरजीत संखवार पुत्र स्व0 राकेश कुमार संखवार, निवासी ग्राम नटपुरवा, थाना रूरा, जनपद कानपुर को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एस0डी0एम0 एवं लेखपाल सस्पेंड हो गये हैं। श्री दिनेश कुमार गौतम, थानाध्यक्ष के बारे में कहा जाता है और रिपोर्ट में भी है कि छप्पर से महिलाओं को निकालने के प्रयास में श्री दिनेश कुमार गौतम, थानाध्यक्ष, रूरा भी झुलस गये। इस सम्बन्ध में इनको भी सस्पेंड किया गया है। मेरे पास दिनांक 15-02-2023 का नोटीफिकेशन है अगर आप कहेंगे तो आपके पास भी भेज दूंगा। दिनांक 15-02-2023 को श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक, हरदोई की अध्यक्षता में एस0आई0टी0 गठित की गयी है जिसमें श्री विकास कुमार जायसवाल पुलिस उपाधीक्षक, हरदोई, विवेचक श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिटी, हरदोई, श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, निरीक्षक, क्राइम ब्रान्च, श्री राम सुखारी, एस0ओ0, महिला थाना। यह पुलिस महानिदेशक के द्वारा पांच सदस्यीय एस0आई0टी0 गठित हुई है। जनपद कानपुर की पुलिस से जांच इसलिए नहीं कराई गयी, क्योंकि उनके ऊपर तरह-तरह के आरोप लगते। पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में जांच चल रही है और यह घटना आपके सामने है। वादी मुकदमा श्री शिवम दीक्षित व उसके भाई यश दीक्षित को जिलाधिकारी, कानपुर की तरफ से पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गयी है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर फोर्स भी लगा दी गयी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका भी न रहे। सरकार ने अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास किया है और इसमें किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की गयी है। जैसाकि मैंने कहा है कि एस0डी0एम0 को सस्पेंड कर दिया गया है और जिस भी परिस्थिति में घटना हुई है वह आपके सामने है। लेकिन जो घटना की पृष्ठभूमि है कि अतिक्रमणकर्ता को पहले नोटिस दिया और नोटिस के ऊपर पहले आंशिक रूप से खाली कराया गया और उसके बाद जब वह नहीं माने तो उनकी उद्दण्डता के कारण उनके ऊपर भी दो मुकदमे लिखे गये और उसके बाद जो घटना घटी है वह आपके सामने है। लेकिन सरकार का किसी प्रकार से किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं है और हर तरह से जो दोषी पाया जायेगा उसको सजा जरूर मिलेगी। यह हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही दुःखद घटना है, लेकिन जो वस्तुस्थिति है वह भी आपके सामने आनी चाहिए और हमने परिस्थिति से आपको अवगत

कराया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह नियम-56 में नहीं आता है। इसलिए इसको अग्राह्य किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा0 आराधना मिश्रा एवं मा0 मंत्री जी को सुना और यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए इसको अग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री पंकज मलिक, श्री अतुल प्रधान की है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने पूरी बात बता दी है और पूरी बात आ भी गयी है कि छप्पर में आग लगी थी और उसको हटाने के लिए ताकि आग और न फैल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से आग और बढ़ गयी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। वह बहुत दुःखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा गया है। मा0 माता प्रसाद जी आप बोल लीजिए।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, आज-कल गांवों में हम लोगों के सामने बड़ी समस्या आती है। पार्टी बन्दी में जो नये प्रधान एवं पुराने प्रधान हैं, जो कहीं भी थोड़ा-सा पा जाते हैं तो फौरन तहसीलदार के यहां पर दरखास्त देते हैं और कानूनगो पहुंचकर नाप देता है। इसके बाद खुद बुल्डोजर लेकर उसको गिरवा देते है। इसकी रेवन्यू एक्ट में एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया यह है कि आप 115 (सी) की रिपोर्ट कीजिए, तहसीलदार मुकदमा चलाए, उस पर जुर्माना कराये, उसके बाद उसको हटाने की कार्यवाही करे। इस पर यह तो नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट से हटाया जाए। लेकिन जब यह प्रोसीजर है। तो इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, जैसे कोई दरखास्त देता है, फौरन पहुंच जाते हैं, फौरन गिराओ, फौरन हटाओ। लोग अभी सचेत भी नहीं हो पाते हैं और आप जानते हैं कि जमींदारी रेज्युलेशन के तहत् तमाम जमीन ऐसी थी, मान्यवर, गांव की आबादी बढ़ी, लोग ऐसी जगह जैसे खलिहान पर, जहां जाकर लोगों ने अपना घर बना लिया। अब जब इस एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत् 132 के लैण्ड के अन्तर्गत उनको हटा रहे हैं तो उनको कहीं जगह दीजिए। वे लोग पचासों साल से बसे हैं, आप उनको हटाने की कोशिश करते हैं, इस पर थोड़ा विचार करिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है उसके पास अपना मकान है, उसके साथ-साथ 3.5 बीघा कृषि भूमि भी उसके पास है और दुधारू पशु का काम भी वह करता है। मान्यवर, वह भूमिहीन नहीं है, बाकायदा अपना मकान उसके पास है, रोजगार करता है। यह फैक्ट है, दो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कहा है और हमने भी

उसको देखा है। यहां की स्थिति में थोड़ा सा फर्क है। एक तो यह होता कि पूरी तरीके से उसी के ऊपर निर्भर होता तो स्थिति बिल्कुल दूसरी होती, लेकिन जिसके पास अपना मकान है वह खाली जमीन कब्जा करने के लिए उसमें एक धार्मिक आस्था का सहारा लेने के लिए एक शिवलिंग वहां ले जाकर रख दिया। उन्हीं के लोगों ने दीक्षित परिवार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अप्लीकेशन दी। आप यह देखें कि केस की परिस्थिति क्या है।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना, प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री पंकज मलिक, श्री अतुल प्रधान।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

वैसे यह विषय सुबह आ चुका है, दोबारा आने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, एक नई बात बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नियमावली के अन्तर्गत है कि यदि कोई एक बात अगर आ चुकी है तो दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, गन्ना किसान के बारे में नई बात बताऊंगा, गन्ना किसान की बहुत सारी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

सुबह भी आपने नई बात बतायी थी।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अबकी बार उससे भी नई बात बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, ठीक है, विषय पर आइए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, गन्ने का जो भुगतान है वह लागत के आधार पर बढ़ा हुआ होना चाहिए। लागत ज्यादा है, गन्ना मूल्य कम है, भुगतान तो हो ही नहीं रहा है। हमारे पड़ोस का राज्य हरियाणा है, हरियाणा में 372 रुपये प्रति कुन्टल के हिसाब से गन्ना का भाव है। वहीं पंजाब में

लगभग 380 रुपये का भाव है। मान्यवर, बड़ी बात यह है कि वहां की रिकवरी डेढ़ प्रतिशत हमसे कम है। सत्तादल के लोगों ने बार-बार कहा है कि आमदनी दोगुनी करने का काम कर रहे हैं, आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि कौन सा आंकड़ा आपके पास है जिससे गन्ने की आय बढ़ी हो। दूसरा, मान्यवर, एक-दो ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें सरकार का विशेष आशीर्वाद है। अगर सरकार किसान के प्रति चितिंत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर होती है तो उनके कर्मचारियों के खिलाफ होती है। चाहे वह बजाज ग्रुप का मामला हो .....

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलिए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, उसी से सम्बन्धित है, मैं गन्ना भुगतान की ही बात कर रहा हूँ। आप खुद देखिए, शामली जिले का इस वर्ष का लगभग-लगभग 600 करोड़ रुपये बकाया है। उसी ग्रुप का मिल बुढ़ाना में है, बुढ़ाना में अभी भुगतान हुआ और वह तभी हुआ जब किसान यूनियन के नेताओं ने आत्मदाह की घोषणा की, धरना हुआ, तब जाकर भुगतान हुआ। मान्यवर, हमको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे मोदीनगर चीनी मिल हो, मनकपुर मिल का मामला हो, थाना भवन का हो, पूरे प्रदेश में किसान आज दुःखी है, मरने के कगार पर है। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को अगर किसान के प्रति जरा भी चिंतन है तो आज निर्णय लेना चाहिए। पहले जिस तरह से पहले समिति से किसान खाद लेता था आज वह भी मिल देने लगी। पहले समिति से किसान को फायदा हो जाता है। फायदा यह था कि उसे एक साल का कर्ज मिल जाता था, आज वह भी मिल को दे दिया। अजीब बात यह है कि किसान का संरक्षण सरकार को करना चाहिए पहले समितियां करती थीं। अब जो थोड़ा बहुत पैसा उन्हें मिलता है, उनका भुगतान होता है उसमें खाद का भाव कट करके जाता है। दूसरे साथी भी अपनी बात कहना चाहते हैं, वे बोल लें अब।

***श्री अतुल प्रधान-**

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने शामली पर प्रकाश डाला, बागपत की चीनी मिलों की बात की, लेकिन इसके इतर भी माननीय मंत्री जी जानते होंगे, मेरठ में एक कलोनी शुगर मिल है, लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया उस पर बकाया है। उसके आस-पास की आबादी आप देखेंगे, कोई शहरीकरण नहीं है, सारा क्षेत्र मेरठ से दूर है। वहाँ पर कितनी बार धरने-प्रदर्शन हो चुके हैं और लगातार लोग परेशान होकर वापस चले जाते हैं। मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल माननीय मंत्री जी गए होंगे, 57 करोड़ रुपया मोहिउद्दीनपुर चीनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिल पर बकाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप सरकारी चीनी मिलों की जांच करा लीजिए, चाहे वह मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल हो, चाहे सकोती हो, चाहे रमाला हो, चाहे उसके आसपास की कोई सरकारी मिल हो, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, रिकबरी बराबर है. चीनी भी समय से 85 फीसदी बिक रही है, उसके बाद भी वह सारी की सारी मिलें घाटे में हैं और मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में तो इतनी बड़ी घटना घट गयी, आप तक भी सूचना माननीय अध्यक्ष जी आ गयी होगी। उसके अन्दर एक इंजीनियर जल कर मर गया। लगातार शिकायतें करते रहे कि मिल की स्थिति सुधार लो, मिल की स्थिति सुधार लो, लेकिन नहीं सुधारी गयी और एक इंजीनियर बेचारा मौत के आगोश में चला गया। लोग पहले से शिकायत कर रहे थे कि मिल में दिक्कत हो रही हैं, लेकिन उस मिल को सुचारु रूप से नहीं चलाया गया। हापुड़ में सिम्भावली शुगर फैक्ट्री है, वह लगातार कई सालों से बीमारू हालत में है और ऐसी बीमारू हालत में है कि उसने वहाँ के किसानों को बीमार कर दिया है। वहाँ के किसान बुरी हालत में हैं। वह फीस देते हैं, गन्ने के पेमेण्ट से, घर में दो ईंट लगायेंगे तो गन्ने के पेमेण्ट से, किसी बेटी के हाथ पीले करेंगे तो गन्ने के पेमेण्ट से और तमाम चीजें बोली जाती हैं कि इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, ऐसा भुगतान कर दिया, माननीय मंत्री जी, आप जाँच करा लें, जितना सामान चीनी मिलों ने दिया है, सब नकली सामान दिया है। उसकी शिकायतें लगातार हम लोग यहाँ देते रहे। यहाँ लखनऊ में कोई शिकायत देने चला जाए, एक अधिकारी बैठते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, वह गन्ना विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। हमारे मंत्री जी बहुत सीनियर हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपना शिकायती लेटर लेकर क्षेत्र की किसी समस्या को लेकर वहाँ चला जाए तो कहेगा कि मैं तो मंत्री की नहीं मानता, तुम्हारी क्या मानूँगा ? यह शब्द हैं उसके। मान्यवर, आप किसी से पता करवा लें, 06 साल से वही व्यक्ति जमा बैठा है। पहले भी गन्ना मंत्री थे, वह भी कहते-कहते चले गए। मान्यवर, अब सीनियर आदमी है। अगर वह अधिकारी किसी नेता नाम को सुन ले, उसको इतनी नफरत है कि अगर उसका बस चले तो उसे दरवाजे से बाहर निकाल दे, धक्का दे दे उसको। खुद मंत्री जी इस बात का संज्ञान रखते होंगे। अध्यक्ष जी, मैं मेरठ की जिस कलोनी मिल का, मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल का, इसके बाद मेरे क्षेत्र की सुगोती शुगर मिल है, उसकी बहुत छोटी क्षमता है, वह बहुत छोटी मिल है, उसके पेमेण्ट भी बकाया है।

मान्यवर, वहाँ के कर्मचारियों की भी बहुत बुरी स्थिति है। आपने 14 दिन का वादा दे रखा है। हाई कोर्ट के आदेश भी 14 दिन के हैं। आज एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक हजार करोड़ बकाया है। आप अकेले मेरठ का ही पूरा संज्ञान ले लें, 500-700 करोड़ रुपया तो हमारे मेरठ की ही दोनों, तीनों चीनी मिलों का होगा। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का आश्वासन चाहता हूँ कि चाहे मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल हो, चाहे सुगोती शुगर फैक्ट्री हो, इनका विस्तारीकरण हो जाए, ताकि इसके आस-पास के गन्ने

के जो क्षेत्र प्रभावित हैं, किसान दिक्कत, परेशानी में रहते हैं। यह छोटी मिलें है, वहाँ किसान रात भर गन्ना डालने के लिए खड़ा रहता है। पता चलता है कि मिल खराब हो गयी और उन्हें वापस जाना पड़ता है। इसके बारे में भी माननीय मंत्री जी संज्ञान ले लें। माननीय मंत्री जी, आप किनौनी मिल को तो जरूर देखें और मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में जो भ्रष्टाचार है, उसका भी संज्ञान लें।

गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मा0 अध्यक्ष जी, विस्तृत रूप से मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत के इस पूरे इलाके में 98 फीसदी जमीन में गन्ना पैदा होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यहाँ का किसान पूरी तरह से गन्ने पर निर्भर करता है। जहाँ तक माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है, मैं इसके मूल्य के बारे में कहना चाहता हूँ। मान्यवर, हरियाणा में मात्र तीन शुगर मिलें हैं, जिनकी कुल क्षमता 21000 टी0सी0बी0 की है। पंजाब में मात्र पाँच शुगर मिलें हैं, जिनकी क्षमता 4900 टी0सी0बी0 की है और इतनी क्षमता अकेले मेरे मेरठ जिले की फैक्ट्रियों की है, यह क्षमता मात्र एक जिले की है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है तो वहाँ गन्ना मूल्य 362 रुपये है, 375 रुपये नहीं है। पंजाब में गन्ना मूल्य 380 रुपये है। लेकिन जब पंजाब में वर्तमान सरकार ने गन्ना मूल्य 380 रुपये किया तो वहाँ के दो प्राइवेट फैक्ट्री ओनर्स ने यह लिख कर दे दिया कि हम फैक्ट्री बन्द कर देंगे, लेकिन 380 रुपये नहीं दे पाएँगे। वहाँ दो फैक्ट्री प्राइवेट हैं, तीन सरकारी हैं और वहाँ सरकार सब्सिडाइज कर रही है। इन दो राज्यों के अलावा पूरे देश में गन्ने का सबसे ज्यादा मूल्य हमारे प्रदेश में है। मान्यवर, हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया है, पहले की सरकारों के मामले में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्ष 2003 से लेकर 2015 तक 12 साल में 1,98,265 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ और हमने छः साल में 1,86,720 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, तो छः और 12 साल की बराबरी नहीं है जहाँ तक भुगतान की बात है। आदरणीय मलिक साहब ने यह बात कही थी कि हमारी 117 मिलें चल रही हैं तो उसमें से 110 मिलें ऐसी है जिन्होंने पिछली बार 100 परसेण्ट पेमेण्ट किया है और सात मिलें ऐसी हैं जिन्होंने 80 परसेण्ट से ऊपर पेमेण्ट कर दिया है। किनौनी चीन मिल ने पिछली बार का 100 परसेण्ट पेमेण्ट किया है। अबकी बार पेमेण्ट अभी नहीं हुआ है, यह 14 दिन वाला समय चल रहा है और सीजन भी चल रहा है। यह इस वक्त पेमेण्ट की स्थिति है।

अब तक जो हमने गन्ने की पेराई की है, मैंने दोपहर में भी बताया था कि 20630 करोड़ रुपये का गन्ना अब तक हमने खरीदा है जिसमें से हमने 14742 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। हमने वर्तमान सीजन का लगभग 72-73 फीसदी भुगतान कर दिया है। मैं इसमें एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें तुमसे ज्यादा मैं खुद भी नहीं जान सकता। लेकिन यदि आप पहले की उत्पादकता देखेंगे तो हमारी सरकार ने इन पिछले छः सालों में नये बीज ईजाद करके गन्ने की पैदावार बढ़ाई है। हमने नये बीज ईजाद

किए हैं जिससे हमारी गन्ने की पैदावार बढ़ी है। पहले हमारी जो उत्पादकता थी, वह 72.38 टन प्रति हेक्टेयर थी और आज जो हमारी उत्पादकता है, वह 82.98 टन प्रति हेक्टेयर है। इस प्रकार हमारी लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार बढ़ी हैं। और इसलिए लगातार इन 6 सालों में रकबा बढ़ा है इससे पहले 2016 तक कभी भी 20 लाख हेक्टेयर से ऊपर गन्ने की बुवाई नहीं हुई। अब लगातार बढ़ती जा रही है और अब 28 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा गन्ने की बुवाई हुई और बढ़ती जा रही इससे यह तो निश्चित है कि किसान का लगाव गन्ने की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको यह उदाहरण दे सकता हूँ कि वर्ष 2003 से लेकर 2008 तक कई शुगर मिल के बिकने का केवल यह कारण रहा कि उन 4-5 सालों में पेमेण्ट नहीं हुआ था। चाहे वह अलीगढ़ की साठा मिल रही हो, चाहे छाता की मिल रही हो, चाहे जौनपुर की मिल रही हो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये मिल केवल इसलिए बन्द हुयीं, क्योंकि किसानों ने गन्ना बोना ही बन्द कर दिया था, क्योंकि किसानों को पेमेण्ट ही नहीं हुये। अब जो पेमेण्ट की स्थिति है वह हमने सुधारी है और आज की जो स्थिति हमारे आदरणीय पंकज मलिक जी ने जो कहा है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। मलकपुर की स्थिति खराब है उसमें हमने आर0सी0 जारी कर दी है, गोला में हमने आर0सी0 जारी की है, सिम्भावली में हमने उनको नोटिस दे दिया है। नोटिस देने के 15 दिन बाद आर0सी0 जारी होती है और नोटिस हमने दे दी है। गड़ौरा में हमने आर0सी0 जारी की है। इसमें जो तीन-चार मिलें हैं, जहाँ तक आप एक पर्टीकुलर नाम ले रहे थे बजाज ग्रुप का। बजाज ग्रुप अकेले उत्तर प्रदेश का लगभग-लगभग 16-17 फीसदी गन्ना खरीदता है। 17 फीसदी गन्ना खरीदने के बाद आज मात्र उस पर 298 करोड़ रुपया बाकी रहा है। (मा0 सदस्य श्री पंकज मलिक के बीच में टोका-टाकी करने पर) एक मिनट सुन तो लीजिए।

(सदस्य श्री पंकज कुमार मलिक के बीच में टोकने पर श्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने उन्हें बैठने को कहा)

श्री अध्यक्ष-

उनका जवाब आ जाए तब बोलिएगा। आप बैठ जाइये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, सदन आप चला रहे हैं कि कोई भी सदन को चलाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं ही सदन चला रहा हूँ मेरा निवेदन है बैठ जायें। मा0 मंत्री जी आप भी थोड़ा संयम रखिये।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, उनसे भी तो कहिए कि संयम रखें, इतने वरिष्ठ मंत्री को बीच में टोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उनसे भी निवेदन किया है। आप से भी कर रहा हूँ।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि जब इन्होंने कहा तो मैं तो कभी इनके बीच में बोलता नहीं हूँ। मैं यदि जवाब दे रहा हूँ तो उसे सुन लें फिर मुझसे पूछ लें, जो कुछ भी पूछना है। मैं यह अनुरोध कर रहा था कि बजाज ग्रुप में 298 करोड़ रुपये बाकी है वह भी किसी एक मिल पर नहीं है और किसी भी मिल पर 40 करोड़ रुपया बाकी नहीं है। यह किसी एक मिल का बकाया नहीं है। दूसरा यह कि यदि ज्यादा ही पूछना चाहते हो तो यह बजाज ग्रुप वही है जिस पर ऊर्जा मंत्री जी कह रहे थे जिनसे आपने समझौते किये हैं। यह वही है जिनके समझौते से आप लोग चुनाव लड़े हो यह वही बजाज ग्रुप है। इसमें हमारा पाप नहीं है। ये पाप सब तुम्हारे हैं।

(शेम-शेम के शब्द सुनाई दिये)

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है माननीय मंत्री जी हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आते हैं। हम लोग यहाँ जिन लोगों ने जिताकर भेजा है उनकी बात को रखने आते हैं, उनके दर्द को बयां करने आते हैं जिससे सरकार सुने और उसका समाधान करे। आपने पंजाब की बात बता दी, हरियाणा की बात बता दी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद बताइये कि आज लागत कितनी है आज महँगाई बहुत बढ़ी है। लागत के हिसाब से इस पर आपको विचार करना चाहिए था कि किसान के गन्ने का मूल्य बढ़े, लेकिन मूल्य एक रुपया भी नहीं बढ़ पाया है। दूसरा मान्यवर, यदि आपने कोई घोटाला पकड़ा है तो उसकी जाँच करा दीजिएगा। उसमें कोई मना थोड़े ही कर रहा है। हमें तो लगता है कि बजाज का जनपद मुजफ्फरनगर का पिछले वर्ष का भुगतान आज हुआ है। यही दो बातें मुझे कहनी थीं। भुगतान धरने के दबाव में हुआ है। यह बात सबको पता है।

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर हो गया। यदि कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्टीकरण पूछ लूँगा। इन्होंने आरोप भी तो लगाया है कि आपके दोस्त थे, यदि दोस्त थे तो जांच करा लें। अब तो आपके दोस्त होंगे। मान्यवर, मैंने सरकारी मिलों के बारे में पूछा था। मैं मोइद्दीनपुर शुगर मिल के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछ रहा था। वहां पर एक जवान इंजीनियर की जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसकी मौत हुई। उसके लिए जांच कमेटी आज तक नहीं बनी। माननीय मंत्री जी, उसी मिल पर 57 करोड़ रुपये

वहीं के किसानों का बकाया है जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने दोबारा चलवाया और फिर आपने उसका विस्तारीकरण किया, जिसके बावजूद भी आस-पास का गन्ना वह मिल नहीं ले पाती। दूसरा, मैंने अभी सिम्भावली शुगर फैक्ट्री का भी जिक्र किया जो हापुड़ जिले में है। मैंने जिक्र किया अपनी सकोती, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, उनमें से आपने मुझे एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यह जो सरकारी फैक्ट्रियाँ हैं, जब प्राइवेट फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में आप बता रहे हैं कि आपने इतना भुगतान कर दिया है तो यह सरकारी चीनी मिलें हैं जो सीधे आपके हस्तक्षेप में हैं, उनका पेमेण्ट वह क्यों नहीं कर पा रहीं ? वहां पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, वहां घटतौली बहुत बड़ी संख्या में है। यदि आप वहां की स्थिति देखें तो तमाम परेशानियों, दिक्कतों में लोग हैं तो कम से कम आप इनको दिखवा लें। हमारी रिक्वेस्ट माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से यह है कि जो आपके अधिकारीगण हैं, वह और किसी की नहीं तो कम से कम जनप्रतिनिधियों की तो सुन लिया करें। 4 साल से गन्ना विभाग के संरक्षण में जो सड़कें बनती हैं, वहां गड्ढे हुए पड़े हैं। इस बार, पहली बार पैसा आया है। हमसे लेटर ले लिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र में जो गन्ना विभाग की सड़कें हैं, वह आप लिख कर दे दीजिए। जब वह लेटर पहुँचाते हैं, तो कहते हैं कि जाइये, लेटर हो गया। कम से कम जनप्रतिनिधि का इतना तो सम्मान हो जाये। मंत्री जी के विभाग में जो नीचे के कर्मचारी हैं, वह सुन लेते हैं, कह देते हैं, परन्तु किसी की कुछ नहीं चलती। बस वहां एक ही आदमी है, कौन है, फलाना जो लखनऊ में बैठे हैं, कौन ? तो वह केन कमिश्नर। माननीय मंत्री जी, आप तो सीनियर आदमी हैं और कैबिनेट के मंत्री हैं, इतनी तगड़ी सरकार है, जैसा आप बता रहे हैं, इतने एम0ओ0यू0 साइन हो रहे हैं तो एक चीनी मिल के भी कोई एम0ओ0यू0 एक्स्ट्रा साइन करवा लेते तो यह मिल ठीक-ठाक हो जाती।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी मान्यवर। जब मोइद्दीनपुर में यह घटना हुई तो शायद आपको मालूम होगा कि यह घटना होने के तुरंत बाद मैं मात्र 6 घण्टे बाद ही मोइद्दीनपुर फैक्ट्री में पहुँच गया था। वहां तुरन्त मैंने अपने ए0सी0एस0 और अधिकारियों को बुलाकर उस समय गन्ने का बँटवारा कर दिया और फैक्ट्रियों में गन्ना पहुँचवाना शुरू कर दिया। एक भी गन्ना हमने खराब नहीं होने दिया। न एक भी दिन गन्ना रुकने दिया। इसकी रिपेयरिंग करायी। मा0 विधायक जी, इसमें मोइद्दीनपुर की जांच कमेटी भी बना दी गयी है। हमने आर्थिक मदद भी उस परिवार को दी है, उस बच्चे को नौकरी के लिए भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है और हमने उनको लेटर भी भेज दिया है। जिस फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं और मैं रमाला या किनौनी या सकौती की, जो आप सरकारी फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं तो एक भी पैसा सरकारी फैक्ट्री

पर बाकी नहीं रहता है। जब पूरा सीजन होता है तब तो हम वैसे ही दे देते हैं। सरकारी फैक्ट्री पर, तो पैसा रहने का कोई सवाल ही नहीं है। यदि अब धीरे-धीरे पेमेण्ट की बात है तो जैसे मोइद्दीनपुर फैक्ट्री खराब हो गयी थी, परन्तु अब ठीक हो गयी है। उसमें मैं बहुत जल्दी ही पेमेण्ट करा दूँगा। किसी भी निगम की या कारपोरेशन की मिल पर, किसी पर भी कोई पैसा बाकी नहीं रहेगा, मैं उसमें तुरन्त पेमेण्ट करा दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री अतुल प्रधान जी को सुना, श्री पंकज मलिक जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22-02-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 78 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित ग्यारह माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार हुईं :-

पहली सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में टौंस नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मो0 हसन रूमी जी की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में कतिपय वार्ड में पानी व सीवर लाइन पूर्णतया विकसित न होने से हो रही समस्या के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में गंग नदी के जर्जर पुल की मरम्मत के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में आलू के उत्पाद को ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र काल्पी में बेतवा नदी में किसानों के खेतों में अवैध खनन के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकत हुईं।

पहली सूचना श्री सचिन यादव की वर्ष दर वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के घटते हुये पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत जलभराव की समस्या से निदान हेतु शहरी क्षेत्र में नालों के निर्माण कार्य काराए जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में कतिपय सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद हमीरपुर के मुकदमा अपराध सं0-129/2021 में आख्या ई0ओ0डब्लू0 को प्रेषित कर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री उमर अली खान की जनपद महराजगंज के कतिपय मदरसे में निलम्बित कर्मचारियों के भुगतान सहित बहाली के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा की सरकारी प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय में सरकारी किताबों के वितरण के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है :-

श्री जियाऊर्रहमान, श्री अमित सिंह चौहान, श्रीमती मीनाक्षी सिंह, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री विरेन्द्र कुमार यादव, डॉ0 पल्लवी पटेल, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री रमेश जायसवाल, श्री गौरव कुमार, श्री राजीव सिंह 'पारीक्षा', श्रीमती सैय्यदा खातून, श्री संदीप सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री कमाल अख्तर, श्री लालजी वर्मा, श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री जगदीश नारायण, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, डॉ0 रागिनी, श्री शशांक वर्मा, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री पूरन प्रकाश, श्री जाहीद, श्री रवि शर्मा, श्री अभय सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री उमाशंकर सिंह, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री महेन्द्र खड़गवंशी, श्री पल्टूराम, डा0 डी0सी0 वर्मा, श्री राम चन्द्र यादव, श्री विकास गुप्ता, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्रीमती जय देवी, श्री मनोज कुमार पारस, श्री कैलाश, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री देवेन्द्र कुमार निम, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री अभिजीत सिंह सांगा, श्री अनिल प्रधान, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री अजय सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, श्री प्रभाष कुमार, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री अमरेश कुमार, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री रत्नाकर मिश्र, डा0 एम0 पी0 आर्य, श्री रमेश सिंह, श्री बम्बालाल, श्री मनीष रावत, श्री अनिल कुमार, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री बेचई सरोज।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 09 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 22 फरवरी, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-165 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-184-185 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 के 1-बुधवार हेतु निर्धारित श्री पंकज, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-165 का संलग्नक

नगर पालिका परिषद्, मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर में मार्च, 2018 से मार्च, 2022 तक सड़क, नाली निर्माण सम्बन्धी कराये गये कार्यों की सूची-

1-मो0 दर्जियान में राजेन्द्र के मकान से बड़े नाला तक नाली निर्माण कार्य,

2-मो0 गुहाई मलियान में महमूद के मकान से विश्वकर्मा मन्दिर एवं अजय विश्वकर्मा के मकान से मस्जिद तक होते हुए शिवप्रसाद गुप्ता के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य,

3-जौनपुर मुख्य मार्ग पर बच्चा बर्फ की दुकान से राम कुमार पटेल के मकान तक नाला निर्माण कार्य,

4-जौनपुर मुख्य मार्ग पर शारदा माली के मकान से अनन्या ब्यूटी केयर सेन्टर तक नाला निर्माण कार्य,

5-मो0 पकड़ी प्रथम में सुरेन्द्र सरोज के मकान से जे0एन0 ओझा के मकान होते हुए न्यू शक्ति कम्प्यूटर तक एवं प्रजापति के मकान से अनीता सरोज के मकान होते हुए अनिल तिवारी के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य,

6-मोहल्ला नईगंज में उदयराज यादव के मकान से राम बाबू, सीताराम के मकान होते हुए लालजी के मकान तक मुमताज के मकान से नुरुल हसन के मकान तक तथा पप्पू के मकान से सुभाष के मकान तक व दिनेश सोनी के मकान से हजारी लाल सोनी के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य,

7-मो0 कटरा में अबरार हुसैन के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य,

8-जौनपुर मेन रोड पर गुप्ता पेट्रोल टंकी से कब्रिस्तान बाउण्ड्री तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य,

9-मो0 सुतहट्टी में इमामबक्श के घर से जागीर के मकान तक सड़क के दोनों पटरी पर नाला निर्माण कार्य,

10-स्टेशन रोड से गायत्री माता मंदिर रोड तक सड़क एवं नाली निर्माण,

11-मो0 कमालपुर में अशोक शर्मा, अजय कुमार यादव एवं राम लखन यादव की गली में नाली व सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण,

12-मुंगराबादशाहपुर थाना परिसर में सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण,

13-मो0 सिपाह में मो0 निहाल, स्व0 हाजी कलीम के आवास एवं कब्रिस्तान के समीप नाली व सड़क निर्माण,

14-वार्ड नं0 21 मो0 कटरा में लल्लू राम के मकान से सूबेदार फूलचन्द्र तिवारी के मकान तक नाली निर्माण,

15-वार्ड सब्जी मण्डी में संतोष मिश्रा के मकान से श्री दिनेश श्रीवास्तव के मकान तक नाली कवरिंग व सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य,

16-मो0 दर्जियान में विपिन चाय वाले से डा0 बंगाली के मकान, पंचायती मंदिर, रमेश पाण्डेय तथा शंकर लाल मौर्य के मकान एवं कटरा रोड तक सड़क सुधार कार्य,

17-साहबगंज सिनेमा गली में श्रीराम चन्द्र मौर्या के मकान से अशोक चित्र मंदिर तक नाली एवं सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क का पुनर्निर्माण,

18-मो0 गोला मण्डी में राजू उमरवैश्य के मकान से प्रभाकर गुप्त के मकान तक नाली जीर्णोद्धार तथा प्रभाकर गुप्त के मकान से देवेन्द्र जायसवाल के मकान तक नाली एवं सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण,

19-मो0 साहबगंज में मो0 असलम/कल्लू सरदार के मकान से डा0 महबूब के मकान होते हुए जब्बार एवं मुन्ना कुरैशी के मकान तक नाली व सी0सी0 इण्टरलॉकिंग का कार्य,

20-मो0 गजराजगंज में सुधीर के मकान से कब्रिस्तान तक नाली निर्माण कार्य,

21-मो0 सिपाह में ट्रान्सफार्मर के बगल से मो0 अमीन के मकान तक नाली निर्माण,

22-मो0 कटरा में मो0 शरीफ के मकान से अजय यादव के मकान होते हुए नाला तक नाली व सी0सी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य,

23-मो0 कमालपुर में झलरा देवी के मकान से भोला पाल के स्कूल तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य,

24-मो0 साहबगंज में पवन के मकान से न्यू शिवम् स्वीट हाउस तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण,

25-मो0 कमालपुर मछलीशहर रोड पर रेलवे फाटक से थाना तक बस अड्डे गेट तक दोनों पटरी पर सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण,

26-मो0 कटरा में कन्हैया के मंदिर से गंगा पाण्डेय के मन्दिर तक नाली व सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण,

27-जंघई रोड पर साँई पेट्रोल पम्प के बगल से श्याम सुन्दर दुबे के मकान तक नाली व सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण,

28-मछलीशहर रोड पर सुरेन्द्र सरोज के मकान से हरि पवारा के मकान तक सड़क व पटरी सुधार निर्माण कार्य,

29-पकड़ी द्वितीय में लाल मेडिकल से सन्तलाल के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य,

30-मो0 पकड़ी तृतीय में जौनपुर रोड से खुर्शीद के मकान एवं मस्जिद तक नाली व सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण,

31-मो0 गुडहाई कल्लू मंजू के मकान से होलिका दहन स्थल तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य,

32-शंकर मेडिकल से चौरसिया इलेक्ट्रानिक तक सड़क व पटरी पुनर्निर्माण कार्य,

33-सांवरिया रेस्टोरेन्ट से जामा मस्जिद तक सड़क सुधार कार्य,

34-नईगंज में शब्बीर के मकान से कटरा त्रिमुहानी तक सड़क सुधार कार्य,

35-चौरसिया इलेक्ट्रानिक से जामा मस्जिद तक सड़क पटरी सी0सी0 इण्टरलॉकिंग कार्य,

36-मो0 लतहरिया में जंघई रोड से ताराचन्द सोनी के मकान तक नाली व सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण तथा

37-मो0 नई बाजार में विजय विश्वकर्मा के मकान से राजेन्द्र प्रसाद के मकान तक नाली व सी0सी0 इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण।

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-184 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-196 पर)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत विधान सभा लालगंज के कार्य

खण्ड का नाम :–निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
	नवनिर्माण का कार्य :–			
1	लालगंज भीरा (अन्य जिला मार्ग) मार्ग कि0मी0 00 से 11.625 का चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1402.64	100%	लालगंज
2	जगुई धरहरा मार्ग के कि0मी0 3 से ओघनी सम्पर्क मार्ग। (ग्रामीण मार्ग)	39.04	100%	लालगंज
3	आमा महुआ सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	66.64	100%	लालगंज
4	गढवेपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	30.79	100%	लालगंज
5	ताहिरपुर साखा सम्पर्क मार्ग से देउपुर सम्पर्क मार्ग।	28.01	100%	लालगंज
6	जिवली देवगांव से सठौली सम्पर्क मार्ग।	14.06	100%	लालगंज
7	लोधापुर सम्पर्क मार्ग।	43.76	100%	लालगंज
	योग–	**1624.94**		
	मरम्मत का कार्य :–			
1	सिसरोडी मार्ग से यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.89	100%	लालगंज
2	सिसरोड़ी मार्ग से छावनी पसियान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	4.66	100%	लालगंज
3	सिसरेड़ी सम्पर्क मार्ग से बागे पासी बस्ती सम्पर्क मार्ग।	7.45	100%	लालगंज
4	सुजातपुर सम्पर्क मार्ग	5.95	100%	लालगंज
5	लालगंज भीरा से सरावां मार्ग	6.76	100%	लालगंज
6	लहुआ खुर्द सम्पर्क मार्ग।	2.17	100%	लालगंज
7	देवगांव मेंहनाजपुर से रामपुर कठरवां सम्पर्क मार्ग।	19.11	100%	लालगंज
8	देवगांव बसही सलेमपुर वाया खुम्हादेवरी लहुआ मार्ग।	36.51	100%	लालगंज
9	महंगूपुर सम्पर्क मार्ग का शेष भाग।	3.55	100%	लालगंज
10	बेलागोमाडीह वाया ताजपुर सम्पर्क मार्ग।	77.32	100%	लालगंज
11	चकउमरी रमेश गिरी सम्पर्क मार्ग।	13.15	100%	लालगंज
12	हदीशादयालपुर से आवदह भीरा लालगंज सम्पर्क मार्ग।	35.13	100%	लालगंज
13	लालगंज भीरा मार्ग। अन्य जिला मार्ग।	115.73	100%	लालगंज
14	अमेठी सम्पर्क मार्ग।	40.16	100%	लालगंज
15	लालगंज लहुआ अन्य जिला मार्ग।	104.43	100%	लालगंज
16	जिवली देवगांव से श्रीकान्तपुर अगेहताबालीपुर सम्पर्क मार्ग।	40.35	100%	लालगंज
17	लालगंज तरवां अन्य जिला मार्ग।	142.63	100%	लालगंज
18	असाउर टीकर सम्पर्क मार्ग।	11.13	100%	लालगंज
19	पारा सम्पर्क मार्ग।	16.50	100%	लालगंज
20	मुडहर पक्की सडक से अमेठ सम्पर्क मार्ग।	6.63	100%	लालगंज
21	बीडीबी मार्ग से भुलनडीह सम्पर्क मार्ग।	16.50	100%	लालगंज
22	ठकठकउवा सम्पर्क मार्ग।	16.50	100%	लालगंज
23	देवगांव मेंहनाजपुर से कलीचाबाद सम्पर्क मार्ग।	12.38	100%	लालगंज
24	खम्हौली सम्पर्क मार्ग।	16.50	100%	लालगंज
25	गम्भीरपुर मार्टिनगंज से फेटी सम्पर्क मार्ग।	15.63	100%	लालगंज
26	अहिरौली सम्पर्क मार्ग।	15.45	100%	लालगंज
27	वाराणसी आजमगढ़ से कस्बा देवगांव सम्पर्क मार्ग।	12.38	100%	लालगंज

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
28	जिवली देवगांव मार्ग से फैजुल्लाहपुर (पी0एम0जी0एस0 वाई) सम्पर्क मा ।।	25.43	100%	लालगंज
29	वाराणसी आजमगढ़ मार्ग से बालपुर खरैला से भवतर सम्पर्क मार्ग।	26.38	100%	लालगंज
30	देवगांव केराकत से गोपालपुर सम्पर्क मार्ग।	4.12	100%	लालगंज
31	बदसांवा सम्पर्क मार्ग।	33.01	100%	लालगंज
32	लालगंज मुडहर से कैथीशंकरपुर सम्पर्क मार्ग।	4.12	100%	लालगंज
33	मुडहर अमेठी प्रधानमंत्री मार्ग से मुख्य अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	6.63	100%	लालगंज
34	कैथीशंकरपुर सम्पर्क मार्ग।	2.50	100%	लालगंज
35	चिल्लूपुर सम्पर्क मार्ग।	12.38	100%	लालगंज
36	भीरा से चौकीगांव सम्पर्क मार्ग।	13.15	100%	लालगंज
37	आजमगढ जौनपुर मार्ग से सराय मोहन सम्पर्क मार्ग।	9.88	100%	लालगंज
38	इस्माइलपुर बरहती सम्पर्क मार्ग।	14.40	100%	लालगंज
39	अकबरपुर तरफकाजीपुर सम्पर्क मार्ग।	7.11	100%	लालगंज
40	देवगांव मेंहनाजपुर से मानिकपुर सम्पर्क मार्ग।	5.76	100%	लालगंज
41	फखरूददीनपुर सम्पर्क मार्ग।	18.14	100%	लालगंज
42	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से इरनी सम्पर्क मार्ग।	8.26	100%	लालगंज
43	देवगांव मेंहनाजपुर से बघरवा उर्फ मोलनापुर सम्पर्क मार्ग।	5.76	100%	लालगंज
44	सरायरानी जौनपुर मार्ग से तियरी मनिरामपुर सम्पर्क मार्ग।	8.26	100%	लालगंज
45	देवगांव केराकत से डोमनपुर अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	17.55	100%	लालगंज
46	वाराणसी आजमगढ़ से मइखरगपुर सम्पर्क मार्ग।	12.38	100%	लालगंज
47	पक्की सड़क से बड़ादेव स्थान तक सम्पर्क मार्ग।	1.64	100%	लालगंज
48	खुग्हादेवरी से चिउटहरा सम्पर्क मार्ग।	12.56	100%	लालगंज
49	लालगंज तरवां से इस्माइलपुर भरथीपुर सम्पर्क मार्ग।	1.64	100%	लालगंज
50	रामनगर से विसम्भरपुर सम्पर्क मार्ग।	8.26	100%	लालगंज
51	वाराणसी आजमगढ़ से रसूलपुर बागबहादुर सम्पर्क मार्ग।	7.29	100%	लालगंज
52	लालगंज बाईपास से रेतवा रेतेस्वर बाबा होते हुए मेंहरो सम्पर्क मार्ग।	14.02	100%	लालगंज
53	लालगंज भरा मार्ग से डिग्रीकालेज उत्तर ओर बेसो नदी तक सम्पर्क मार्ग।	6.63	100%	लालगंज
54	खुरसूचन्देवरा व्यवहरा सम्पर्क मार्ग।	36.08	100%	लालगंज
55	बेरमा विसम्भरपुर सम्पर्क मार्ग।	12.38	100%	लालगंज
56	रैवसा सम्पर्क मार्ग।	18.14	100%	लालगंज
57	डोमनपुर सम्पर्क मार्ग।	14.87	100%	लालगंज
58	सोफीपुर सम्पर्क मार्ग।	3.27	100%	लालगंज
59	अछीछी सम्पर्क मार्ग।	12.38	100%	लालगंज
60	लालगंज भीरा मार्ग से सरांवा से सिसरेडी सम्पर्क मार्ग।	16.50	100%	लालगंज
61	आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से मानिकपुर सम्पर्क मार्ग।	5.19	100%	लालगंज
62	कपसेठा सम्पर्क मार्ग।	10.75	100%	लालगंज
63	दरियापुर नेवादा सम्पर्क मार्ग।	13.15	100%	लालगंज
64	ठेकमा ब्लाक के अन्तर्गत जगुआवां ग्राम जनार्दन के खेत से मंदिर तक सम्पर्क मार्ग।	8.26	100%	लालगंज
65	जिवली देवगांव से बरसेरवा सम्पर्क मार्ग।	16.50	100%	लालगंज
66	श्रीकान्तपुर से पवनी सम्पर्क मार्ग।	4.12	100%	लालगंज
67	देवगांव मेंहनाजपुर से रामनगर सम्पर्क मार्ग।	5.27	100%	लालगंज
68	ओहनी गांव से चिलबीलागांव तक सम्पर्क मार्ग।	24.77	100%	लालगंज
69	बरवां पकड़ी मार्ग के कि0मी0 4 से चिलबीलापुल से पकडी सम्पर्क मार्ग।	16.50	100%	लालगंज

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
70	टीकर सम्पर्क मार्ग।	13.15	100%	लालगंज
71	बरवां पकड़ी से डंडवल सम्पर्क मार्ग।	10.75	100%	लालगंज
72	चिरकिहिट बस्ती सम्पर्क मार्ग।	16.50	100%	लालगंज
73	ग्राम नाउपुर से अगेहता सम्पर्क मार्ग।	8.26	100%	लालगंज
74	बरदह चौकी से अहिरौली (कोहरौली) सम्पर्क मार्ग।	30.06	100%	लालगंज
75	सिसारेडी सम्पर्क मार्ग।	6.68	100%	लालगंज
76	जिवली देवगांव से हदिसादयालपुर सम्पर्क मार्ग।	10.63	100%	लालगंज
77	जमुआवा गहुआरी सम्पर्क मार्ग का शेष भाग।	14.16	100%	लालगंज
78	मनउवां सम्पर्क मार्ग।	6.57	100%	लालगंज
79	लोधापुर सम्पर्क मार्ग।	2.05	100%	लालगंज
80	लालगंज तरवां मार्ग से सराय यादव बस्ती एच0बी मार्ग।	8.20	100%	लालगंज
81	ताड़कडीह सम्पर्क मार्ग।	4.09	100%	लालगंज
82	खनियरा सम्पर्क मार्ग।	8.20	100%	लालगंज
83	लालगंज तरवां से नरसिंहपुर अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	4.09	100%	लालगंज
84	करियागोपालपुर अनु0 बस्ती होते हुए करमौना तक सम्पर्क मार्ग।	20.51	100%	लालगंज
85	पसिका राजेपुर से सिन्दुरी मार्ग।	8.94	100%	लालगंज
86	गोमाडीह मेंहनगर मार्ग से भोपालपुर सम्पर्क मार्ग।	12.29	100%	लालगंज
87	राजेपुर से जैतीपुर सम्पर्क मार्ग।	19.68	100%	लालगंज
88	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से टडिया नदी के उत्तरी बस्ती सम्पर्क मार्ग।	15.38	100%	लालगंज
89	परासौली भैंसकुर के मध्य बेसों नदी का पहुंच मार्ग।	9.03	100%	लालगंज
90	जमुआवा महुआरी से महुआरी मुख्य ग्राम सम्पर्क मार्ग।	4.09	100%	लालगंज
91	जमीन करौदा सम्पर्क मार्ग से अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	3.28	100%	लालगंज
92	ठेकमा गेट से बिजौली सम्पर्क मार्ग।	5.75	100%	लालगंज
93	केदलीपुर सम्पर्क मार्ग।	4.09	100%	लालगंज
94	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से बिदहापार सम्पर्क मार्ग।	10.25	100%	लालगंज
95	लहुआकला गायत्री मोड़ सम्पर्क मार्ग।	12.29	100%	लालगंज
96	असवनिया सम्पर्क मार्ग का शेष भाग।	2.05	100%	लालगंज
97	पिलखुआ अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	9.03	100%	लालगंज
98	किशुनपुर सम्पर्क मार्ग।	6.57	100%	लालगंज
99	मेंहनाजपुर पकड़ी रोड़ से डंडवल स्कूल चाका राय बस्ती पश्चिम बरवां पल्हना तक सम्पर्क मार्ग।	8.20	100%	लालगंज
100	मेंहनाजपुर शिहुआ रोड़ से रामबचन के घर से शिवमंदिर तक सम्पर्क मार्ग।	8.20	100%	लालगंज
101	ग्राम झिंझपुर में लालचन्द्र राजभर के घर से बसन्तु प्रजापति के घर तक।	6.57	100%	लालगंज
	योग-	1613.53		
	कुल योग-	3238.47		

वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत विधान सभा लालगंज के कार्य

ण्ड का नाम :–निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
	नवनिर्माण का कार्य :–			
1	जनपद आजमगढ़ में लालगंज तरवां अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण कार्य।	2223.48	100%	लालगंज
2	जिवली देवगांव मार्ग से कुडीहर सम्पर्क मार्ग से भरौटी सम्पर्क मार्ग।	26.48	100%	लालगंज
3	पकड़ी खुर्द मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	50.81	100%	लालगंज
4	टडिया दक्षिणी पासी बस्ती मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	47.81	100%	लालगंज
5	रैतवा चन्द्रभानुपर चौहान बस्ती एवं अनु0 बस्ती मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	35.03	100%	लालगंज
6	पसिका अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	14.42	100%	लालगंज
7	बउवांपार अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	20.96	100%	लालगंज
8	भीरा यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग।	14.68	100%	लालगंज
9	बउवांपार चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	33.09	100%	लालगंज
10	अहिरौली कृतमलपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	27.13	100%	लालगंज
11	घडसहना सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	18.13	100%	लालगंज
12	सरायमारूफ सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	18.21	100%	लालगंज
13	मिर्जापुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	38.18	100%	लालगंज
14	बहादुरपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	26.94	100%	लालगंज
15	जमुआंवा भरौटी सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	35.61	100%	लालगंज
16	सिधौना चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	22.25	100%	लालगंज
17	नोनीपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य।	24.20	100%	लालगंज
	योग––	2677.41		
	मरम्मत का कार्य :–			
1	जिवली देवगांव से चेवार पश्चिम ।	24.42	100%	लालगंज
2	जिवली देवगांव से हदिसा दयालपुर मार्ग	13.36	100%	लालगंज
3	जिवली देवगांव से वकेश	13.00	100%	लालगंज
4	भड़सारी पासी बस्ती दक्षिणी व अनु0 बस्ती पश्चिमी सम्पर्क मार्ग।	5.97	100%	लालगंज
5	भदसारी अनु0 बस्ती द्वितीय (पश्चिमी) सम्पर्क मार्ग।	7.94	100%	लालगंज
6	बरबसपुर सम्पर्क मार्ग से सिरसापार सम्पर्क मार्ग।	5.47	100%	लालगंज
7	बेलाताजपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 6 से अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	5.31	100%	लालगंज
8	मुडहर चिरकिहिट मार्ग।	33.01	100%	लालगंज
9	पल्हना ब्लाक मुख्यालय से पूर्व ब्लाक प्रमुख श्री कौलू राजभर के घर से लहुआ बाजार तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	30.64	100%	लालगंज
10	प्रस्तावित अनु0 बस्ती । एवं ।। मार्ग से पसियान–। सम्पर्क मार्ग।	3.05	100%	लालगंज
11	राजेपुर अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	5.43	100%	लालगंज
12	शेखपुर बछौली मार्ग	17.37	100%	लालगंज
13	उवारपुर लक्ष्मीपुर सम्पर्क मार्ग	33.25	100%	लालगंज
14	वाराणसी आजमगढ़ मार्ग से दुर्गा पाण्डे के घर से चडिया दक्षिणी	17.54	100%	लालगंज

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
15	चेवार पश्चिम मार्ग	17.16	100%	लालगंज
16	नन्दा सम्पर्क मार्ग	12.15	100%	लालगंज
17	अहिरौली गोड़हरा से असवनिया मार्ग।	17.20	100%	लालगंज
18	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से बिण्डा सम्पर्क मार्ग।	10.76	100%	लालगंज
19	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से रतनिया होते हुए पारा सम्पर्क मार्ग।	6.88	100%	लालगंज
20	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर से पसिका मार्ग	36.86	100%	लालगंज
21	आजमगढ़ जौनपुर मार्ग से बरबसपुर सम्पर्क मार्ग।	5.42	100%	लालगंज
22	गम्भीरपुर मार्टिनगंज मार्ग से पूर्वी अनु बस्ती सम्पर्क मार्ग।	5.39	100%	लालगंज
23	गोमाडीह मैंहनगर नहर की पटरी से सम्पर्क मार्ग।	7.94	100%	लालगंज
24	लालगंज तरवा लहुवां से लफिया मार्ग	4.18	100%	लालगंज
25	लालगंज लहुवां से कोटा खुर्द	8.51	100%	लालगंज
26	लालगंज लहुआ मुख्य सड़क से मसूद अहमद सम्पर्क मार्ग	32.94	100%	लालगंज
27	मैनपुर सम्पर्क मार्ग।	14.03	100%	लालगंज
28	भुड़की द्वितीय सम्पर्क मार्ग।	14.26	100%	लालगंज
29	जिउली देवगांव मार्ग के किमी0 16 से यादव बस्ती होते हुए चैकी देवगांव चैहान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	17.61	100%	लालगंज
30	मुहम्मदपुर फेटी मार्ग कि0मी0 2 से सेखपुर पठानपुर सम्पर्क मार्ग।	10.84	100%	लालगंज
31	रणमों अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.65	100%	लालगंज
32	जमीनकरौदा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0 3 से हजारेमलपुर सम्पर्क मार्ग।	5.48	100%	लालगंज
33	लालगंज,भीरा से गोगही मार्ग	14.94	100%	लालगंज
34	देवगांव बसही सलेमपुर मार्ग वाया खुम्हादेवरी सलेमपुर मार्ग।	64.96	100%	लालगंज
35	उबारपुर से अमानगंज होते मुड़हर तक	42.86	100%	लालगंज
36	लालगंज लहुआ से बैरीडीह मार्ग	40.63	100%	लालगंज
37	देवगांव मैंहनाजपुर से रामपुर कतरवां सम्पर्क मार्ग। कि0मी01 (0.00 से 280) सी0सी0 मार्ग।	38.84	100%	लालगंज
38	बरदह चौकी से अहिरौली (कोहरौली) सम्पर्क मार्ग।	37.86	100%	लालगंज
39	लालगंज से गोलावाले के रास्ते से ग्राम रणमों तक सम्पर्क मार्ग।	23.72	100%	लालगंज
40	लहुआ सम्पर्क मार्ग। कि0मी01 (0.800 से 0.900), कि0मी0 2(1.41 से 1.50)	26.60	100%	लालगंज
41	देवगांव केराकत से गोपालपुर सम्पर्क मार्ग।	31.80	100%	लालगंज
42	लफिया सम्पर्क मार्ग ।	12.81	100%	लालगंज
43	सरूपहा से शहरी बन्धा सम्पर्क मार्ग।	11.67.	100%	लालगंज
44	देवलपुर अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	17.30	100%	लालगंज
45	गंगापुर सम्पक मार्ग।	9.32	100%	लालगंज
46	जिवली देवगांव से तरफकाजी सम्पर्क मार्ग के 400 मी0 में सी0सी0 का कार्य एवं शेष में पी0सी0 का कार्य।	31.04	100%	लालगंज
47	लालगंज तरवां से चन्देवरा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	71.05	100%	लालगंज
48	आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से बरवां सम्पर्क मार्ग।	19.93	100%	लालगंज
49	मुक्तिपुर से बिकापुर सम्पर्क मार्ग।	36.05	100%	लालगंज
50	आजमगढ़ छतवारा देवईत मैंहनगर जिगनी पल्हना मैंहनाजपुर तक मार्ग। (एम0डी0आर0 सं0–171ई0)	138.15	100%	लालगंज

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
51	सिरवां विश्व बैंक पोसित मार्ग छपरे का परियान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	4.35	100%	लालगंज
52	तियरी मनिरामपुर से सिरवां सम्पर्क मार्ग।	15.55	100%	लालगंज
53	भैंसपुर बस्ती से बेसो नदी पुल से होते हुए चिरकिहीट तक	8.09	100%	लालगंज
54	भगवानपुर सम्पर्क मार्ग	1.99	100%	लालगंज
55	पंदहा सम्पर्क मार्ग से अमौड़ा अनु0 बस्ती उत्तरी–1 सम्पर्क मार्ग।	2.97	100%	लालगंज
56	पंदहा सम्पर्क मार्ग से अमौड़ा पसियान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	3.37	100%	लालगंज
57	ए0 एस0 जे0 मार्ग से सराय मोहन मार्ग	8.37	100%	लालगंज
58	बक्सपुर से बीकापुर मार्ग।	15.81	100%	लालगंज
59	बडका पसियान से उत्तरी अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	6.14	100%	लालगंज
60	बेलाखास अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	3.75	100%	लालगंज
61	कोटा बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग	6.01	100%	लालगंज
62	कैथीशंकरपुर सम्पर्क मार्ग।	8.98	100%	लालगंज
63	कन्जहीत सम्पर्क मार्ग	3.38	100%	लालगंज
64	मईखरगपुर सम्पर्क मार्ग।	9.77	100%	लालगंज
65	महुलिया सम्पर्क मार्ग से उसरे सम्पर्क मार्ग।	2.03	100%	लालगंज
66	माधोपुर घरांग ट्यूबेल से हरिजन बस्ती तक लालचन्द के घर से पूरब	8.41	100%	लालगंज
67	पतिलाचौर सम्पर्क मार्ग।	10.93	100%	लालगंज
68	पतिलाचौर सम्पर्क मार्ग।	11.02	100%	लालगंज
69	परसौली भैंसकुर मार्ग से उसरहिया बस्ती सम्पर्क मार्ग।	5.42	100%	लालगंज
70	पैरहा सम्पर्क मार्ग	8.03	100%	लालगंज
71	पन्दहा से अमौड़ा मार्ग	9.63	100%	लालगंज
72	प्रस्तावित मुडहर मुख्य गांव सम्पर्क मार्ग से अनु0 बस्ती–। सम्पर्क मार्ग।	7.26	100%	लालगंज
73	प्रस्तावित जमीनकरौदा अनु0 बस्ती से बरतर सम्पर्क मार्ग।	1.34	100%	लालगंज
74	श्रीकान्तपुर से पौनी खुर्द	2.61	100%	लालगंज
75	रामनगर से विशम्भरपुर सम्पर्क मार्ग	4.41	100%	लालगंज
76	रामनगर नहर की पुलिया से गंगवल प्रा0पा0 तक मार्ग निर्माण।	8.20	100%	लालगंज
77	रोवा पार तिलखरा मार्ग से खुसनामपुर सम्पर्क मार्ग।	12.82	100%	लालगंज
78	राजेपुर पसिका से कम्मरपुर मार्ग।	14.13	100%	लालगंज
79	रतौरी सम्पर्क मार्ग	8.41	100%	लालगंज
80	सराय मोहन लसड़ा मार्ग से बांगपुर सम्पर्क मार्ग।	8.33	100%	लालगंज
81	सरायमोहन प्रा0पा0 से महासपुर सम्पर्क मार्ग।	4.41	100%	लालगंज
82	उदियांवा सम्पर्क मार्ग	14.67	100%	लालगंज
83	वाराणसी आजमगढ़ मार्ग से कंजहित चैहान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	7.29	100%	लालगंज
84	जैतीपुर सम्पर्क मार्ग से यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.12	100%	लालगंज
85	जैतीपुर सम्पक्र मार्ग से सुभावना बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.92	100%	लालगंज
86	अमौडा सम्पर्क मार्ग से पर्वी अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.14	100%	लालगंज
87	अमौडा सम्पर्क मार्ग से उत्तीर अनु0 बस्ती–।।। सम्पर्क मार्ग।	3.23	100%	लालगंज
88	आजगगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से बरई बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.03	100%	लालगंज
89	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	4.20	100%	लालगंज
90	आजमगढ़ जौनपुर मार्ग के कि0मी0 32 से पूर्वी अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.71	100%	लालगंज
91	आजमगढ़ जौनपुर मार्ग से पूर्वी टोला सम्पर्क मार्ग।	5.25	100%	लालगंज
92	असाउर टिकर सिरवां मार्ग से महंगपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग।	4.88	100%	लालगंज

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
93	अटाकपुर सम्पर्क मार्ग	1.69	100%	लालगंज
94	गम्भीरपुर मार्टिनगंज मार्ग से मुसहर बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.86	100%	लालगंज
95	लाघूपुर सम्पर्क मार्ग	8.18	100%	लालगंज
96	लुम्बनी वाराणसी मार्ग से कंजहित सम्पर्क मार्ग।	8.41	100%	लालगंज
97	लहुआ माइनर सम्पर्क मार्ग।	7.52	100%	लालगंज
98	जिवली देवगांव से चैकी नसरतपुर सम्पर्क मार्ग।	4.41	100%	लालगंज
99	लालगंज भीरा से अवदह खास सम्पर्क मार्ग।	8.41	100%	लालगंज
100	भवतर अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	8.41	100%	लालगंज
101	नोनीपुर सम्पर्क मार्ग।	10.43	100%	लालगंज
102	मैहनाजपुर से सिंहुका सम्पर्क मार्ग।	31.74	100%	लालगंज
103	बेलाकलीचपुर सम्पर्क मार्ग।	11.23	100%	लालगंज
104	रोवापार तिलखरा मार्ग से तिलखरा सम्पर्क मार्ग।	8.32	100%	लालगंज
105	कुम्भ से सिन्दुरी सम्पर्क मार्ग।	15.08	100%	लालगंज
106	जिवली देवगांव मैहनाजपुर औड़िहार मार्ग (प्र0जि0मा0 सं0 153ई0)	187.84	100%	लालगंज
107	लालगंज तरवां अन्य जिला मार्ग।	247.55	100%	लालगंज
108	अहिरौली गोडहरा से अहिरौली ग्राम तक सम्पर्क मार्ग।	8.26	100%	लालगंज
109	आजमगढ–छतवारा –देवईत–मैहनगर –जिगनी–पल्हना – मैहनाजपुर मार्ग। कि0मी0 37 एवं 38 प्र0जि0मा0	30.93.	100%	लालगंज
	योग–	1991.18		
	कुल योग–	3957.94		

वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत विधान सभा लालगंज के कार्य

खण्ड का नाम :–निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
	नवनिर्माण का कार्य :–			
1	अम्बिकापुर सम्पर्क मार्ग।	13.74	100%	लालगंज
2	बकेश केवट बस्ती सम्पर्क मार्ग।	9.56	100%	लालगंज
3	जयसिंहपुर सम्पर्क मार्ग।	41.53	100%	लालगंज
4	बड़ेपुर सम्पर्क मार्ग।	23.73	100%	लालगंज
5	इरनी अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	27.97	100%	लालगंज
6	सरायमोहन अनु0 बस्ती द्वितीय सम्पर्क मार्ग।	28.32	100%	लालगंज
7	हरईरामपुर अनु0 बस्ती पश्चिमी सम्पर्क मार्ग।	47.04	100%	लालगंज
8	उपेन्दा सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का नवनिर्माण।	9.49	100%	लालगंज
9	खुरसू चन्देवरा व्यवहरा मार्ग से जनता इण्टर कालेज सम्पर्क मार्ग।	12.86	100%	लालगंज
10	खुरसू चन्देवरा व्यवहरा एवं रामपुर बढ़ौना के बीच बने पुल के पहुंच मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	17.84	100%	लालगंज
11	ओघनी सम्पर्क मार्ग का शेष भाग।	40.19	100%	लालगंज
12	जनपद आजमगढ़ में बूढनपुर–दीदारगंज मेंहनाजपुर औड़िहार मार्ग (राज्य राजमार्ग सं0–124) का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण कार्य।	140.86	100%	लालगंज
13	ग्राम सभा जमीनसीर में ज्यूली देवगांव मुख्य सड़क से जे0पी0 यादव के घर होते हुए इदगाह होते हुए चकबधवा होते हुए ग्राम सभा सिकरौरा तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	154.75	100%	लालगंज
14	उदियांवा सम्पर्क मार्ग से भिटवा राजभर बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53.78	100%	लालगंज
15	गोमाडीह पासी बस्ती सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण।	37.88	100%	लालगंज
16	चौकी पसियान पश्चिमी सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	33.64	100%	लालगंज
17	तियरी संग्रामपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	32.33	100%	लालगंज
	योग–	725.510		
	मरम्मत का कार्य :–			
1	कोढवा अनु0 बस्ती से अच्चलपार सम्पर्क मार्ग।	2.59	100%	मुबारकपुर
2	जिवली देवगांव मेहनाजपुर औड़िहार मार्ग (नवघोषित रा0मा0 स0–124) प्र0जि0मा0	324.20	100%	लालगंज
3	रोवापार तिलखरा मार्ग। (अ0जि0मा0)	44.61	100%	लालगंज
4	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग। (रा0मा0)	30.24	100%	लालगंज
5	देवगांव बसही सलेमपुर वाया खुम्हादेवरी लहुआ मार्ग। (अ0जि0मा0)	35.11	100%	लालगंज
6	सेखपुर बछौली सम्पर्क मार्ग।	4.32	100%	लालगंज
7	खुम्हादेवरी सम्पर्क मार्ग।	2.59	100%	लालगंज
8	इटैली सम्पर्क मार्ग से अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.59	100%	लालगंज
9	रामनगर नहर की पुलिया से गंगवल प्रा0पा0 तक सम्पर्क मार्ग।	8.38	100%	लालगंज
10	रोवापार तिलखरा से कोसड़ा सम्पर्क मार्ग।	31.50	100%	लालगंज
11	पल्हना मेंहनाजपुर मार्ग के कि0मी0 41 से करसड़ा बगौना होते हुए चिउटहरा सम्पर्क मार्ग।	38.85	100%	लालगंज
12	चकजमालुद्दीनपुर मार्ग से पूर्वी अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.29	100%	लालगंज
13	चकजमालुद्दीनपुर मार्ग से उसरापर मुसहर बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.59	100%	लालगंज
14	लालगंज लहुआ से कोटाखुर्द सम्पर्क मार्ग।	8.64	100%	लालगंज

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
15	कोटाखुर्द बनझुलिया सम्पर्क मार्ग।	10.36	100%	लालगंज
16	कोटाखुर्द से समरा सम्पर्क मार्ग।	1.73	100%	लालगंज
17	टिकरी सम्पर्क मार्ग से पासी बस्ती सम्पर्क मार्ग।	4.32	100%	लालगंज
18	टिकरी सम्पर्क मार्ग से अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	4.59	100%	लालगंज
19	रामपुर बढ़ौना सम्पर्क मार्ग।	4.32	100%	लालगंज
20	आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से बालडीह सम्पर्क मार्ग।	13.82	100%	लालगंज
21	जिरिकपुर सम्पर्क मार्ग।	12.95	100%	लालगंज
22	फैजुल्लाहपुर सम्पर्क मार्ग से यादव बस्ती /अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	5.18	100%	लालगंज
23	लालगंज बाईपास से रेतवा रेतेश्वर बाबा होते हुए मेहरो सम्पर्क मार्ग।	6.05	100%	लालगंज
24	भिर्जा जगदीशपुर सम्पर्क मार्ग।	11.23	100%	लालगंज
25	भगौतीपुर सम्पर्क मार्ग।	4.32	100%	लालगंज
26	अवनी रसूलपुर से सिहुका अंबीरपुर सम्पर्क मर्ग।	34.98	100%	लालगंज
27	बरवां पकड़ी (शेष भाग) के कि0मी0 8 से परसौली सम्पर्क मार्ग।	20.73	100%	लालगंज
28	सिधौना ओहनी वाया गायत्री मोड मार्ग के कि0मी0 9 से ओघनी सम्पर्क मार्ग।	4.32	100%	लालगंज
29	ठेकमा गुडहर मार्ग से मुसहर बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.29	100%	लालगंज
30	रोहुआ से अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	1.73	100%	लालगंज
31	गोसाई की बाजार पन्दहा से असाउर सिरवां मार्ग।	8.47	100%	लालगंज
32	सराय मोहन सम्पर्क मार्ग से महुलिया सम्पर्क मार्ग।	3.45	100%	लालगंज
33	जैतीपुर सम्पर्क मार्ग से जैतीपुर पसियान बस्ती सम्पर्क मार्ग।	5.18	100%	लालगंज
34	दुर्गापुर सम्पर्क मार्ग।	3.45	100%	लालगंज
35	जगदीशपुर सम्पर्क मार्ग।	1.73	100%	लालगंज
36	तरफकाजी अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	2.15	100%	लालगंज
	योग–	703.85		
	कुल योग–	1429.36		

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
	सोफीपुर उर्फ सरूपहा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.25	100%	लालगंज
6	डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरवपथ योजनान्तर्गत उपेन्दा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	14.96	100%	लालगंज
7	देवगांव केराकत मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	164.23	100%	लालगंज
8	बुढनपुर दीदारगंज मेंहनाजपुर औड़िहार मार्ग। (एस0एंच0)	22.37	100%	लालगंज
9	बरदह अनु0 बस्ती मार्ग। (अ0जि0मा0)	17.27	100%	लालगंज
10	सोफीपुर ठेकमा मार्ग। (अ0जि0मा0)	7.78	100%	लालगंज
11	बरवा पकड़ी से भरपुर पिछवार सम्पर्क मार्ग।	16.32	100%	लालगंज
12	भरपुर पिछवार का शेष्ज्ञ भाग।	3.61	100%	लालगंज
13	असवनिया सम्पर्क मार्ग।	7.74	100%	लालगंज
14	परसौली प्राईमरी स्कूल से परसौली ठाकुर बस्ती सम्पर्क मार्ग।	3.18	100%	लालगंज
15	परसौली ठाकुर बस्ती मार्ग से पीर्व भाग बस्ती सम्पर्क गाग।	3.39	100%	लालगंज
16	बड़ागांव सम्पर्क मार्ग।	1.80	100%	लालगंज
17	लुम्बनी वाराणसी मार्ग से आजमगढ़ से देवगांव रेस्ट हाउस सम्पर्क मार्ग।	1.80	100%	लालगंज
18	परसौली कुसवाहा बस्ती से अवनी सम्पर्क मार्ग।	14.94	100%	लालगंज
19	पकड़ी से अवनी सम्पर्क मार्ग।	18.11	100%	लालगंज
20	विसम्भरपु अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	11.33	100%	लालगंज
21	बड़ागांव अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग।	9.74	100%	लालगंज
	योग–	401.14		
	कुल योग–	2393.50		

वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत विधान सभा लालगंज के कार्य

खण्ड का नाम :–निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	विधान सभा क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
	नवनिर्माण का कार्य :–			
	..... शून्य			
	मरम्मत का कार्य :–			
1	कटौली से दौना सम्पर्क मार्ग के सीसी कार्य हेतु विशेष मरम्मत का कार्य।	19.97	100%	लालगंज
2	देवगांव केराकत मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	164.23	100%	लालगंज
3	वाराणसी आजमगढ़ मार्ग से उबारपुर लक्ष्मीपुर सम्पर्क मार्ग।	17.93	100%	लालगंज
4	सेखूपुर अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	3.55	100%	लालगंज
5	टीकरगढ़ अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	4.46	100%	लालगंज
6	कुडेभार बस्ती सम्पर्क मार्ग।	9.52	100%	लालगंज
7	बउंवापार सम्पर्क मार्ग।	17.82	100%	लालगंज
8	ग्राम बरदह से ग्राम पुरसुड़ी पुल तक सम्पक मार्ग।	37.06	100%	लालगंज
9	चिरकिहिट से भैंसकुर सम्पर्क मार्ग।	37.72	100%	लालगंज
10	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से हरिश्चन्द्रपुर सम्पक मार्ग।	24.37	100%	लालगंज
11	जिवली देवगांव से गोडहरा सम्पर्क मार्ग।	29.48	100%	लालगंज
12	जिवली सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	16.08	100%	लालगंज
13	ग्रामसभा कम्मरपुर पसिका बेसों नदी के पहुंच मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	29.52	100%	लालगंज
14	तम्मरपुर बड़ेपुर शम्भूपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	19.56	100%	लालगंज
15	चिल्लूपुर के आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली के विशेष मरम्मत का कार्य।	20.68	100%	लालगंज
16	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर से रवनिया होते हुए पारा सम्पर्क मार्ग।	6.80	100%	लालगंज
17	आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर से जमुआवां सम्पर्क मार्ग।	16.17	100%	लालगंज
18	टिकरगढ़ हास्पिटल से सोफी बस्ती होते हुए पदुआस रानीपुर चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत।	23.77	100%	लालगंज
19	रामपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	26.09	100%	लालगंज
20	देवगांव मेंहनाजपुर से नईकोट सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत।	15.79	100%	लालगंज
21	सोफीपुर उर्फ सरूपहा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.25	100%	लालगंज
22	डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरवपथ योजनान्तर्गत उपेन्दा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	14.96	100%	लालगंज
23	बरवां सम्पर्क मार्ग।	18.17	100%	लालगंज
24	अछीछी अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	8.18	100%	लालगंज
25	गौसपुर तरगना सम्पर्क मार्ग।	2.45	100%	लालगंज
26	पसिका सम्पर्क मार्ग से साधन सहकारी समिति पसिका से बेचई सरोज के घर तक सम्पर्क मार्ग।	3.64	100%	लालगंज
27	भीरा अनु0 बस्ती सम्पर्क मार्ग।	8.36	100%	लालगंज
28	जिवली अनु0 बस्ती द्वितीय सम्पर्क मार्ग।	2.72	100%	लालगंज
	योग–	603.30		

पी0एस0यू0पी0-एल0 146 विधान सभा (229)-09-11-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।